



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2019 और मार्च 2020 को समाप्त
वर्षों के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर,
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)
2021 की प्रतिवेदन संख्या 1

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन**

**मार्च 2019 और मार्च 2020 को समाप्त
वर्षों के लिए**

**संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर,
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)
2021 की प्रतिवेदन संख्या 1**

_____को लोकसभा/राज्य सभा के पटल पर रखी गई

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
कार्यकारी सार	iii
अध्याय I : अप्रत्यक्ष कर प्रशासन	1-24
1.1 अप्रत्यक्ष कर का स्वरूप	1
1.2 संगठनात्मक संरचना	3
1.3 राजस्व प्रवृत्ति	4
1.4 जीएसटी के अन्तर्गत अनुपालन सत्यापन तंत्र	9
1.5 वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए क्षतिपूर्ति निधि लेखे प्रेषित न करना	22
अध्याय II : लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	25-40
2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश	25
2.2 लेखापरीक्षा समष्टि	26
2.3 लेखापरीक्षा नमूना	28
2.4 लेखापरीक्षा प्रयास और लेखापरीक्षा उत्पाद	29
2.5 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	31
2.6 सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	39
अध्याय III: जीएसटीएन की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा (चरण-II)	41-114
3.1 प्रस्तावना	41
3.2 जीएसटीएन का संगठनात्मक ढांचा	42
3.3 जीएसटी आईटी पोर्टल	42
3.4 जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा (चरण-II)	43
3.5 निष्कर्षों का विहंगावलोकन-आईटी लेखापरीक्षा (चरण-II)	46
3.6 चरण-I लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई	47
3.7 प्रतिदाय मॉड्यूल	48
3.8 विवरणी मॉड्यूल	76
3.9 ई-वे बिल सिस्टम	91
3.10 अन्य मामले	105

विषय	पृष्ठ
3.11 निष्कर्ष	114
अध्याय IV : जीएसटी की अनुपालन लेखापरीक्षा	115-157
4.1 लेखापरीक्षा जांच	115
4.2 ट्रांजिशनल क्रेडिट- प्रस्तावना	115
4.3 ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित प्रावधान	116
4.4 ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन के लिए सीबीआईसी के निर्देश	118
4.5 डीओआर/सीबीआईसी द्वारा ट्रॉन-1 डाटा प्रस्तुत न करने के कारण ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा करने में असमर्थता	119
4.6 ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा	120
4.7 प्रतिदाय दावों की लेखापरीक्षा का विहंगावलोकन	144
4.8 जीएसटी लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अन्य अनियमितताएं	152
4.9 राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव	157
अध्याय V : सीबीआईसी में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) एवं अधिनिर्णयन प्रक्रिया	159-206
5.1 प्रस्तावना	159
5.2 एससीएन तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया	159
5.3 एससीएन जारी करने तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया के लिए प्रशासन ढांचा	160
5.4 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षाओं के परिणाम	162
5.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य	163
5.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा मापदंड तथा लेखापरीक्षा नमूना	163
5.7 एससीएन के अधिनिर्णयन में विभाग का निष्पादन	166
5.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	168
5.9 अधिनिर्णयन हेतु लम्बित एससीएन में पाई गई विसंगतियां	169
5.10 अधिनिर्णित एससीएन में पाई गई कमियां	178
5.11 कॉल बुक मामलों की निगरानी	187
5.12 रिमांड मामलों में पाई गई कमियां	198

विषय	पृष्ठ
5.13 एससीएन जारी होने से पहले या जारी होने के एक महीने के अंदर शुल्क/कर मांग के भुगतान पर मामलों को बंद करना (एससीएन की छूट)	200
5.14 जारी किये जाने हेतु लंबित ड्राफ्ट एससीएन	201
5.15 आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन	202
5.16 लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना	203
5.17 निष्कर्ष	205
5.18 सिफारिशें	206
अध्याय VI : कर प्रशासन तथा आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)	207-244
6.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की लेखापरीक्षा	207
6.2 लेखापरीक्षा नमूना	207
6.3 लेखापरीक्षा अभियुक्तियों का विहंगावलोकन	208
6.4 निर्धारितियों की चूकें जिनका विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा के बावजूद पता नहीं लगाया गया	212
6.5 विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा कवर नहीं किए गये निर्धारियों की चूकें	224
6.6 वि.व. 19 से पहले लेखापरीक्षा द्वारा आपत्तियां बताई गई अभियुक्तियां जहाँ विभाग द्वारा कार्यवाई लंबित थी	230
6.7 विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई चूकें	230
परिशिष्ट-I: 2017-18 के लिए माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 7 (3) (ख) के तहत राजस्व के प्रमाणीकरण की स्थिति	245
परिशिष्ट-II: प्रमुख वैधीकरण/कार्यत्मकता प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं	247
परिशिष्ट-III: जीएसटीएन के आईटी लेखापरीक्षा (फेज-1) की लेखापरीक्षा अवलोकन पर की गई सुधारात्मक कार्यवाई की स्थिति	250
परिशिष्ट-IV: ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा का अवलोकन	255
परिशिष्ट-V: प्रतिदाय दावों की लेखापरीक्षा का विहंगावलोकन	260

विषय	पृष्ठ
परिशिष्ट-VI: जीएसटी लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अन्य अनियमितताएं	261
परिशिष्ट-VII: राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव	262
परिशिष्ट-VIII: वि.व. 19 और वि.व. 20 में की गई लेखापरीक्षा के आधार पर जारी अभियुक्तियों की सूची	264
परिशिष्ट-IX: वि.व. 19 से पहले की अवधि में किए गए लेखापरीक्षा के आधार पर जारी अभियुक्तियों की सूची	270
शब्दावली	273

प्राक्कथन

मार्च 2019 तथा मार्च 2020 को समाप्त वर्षों के लिए यह संयुक्त प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अनुपालन लेखापरीक्षा तथा माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में माल एवं सेवा कर तथा विरासतीय अप्रत्यक्ष कर अर्थात् केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सेवा कर से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे दृष्टांत हैं जो 2018-19 तथा 2019-20 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान देखे गये परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

अध्याय I: अप्रत्यक्ष कर प्रशासन

माल एवं सेवा कर पर सीएजी के प्रथम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन¹में, हमने जीएसटी को आरंभ करने में सरकार तथा अन्य हितधारकों की ऐतिहासिक उपलब्धि को देखा। हमने आगे देखा कि एक क्षेत्र जहां जीएसटी की पूर्ण क्षमता को प्राप्त नहीं किया गया था वह सरलीकृत कर अनुपालन व्यवस्था थी। “इन्वॉयस मिलान” के माध्यम से मूल रूप से परिकल्पित प्रणाली-वैधीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को कार्यन्वित नहीं किया गया था। विवरणी तंत्र की जटिलता तथा तकनीकी कमियों के परिणामस्वरूप मुख्य जीएसटी विवरणियों को आरंभ नहीं किया जा सका जिससे प्रणाली में आईटीसी धोखाधड़ी का खतरा पैदा हुआ। तदनुसार, हमने प्रौद्योगिकीय समाधानों का उपयोग करते हुए विधिवत सरलीकृत विवरणी फार्मों को प्रस्तुत करके सरलीकृत कर अनुपालन व्यवस्था की सिफारिश की थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि सरलीकृत विवरणी फार्मों को आरंभ करने में निरंतर स्थगित तथा निर्णय लेने में देरी के कारण मूल रूप से परिकल्पित “इन्वॉयस मिलान” के माध्यम से प्रणाली-सत्यापित आईटीसी प्रवाह को अभी लागू किया जाना है और एक गैर-अंतर्वेधी ई-टैक्स प्रणाली अभी भी लागू नहीं हुई है। जीएसटी आरंभ के तीन वर्षों से अधिक के बावजूद जीएसटी विवरणी प्रणाली का कार्य अभी तक अर्धनिर्मित है। स्थिर तथा सरलीकृत विवरणी प्रणाली की अनुपस्थिति में जीएसटी प्रणाली के आरंभ के एक मुख्य उद्देश्य अर्थात् सरलीकृत कर अनुपालन को अभी प्राप्त किया जाना है।

यह सिफारिश की जाती है कि सरलीकृत विवरणी फार्मों को आरंभ करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए और लागू की जानी चाहिए क्योंकि बार-बार होने वाले आस्थगन से विवरणी दाखिल प्रणाली के स्थिरीकरण में देरी हो रही है और जीएसटी ईको-सिस्टम में निरंतर अनिश्चितता बनी हुई है।

(पैराग्राफ 1.4.1)

¹ 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11 (अप्रत्यक्षकर- माल एवं सेवा कर)

वित्तीय वर्ष 19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 20 के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रहण ₹ 16,627 करोड़ तक बढ़ गया। तथापि, पिछले पांच वर्षों के दौरान अप्रत्यक्ष करों की वार्षिक वृद्धि में घटती हुई प्रवृत्ति रहीं। अप्रत्यक्ष करों की वार्षिक वृद्धि (वाई-ओ-वाई) वित्तीय वर्ष 17 में 21.33 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 20 में 1.76 प्रतिशत तक घट गई। इसके अतिरिक्त, कुल राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा वित्तीय वर्ष 17 में 38.95 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 20 में 36.92 प्रतिशत तक घट गया। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय जीएसटी कर² राजस्व वित्तीय वर्ष 19 में 3.08 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 20 में 2.95 प्रतिशत तक घट गया।

(पैराग्राफ 1.3.1 तथा पैराग्राफ 1.3.2.1)

सीबीआईसी को कर अधिकारियों के लिए विस्तृत निर्देशों/मैनुअल पर आधारित विवरणियों की संवीक्षा की प्रभावी प्रणाली को अभी भी लागू करना है। इसके परिणामस्वरूप, विभाग के महत्वपूर्ण अनुपालन कार्यों, जैसाकि कानून द्वारा अधिदेशित किया गया है, को जीएसटी के लागू होने के तीन वर्ष बाद भी अभी प्रभावी रूप से आरंभित किया जाना है।

(पैराग्राफ 1.4.2)

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि तथा लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

31 मार्च 2019 तक स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों³ में बड़ी संख्या में लेखापरीक्षा अभियुक्तियां अनुपालन के लिए लम्बित थीं। इन लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर विभाग की प्रतिक्रिया आंतरायिक थी तथा मौलिक नहीं थी जिसके कारण शेष पैराओं का लगातार संचयन हुआ। विभाग ने 31 मार्च 2019 तक लंबित कुल एलएआर लेखापरीक्षा पैराओं के 52 प्रतिशत (13,475) पैराओं का उत्तर नहीं दिया था, जो लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के प्रतिउत्तर देने में विभाग के चिन्ता वाले दृष्टिकोण को दर्शाता है। 31 मार्च 2019 तक 6,474

² जीएसटी राजस्व में केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, एकीकृत माल एवं सेवा कर, यूटी माल एवं सेवा कर तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल है।

³ स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा प्रत्येक लेखापरीक्षित विभागीय इकाई को जारी किया जाता है। उनके उत्तरों के आधार पर महत्वपूर्ण अभियुक्तियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है जिन्हें संसद में रखा जाता है।

(48 प्रतिशत) पैराओं में विभाग का उत्तर तीन वर्ष से अधिक के लिए लंबित था।

(पैराग्राफ 2.5.3 एवं 2.5.4)

अध्याय III: जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा

जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा (चरण-II) यह निर्धारण करने के लिए की गयी थी कि क्या जीएसटीएन द्वारा लागू प्रतिदाय तथा विवरणी मॉड्यूलों को जीएसटी व्यवस्था को शासित करने वाले अधिनियमों तथा नियमावली के प्रावधानों तथा प्रणालीगत आवश्यक विशिष्टता (एस आर एस) के अनुसार थे। इसके अतिरिक्त, ई-वे बिल्स मॉड्यूल, जिसे जीएसटीएन के पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित किया गया था, की भी समीक्षा की गयी थी।

14 मामलों में, आरंभ किए गये मॉड्यूल में मौजूद मुख्य वैधीकरण/कार्यात्मकता को लागू प्रावधानों के अनुसार नहीं पाया गया था जबकि एस आर एस का सही ढंग से गठन किया गया था।

(पैराग्राफ 3.5.1)

प्रतिदाय मॉड्यूल

पर्याप्त नियंत्रणों के अभाव, असत्यापित आईटीसी पर प्रतिदाय का दावा करने का जोखिम तथा माल के निर्यात पर आईजीएसटी प्रतिदाय के लिए इंडियन कस्टमस ईडीआई सिस्टमस (आईसीईएस) अनुप्रयोग के साथ जीएसटी पोर्टल के एकीकरण में कमियों के परिणामस्वरूप प्रतिदाय मॉड्यूल में निम्नलिखित कमियां थीं:

- जीएसटीआर 2 तथा 3 के स्थगित होने के कारण, परिकल्पित क्रेता विक्रेता मिलान तंत्र को लागू नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप जीएसटी प्रतिदाय प्रणाली में निरंतर जोखिम है।

(पैराग्राफ 3.7.3.2)

- करदाताओं के आईटीसी लेजर को पुनः क्रेडिट न करना, जहां कमी-ज्ञापन द्वितीय तथा बाद के अवसरों पर जारी किए गए थे।

(पैराग्राफ 3.7.3.3)

- भुगतान के बिना (वचन-पत्र) निर्यात के मामलों में स्वीकृत आईटीसी का प्रतिदाय कर के निर्यात के वास्तविक मूल्य से अनुपातहीन रूप से अधिक होना असंगत था।

(पैराग्राफ 3.7.3.4)

- प्रतिदाय आवेदनों की प्रक्रिया करते समय सेज ऑनलाईन के साथ सेज को आपूर्तियों के बीजकोंके समर्थक विवरण का सत्यापन अनिवार्य नहीं बनाया गया था।

(पैराग्राफ 3.7.3.5)

- बैंक कार्यालय में 'विद-होल्ड' अनुरोध कार्यात्मकता के लागू न होने के कारण गैर-संगत निर्यातकों को आगामी प्रतिदायों की संभावना रहती है।

(पैराग्राफ 3.7.3.6)

- पूंजीगत माल की आईटीसी कटौती करने के लिए स्वतः-बहिष्करण कार्यात्मकता के अभाव में अधिक प्रतिदायों का दावा किया जा सकता था।

(पैराग्राफ 3.7.3.9)

- संगत प्रविष्टियाँ, जैसे कि विवरण-1ए में दी गई हैं, के साथ विवरण-1 में आपूर्ति के विपरीत दर के टर्नओवर को सत्यापित करने के लिए प्रणाली में वैधीकरण अभाव से प्रतिदायों का अधिक दावा किया जा सकता है।

(पैराग्राफ 3.7.3.10)

विवरणी माँड्यूल

हमने विवरणी माँड्यूल में पर्याप्त वैधीकरण के अभाव, जीएसटीआर-3बी में करदाताओं की ब्याज देयता के स्व परिकलन का अभाव तथा एसआरएस के प्रति नियमों की गलत मैपिंग को देखा, जो इस प्रकार है:

- जीएसटीआर-2ए, जोकि कर अधिकारियों के लिए आंतरिक आपूर्ति पर जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, का गलत सृजन जिससे आईटीसी की अनियमित उपलब्धता हो सकती थी।

(पैराग्राफ 3.8.3.3)

- जीएसटीआर-4 के दाखिल करने के संबंध में टर्नओवर पर वैधीकरण का अभाव जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक सीमा समाप्त होने के बाद भी संघटन करदाता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा।

(पैराग्राफ 3.8.3.4)

- प्रति प्रभार प्रणाली (आर सी एम) आधार पर प्राप्त सेवाओं के लिए जीएसटी के भुगतान के लिए गैर आवासीय करयोग्य व्यक्तियों (एनआरटीपी) के लिए प्रणाली में प्रावधानों का अभाव।

(पैराग्राफ 3.8.3.5)

ई-वे बिल माँड्यूल

- ब्राउजर हेर-फेर के कारण अनिवार्य 72 घंटों की समाप्ति के बावजूद ईडब्ल्यूबी का अस्वीकरण अनुमत किया गया।

(पैराग्राफ 3.9.5.1)

- सेज को या उसके द्वारा आपूर्ति को आईजीएसटी के स्थान पर, सीजीएसटी तथा एसजीएसटी के अन्तर्गत अंतर राज्यीय आपूर्तियों के रूप में दर्ज किया गया था।

(पैराग्राफ 3.9.5.2)

- डाक सूचकांक संख्या (पीआईएन) मास्टर के आवधिक अद्यतनीकरण में निहित कमियों के परिणामस्वरूप पिन कोड पर आधारित दूरी की गलत स्वतः गणना हुई।

(पैराग्राफ 3.9.5.4)

- ईडब्ल्यूबी को उत्पन्न करते समय एक बार दर्ज की गई मात्रा संशोधनीय थी, जिससे परिवहन के बहुवाहनीय तरीके में मूल्यों में असंगति पैदा हुई।

(पैराग्राफ 3.9.5.5)

हमने मंत्रालय/जीएसटीएन के विचारार्थ 26 सिफारिशों की थीं। सिफारिशों हमारे द्वारा लेखापरीक्षित मॉड्यूलों में पर्याप्त वैधीकरण लागू करने; नियमों/प्रपत्रों में उचित बदलावों; तथा जीएसटी कानूनों तथा नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रणाली में कार्यात्मकताओं के निगमन के संबंध में है।

(पैराग्राफ 3.11)

अध्याय- IV: जीएसटी की अनुपालन लेखापरीक्षा

वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान, हमने मुख्य रूप से ट्रांजिशनल क्रेडिट (अर्थात विरासतीय कर व्यवस्था के सेनवेट क्रेडिट को जीएसटी व्यवस्था में अग्रेषित करना), जीएसटी पंजीकरण तथा प्रतिदायों की लेखापरीक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया। जीएसटी विवरणियों की लेखापरीक्षा अभी प्रारंभ की जानी है क्योंकि 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की मूल नियत तिथि, दिसंबर 2018, को सांतरित तरीके से 5/7 फरवरी 2020 तक बढ़ाया गया। इसी प्रकार, 2018-19 के लिए वार्षिक विवरणी को दाखिल करने के लिए मूल नियत तिथि, दिसंबर 2019, को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया।

(पैराग्राफ 4.1)

भाग-क: ट्रांजिशनल क्रेडिट

डाटा विश्लेषण करने और ध्यान केन्द्रित क्षेत्रों की पहचान करने और लेखापरीक्षा के लिए ईकार्डों/मामलों का चयन करने के लिए, हमने राजस्व विभाग को ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित डाटा प्रदान करने के लिए अनुरोध

किया। निरन्तर अनुरोधों के बावजूद, हमें वित्तीय वर्ष 19 तथा वित्तीय वर्ष 20 के दौरान मांगा गया डाटा⁴ प्रदान नहीं किया गया था।

डाटा के अभाव में, हम ईकाईयों में जिन्हें हमने अन्य राजस्व संबंधी जोखिम मापदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया था ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की केवल सीमित लेखापरीक्षा ही कर सके। हमें लेखापरीक्षा को ज्यादातर उन ट्रान-1 मामलों तक सीमित करना पड़ा, जिन्हें विभाग द्वारा पहले ही सत्यापित किया जा चुका था, क्योंकि जीएसटी आईटी प्रणाली के माध्यम से अन्य ट्रान-1 उद्घोषणाओं तक पहुंच प्रदान नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 4.5)

हमने 81 केन्द्रीय जीएसटी कमिश्नरियों तथा पांच लेखापरीक्षा कमिश्नरियों में 77,363 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से 5,822 मामलों को सत्यापित किया तथा अननुपालन के 1,182 उदाहरणों (20 प्रतिशत) को देखा। हमने इनपुट सेवाओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के अनियमित दावों, क्रेडिट के रूप में पूर्व व्यवस्था के उपकर का अनियमित लाभ, सेनवेट क्रेडिट को अधिक अग्रेणित करने, छूट प्राप्त माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के अनियमित लाभ आदि वाले ₹ 543.70 करोड़ के धनमूल्य के उदाहरणों को देखा।

(पैराग्राफ 4.6.1)

भाग ख: प्रतिदाय

अक्टूबर 2018 से मार्च 2020⁵ की अवधि के दौरान, हमने 33 सीजीएसटी कमिश्नरियों में 23,106 में से 4,736 प्रतिदायों से संबंधित अभिलेखों की जांच की। हमने ₹ 16.16 करोड़ की राशि वाले 280 दावों (6 प्रतिशत) में प्रतिदायों की प्रक्रिया में तत्कालीन प्रावधानों की अननुपालना देखी। हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाताबही में न्यूनतम शेष पर विचार न करने, पूंजीगत माल पर लिए गये इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रतिदायों आदि की अनियमित प्रतिदाय स्वीकृति के उदाहरणों को पाया।

(पैराग्राफ 4.7)

⁴ ट्रांजिशनल क्रेडिट डाटा अब जुलाई 2020 में उपलब्ध करवाया गया है।

⁵ सितंबर 2018 तक की लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को सीएजी की 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11 में शामिल किया गया है।

भाग ग: जीएसटी लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अन्य अनियमितताएं

आगरा सीजीएसटी कमिश्नरी के अन्तर्गत अलीगढ़ मंडल के रेंज-1 तथा II में जीएसटीआर-3बी विवरणियों को दाखिल न करने वाले के डाटा की जांच के दौरान (अगस्त/सितंबर 2019), हमने देखा कि 12,694 में से 1,965 करदाताओं ने छः अथवा छः माह से अधिक की निरन्तर अवधि के लिए अपनी जीएसटी-3बी विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि, इन चूककर्ताओं के पंजीकरण को, सीजीएसटी अधिनियम 2017, की धारा 29(2)(बी) तथा (सी) में प्रदान सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 22 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद विभाग द्वारा रद्द नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 4.8.4)

ट्रांजिशनल क्रेडिट,प्रतिदायों तथा जीएसटी/ब्याज के गैर/कम भुगतान की लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के लिए, राज्य माल तथा सेवा कर पर तदनुरूपी प्रभाव को **परिशिष्ट-VII** में दिया गया है।

(पैराग्राफ 4.9)

अध्याय V: सीबीआईसी में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) एवं अधिनिर्णयन प्रक्रिया

हमने वित्तीय वर्ष 12 से वित्तीय वर्ष 14 की अवधि को शामिल करते हुए वित्तीय वर्ष 15 में एससीएन तथा विभाग की अधिनिर्णयन प्रक्रिया की जांच की थी,तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सीएजी की 2016 की प्रतिवेदन संख्या-1 (सेवा कर) तथा 2016 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) की प्रतिवेदन संख्या-2 में शामिल किया गया था। हमने उपरोक्त प्रतिवेदन पर मंत्रालय की गयी कार्रवाई टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की तथा वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान, की गयी कार्रवाई टिप्पणियों में मंत्रालय के आश्वासन के बावजूद एससीएन को जारी करने तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया के संबंध में निरंतर अनुपालन विचलनों को देखा।

(पैराग्राफ 5.4)

107 कार्यकारी कमिश्नरियों में से, 48 लेखापरीक्षा कमिश्नरियों तथा डीजीजीएसटीआई की 25 जोनल इकाईयों में से, हमने विभाग के एससीएन

तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया की जांच के लिए 116 विभागीय इकाईयों का चयन किया।

(पैराग्राफ 5.6.1.1)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में एससीएन का निपटान वित्तीय वर्ष 17 में 86.69 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 19 में 72.81 प्रतिशत तक कम हो गया। उसी प्रकार, सेवा कर में एससीएन का निपटान वित्तीय वर्ष 17 में 77.51 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 19 में 51.93 प्रतिशत तक कम हो गया।

(पैराग्राफ 5.7.1)

हमने कानून/नियमों से महत्वपूर्ण विचलनो जैसे कि एससीएन में मांग की गलत संगणना, एससीएन का देरी से जारी होना, अधिनिर्णयन में देरी आदि को उन एस सी एन की लेखापरीक्षा के दौरान देखा जो 31 मार्च 2019 को अधिनिर्णय के लिए लम्बित थे।

वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 19 के बीच अधिनिर्णीत एससीएन के सम्बन्ध में पायी गयी अनियमितताएं विस्तारित अवधि की गलत मांग, एससीएन को देरी से जारी करने के कारण आंशिक अवधि के लिए मांग का गैर समावेशन, मांग की गलत संगणना, अधिनिर्णयन में देरी, अधिनिर्णयन आदेश जारी करने में देरी, तथा मामलों की फाईल में दस्तावेजों की अनुपलब्धता से सम्बन्धित थीं जिसके परिणास्वरूप मांग आदि में कमी हुई।

31 मार्च 2019 को कॉल बुक में रखे गए एससीएन के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताएं आवधिक एससीएन को जारी न करने, कॉल बुक में रखे गये एससीएन में मांग की कम संगणना, काल बुक में एससीएन के गलत हस्तांतरण, कॉल बुक से मामलों की गैर/विलंब पुनः प्राप्ति, कॉल बुक की आवधिक समीक्षा का न करना, तथा कॉल बुक को एससीएन के हस्तांतरण से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न करने से संबंधित थी।

हमने प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी, सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं के मध्य अपर्याप्त समन्वय, बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने में देरी, सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा जांच/सत्यापन करने में देरी, सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति में देरी, मामलों की फाईल में अभिलेखों की

अनुपलब्धता आदि की लेखापरीक्षा द्वारा कई अनियमितताओं के कारणों के रूप में पहचान की गयी। इसके अलावा, विभाग ने जीएसटी में परिवर्तन, स्टॉफ की कमी, मामलों का बहुत अधिक लंबित होना, अधिनिर्णयन प्राधिकारी का लगातार परिवर्तन, अभिलेखों के हस्तांतरण में देरी आदि को अधिनिर्णयन में विलम्ब तथा लेखापरीक्षा में पाई गई अन्य अनियमितताओं के कारणों के रूप में माना।

(पैराग्राफ 5.17)

हम निम्नलिखित घटकों के साथ एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया के अंत-से-अंत कंप्यूटरीकरण/स्वचालन करने की सिफारिश करते हैं।

(i) एससीएन जारी करने की प्रक्रिया को मांग की सही संगणना, एससीएन का सामायिक जारी होना, विस्तारित अवधि की वैध मांग तथा जारी किए गये एससीएन की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए अंतनिर्हित नियंत्रणों के साथ कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है।

(ii) प्रभावी निगरानी, व्यक्तिगत सुनवाई करवाना तथा अधिनिर्णयन आदेशों को समय पर जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए इनबिल्ट नियंत्रणों के साथ अधिनिर्णयन प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण।

(iii) एससीएन का आवधिक जारी होना, कॉल बुक से एससीएन का समय पर पुनः प्राप्त होना, कॉल बुक को मामलों के हस्तांतरण से संबंधित निर्धारिती को सूचित करना, कॉल बुक को एससीएन हस्तांतरण करने से पहले सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन तथा कॉल बुक को वैध मामलों के हस्तांतरण से संबंधित नियंत्रणों की सुनिश्चित करने के लिए इनबिल्ट तंत्र के साथ कंप्यूटरीकरण कॉल बुक के अनुरक्षण, का किया जा सकता है।

(पैराग्राफ 5.18)

अध्याय VI: कर प्रशासन तथा आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

2018-19 के दौरान, हमने केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सेवा कर के निर्धारण तथा भुगतान के संबंध में विस्तृत जांच के लिए 827 चयनित रेजों में, 2,939 निर्धारितियों⁶ के अभिलेखों का चयन किया। 2019-20 के दौरान, हमने विस्तृत जांच के लिए 451 चयनित रेजों से 1,471 निर्धारितियों के अभिलेखों का चयन किया।

(पैराग्राफ 6.2)

कुल 4,410 निर्धारितियों, जिनके अभिलेखों की 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा की गयी थी, में हमने 1,562 निर्धारितियों (35.42%) के संबंध में कर कानूनों तथा नियमों के अननुपालन को देखा। हमने, ₹ 1,036.35 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 2,712 लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को उठाया। हमने शुल्क/कर के गैर/कम भुगतान, सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ/उपयोग, सेनवेट क्रेडिट का गैर/कम उल्टाव, उपकर का गैर-भुगतान ब्याज का गैर भुगतान आदि के उदाहरणों को देखा।

4,410 निर्धारितियों, जिनके अभिलेखों की जांच हमारे द्वारा की गई थी में से 1,244 निर्धारितियों की विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा पहले ही लेखापरीक्षा की गई थी। हमने पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा ₹ 420.39 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 594 निर्धारितियों (48 प्रतिशत) से संबंधित 1,104 दृष्टांतों में चूकों का पता लगाने में विफल हो गयी थी।

(पैराग्राफ 6.3)

⁶ निर्धारितियों का चयन उच्च राजस्व, सेनवेट क्रेडिट की उच्च प्रतिशतता, पण्यों/ सेवाओं का स्वरूप, संव्यवहार की प्रकृति, जारी किए गये एससीएन की संख्या, पुष्टिकृत मांग मामले, सीएसी की अंतिम लेखापरीक्षा के वर्ष आदि के आधार पर किया गया था।

अध्याय I

अप्रत्यक्ष कर प्रशासन

इस अध्याय में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन, अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में राजस्व प्रवृत्ति तथा माल तथा सेवा कर के अन्तर्गत अनुपालन सत्यापन तंत्र का विहंगवालोचन दिया गया है।

1.1 अप्रत्यक्ष कर का स्वरूप

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन माल तथा सेवा कर के उदग्रहण तथा संग्रहण सहित संव्यवहारों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा विरासतीय सेवा कर को शामिल करता है। सीमा शुल्क के उदग्रहण तथा संग्रहण पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष अलग प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गये हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल किए गये अप्रत्यक्ष करों की चर्चा नीचे की गई है:

क) माल एवं सेवा कर: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वह कर है जो मानव उपभोग के लिए मादक पदार्थ की आपूर्ति पर करों के अलावा माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर होता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017⁷ से लागू हुआ। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांच पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा), सेवा कर, प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी), विशेष अतिरिक्त शुल्क, (एसएडी), सीमा शुल्क के घटक तथा राज्यों के अधिकतर अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को पांच पेट्रोलियम उत्पादों पर जारी रखा गया है क्योंकि ये उत्पाद वर्तमान में जीएसटी से बाहर रखे गये हैं, तथा जिन्हे बाद में जीएसटी के भीतर लाया जाएगा। तंबाकू उत्पाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा जीएसटी दोनों के अध्याधीन हैं। जीएसटी एक उपभोग आधारित कर है अर्थात् कर राज्यों को देय है जहां माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों का अंतिम रूप से उपभोग किया गया है। जीएसटी के अलावा, एक उपकर नामित जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कुछ मालों अर्थात् तंबाकू उत्पादों, कोयला, सोडा वाटर, मोटर कार आदि पर उदग्रहित किया जाता है।

⁷ जम्मू एवं कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से लागू

जीएसटी के तीन घटक हैं जो इस प्रकार हैं:

- **केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी):** राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अन्दर माल एवं सेवा की आपूर्ति पर केन्द्र सरकार को देय।
- **राज्य/संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी/यूटीजीएसटी):** राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अन्दर माल एवं सेवा की आपूर्ति पर राज्य/संघ शासित क्षेत्र को देय।
- **एकीकृत माल एवं सेवाकर (आईजीएसटी):** माल एवं सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति के मामले में, आईजीएसटी भारत सरकार द्वारा उदग्रहित किया जाता है। समान्तर आईजीएसटी भारत में किए गये आयातों पर भी उदग्रहित किया जाता है। आईजीएसटी को संघ एवं राज्यों के बीच उस तरीके से बांटा जाएगा जैसा कि संसद द्वारा माल एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर कानून द्वारा प्रावधान किया जाए।

ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भारत में माल के विनिर्माण अथवा उत्पादन पर उदग्रहित किया जाता है। शराब, अफीम आदि युक्त चिकित्सीय तथा प्रसाधन निर्मितियों सहित मानव उपभोग के लिए मादक पदार्थ, अफीम, भारतीय भांग तथा अन्य मादक दवाओं तथा नशीले पदार्थों के अलावा भारत में विनिर्मित तथा उत्पादित तंबाकू तथा अन्य माल पर उत्पाद शुल्क के उदग्रहण की संसद के पास शक्तियां हैं। (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची सं.1 की प्रविष्टि 84)।

ग) सेवा कर: कर योग्य क्षेत्र के अन्दर दी जाने वाले सेवाओं पर सेवाकर उदग्रहित किया जाता था (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)। सेवा कर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर कर था। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी में परिकल्पित था कि नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट के अलावा, किसी एक व्यक्ति से किसी अन्य को कर योग्य क्षेत्र में दी गयी अथवा दिए जाने के लिए सहमति वाली तथा ऐसे तरीके में संग्रहण की जाने वाली, जैसा भी

निर्धारित⁸ किया जाए पर सभी सेवाओं के मूल्य पर 14 प्रतिशत की दर पर कर उदग्रहित किया जाएगा। 'सेवा' को वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 65बी (44) में परिभाषित किया गया जिसका अर्थ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिफल हेतु (उसमें से छोड़ी गई मदों के अलावा) गतिविधि तथा किसी घोषित सेवा⁹ को शामिल करना है।

1.2 संगठनात्मक संरचना

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशों तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करता है तथा सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संचयी करों से संबंधित मामलों का दो वैधानिक बोर्डों के माध्यम से समन्वय करता है। नामतः केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी¹⁰), तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) जिन्हें केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अन्तर्गत गठित किया गया था। जीएसटी के उदग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामले सीबीआईसी द्वारा देखे जाते हैं।

अप्रत्यक्ष कर कानूनों को सीबीआईसी द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। जीएसटी के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से, सीबीआईसी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों का जीएसटी के 21 जोनों में पुर्नगठन किया जिनकी अध्यक्षता दिनांक 16 जून 2017 के परिपत्र द्वारा प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त द्वारा की जाती है। जीएसटी के इन 21 जोनों के अन्तर्गत 107 जीएसटी करदाता सेवा कमिश्नरियां हैं जो जीएसटी तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यों को करती हैं जिनकी अध्यक्षता प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा की जाती है। डिवीजन तथा रेंजों को बाद में गठित किया गया जिनकी अध्यक्षता क्रमशः उप/सहायक आयुक्त तथा अधीक्षकों द्वारा की जाती है। इन कमिश्नरियों के अलावा, 49 जीएसटी अपील कमिश्नरियां, 48 जीएसटी लेखापरीक्षा कमिश्नरियां तथा 22 निदेशालय हैं जो विशिष्ट कार्यों को करते हैं जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के प्रबंधन के लिए डीजी (प्रणाली) तथा

⁸ धारा 66बी को 1 जुलाई 2012 से वित्त अधिनियम, 2012 के द्वारा समाविष्ट किया गया था; धारा 66डी में नकारात्मक सूची की मदों की सूची शामिल हैं।

⁹ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ई घोषित सेवा की सूची है।

¹⁰ पूर्व में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी)

प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर तथा मादक पदार्थ अकादमी (एनएसीआईएन)¹¹ के लिए डीजी है।

1.3 राजस्व प्रवृत्ति

1.3.1 अप्रत्यक्ष कर राजस्व प्रवृत्ति

संघ सरकार के कर राजस्व में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियां शामिल होती हैं। पूर्व जीएसटी व्यवस्था में, अप्रत्यक्ष करों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा सीमा शुल्क शामिल थे। जीएसटी के लागू करने के पश्चात, जीएसटी में सेवाकर तथा पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों को सम्मिलित कर लिया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का पेट्रोलियम उत्पादों पर उदग्रहित किया जाना जारी है तथा तंबाकू जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों के अध्यक्षीन हैं। भारत सरकार के सभी संसाधनों तथा संघ सरकार के कर राजस्व का 2015-16 से 2019-20 तक का ब्यौरा तालिका सं. 1.1 में नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका सं. 1.1: भारत सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

कर घटक	2019-20*	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	25,98,705	25,67,917	23,64,148	22,23,988	19,42,353
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	10,50,685	11,37,718	10,02,738	8,49,801	7,42,012
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	9,59,374	9,42,747	9,16,445	8,66,167	7,13,879
iii. गैर-कर प्राप्तियां	5,88,273	4,86,388	4,41,383	5,06,721	4,84,581
iv. सहायता अनुदान और अंशदान	373	1,063	3,582	1,299	1,881
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	50,349	94,979	1,00,049	47,743	42,132
ग. ऋण और अग्रिमों की वसूली	18,647	30,257	70,639	40,971	41,878
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	73,01,386	67,58,482	65,54,002	61,34,137	43,16,950
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	99,69,087	94,51,635	90,88,838	84,46,839	63,43,313

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखा।

*वर्ष 2019-20 के लिए आकड़ें अनंतिम हैं।

¹¹ पूर्व में सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और मादक पदार्थ राष्ट्रीय अकादमी (एनएसीआईएन)

हालांकि वित्तीय वर्ष 19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 20 के दौरान ₹ 16,627 करोड़ तक अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि हुई, अप्रत्यक्ष करों की वार्षिक वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 17 में 21.33 प्रतिशत से घट कर वित्तीय वर्ष 20 में 1.76 प्रतिशत रही।

इसके अलावा, कुल राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष कर का भाग वित्तीय वर्ष 17 में 38.95 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 20 में 36.92 प्रतिशत रहा।

जब इसे बताया गया (सितंबर 2020), मंत्रालय ने बताया (नवंबर 2020) कि वित्तीय वर्ष 16 और वित्तीय वर्ष 17 में अप्रत्यक्ष करों में अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि के साथ साथ कर नीति/संयोजन में बदलावों के द्वारा योगदान दिया गया था जैसे कि सेवा कर दर में वृद्धि और केन्द्रीय बजट में नए उपकरणों को प्रस्तुत करना जैसे स्वच्छ भारत उपकरण, स्वच्छ पर्यावरण उपकरण और कृषि कल्याण उपकरण जिन्हें जीएसटी के आरंभ के साथ समाप्त कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 20 के लिए, मंत्रालय ने औद्योगिकी उत्पादन के इंडेक्स (आईआईपी) तथा आयातों में ऋणात्मक वृद्धि (वाई-ओ-वाई) के साथ-साथ अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि में गिरावट को जिम्मेदार ठहराया। वित्तीय वर्ष 18 तथा वित्तीय वर्ष 19 के लिए मंत्रालय ने अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि में गिरावट के लिए विशिष्ट किन्हीं कारणों का उल्लेख नहीं किया। तथापि, मंत्रालय ने उल्लेख किया कि एक विशिष्ट वर्ष में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण और कर उत्प्लावकता विभिन्न बाहरी कारकों पर निर्भर करता है जैसे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि माल और सेवाओं की घरेलू खपत स्तर, कर नीति में परिवर्तन, कच्चे तेल की कीमते, कर दरों में परिवर्तन आदि।

1.3.2 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि- प्रवृत्ति और संघटन

तालिका 1.2 जीडीपी तथा सकल कर राजस्व के संबंध में वित्तीय वर्ष 14 से वित्तीय वर्ष 19 के दौरान अप्रत्यक्ष करों की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका सं. 1.2: अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर*	जीडीपी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्षकर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वित्तीय वर्ष 14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
वित्तीय वर्ष 15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87
वित्तीय वर्ष 16	7,10,101	1,35,76,086	5.23	14,55,891	48.77
वित्तीय वर्ष 17	8,62,151	1,51,83,709	5.68	17,15,968	50.24
वित्तीय वर्ष 18	9,13,486	1,67,73,145	5.45	19,19,184	47.59
वित्तीय वर्ष 19	9,41,037	1,89,71,237	4.96	20,80,465	45.23
वित्तीय वर्ष 20**	9,57,710	2,03,39,849	4.71	20,10,058	47.65

स्रोत: कर राजस्व-संघ वित्त लेखा, जीडीपी- सीएसओ¹² का प्रैस नोट।

*अप्रत्यक्ष करों में, सीएक्स, एसटी, जीएसटी, सीमा शुल्क तथा वस्तु तथा सेवाओं पर अन्य कर राजस्व शामिल है।

** वर्ष के लिए आकड़ें अनंतिम हैं।

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वित्तीय वर्ष 17 से प्रत्येक वर्ष गिरावट जारी है। जीडीपी अनुपात में अप्रत्यक्ष कर वित्तीय वर्ष 17 में 5.68 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 20 में 4.71 प्रतिशत हो गया।

सकल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वित्तीय वर्ष 17 से वित्तीय वर्ष 19 तक घटती प्रवृत्ति को दर्शाया गया। तथापि, वित्तीय वर्ष 20 में, सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत कम संग्रहण के कारण वित्तीय वर्ष 19 में 45.23 प्रतिशत से 47.65 प्रतिशत तक बढ़ गया, जो पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 19) की तुलना में 7.65 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाता था।

जब हमने यह बताया (सितंबर 2020) तब मंत्रालय ने अप्रत्यक्ष कर राजस्व में ऋणात्मक वृद्धि को बृहद आर्थिक कारकों और अन्य नीतिगत संबंधी निर्णयों के कारण बताया जैसे जीएसटी परिषद द्वारा दर तर्कसंगतता, मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) आयातों पर शुल्क दरों में कमी, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं

¹² केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 29 मई 2020 को जीडीपी पर जारी किया गया प्रैस नोट।

का प्रभाव, पेट्रोल और डीजल (2017-18, 2018-19 के दौरान) पर मूल उत्पाद शुल्क में कमी के कारण प्रभाव और जीएसटी व्यवस्था (ट्रांजिशनल क्रेडिट) के लिए विरासित करो के इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेणित करने का प्रभाव।

1.3.2.1 अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि

तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 2019 तथा वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है:

तालिका सं.1.3: अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि

(₹ करोड़ में)

कर घटक	2018-19	2019-20*
केंद्रीय जीएसटी कर ¹³	5,84,387 ¹⁴	6,01,784 ¹⁵
सीमा शुल्क	1,17,813	1,09,283
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2,30,993	2,39,452
सेवा कर	6,904	6,029
अन्य कर एवं शुल्क	990	1,162
अप्रत्यक्ष कर	9,41,037	9,57,710

स्रोत: वर्ष 2018-19 के लिए संघ वित्त लेखा तथा

*वर्ष 2019-20 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्रीय जीएसटी कर राजस्व वित्तीय वर्ष 19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 20 के दौरान 2.97 प्रतिशत तक बढ़ा। तथापि, केन्द्रीय जीएसटी कर राजस्व जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, वित्तीय वर्ष 19 में 3.08 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 20 में 2.95 प्रतिशत रह गया। जीएसटी का भाग पिछले दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 19 तथा वित्तीय वर्ष 20) के दौरान कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण के 62 प्रतिशत पर स्थिर रहा। वित्तीय वर्ष 19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 20 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संग्रहण में ₹ 8,459 करोड़ की नाममात्र की वृद्धि हुई थी।

जब यह बताया गया (सितंबर 2020) तब मंत्रालय ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने को केंद्रीय जीएसटी करों में जीडीपी अनुपात में गिरावट को

¹³ जीएसटी राजस्व में केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर, यूटी माल एवं सेवा कर तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल थे।

¹⁴ ₹ 13,944 करोड़ का आईजीएसटी अधिनियम के उल्लंघन में आईजीएसटी लेखा से केन्द्र द्वारा रखा गया जिसके केन्द्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी के विभाजन की आवश्यकता है।

¹⁵ ₹ 9,125 करोड़ का आईजीएसटी अधिनियम के उल्लंघन में आईजीएसटी लेखा से केन्द्र द्वारा रखा गया जिसके केन्द्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी के विभाजन की आवश्यकता है।

एक मुख्य कारण बताया (नवंबर 2020)। मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी दरें पूर्व-जीएसटी कर भार तथा दरों की राजस्व तटस्थता के आधार पर आरंभ में निर्धारित की गई थी। जीएसटी परिषद द्वारा दरों को युक्तिसंगत बनाने के परिणामस्वरूप, जीएसटी दरों को महत्वपूर्ण रूप से कम कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप जूलाई 2019 तक प्रत्येक वर्ष लगभग ₹ 92,000 करोड़ की राहत मिली।

यह उल्लेख करना संगत होगा कि राजस्व तटस्थ दरों तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी)¹⁶ के लिए दरों के ढांचे पर प्रतिवेदन में दिसंबर 2015, राजस्व तटस्थ दर के रूप में 15 प्रतिशत-15.5 प्रतिशत तक की रेंज की सिफारिश की गयी थी। तथापि, जूलाई 2019 तक प्रभावी औसत जीएसटी दर 11.6 प्रतिशत¹⁷ थी। इसके अलावा, जीएसटीपरिषद ने करदाताओं और कंपोजीशन उदग्रहण योजना के पंजीकरण के लिए क्रमशः थ्रेशहोल्ड टर्नओवर सीमा को संशोधित कर क्रमशः ₹ 40 लाख और ₹ 1.5 करोड़ कर दिया, जिससे जीएसटी संग्रहण प्रभावित हुआ।

1.3.3 भारत सरकार का जीएसटी राजस्व: बजट अनुमान बनाम वास्तविक प्राप्तियां

तालिका 1.4 जीएसटी प्राप्तियों के लिए बजट अनुमानों तथा तदनुरूप वास्तविकों की तुलना को दर्शाती है।

तालिका सं.1.4: बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियां (जीएसटी)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान (बीई)				संशोधित अनुमान (आरई)				वास्तविक*			
	सीजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर	कुल	सीजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर	कुल	सीजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर	कुल
2017-18	बीई नहीं केवल आरई				2,21,400	1,61,900	61,331	4,44,631	2,03,261	1,76,688 ¹⁸	62,612	4,42,561
2018-19	6,03,900	50,000	90,000	7,43,900	5,03,900	50,000	90,000	6,43,900	4,57,534	28,945 ¹⁹	95,081	5,81,560
2019-20	5,26,000	28,000	1,09,343	6,63,343	5,14,000	--	98,327	6,12,327	4,94,070	9,125	95,553	5,98,748

स्रोत: संघ वित्त लेखा तथा संबंधित वर्षों के लिए प्राप्त बजट दस्तावेज

*वर्ष 2019-20 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

¹⁶ डा. अरविंद सुब्रमण्यम- मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय (अध्यक्ष) की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट।

¹⁷ स्रोत: राज्य वित्त पर प्रतिवेदन का पैरा संख्या 3.17: भारतीय रिजर्व बैंक, सितंबर 2019 द्वारा 2019-20 के बजट का अध्ययन।

¹⁸ ₹ 67,998 करोड़ राज्यों को दिये गये थे तथा शेष ₹ 1,08,690 करोड़ केन्द्र द्वारा रखे गये थे

¹⁹ ₹ 15,001 करोड़ राज्यों को दिये गये थे तथा शेष ₹ 13,944 करोड़ केन्द्र द्वारा रखे गये थे

जैसा कि उपरोक्त 1.4 तालिका से देखा जा सकता है, सीजीएसटी राजस्व वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान बजट अनुमानो तथा संशोधित बजट अनुमानों से कम था। बजट अनुमानो की तुलना में कमी वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के लिए क्रमश 22 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2020) कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यान्वयन किया गया तथा इसलिए, निर्धारित लक्ष्य के संबंध में वास्तविक अप्रत्यक्ष कर संग्रहण वित्तीय वर्ष के लिए भिन्न हो सकता है।

1.4 जीएसटी के अंतर्गत अनुपालन सत्यापन तंत्र

माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 59 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति कर अवधि के दौरान की गई आपूर्ति पर देय कर का स्वतः निर्धारण करेगा तथा प्रत्येक कर अवधि की विवरणी दाखिल करेगा। इसलिए, जीएसटी का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वेट तथा सेवा कर की तरह ही स्वतः निर्धारण को प्रोत्साहित करना जारी है।

स्वतः निर्धारण की शुरुआत में प्रभावी कर अनुपालन सत्यापन तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। इस तरह के तंत्र में आमतौर पर तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं विवरणी की जांच, आंतरिक लेखापरीक्षा और अपवंचनरोधी कार्य। बाद के पैराओं में उपरोक्त अनुपालन सत्यापन कार्यों के संबंध में सरलीकृत जीएसटी विवरणी तंत्र के कार्यान्वय और विभाग के निष्पादन की प्रास्थिति को बताया गया है।

1.4.1 सरलीकृत विवरणी तंत्र के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन²⁰ में, हमने माल तथा सेवाकर को आरम्भ करने में सरकार तथा अन्य पणधारकों की ऐतिहासिक उपलब्धि को देखा। हमने आगे उन क्षेत्रों को देखा था जहां जीएसटी की पूर्ण क्षमता को प्राप्त नहीं किया गया था जोकि एक सरलीकृत कर अनुपालन व्यवस्था थी। वास्तविक रूप से परिकल्पित “बीजक मिलान” के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को वैधीकृत करने वाली प्रणाली को कार्यन्वित नहीं किया गया था। विवरणी तंत्र

²⁰ 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11 (अप्रत्यक्षकर- माल एवं सेवा कर)

तथा तकनीकी गड़बड़ी की जटिलता के परिणामस्वरूप बीजक मिलान का वापसी हुई जिससे प्रणाली में आईटीसी धोखाधड़ी का खतरा पैदा हुआ। तदनुसार, हमने प्रौद्योगिकीय समाधानों का उपयोग करते हुए विधिवत सरकारीकृत बीजक मिलान तंत्र और सरलीकृत विवरणी फार्मों को प्रस्तुत करके कर अनुपालन को सरल करने की सिफारिश की थी।

इस संबंध में हुई प्रगति को हमने समीक्षा की तथा पाया कि आईटीसी का मूल रूप से परिकल्पित प्रणाली सत्यापित प्रवाह अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है तथा सरलीकृत विवरणी तंत्र जीएसटी के प्रारंभ होने के तीन वर्ष बाद भी अभी आरंभ किया जाना है। जीएसटी में विवरणी तंत्र, जैसा कि वास्तविक रूप से परिकल्पित था, तथा उसी की कार्यान्वयन प्रास्थिति की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

जीएसटी में विवरणी तंत्र की मूल विशेषता, विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना, बीजक स्तर जानकारी को अपलोड करना, उस प्राप्तकर्ता को आपूर्तिकर्ता की प्रतिफल से आईटीसी से संबंधित जानकारी को ओटो पॉप्युलेड करना, बीजक स्तर की जानकारी का मिलान तथा बेमेल के मामले में इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा स्वतः उल्टाव परिकल्पित था।

आईटीसी के प्रणाली सत्यापित निर्बाध प्रवाह प्रणाली में विवरणी जीएसटीआर-1,2 एवं 3 से प्राप्त की जानी की परिकल्पना थी। वास्तविक रूप से यह परिकल्पित किया गया था कि आपूर्तिकर्ता जीएसटीआर-1 के माध्यम से माह के दौरान उसके द्वारा की गई जावक आपूर्तियों का ब्यौरा बीजक वार दाखिल करेगा। जावक आपूर्तियों का ब्यौरा, जो जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रेषित किया गया है, को प्रपत्र जीएसटीआर-2ए के माध्यम से पंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना था। उसी प्रकार संयोजन करदाता, इनपुट सेवा वितरक तथा गैर-आवासीय करदाताओं से संबंधित आपूर्तियों के ब्यौरों के साथ-साथ सरकारी विभागों/एजेंसियों द्वारा स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) तथा ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के ब्यौरों को भी प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध करवाना था। इसके बाद, प्रपत्र जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध ब्यौरे के आधार पर करदाता को अन्य आवक

आपूर्तियों के ब्यौरे शामिल करने के बाद प्रपत्र जीएसटीआर-2 प्रस्तुत करना था।

अपने प्रपत्र जीएसटीआर-2 में प्राप्तकर्ता द्वारा जोड़ी गई, सही की गई अथवा हटाई गई आवक आपूर्ति के ब्यौरे को सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रपत्र जीएसटीआर-1ए में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध करवाना था। आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ताद्वारा किए गये संशोधनों का या तो स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा पहले प्रेषित प्रपत्र जीएसटीआर-1 को उसके द्वारा स्वीकृत संशोधनों की सीमा तक संशोधित होना चाहिए।

जीएसटीआर-3, जीएसटी देयता की राशि के साथ माह के दौरान बिक्री तथा क्रय के ब्यौरे के साथ एक मासिक विवरणी है। अधिकतर जीएसटीआर-3 को जीएसटीआर-1 तथा जीएसटीआर-2 से स्वतः सृजित होनी चाहिए था, जबकि करदाता को जीएसटीआर-3 भरते समय कर की देयता, ब्याज, शास्ति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही से दावा किए गए प्रतिदाय तथा इलेक्ट्रॉनिक नकद/क्रेडिट खाता बही में डेबिट प्रविष्टियों के निर्वहन के ब्यौरे शामिल करने पड़े थे।

तथापि, तैयार न किए गए जीएसटी परिस्थितिकी तंत्र तथा विवरणी प्रपत्र की जटिलता के कारण, मूल रूप से परिकल्पित मुख्य विवरणी को स्थगित कर दिया गया तथा एक नया सरल अस्थाई विवरणी जीएसटीआर-3बी को प्रारंभ में दो माह के लिए शुरू किया गया था। जीएसटीआर-3बी की स्वतः निर्धारित संक्षिप्त विवरणी के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें विपरित प्रभार के लिए दायी जावक आपूर्ति तथा आवक आपूर्ति के सार को अभिगृहीत किया गया। फलस्वरूप, करदाताओं द्वारा फाईल की गई इन स्वतः निर्धारित संक्षिप्त रिटर्नों के आधार पर अब आईटीसी का निपटान किया जाएगा। आईटीसी के मूल रूप से परिकल्पित प्रणाली सत्यापित प्रवाह को आस्थगित रखा गया जिससे प्रणाली में आईटीसी धोखाधड़ी के लिए खतरा हुआ।

नवीन विवरणी तंत्र

जीएसटी परिषद ने अपनी 27वीं बैठक (मई 2018) में नई सरलीकृत विवरणी फाईलिंग प्रणाली के तैयार करने के लिए व्यापक सिद्धान्तों को अनुमोदित

किया। मई 2019 में, ऑफलाईन टूल के एक प्रतिकृति को करदाताओं को नए विवरणी प्रपत्र को देखने तथा समझने के लिए जीएसटी पोर्टल पर साझा किया गया था तथा जुलाई 2019 से करदाता इससे परिचित होने के लिए परीक्षण के आधार पर बीजकों को अपलोड करने में सक्षम थे।

नवीन प्रतिफल तंत्र की मुख्य विशेषताएं

(i) सभी करदाता, छोटे करदाता, संयोजन डीलरों, इनपुट सेवा वितरको आदि को छोड़कर, एक माह की विवरणी फाईल करेंगे। छोटे करदाता जिनकी टर्नओवर ₹ 1.5 करोड़ तक है, करों के मासिक भुगतान के साथ तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

(ii) मुख्य विवरणी में दो मुख्य तालिका होगी, एक आपूर्तियों की सूचना के लिए जिसमें कर देयता बताई गई हो तथा दूसरी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने के लिए होगी।

(iii) करदाता जिनके पास कोई आउटपुट कर देयता नहीं है तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है एसएमएस के माध्यम से विवरणी दाखिल कर पाएंगे।

(iv) आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजको को अपलोड करने के लिए निरंतर अपलोड करने और देखने की सुविधा तथा प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक की कर भुगतान प्रस्थिति के साथ साथ देखा जाना उपलब्ध होगा।

(v) विवरणी फाईल करने से पहले प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक को लॉक करने की सुविधा उपलब्ध होगी। लॉकड बीजक को संशोधित नहीं किया जा सकता।

(vi) जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा विवरणी फाईल करने से पहले माल अथवा सेवा प्राप्त नहीं हुई है वहां कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता।

(vii) जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया है वहां पर प्राप्तकर्ता की ओर से इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई स्वतः उल्टाव नहीं होगा। राजस्व प्रशासन पहले विक्रेता से ही कर की वसूली का प्रयत्न करेगा तथा कुछ अपवादात्मक मामलों में जैसे, लापता विक्रेता, जाली कंपनियां, आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यवसाय को बन्द करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्तकर्ता से नोटिस देने तथा व्यक्तिगत सुनवाई की उचित प्रक्रिया पालन करते हुए प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाएगा।

इसके अलावा, यह प्रस्तावित था कि सरल तिमाही विवरणी छोटे विक्रेताओं के लिए उपलब्ध होगी जो केवल उपभोक्ता आपूर्ति के लिए व्यवसाय (बी2सी) अथवा व्यवसाय के लिए व्यवसाय (बी2बी) तथा उपभोक्ता आपूर्ति के लिए व्यवसाय (बी2सी) करते हैं। इन रिटर्नों को बी2सी आपूर्तिकारों के लिए सहज तथा बी2बी प्लस बी2सी आपूर्तिकारों के लिए सुगम बुलाया जाना प्रस्तावित था।

नवीन विवरणी तंत्र की कार्यान्वयन प्रास्थिति

जीएसटी परिषद ने अपनी 28वीं बैठक (जुलाई 2018) में यह निर्णय लिया कि नवीन विवरणी तंत्र 1 जनवरी 2019 से लागू किया जाएगा। बाद में, इसकी 31वीं बैठक में, जीएसटी परिषद (दिसंबर 2018) ने आरम्भ तिथि को बढ़ा दिया तथा चरणबद्ध तरीके से नवीन विवरणी प्रपत्रों को लागू करने का निर्णय लिया ताकि, जनवरी 2020 के बाद, सभी करदाता नवीन विवरणी तंत्र के अनुसार विवरणी फाईल कर सकें, और प्रपत्र जीएसटीआर-3बी को पूर्णतया धीरे-धीरे हटाया जाएगा। जीएसटी परिषद ने पुनः अपनी 37वीं बैठक में (सितंबर 2019) नई विवरणी प्रणाली की आरंभ करने की तिथि को बढ़ा दिया था तथा यह निर्णय लिया कि नई विवरणी प्रणाली 1 अप्रैल 2020 से लागू की जाएगी। जीएसटी परिषद, की 39वीं बैठक (मार्च 2020),में नई विवरणी प्रणाली को लागू करने को सितंबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया था।

जीएसटी परिषद ने अब, अपनी 42वीं बैठक (अक्टूबर 2020) में, यह निर्णय लिया है कि प्रस्तावित नई विवरणी प्रणाली को एक ही बार में लागू नहीं किया जाएगा। इसमें वर्तमान परिचित जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-3बी योजना में नई विवरणी प्रणाली की विशेषताओं को क्रमशः शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह नया दृष्टिकोण करदाताओं को सभी स्रोतों अर्थात: घरेलू आपूर्ति, उल्टाव प्रभारों पर आयात तथा भुगतान आदि से कर के भुगतान के लिए नियत तिथि से पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में उपलब्ध आईटीसी को देखने के लिए अनुमत करेगा तथा करदाता तथा उसके सभी आपूर्तिकारों द्वारा फाईल किए गये डाटा के माध्यम से ऑटो पाप्युलेट विवरणी (जीएसटीआर-3बी) के लिए प्रणाली को सक्षम करेगा। नये प्रावधानों को मासिक फाइलर्स के लिए 1 जनवरी 2021 से तथा तिमाही फाइलर्स के लिए 1 अप्रैल 2021 से

उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान जीएसटीआर-1/3बी फाइलिंग प्रणाली को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है तथा जीएसटीआर 1/3बी विवरणी प्रणाली को अनुपस्थिति वाली विवरणी दाखिल प्रणाली के रूप में बनाने के लिए जीएसटी कानूनों में संशोधन किया जाएगा।

सरलीकृत विवरणी प्रपत्र के आरंभ में उपरोक्त निरन्तर विस्तारों, तथा निर्णय लेने में देरी के कारण आईटीसी के मूल रूप में परिकल्पित प्रणाली-सत्यापित प्रवाह को अभी 'बीजक मिलान' के माध्यम से अभी लागू किया जाना है। तथा गैर दखल ई-टैक्स प्रणाली अभी भी लागू नहीं किया गया है। जीएसटी आरंभ होने के तीन वर्ष से अधिक बीतने के बावजूद जीएसटी विवरणी प्रणाली का कार्य अभी भी प्रगति पर है। स्थिर तथा सरलीकृत विवरणी प्रणाली के अभाव में, जीएसटी के आरंभ के एक मुख्य उद्देश्य अर्थात् सरलीकृत कर अनुपालन प्रणाली को अभी प्राप्त किया जाना है।

यह सिफारिश की जाती है कि सरलीकृत विवरणी प्रपत्र के आरंभ के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जा सकती है और लागू की जा सकती है क्योंकि बार-बार होने वाले आस्थगन से विवरणी फाइलिंग सिस्टम के स्थिरीकरण में देरी होती है और जीएसटी ईको-सिस्टम में अनिश्चितता बनी रहती है।

हमने नवंबर 2020 में इसे बताया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

1.4.2 जीएसटी के अन्तर्गत विवरणी की संवीक्षा

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 यह निर्धारित करता है कि उचित अधिकारी विवरणी एवं सूचना की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए करदाताओं द्वारा प्रेषित विवरणी तथा संबंधित विवरण की संवीक्षा कर सकता है। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 99 के अन्तर्गत यदि कोई कमी देखी जाती है, तो स्पष्टीकरण मांगने के लिए करदाता को सूचित किया जाएगा। यदि दिया गया स्पष्टीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य पाया जाता है तो, कार्यवाही बन्द कर दी जाएगी, करदाता को सूचित किया जाएगा तथा मामले में कोई आगामी कार्यवाही नहीं की जाएगी। तथापि, यदि करदाता

- सूचित (उचित अधिकारी द्वारा बढ़ाए जाने योग्य) किए जाने के 30 दिनों के अन्दर सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है अथवा
- अपनी विवरणी जिसमें कमियां स्वीकार की गई हैं, में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता है,

उचित अधिकारी धारा 73 अथवा 74 के अन्तर्गत कर देयताओं को अवधारित करने के लिए अधिनिर्णयन कार्यवाही सहित उचित कार्रवाई कर सकता है।

हमने बोर्ड (मार्च 2020) को अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत, संवीक्षा के लिए जीएसटी विवरणी के चयन के लिए मापदंडों सहित विवरणी की संवीक्षा करने के लिए, इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं को इनके द्वारा जारी निर्देशों अथवा मार्गदर्शनों को उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया।

हालांकि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, सीबीआईसी को कर अधिकारियों के लिए विस्तृत अनुदेशों/मानक परिचालन क्रियाविधि/नियम पुस्तिका पर आधारित विवरणी की संवीक्षा की प्रभावी प्रणाली को रखना है। परिणामस्वरूप, विभाग का एक महत्वपूर्ण अनुपालन कार्य, जो कि कानून द्वारा अधिदेशित है, को जीएसटी कार्यान्वयन के तीन वर्ष बाद भी प्रभावी ढंग से अभी आरंभ किया जाना है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 18 के लिए वार्षिक विवरणी फाईल करने की नियत तिथि अर्थात् 5/7 फरवरी 2020²¹ पहले ही बीत चुकी है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 के अनुसार, उचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि से तीन वर्ष²² के अन्दर अधिनिर्णयन आदेश जारी करेगा जिसमें कर का भुगतान नहीं किया गया है अथवा कम भुगतान किया गया है अथवा इनपुट कर क्रेडिट को गलत तरीके से प्राप्त किया गया अथवा उपयोग किया गया है उससे संबंधित अथवा सामान्य मामलों में त्रुटिपूर्ण प्रतिदायों की तिथि से तीन वर्ष के अंदर आदेश

²¹ वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी को भरने की नियत तिथि 5 और 7 फरवरी, 2020 थी।

²² सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 के अनुसार, उचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि से पांच वर्ष के भीतर अधिनिर्णयन आदेश जारी करेगा, जिसमें कर का भुगतान नहीं किया गया अथवा कम भुगतान किया गया अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किया गया है, जो उससे संबंधित अथवा विस्तारित अवधि के मामलों में त्रुटिपूर्ण प्रतिदायों की तिथि से पांच वर्ष के अंदर आदेश जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा से कम से कम छह माह पहले नोटिस जारी करेगा।

जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा से कम से कम तीन माह पहले नोटिस जारी करेगा।

उपरोक्त के सन्दर्भ में, मामले को शीघ्र संबोधित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि कर के गैर/कम भुगतान के मामले में, अधिनिर्णयन आदेश के जारी होने तथा राजस्व की वसूली के लिए उपलब्ध समय नौ माह से अधिक तक पहले ही बीत चुका है।

जब इसे बताया गया (सितंबर 2020), मंत्रालय ने सूचित (अक्टूबर 2020) किया कि जीएसटी विवरणी की संवीक्षा के लिए दिशानिर्देशों का सुझाव देने के लिए अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि समिति की सिफारिशों के आधार पर विवरणी की संवीक्षा/सत्यापन के लिए एक तंत्र को मानकीकृत किया जाएगा।

1.4.3 जीएसटी के अन्तर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा

1.4.3.1 जीएसटी इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा माल एवं सेवा कर अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए करदाताओं द्वारा अनुपालन के स्तर को मापने में सहायता करती है। बोर्ड ने जुलाई 2019 में माल एवं सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका (जीएसटीएएम) के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा की विस्तृत क्रियाविधि जारी की। विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रावधानों में जोखिम निर्धारण के आधार पर करदाताओं के चयन की परिकल्पना जीएसटी डाटा का उपयोग करके की है, जो कि महानिदेशक विश्लेषिकी एवं जोखिम प्रबंधन (डीजीएआरएम) द्वारा किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा को 1 जुलाई 2019 से शुरू किया जाना था। जीएसटी के लिए विभाग द्वारा 2019-20 के दौरान की गयी आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण निम्नानुसार हैं: -

तालिका सं. 1.5: आंतरिक लेखापरीक्षा (जीएसटी) द्वारा लेखापरीक्षित इकाईयों के समक्ष की गई कुल जांच

वर्ष	श्रेणी	कुल योजित इकाईयां	कुल लेखापरीक्षित इकाईयां	जांचा गया कम उदग्रहण (₹ करोड़ में)	कुल वसूली (₹ करोड़ में)	कुल पता लगायी गई के % के रूप में वसूली
विव20	बड़ी इकाईयां	17,172	244	66	9.42	14
	मध्यम इकाईयां	18,050	296	15	8.06	53
	छोटी इकाईयां	19,920	318	15	1.80	13
	कुल	55,142	858	96	19.28	20

स्रोत: आकड़ें मंत्रालय द्वारा प्रेषित किए गये हैं।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, केवल 1.6 प्रतिशत योजित इकाईयों को वित्तीय वर्ष 20 तक लेखापरीक्षित किया गया था। वित्तीय वर्ष 20 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में पता लगायी गई राशि की कुल वसूली की 20 प्रतिशत प्रभावित हुई थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2020) कि जीएसटी वार्षिक विवरणी को फाईल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाता रहा है तथा इसलिए, बहुत से करदाताओं ने अपनी वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के लिए कम संख्या में करदाता उपलब्ध थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि इस दौरान क्षेत्रीय संरचनाओं ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर निर्धारितियों का विरासतीय लेखापरीक्षा जारी रखा।

1.4.3.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर इकाईयों के लिए वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान विभाग द्वारा की गयी आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण निम्न प्रकार है: -

तालिका सं. 1.6: आंतरिक लेखापरीक्षा (सीएक्स एवं एसटी) द्वारा लेखापरीक्षित इकाईयों के समक्ष की गई कुल जांच

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी	कुल योजित इकाईयां	कुल लेखापरीक्षित इकाईयां	पता लगाया गया कम उदग्रहण	कुल वसूली	कुल पता लगायी गई के % के रूप में वसूली
वि व 19	बड़ी इकाईयां	9,204	6,159	5,149	1,419	28
	मध्यम इकाईयां	16,991	12,191	2,120	721	34
	छोटी इकाईयां	40,756	26,441	1,517	638	42
	कुल	66,951	44,791	8,786	2,778	32
वि व 20	बड़ी इकाईयां	6,361	3,432	8,429	519	6
	मध्यम इकाईयां	12,075	6,678	1,698	364	21
	छोटी इकाईयां	35,383	21,649	1,210	433	36
	कुल	53,819	31,759	11,337	1,316	12

स्रोत: आकड़ें मंत्रालय द्वारा प्रेषित किए गये हैं।

यह पाया गया है कि बड़ी इकाईयों में वित्तीय वर्ष 19 तथा वित्तीय वर्ष 20 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में पता लगायी राशि का क्रमशः केवल 28 प्रतिशत तथा 06 प्रतिशत की वसूली थी। बड़ी, मध्यम तथा छोटी इकाईयों के लिए योजित इकाईयों में से वित्तीय वर्ष 19 के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों की कुल संख्या 67, 72 तथा 65 प्रतिशत थी। तदनुसार कवरेज वित्तीय वर्ष 20 के दौरान क्रमशः 54, 55 तथा 61 प्रतिशत तक कम हो गई थी।

बड़ी इकाईयों की कम वसूली दर के संबंध में, मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2020) कि लेखापरीक्षा के साथ डील करने वाले बड़े करदाता के अपने समर्पित विभाग है तथा वे सामान्य रूप से लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से सहमत न होने का निर्णय करते हैं तथा इसका प्रतिवाद करते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा कमिशनरियों में अधिकारियों की कमी (सामान्य रूप से अधिकारियों की कार्यकारी संख्या स्वीकृत संख्या के 40 से 50 प्रतिशत की रेंज में है), दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने में करदाताओं द्वारा असहयोग तथा केवल उन मामलों की विरासतीय लेखापरीक्षा करना, जो इकाईयों की कवरेज में कमी के लिए कारणों के रूप में पिछले वर्ष से छोड़े गये थे को उद्धृत किया है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा स्व-निर्धारण व्यवस्था में विभाग का एक मुख्य अनुपालन सत्यापन कार्य है। मंत्रालय को

पर्याप्त श्रमबल उपलब्ध कराकर इस कार्य को मजबूत करने की या करदाताओं द्वारा सहयोग में सुधार करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है।

1.4.4 अपवंचन-रोधी कार्य

माल एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशक-डीजीजीआई (पूर्ववर्ती: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना के महानिदेशक (डीजीसीईआई)) के साथ साथ माल एवं सेवा कर कमिशनरियों के पास माल एवं सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के अपवंचन के मामलों की पहचान के कार्यों में स्पष्ट भूमिका है। जबकि कमिशनरियां अपने अधिकार क्षेत्र में इकाईयों के व्यापक डाटाबेस तथा क्षेत्र में उपस्थिति के साथ शुल्क अपवंचन के प्रति रक्षा की पहली पंक्ति है, डीजीजीआई पर्याप्त राजस्व के अपवंचन के बारे में विशेष आसूचना को एकत्रित करने में दक्ष है। इस प्रकार एकत्रित आसूचना को उसे कमिशनरियों के साथ साझा किया जाता है। अखिल भारतीय प्रभाव वाले मामलों में डीजीजीआई द्वारा भी जांच की जाती है। निम्न तालिका सं. 1.7 तथा चार्ट सं. 1.1 पिछले पांच वर्ष के दौरान डीजीजीआई तथा जीएसटी कमिशनरियों के निष्पादन को दर्शाते हैं।


तालिका सं. 1.7: पिछले पांच वर्ष के दौरान डीजीजीआई तथा जीएसटी कमिशनरियों का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क			सेवा कर			वस्तु एवं सेवा कर			कुल		
	सं.	राशि	वीपी*	सं.	राशि	वीपी*	सं.	राशि	वीपी*	सं.	राशि	वीपी*
2014-15	2123	4335	546	6719	10544	4448	--	--	--	8842	14879	4994
2015-16	2366	5297	804	7534	18971	4658	--	--	--	9900	24268	5462
2016-17	2122	5773	795	8085	17846	5313	--	--	--	10207	23619	6108
2017-18	894	6415	365	5299	24202	3571	233	8071	7592	6426	38686	11527
2018-19	1001	4282	458	5507	32902	4442	3046	29323	16488	9554	66507	21388
2019-20 (सितंबर 2019 तक)	210	7018	43	1577	9271	562	1580	8768	4733	3367	25056	5338

* स्वेच्छिक भुगतान

चार्ट स. 1.1: अपवंचन रोधी गतिविधियों के माध्यम से पता लगाए गये मामलों की संख्या



जैसा कि तालिका सं. 1.7 से स्पष्ट है, सीमा शुल्क के अलावा सभी अप्रत्यक्ष करों के लिए, अपवंचन के दोनो ही मामलों का पता लगाने में तथा राशि में वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान क्रमशः 49 प्रतिशत तथा 72 प्रतिशत की सीमा तक राशि है।

इसके अलावा पिछले दो वर्षों के दौरान अपवंचन के मामलों का पता लगाने में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। 2016-17 में पता लगायी गई ₹ 23,619 करोड़ की अपवंचन राशि की तुलना में, 2017-18 तथा 2018-19 में पता लगायी गई राशि में ₹ 38,686 करोड़ तथा ₹ 66,505 करोड़ की वृद्धि हुई अर्थात क्रमशः 64 तथा 72 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी रही।

उसी प्रकार, 2016-17 में ₹ 6,108 करोड़ के स्वैच्छिक भुगतान की तुलना में 2017-18 तथा 2018-19 में स्वैच्छिक भुगतान में ₹ 11,526 तथा ₹ 21,388 करोड़ की वृद्धि हुई अर्थात क्रमशः 89 तथा 86 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई।

माल एवं सेवा कर के संबंध में, पता लगाए गए मामलों की संख्या 233 से बढ़कर 3,046 हो गई और 2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान इसमें शामिल कर ₹ 8,071 करोड़ से बढ़कर ₹ 29,323 करोड़ हो गया है।

1.4.4.1 अप्रैल 2017 से सितंबर 2019 के दौरान अपवंचन रोधी मामलों का स्वरूप

2017-19 (सितंबर तक) के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा जीएसटी को शामिल करते हुए डीजीजीआई द्वारा पता लगाए गये अपवंचन रोधी मामलों के स्वरूप को तालिका 1.8 में रेखांकित किया गया है: -

तालिका सं. 1.8

क्र. सं.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		सेवा कर		जीएसटी	
	स्वरूप	%	स्वरूप	%	स्वरूप	%
1	गोपनीय निष्कासन	29	कर योग्य सेवाएं देने के लिए सेवा कर का गैर भुगतान	63	कर योग्य वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर कर का गैर भुगतान	40
2	अवमूल्यांकन	26	सेवा कर संग्रहित किया किन्तु सरकारी कोष को भुगतान नहीं किया	8	इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ/गैर उल्टाव	24
3	सेनवेट योजना का दुरुपयोग	20	कर योग्य सेवाओं के अवमूल्यांकन द्वारा सेवा कर का कम भुगतान	6	सेवा कर संग्रहित किया किन्तु सरकारी कोष को भुगतान नहीं किया	12
4	छुट अधिसूचनाओं का गलत लाभ	9	विपरीत प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा कर का गैर भुगतान	6	कर योग्य सेवाओं के अवमूल्यांकन द्वारा सेवा कर का कम भुगतान	3
5	गलत वर्गीकरण	3	छुट अधिसूचनाओं का गलत लाभ	1	उल्टाव प्रभार तंत्र के अन्तर्गत कर का गैर भुगतान	3
6	अन्य	13	अन्य	16	अन्य	18

जैसा कि तालिका 1.8 से देखा जा सकता है, गोपनीय निष्कासन, अव-मूल्यांकन तथा सेनवेट योजना का दुरुपयोग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में पता लगायी गई अपवंचन गतिविधियों में मुख्य भाग बनता था। सेवा कर के संबंध में, दी गई कर योग्य सेवा के लिए सेवा कर का गैर भुगतान, सेवाकर संग्रहित किया गया किन्तु सरकारी कोष को भुगतान नहीं किया गया, तथा कर योग्य सेवाओं के

अवमूल्यांकन द्वारा सेवा कर का कम भुगतान अपवंचन को मुख्य भाग बनता था।

कर योग्य माल तथा सेवाओं की आपूर्ति पर कर का गैर भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ/गैर उल्टाव, संग्रहित किंतु सरकारी कोष को भुगतान नहीं किया कर जीएसटी के अन्तर्गत अपवंचन गतिविधि के मुख्य भाग थे।

जब हमने इसे बताया (जून 2020) मंत्रालय ने (सितंबर 2020) जीएसटी को लागू करने के कारण कर आधार में वृद्धि के लिए अपवंचन रोधी गतिविधियों के माध्यम से पता लगाए गये मामलों की संख्या तथा राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि; बेईमान करदाताओं द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट की पर्याप्त राशि को पास करने के लिए जाली बीजक जारी करना; और सांख्यिकी तथा जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) की स्थापना को जिम्मेदार ठहराया जिसे कि बड़े डाटा के विश्लेषण करने के कार्यों को सौंपा गया है, जिसके परिणामों को डीजीजीआई के साथ आंतरायिक रूप से साझा किया गया।

जबकि अपवंचन रोधी गतिविधियों के लिए नेतृत्व की बेहतर जनरेशन के लिए लाभप्रद सूचना प्रौद्योगिकी में विभागीय प्रयास ध्यान देने योग्य है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रणाली सत्यापित प्रवाह पर आधारित सरलीकृत विवरणी प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से जाली बीजक के जारी होने की समस्या को संबोधित करने तथा जाली पंजीकरण पर नियंत्रण रखने के लिए जीएसटी पंजीकरण को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है।

1.5 वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए क्षतिपूर्ति निधि लेखे प्रेषित न करना।

माल तथा सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति उपकर को देश में जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति को माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के तहत माल तथा सेवाओं पर उद्ग्रहित किया जाता है। क्षतिपूर्ति उपकर को संविधान (एक सौ एकवें संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में पांच वर्ष की अवधि के लिए उद्ग्रहित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 10(1) यह बताती है कि धारा 8 के तहत उद्ग्रहण योग्य उपकर की प्राप्ति और अन्य राशियां जो भी समिति द्वारा अनुसंशा की जा सके, को एक ऐसे असमाप्ति योग्य निधि में क्रेडिट किया जाएगा जो माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि (क्षतिपूर्ति निधि) के नाम से जाना जाता है, जो भारत के लोक लेखे के हिस्से का निर्माण करे और उक्त धारा में विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 10(4) के अनुसार, क्षतिपूर्ति निधि से संबंधित लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसे अंतराल पर जो उसके द्वारा निर्दिष्ट हो सके, लेखापरीक्षा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 10(5) के अनुसार क्षतिपूर्ति निधि के लेखों को जैसा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस ओर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ प्रमाणित करने के तत्पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, राजस्व विभाग (डीओआर), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के क्षतिपूर्ति निधि लेखों को सीएजी को क्षतिपूर्ति निधि के अंतर्वाह और बर्हिवाह और अन्य विवरणों जैसा प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक हो, प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। निरंतर अनुरोध के बावजूद, राजस्व विभाग ने प्रमाणीकरण के लिए 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति निधि के लेखों को प्रस्तुत नहीं किया है।

परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए लेखापरीक्षा अपने वैधानिक लेखापरीक्षा उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर पाया जैसा कि अधिनियम की धारा 10(4) के तहत अनिवार्य था।

जब हमने जुलाई 2020 में यह बताया, मंत्रालय में यह बतलाया (नवंबर 2020) कि राज्यों से महालेखाकर प्रमाणित वार्षिक संग्रह के आकड़ों की प्राप्ति के बाद ही क्षतिपूर्ति निधि खाते तैयार किए जा सकते हैं।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि महालेखाकार कई राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना/अभिलेख प्राप्त करने में देरी का सामना कर रहे हैं जिसके कारण माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 7(3)(बी) के तहत वार्षिक राजस्व आंकड़ों के प्रमाणिकरण में विलम्ब हो रहा है। वर्ष 2017-18 के लिए प्रमाणन का ब्यौरा **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।

हालांकि, यह मामला महालेखाकार द्वारा उठाया जा रहा है, मंत्रालय इस मुद्दे को राज्य सरकारों के समक्ष भी उठा सकता है ताकि वार्षिक राजस्व आंकड़ों के प्रमाणीकरण के लिए महालेखाकार को अपेक्षित अभिलेखों/सूचनाओं के प्रदान करने में तेजी लाई जा सके ताकि क्षतिपूर्ति निधि लेखा तैयार किया जा सके और प्रमाणन के लिए सीएजी को प्रस्तुत किया जा सके।

अध्याय II

लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 यह प्रावधान करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी), संघ और राज्यों तथा अन्य किसी प्राधिकार या निकाय, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन निहित किया जाए, के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद ने 1971 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया। सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 16 सीएजी को भारत सरकार, सभी राज्य सरकारों और विधानपरिषद वाली सभी केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी प्राप्तियों के लेखापरीक्षा तथा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि निर्धारण, संग्रहण और राजस्व के उचित आवंटन पर प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं और उन्हें विधिवत देखा जा रहा है, के लिये अधिकृत करता है। लेखापरीक्षा और लेखों पर विनियम (संशोधन), 2020 प्राप्त लेखापरीक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित करते हैं।

2.1.1 प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जांच और उनकी प्रभावकारिता

प्राप्त लेखापरीक्षा में मुख्यतः प्रणालियों और प्रक्रियाओं और उनकी प्रभावकारिता की जांच शामिल हैं:

- क. संभावित कर निर्धारिती की पहचान, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपवंचन का पता लगाना और उसकी रोकथाम;
- ख. दंड की उगाही और अभियोजन पक्ष की शुरुआत सहित उचित माध्यम से विवेकाधिकारी शक्तियों का प्रयोग;
- ग. अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हित को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही;
- घ. राजस्व प्रशासन को सशक्त और सुधारने के लिए प्रस्तुत किये गये कोई मापदंड;

- ड. राजस्व जो बकाया हो सकता है बकाया के दस्तावेजों का अनुरक्षण और बकाया में राशि की वसूली के लिए की गई कार्यवाही;
- च. उचित परिश्रम के साथ दावों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि पर्याप्त कारण और उचित प्राधिकरण को छोड़कर इन्हें त्याग दिया या घटाया न जाए।

2.1.2 अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा

अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एक स्वयं-निर्धारण प्रणाली है जिसमें करदाता स्वयं अपनी विवरणियां तैयार करते हैं और विभाग को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रणाली को राजकोषीय विधि जिसमें माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 और विरासतीय कर अधिनियमों अर्थात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। अप्रत्यक्ष कर प्रशासन, प्रारंभिक संवीक्षा, विस्तृत संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा आदि वे माध्यम से विवरणियों की संवीक्षा करता है और करदाता द्वारा जमा किए गए कर की यथार्थता को सुनिश्चित करता है।

अप्रत्यक्ष कर प्रशासन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए बोर्ड की कार्यात्मक शाखा और विभिन्न क्षेत्र संरचनाओं के अभिलेखों के साथ-साथ सीएजी, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी से संबंधित अभिलेखों की जांच करता है।

2.2 लेखापरीक्षा समष्टि

लेखापरीक्षा समष्टि में राजस्व विभाग, सीबीआईसी, उसके सहयोगी संगठन और क्षेत्र संरचनाएं शामिल हैं। सीबीआईसी के संरचनात्मक ढांचे और विभागीय इकाइयों की संख्या की चर्चा इस प्रतिवेदन के पैरा 1.2 में की गई है। सीबीआईसी और उसकी क्षेत्र संरचना की भूमिकाओं और कर्तव्यों की चर्चा आगामी पैराग्राफ में की गई है।

2.2.1 सीबीआईसी

वित्त मंत्रालय में अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड, भारतीय संघ के अप्रत्यक्ष करों के उदग्रहण और संग्रहण के प्रशासन के लिए एक शीर्ष निकाय है। यह अप्रत्यक्ष करों के करारोपण व संग्रह, तस्करी की रोकथाम और अप्रत्यक्ष करों और सीबीआईसी के क्षेत्रांगत नशीले पदार्थों के संदर्भ में प्रशासनिक मामलों के नीति निर्धारण का कार्य करता है। सीबीआईसी का एक अध्यक्ष और इसमें चार सदस्य होते हैं।

2.2.2 जोन

जोन लेखापरीक्षा योग्य उच्चतम क्षेत्रीय सत्व होते हैं जिनकी अध्यक्षता प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त द्वारा की जाती है। जोन के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त जोन में सभी कमिश्नरियों के तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखते हैं। वे जोन में प्रत्येक कमिश्नरी द्वारा राजस्व संग्रहण की निगरानी और अधिनियमों/नियमों और समय-समय पर जारी बोर्ड के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन करते हैं।

2.2.3 कमिश्नरियां

कमिश्नरियां तीन वर्गों अर्थात् कार्यपालक कमिश्नरियां, कमिश्नरियां (लेखापरीक्षा) और कमिश्नरियां (अपील) में विभाजित होती हैं।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर कमिश्नरी (कार्यपालक कमिश्नरी) का प्राथमिक कार्य, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों और संसद के अन्य समबद्ध अधिनियमों जिनमें जीएसटी/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उदग्रहण और संग्रहण किया जाता है, के प्रावधानों का कार्यान्वयन करना है। प्रशासनिक तौर पर प्रत्येक कमिश्नरी में एक तीन-स्तरीय ढांचा, प्रथम स्तर पर उसके मुख्यालय, द्वितीय स्तर पर चार से छः प्रभाग और तीसरे और अंतिम स्तर पर प्रत्येक प्रभाग के तहत औसतन चार से सात रैंज होती है।

प्रत्येक जोन में एक या अधिक लेखापरीक्षा कमिश्नरियां हो सकती हैं जिनका आयुक्त (लेखापरीक्षा) अध्यक्ष होता है। लेखापरीक्षा कमिश्नरी का मुख्य कार्य है, उसके क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले करदाताओं का आंतरिक लेखापरीक्षा

करना, निगरानी समिति सभाओं का आयोजन करना, निर्धारितियों के विरुद्ध केस का अनुसरण करने में कार्यपालक आयुक्त की सहायता करना आदि।

आयुक्त (अपील), एक अपीलिय प्राधिकारी के तौर पर कार्य करता है और आयुक्त रैंक के निचले प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए सभी अधिनिर्णयन आदेशों के संबंध में अपीलों पर आदेश पारित करता है।

2.2.4 डिवीजन

प्रत्येक कार्यपालक कमिश्नरी में चार से छः डिविजन होते हैं जिनकी अध्यक्षता उप/सहायक आयुक्त करते हैं। डिवीजन प्रमुख उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विधियों और प्रक्रियाओं के उचित अनुपालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे, अनंतिम निर्धारण, छूट/प्रतिदाय दावों की स्वीकृति और अर्ध-न्यायिक कार्य करने अर्थात् उनके कार्यनिर्वाह क्षमता के अंतर्गत आने वाले मामलों के अधिनिर्णयन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।

2.2.5 रेंज

प्रत्येक डिविजन में औसतन चार से सात रेंज होंगी। रेंज का प्रमुख अधीक्षक होता है जो व्यापार और उद्योग तथा विभाग के बीच सूचना का प्रथम कार्यालय होता है। निर्धारण की संवीक्षा, निर्धारितियों द्वारा दायर किए गए निर्दिष्ट विवरणी के आधार पर रेंज द्वारा की जाती है। रेंज अधिकारी, निर्धारण कार्य के अतिरिक्त करदाताओं द्वारा दायर की गई वैधानिक घोषणाओं की यथार्थता को भी जांचते हैं।

2.3 लेखापरीक्षा नमूना

2018-19 और 2019-20 के दौरान हमारे द्वारा लेखापरीक्षित विभागीय इकाईयों का विवरण चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है:

चार्ट सं. 2.1: लेखापरीक्षा समष्टि और नमूना

वि.व. 19			वि.व. 20		
लेखापरीक्षित इकाई	समष्टि	नमूना	लेखापरीक्षित इकाई	समष्टि	नमूना
जोन	21	19 (90%)	जोन	21	18 (86%)
कमिश्नरियां	111	71 (64%)	कमिश्नरियां	111	68 (61%)
डिविजन	753	263 (35%)	डिविजन	753	261 (35%)
रेंज	3912	1007 (26%)	रेंज	3912	1016 (26%)
अन्य इकाईयां*	280	149 (53%)	अन्य इकाईयां	287	134 (47%)
कुल	5077	1509 (30%)	जोड़	5084	1497 (29%)

* अन्य इकाईयों में लेखापरीक्षा कमिश्नरियां, अपील कमिश्नरियां, वेतन तथा लेखा कार्यालय, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, महानिदेशक जीएसटी आसूचना, एडीजी (लेखापरीक्षा) आदि शामिल हैं।

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, हमने 2018-19 और 2019-20 के दौरान, क्रमशः 5077 इकाईयों में से 1509 इकाईयां (30 प्रतिशत) और 5,084 इकाईयों में से 1,497 इकाईयां (29 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की।

2.4 लेखापरीक्षा प्रयास और लेखापरीक्षा उत्पाद

जीएसटी और विरासतीय अप्रत्यक्ष कर की अनुपालन लेखापरीक्षा महानिदेशक (डीजी)/प्रधान निदेशक (पीडी) की अध्यक्षता में हमारे नौ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई।

जीएसटी लेखापरीक्षा में, अक्टूबर 2018 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान हमने 81 केन्द्रीय जीएसटी कमिश्नरियां और पांच लेखापरीक्षा कमिश्नरियां में 77,363 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से 5,822 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों की जांच की। हमने ₹ 543.70 करोड़ की मूल्य राशि के साथ अननुपालन/चूक के 1,182 मामले (20 प्रतिशत) पाये। इन 1,182 मामलों में से इस प्रतिवेदन में हमने 62 ड्राफ्ट पैराग्राफ को शामिल किया जिनमें ₹ 86.11 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 105 महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां शामिल हैं। इसी प्रकार, उक्त अवधि के दौरान हमने 33 सीजीएसटी कमिश्नरियां में 23,106 प्रतिदाय मामलों में से 4,736 प्रतिदाय मामलों से संबंधित अभिलेखों की जांच की। हमने 280 दावों (6 प्रतिशत) में प्रतिदायों के प्रसंस्करण में वर्तमान प्रावधानों के अननुपालन को पाया जिसमें ₹ 16.16 करोड़ की राशि शामिल थी। इनमें से इस प्रतिवेदन में

₹ 8.26 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 25 महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों वाले 07 ड्राफ्ट पैराग्राफों को शामिल किया। इसके साथ ही इस प्रतिवेदन में ₹ 6.77 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली जीएसटी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अन्य अनियमितताओं से संबंधित 08 ड्राफ्ट पैराग्राफों को शामिल किया गया है। जीएसटी की अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय IV में शामिल किया गया है।

2018-19 के दौरान, हमने 827 रेंजों में 2939 निर्धारितियों के अभिलेखों का चयन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के निर्धारण और भुगतान के संबंध में विस्तृत जांच के लिए किया। इसी प्रकार 2019-20 के दौरान, हमने 451 रेंजों में विस्तृत जांच के लिए 1,471 निर्धारितियों के अभिलेखों का चयन किया। हमने ₹ 1,036.35 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 2,712 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को उठाया। हमने इस प्रतिवेदन में, ₹ 472.30 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 146 ड्राफ्ट पैराग्राफों को शामिल किया। इसके अतिरिक्त, इस प्रतिवेदन में हमने 2017-18 की अवधि से पूर्व की अवधि के संबंध में ₹ 667.71 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 66 ड्राफ्ट पैराग्राफों को भी शामिल किया। विरासतीय कर (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को इस प्रतिवेदन से अध्याय VI में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, हमने जीएसटीएन²³ की आईटी लेखापरीक्षा और एससीएन तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा को पूर्ण किया। आईटी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अध्याय III में शामिल किया गया है तथा 'एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया' पर अभ्युक्तियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय V में शामिल किया गया है।

²³ चरण-II

2.5 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर)²⁴ में शामिल बड़ी संख्या में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों, विभाग द्वारा अनुपालन के लिए लंबित हैं। 31 मार्च 2020 को, 10,489 एलएआर से संबंधित 29,496 पैरा अनुपालना के लिए लंबित हैं। पैरा के लंबित होने का एक मुख्य कारण विभाग की ओर से उत्तर की कमी और उत्तर में देरी है। हमने इस संबंध में, 31 मार्च 2019 को लंबित पैराओं का एक विस्तृत अध्ययन किया, जिसका परिणाम आगे के पैरा में प्रस्तुत किया गया है।

2.5.1 स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) के संबंध में प्रावधान

हम लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों में लेखापरीक्षित सत्वों से हमारी अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की समाप्ति पर सीएजी के लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम (संशोधन), 2020 के विनियम 136 के प्रावधानों के अनुसार, हम टिप्पणी के लिए विभागों को स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) जारी करते हैं।

बोर्ड की परिपत्र सं. 1023/11/2016/सीएक्स दिनांक 8 अप्रैल 2016, सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के साथ व्यवहार के लिए प्रक्रिया के विषय में बताता है और उसकी क्षेत्र संरचनाओं को निर्देशित करते हैं कि स्थानीय लेखापरीक्षा पैराग्राफों का जवाब तीस दिनों के अंदर दिया जाए। यह परिपत्र जोन को लंबित एलएआर पैराग्राफों पर चर्चा और निपटान करने के लिए लेखापरीक्षा के साथ त्रैमासिक समन्वय बैठक करने का भी प्रावधान करता है।

विनियम 137 से 152 के प्रावधानों के अनुसार, हमने लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की निगरानी और अनुपालन और समाधान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कमिशनरियों के प्रमुख को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को जांच करने के लिए भेजना, जोन के प्रमुखों को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों

²⁴ स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रत्येक लेखापरिक्षिती विभागीय इकाई को क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा भेजी जाती है। उनके जवाब के आधार पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया जाता है तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

का आदान-प्रदान, लेखापरीक्षा समिति बैठक का आयोजन आदि जैसे कदम उठाए।

2.5.2 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र और नमूना

हमने 31 मार्च 2019 को लंबित, एलएआर पैरा पर विभाग के जवाबों की स्थिति की जांच की। 109 कमिश्नरियों में से 49 कमिश्नरियों²⁵ का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया। विस्तृत जांच के लिए कमिश्नरियों में बकाया पैरों के नमूने का चयन दो श्रेणियों के तहत किया गया:


- (i) जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।
- (ii) जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया देरी से प्राप्त हुई।

2.5.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लंबित एलएआर पैराओं के विश्लेषण से पता चला कि, पूरे भारत में, 109 कमिश्नरियों में, 31 मार्च 2019 तक, ₹ 19,970.81 करोड़ के कर प्रभाव वाले 26,113 ऑडिट पैरा लंबित थे। इनमें से विभाग 13,475 लेखापरीक्षा पैरा अर्थात् 51.60 प्रतिशत (₹ 12,017.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले) में प्रथम प्रतिक्रिया देने में विफल रहा और 10,351 लेखापरीक्षा पैराओं (39.64 प्रतिशत) का जवाब देरी से दिया। इस प्रकार, केवल 2,287 मामलों में (8.76 प्रतिशत), विभाग ने तय की गई 30 दिन की सीमा के अंदर प्रथम प्रतिक्रिया दी।

चार्ट 2.2 स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफ की प्रथम प्रतिक्रिया की स्थिति की व्याख्या करता है।

²⁵ अगरतला, अहमदाबाद दक्षिण, इलाहाबाद, बेंगलुरु पूर्व, बेंगलुरु उत्तर-पश्चिम, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु पश्चिम, बेलापुर, चेन्नई उत्तर, चेन्नई आउटर, चेन्नई दक्षिण, दिल्ली-पूर्व, दिल्ली-पश्चिम, डिब्रूगढ़, गांधीनगर, गाजियाबाद, गोवा, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हल्दिया, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता दक्षिण, कच्छ/गांधीधाम, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मेरठ, मुंबई पूर्व, मुंबई दक्षिण, नागपुर-1, नासिक, नवी मुंबई, पालघर, पटना I, पुणे II, रायगढ़, रायपुर, रांची-I, रोहतक, शिलांग, सूरत, तिरुवनंतपुरम, उदयपुर।




लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पर्याप्त प्रतिक्रियाशीलता की कमी के कारणों का निर्धारण करने और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए, हमने एलएआर पैरा के नमूने की विस्तृत जांच की, जैसा पैरा 2.3.3 में कहा गया है।

2.5.4 एलआर पैरा जहां विभाग ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया

कुल 26,113 लंबित लेखापरीक्षा पैरा में से, 109 कमिश्नरियों में, 31 मार्च 2019 तक 13,475 पैरा (51.60 प्रतिशत) में विभाग से प्रथम जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

पैराओं का समय-वार विश्लेषण, जहां विभाग से जवाब प्राप्त नहीं हुए हैं, चार्ट 2.3 में नीचे दिया गया है:



जैसा कि उपरोक्त चार्ट 2.3 से प्रमाणित है, ₹ 8,660.17 करोड़ के कर प्रभाव वाले 6,474 (48.04 प्रतिशत) पैराओं में उत्तर तीन वर्ष से ज्यादा के लिए लंबित थे, जो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के जवाब देने में विभाग के अभाववादी दृष्टिकोण को दर्शाता हैं।

इसके अतिरिक्त, हमने नियत समय की समाप्ति के बावजूद लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया की विभागीय विफलता के कारणों का विश्लेषण किया और विस्तृत जांच के लिए 1,012 लेखापरीक्षा पैरा के नमूने एकत्रित किए और यह पाया कि:

(क) इन 1,012 पैराओं जहां प्रथम जवाब प्राप्त नहीं हुआ था, में से 547 मामलों (54 प्रतिशत) में, विभाग क्षेत्र दौरे के दौरान सत्यापन के लिए केस फाइल प्रस्तुत करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा को अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के कारण 172 मामलों (31 प्रतिशत) में अभिलेखों के पता लगाने की अक्षमता, 127 मामलों (23 प्रतिशत) में अधीनस्त क्षेत्रीय संरचनाओं से बहुप्रतिक्षित अभिलेख और 117 मामलों (21 प्रतिशत) में पुर्नगठन के चलते अभिलेखों का अन्य कमिशनरियों को हस्तांतरण थे। 131 मामलों में, लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के लिए कोई कारण नहीं दिए गए थे।

(ख) 465 पैरा से संबंधित शेष केस फाइलों, जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे, में से:


(i) हमने देखा कि 162 लेखापरीक्षा पैरा (34.84 प्रतिशत) के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इन 162 मामलों में से ₹ 13.62 करोड़ के 47 मामले (29 प्रतिशत) पांच वर्ष से अधिक पुराने थे और इस प्रकार कार्यवाही करने के लिए समय बाधित हैं। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में कार्यवाही न करने के कारण उपलब्ध नहीं थे।

(ii) हमने यह देखा कि 158 मामलों (34 प्रतिशत) में यद्यपि विभाग द्वारा कार्यवाही की गई थी लेकिन उसे लेखापरीक्षा को सूचित नहीं

किया गया था। कार्यवाही न बताने के कारण लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किए गए थे।

- (iii) 67 मामलों (14 प्रतिशत) में, हमने यह पाया कि विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का जवाब नहीं दिया क्योंकि निर्धारिती से स्पष्टीकरण/प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी जो लंबे समय से प्रतिक्रित थी।
- (iv) 58 मामलों (13 प्रतिशत) में, हमने यह पाया कि विभाग ने एलएआर पैराओं पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी क्योंकि निचली क्षेत्रीय संरचनाओं से एलएआर पैराग्राफों की प्रतिक्रिया के लिए मांगे गए जवाब प्रतिक्रित थे।
- (v) शेष 20 मामलों (4 प्रतिशत) में, विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत किए गए थे, हालांकि, ये क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए थे।


चार्ट 2.4 मामलों की जांच के परिणामों को दर्शाता है जहां विभाग ने जवाब नहीं दिया।



हमने इसके बारे में अगस्त 2020 में बताया। मंत्रालय का जवाब प्रतिक्रित है (दिसंबर 2020)।

2.5.5 एलएआर पैरा जहां विभाग ने देरी से जवाब दिया

31 मार्च 2019 तक, 109 कमिश्नरियों से संबंधित कुल 26,113 लंबित लेखापरीक्षा पैरा में से 10,351 पैरा (39.63 प्रतिशत) में विभाग से प्रथम जवाब देरी से प्राप्त हुआ। जवाब में देरी 01 महीने से 3 वर्ष से अधिक के बीच थी जैसा नीचे चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है:



लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की प्रतिक्रिया की देरी के लिए कारणों के विश्लेषण के लिए, हमने 49 कमिश्नरियों में 1,137 एलएआर लेखापरीक्षा पैराओं की जांच की। जांच के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(क) इन 1,137 पैराओं में से, जहां प्रथम जवाब देरी के साथ प्राप्त हुआ, 430 मामलों (38 प्रतिशत) में, विभाग, क्षेत्र दौरे के दौरान सत्यापन के लिए केस फाईल प्रस्तुत करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा को अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के कारण 80 मामलों (19 प्रतिशत) में अभिलेखों के पता लगाने में अक्षमता, 236 मामलों (55 प्रतिशत) में अधीनस्थ क्षेत्रीय संरचनाओं के बहुप्रतिक्षित अभिलेख और 31 मामलों (7 प्रतिशत) में पुर्नगठन के चलते अभिलेखों का अन्य कमिश्नरियों को हस्तांतरण थे। 83 मामलों (19 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के लिए कोई कारण नहीं दिए गए थे।

(ख) 707 पैराओं से संबंधित शेष केस फाइलों में से, जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे, हमने प्रतिक्रिया में देरी के लिए कारणों की जांच की और निम्नानुसार पाया:

(i) 164 मामलों (23.20 प्रतिशत) में, यह पाया गया कि विभाग को निर्धारितियों से स्पष्टीकरण/प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी जो विलम्बित थी।

(ii) 33 मामलों (4.67 प्रतिशत) में अधीनस्थ क्षेत्रीय संरचना जैसे कि डिविजन/रेंज से जवाब विलम्बित थे।

(iii) 510 मामलों (72.14 प्रतिशत) में अभिलेखों में देरी का कोई कारण नहीं पाया गया।

हमने इसके बारे में अगस्त 2020 में बताया। मंत्रालय का जवाब प्रतिक्षित है (दिसंबर 2020)।

2.5.6 लेखापरीक्षा समिति बैठक में चर्चा किए गए पैराओं के लिए विभाग द्वारा अपर्याप्त प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम (संशोधन), 2020 का विनियम 145 यह बताता है कि सरकार लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने और उनके निपटान के उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षा समिति स्थापित करें। ऐसे स्थापित की गई प्रत्येक समिति में लेखापरीक्षा योग्य सत्व के विभागाध्यक्ष के अलावा प्रशासनिक विभाग, लेखापरीक्षा, वित्त विभाग से नामांकित सदस्य, प्रत्येक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेखापरीक्षा समिति की बैठक के कार्यवत को दर्ज किया जाएगा।

लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान के लिए समय-समय पर विभाग के साथ लेखापरीक्षा समिति बैठक (एसीएम) की योजना बनाई गई और आयोजित की गई। पिछले चार वर्षों के दौरान विभिन्न जोन के तहत कमिश्नरियों के साथ की गई लेखापरीक्षा समिति बैठकों का विवरण को नीचे दिया गया है:-

तालिका सं. 2.1: लेखापरीक्षा समिति बैठकें (एसीएम)

वर्ष	की गई एसीएम की संख्या	एसीएम में चर्चा किए गए पैराओं की संख्या, जहां विभागीय कार्यवाही प्रतिक्षित थी	एसीएम में चर्चाओं/आश्वासनों के बावजूद पैराओं की संख्या जहां कार्यवाही/जवाब प्राप्त नहीं हुआ	पैराओं की संख्या जहां जवाब प्राप्त हुआ	विभाग की % प्रतिक्रिया
2015-16	74	5846	2472	3374	57.71
2016-17	75	9102	3479	5623	61.78
2017-18	69	6796	3274	3522	51.82
2018-19	68	7331	3550	3781	51.58
कुल	286	29075	12775	16300	56.06

विभाग को, विभिन्न जोन के तहत आने वाली कमिशनरियों के साथ एसीएम के आयोजन द्वारा लंबित आपत्तियों के जवाब उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त अवसर दिया गया था। यद्यपि, पिछले चार वर्षों के दौरान लेखापरिक्षिति इकाईयों के साथ लेखापरीक्षा समिति बैठक की योजना बनाई गई और आयोजन किया गया लेकिन लेखापरिक्षिती संगठनों से परिणाम/प्रतिक्रिया सीमित था। विभाग ने बैठकों के दौरान चर्चा किए गए केवल 56.06 प्रतिशत पैराओं का ही जवाब दिया था।

हमने अगस्त 2020 में इस विषय में बताया। मंत्रालय का जवाब प्रतिक्षित है (दिसंबर 2020)।

2.5.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

31 मार्च 2019 तक एलएआर में अनुपालन के लिए अधिक संख्या में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां लंबित थी। इन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए विभाग की अनिरंतर और ठोस प्रतिक्रिया न होने के परिणामस्वरूप लंबित पैरा का लगातार संचय हुआ। विभाग ने 31 मार्च 2019 तक लंबित एलएआर लेखापरीक्षा पैराओं के 52 प्रतिशत (13,477) का जवाब प्रस्तुत नहीं किया था, जो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के जवाब देने में विभाग के अभाववादी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

2.5.8 सिफारिशें

- विभाग सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुपालन की निगरानी के लिए एक व्यापक डाटाबेस का विकास करे।
- विभाग, लेखापरीक्षा के साथ एक ऑनलाईन इंटरफेस का निर्माण करे जिसमें प्रणाली के माध्यम से सभी लेखापरीक्षा पैराओं की प्रतिक्रिया दी जाए और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से लंबित होने का पता लगाया जा सके। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई उपचारात्मक कार्यवाही की निगरानी हेतु बोर्ड स्तर पर आवधिक रिपोर्ट की एक प्रणाली स्थापित की जा सकती है।
- फाईले जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है, को ढूंढा जाए और सभी मामलों में उचित सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।
- वह एलएआर पैरा, जो लंबित हैं, की विभाग द्वारा समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई की जाये और बिना किसी देरी के लेखापरीक्षा को प्रतिक्रिया भेजी जाये।

2.6 सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

पिछले पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वर्तमान वर्ष का प्रतिवेदन भी शामिल) में, हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और माल तथा सेवा कर से संबंधित ₹ 3,631.13 करोड़ के 1,322 लेखापरीक्षा पैराओं को शामिल किया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई के विवरण को तालिका 2.2 में शामिल किया गया है।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष		विव 15	विव 16	विव 17	विव 18	विव 19 एवं विव 20	कुल
शामिल पैराग्राफ	सं.	231	255	300	239	297	1322
	राशि	534.37	435.56	1018.79	401.26	1241.15	3631.13
स्वीकृत पैराग्राफ	31.12.20 सं.	213	237	269	216	183	1118
	तक राशि	510.17	384.78	548.56	200.39	504.01	2147.91
प्रभावी वसूली	31.12.20 सं.	139	178	160	116	107	700
	तक राशि	83.27	110.97	372.15	58.37	43.24	668.00

मंत्रालय ने ₹ 2,147.91 करोड़ के 1,118 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और 700 पैराग्राफों में ₹ 668.00 करोड़ की वसूली की।

2.6.1 इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया

जैसा कि पहले कहा गया था कि हमने इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले टिप्पणी के लिए मंत्रालय को महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां जारी की थी। हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पूर्व उन्हें जारी किये गये मामलो पर उनकी टिप्पणी प्राप्त करने के लिए मंत्रालय को छः सप्ताह का समय दिया। हमने वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ₹ 1,241.15 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 289 ड्राफ्ट पैराग्राफों को शामिल किया। मंत्रालय ने ₹ 504.01 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 183 ड्राफ्ट पैराग्राफों को स्वीकार किया। 84 ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालय का जवाब प्रतिक्षित है।

हमने, जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा और “एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पर दो ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किए।

उपरोक्त के अतिरिक्त, हमने अप्रत्यक्ष कर प्रशासन, जीएसटी के तहत अनुपालन सत्यापन तंत्र, जीएसटी के तहत राजस्व ट्रेंड, और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से संबंधित पांच ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किए। मंत्रालय ने चार ड्राफ्ट पैराग्राफों पर जवाब दिया। एक ड्राफ्ट पैराग्राफों के संबंध में जवाब प्रतिक्षित है।

अध्याय III

जीएसटीएन की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा (चरण-II)

3.1 प्रस्तावना

माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत 'नाट फॉर प्राफिट ओरगेनाइजेशन' के निगमित जीएसटीएन की स्थापना मुख्य रूप से जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों²⁶ को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। जीएसटीएन के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- विशेष रूप से जीएसटी लागू करने के लिए सरकार या सरकार के किसी भी विभाग या एजेंसी को अन्य ई-गवर्नेंस पहलों और किसी आईटी चलित पहलों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आईटी और संचार से संबंधित बुनियादी ढाँचों को तैयार करने में विभिन्न हितधारकों की सहायता और सहयोग करना;
- जीएसटी व्यवस्था में विरासत संपदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सुचारू रूप से बदलने का प्रावधान करने के लिए;
- सरकार या सरकार के किसी विभाग या एजेंसी द्वारा उठाए गए जीएसटी के कार्यान्वयन के जैसी ई-गवर्नेंस पहलों सहित विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए विभिन्न हितधारकों को आईटी और संचार से संबंधित सेवाएं प्रदान करना और
- विभिन्न हितधारकों को आईटी और संचार से संबंधित सेवाएं प्रदान करना ताकि उन्हें सरकार या सरकार के किसी विभाग या एजेंसी द्वारा शुरू की गई उन ई-गवर्नेंस पहलों के साथ अपने आईटी और संचार बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं को संरेखित करने के लिए तैयार किया जा सके।

²⁶ भारत सरकार और राज्य सरकारों का वित्त विभाग, करदाता, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), राज्य कर अधिकारी, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए), राज्य कोषागार, भारतीय रिजर्व बैंक और प्राधिकृत बैंक।

3.2 जीएसटीएन का संगठनात्मक ढांचा

आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, जीएसटीएन के निदेशक मंडल (बोर्ड) में कम से कम दो और अधिकतम 14 निदेशक होने चाहिए। जीएसटीएन के अध्यक्ष को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त अनुमोदन तंत्र के माध्यम से नामित किया जाएगा और बोर्ड के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कंपनी के व्यवसाय के प्रबंध के लिए बोर्ड एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करेगा। वर्तमान संगठनात्मक ढांचे के तहत, सीईओ को कंपनी के विभिन्न कार्यों की देखभाल करने वाले कार्यकारी उपाध्यक्षों (ईवीपी) और वरिष्ठ उपाध्यक्षों (एसवीपी) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

3.3 जीएसटी आईटी पोर्टल

जीएसटी आईटी पोर्टल पूरे जीएसटी परिस्थितिकी तंत्र के मूल में रहा है, जो अपने जीएसटी अनुपालन कार्यों के लिए एक करोड़ से अधिक करदाताओं के लिए एक ही इंटरफेस प्रदान करता है। इसने संघ और राज्यों में कर प्रशासन के एकीकरण में मदद की है। जीएसटीएन द्वारा विकसित सार्वजनिक जीएसटी पोर्टल समग्र जीएसटी आईटी परिस्थितिकी तंत्र के फ्रंट-एंड के रूप में कार्य कर रहा है और इसमें पंजीकरण आवेदन दायर करने, रिटर्न दायर करने, कर भुगतान के लिए चालान बनाने, जीएसटी का भुगतान, आईजीएसटी भुगतान का निपटारा और बिजनेस इंटेलिजेन्स एवं एनालाइटिक्स (बीआई) उत्पन्न करना है। मै. इंफोसिस को सिस्टम डेवलपर और मैनेजड सर्विस प्रोवाइडर (एमएसपी) के तौर पर लगाया गया है। सीबीआईसी और राज्य कर विभागों की बैक-एंड आईटी प्रणालियों का उपयोग पंजीकरण अनुमोदन, निर्धारण, लेखापरीक्षा, अपील प्रवर्तन और अधिनिर्णयन, जैसे कर प्रशासन कार्यों के लिए किया जाता है। जहां छः²⁷ राज्य और सीबीआईसी कर प्रशासन के लिए अपनी स्वयं की आईटी प्रणाली विकसित कर रहे हैं, वहीं जीएसटीएन को 25 अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए इसके विकास का कार्य सौंपा गया है।

²⁷ गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, सिक्किम और तमिलनाडु

3.4 जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा (चरण-II)

3.4.1 पृष्ठभूमि-आईटी लेखापरीक्षा (चरण-I)

जीएसटीएन का आईटी लेखापरीक्षा दो चरणों में किया गया है। मई-अगस्त 2018 के दौरान लेखापरीक्षा का चरण-I संचालित किया गया था। लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि क्या संघ और राज्यों के बीच पंजीकरण, जीएसटी भुगतान और इन्टि-ग्रेटिड जीएसटी (आईजीएसटी) के निपटान के लिए आईटी मॉड्यूल जीएसटी व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप थे। बिजनेस कंटेन्यूटि प्लान (बीसीपी) और चेन्ज मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमपी) के पहलुओं को भी शामिल किया गया था। 2019 की सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.11 में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सूचित किए गए थे। प्रमुख निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

3.4.1.1 प्रमुख निष्कर्ष- आईटी लेखापरीक्षा (चरण-I)

3.4.1.1.1 पंजीकरण मॉड्यूल: सिस्टम वेलिडेशन कई मामलों में जीएसटी अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे जिससे जीएसटी पंजीकरण मॉड्यूल में महत्वपूर्ण कमियां रह गई जैसे कि कम्पोजिशन लेवी योजना का लाभ उठाने से अयोग्य करदाताओं को मान्यता देने और वंचित करने में प्रणाली की विफलता, पंजीकरण में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) डाटाबेस आदि के साथ प्रमुख क्षेत्रों के सत्यापन की कमी (कानूनी नाम, व्यवसाय का प्रकार और कॉर्पोरेट पहचान संख्या)।

3.4.1.1.2 भुगतान मॉड्यूल: भुगतान मॉड्यूल, 1 जुलाई 2017 से परिचालन होने के बावजूद परिचालन कमियों जैसे कि करदाता द्वारा कर के सफल भुगतान के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक कैश खाता बही (ईसीएल) को अद्यतन करने में देरी, जीएसटी प्राप्तियों के सामंजस्य के मुद्दे आदि, से भरा हुआ था।

3.4.1.1.3 आईजीएसटी निपटान रिपोर्ट: संबंधित जीएसटी मॉड्यूल जैसे आयात और अपील के कार्यान्वयन न करने के कारण सभी आईजीएसटी

निपटान खाता बही सृजित नहीं हो पा रहे थे। इसके निपटान एल्गोरिदम में अशुद्धियों और निपटान के लिए आवश्यक सभी सूचना के पता करने में जीएसटीआर-3बी विवरणी की सीमा के साथ युग्मित होने से, केन्द्र और विभिन्न राज्यों की निधि के निपटान पर असर पड़ा।

3.4.1.1.4 अन्य निष्कर्ष: इसके अतिरिक्त, सिस्टम डिजाइन में कमियां थी, बीसीपी को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और सीएमपी में कमी थी।

3.4.2 जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र (चरण-II)

• लेखापरीक्षा उद्देश्य

- यह आंकलन करना कि क्या जीएसटीएन द्वारा लागू किए गए प्रतिदाय और विवरणी मॉड्यूल, जीएसटी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस)²⁸ को शासित करने वाले अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप थे।
- जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र में ई-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) की समीक्षा करने के लिए, जो जीएसटीएन की देखरेख में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया है।
- आईटी लेखापरीक्षा के चरण-I में नोट किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर की गई कार्यवाही पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा।

• लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

हमने, लेखापरीक्षा योजना और कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए जीएसटीएन के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ एक एंटी कानफ्रेंस (अक्टूबर 2019) आयोजित जिसके बाद जीएसटीएन आईटी एप्लीकेशन के माध्यम से व्यापार प्रक्रियाओं और सूचना के प्रवाह को समझने के लिए चर्चा, प्रस्तुतियां और वॉक-थ्रू किए गए।

²⁸ सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस) (सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है), एक दस्तावेज या दस्तावेजों का समूह है जो एक प्रणाली या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की विशेषताओं और व्यवहार का वर्णन करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व शामिल हैं जो ग्राहक द्वारा अपने विभिन्न उपयोगकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक इच्छित कार्यक्षमता को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं।

जीएसटी और एसआरएस को शासित करने वाले प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों में परिकल्पित अनुसार महत्वपूर्ण फार्म और कार्यक्षमताओं का हमारा परीक्षण सर्वप्रथम जीएसटी प्रणाली के प्रशिक्षण वातावरण पर आयोजित किया गया था। उत्पादन वातावरण से डाटा, विभिन्न लेखापरीक्षा जांच के वैधीकरण के लिए मांगा गया था। लेखापरीक्षा की प्रमुख जांच के लिए, हमने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए कुछ महीनों के लिए चयनित राज्य के डाटा का विश्लेषण किया। भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली (आईसीईएस) के साथ एकीकरण को निर्यात पर आईजीएसटी प्रतिदाय की लेखापरीक्षा के भाग के रूप में निष्पादित किया गया था।

हमने राजस्व विभाग (डीओआर) द्वारा जारी आरंभ योजना और निर्देशों और उन प्रमुख कारणों की भी समीक्षा की जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न मॉड्यूलों में विलंबित कार्यान्वयन/कार्यान्वयन न करना हुआ। अक्टूबर 2019 से जून 2020 के दौरान लेखापरीक्षा का आयोजन किया गया। हमने जीएसटीएन वरिष्ठ प्रबंधन के साथ मुख्य आईटी लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा के लिए एक एग्जिट कानफ्रेंस का आयोजन किया (10 जुलाई 2020)। इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर जीएसटीएन की प्रतिक्रिया (11-20 जुलाई 2020) को उपयुक्त रूप में शामिल किया गया है। मॉड्यूल-वार लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी पैराग्राफों में सूचित किया गया है।

- **लेखापरीक्षा मापदंड**

स्त्रोत जहां से आईटी लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मापदंड प्राप्त किया गया था, उसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम, यूटीजीएसटी अधिनियम, एसजीएसटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान और उनके संबंधित नियम और विनियम।
- सीबीआईसी जैसे कर प्राधिकरणों की अधिसूचनाएं
- प्रतिदाय, विवरणी और ई-वे बिल मॉड्यूल की व्यवसाय प्रक्रिया।
- एसआरएस।

- **पावती**

लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब प्रस्तुत करने के लिए और लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी और रिकार्ड उपलब्ध कराने में जीएसटीएन, एनआईसी और सिस्टम और डाटा प्रबंधन महानिदेशालय, सीबीआईसी (डीजीएस) के सहयोग को लेखापरीक्षा स्वीकार करता है। इस अध्याय में चर्चा की गई अभ्युक्तियों पर ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैरा को मंत्रालय को 27 अगस्त 2020 में भेजा गया था। तथापि, मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

3.5 निष्कर्षों का विहंगावलोकन – आईटी लेखापरीक्षा (चरण-II)

3.5.1 आईटी लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विहंगावलोकन

प्रतिदाय मॉड्यूल, विवरणी मॉड्यूल, ईडब्ल्यूबी प्रणाली और बीसीपी की हमारी जांच में इन मॉड्यूलों के कार्यान्वयन में जोखिम वाले क्षेत्रों की ओर इशारा करती हुई नियंत्रण और वैधीकरण की कमियों का पता चला। इस संबंध में, हमने लेखापरीक्षा किए गए सभी मॉड्यूलों से संबंधित 56 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को जारी किया। इनमें से जीएसटीएन द्वारा 29 मामलों को स्वीकृत किया गया। जीएसटीएन ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए 17 मामलों को स्वीकार नहीं किया। 5 मामलों में, जीएसटीएन ने यह बताया कि मामले नीति से संबंधित हैं और इन्हें आगे के निर्देशों के लिए डीओआर/विधि समिति के साथ लिया जाएगा। पांच लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का जवाब अब तक प्रतीक्षित है।

14 मामलों में (परिशिष्ट-II), रोलड आउट मॉड्यूल में मौजूदा प्रमुख वैधीकरणों/कार्य क्षमताओं को लागू प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया, भले ही एसआरएस को सही ढंग से तैयार किया गया था।

प्रतिदाय माँड्यूल, रिटर्न माँड्यूल, ईडब्ल्यूबी और बीसीपी पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित चार भागों में दिया गया है।

3.6 चरण-1 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्यवाही

हमने यह निर्धारण करने के लिए अनुवर्ती लेखापरीक्षा का आयोजन किया कि क्या जीएसटीएन ने चरण-1 लेखापरीक्षा में रिपोर्ट किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुसंशाओं पर प्रभावी कार्यवाही की है। जीएसटीएन ने यह सूचित किया कि उसने पहले ही 42 अभ्युक्तियों में से 25 पर सुधारात्मक कार्यवाही लागू कर दी है। लेखापरीक्षा ने सुधारात्मक कार्यवाही की समीक्षा की और यह देखा कि जीएसटीएन ने 19 मामलों में कमी को सफलतापूर्वक ठीक कर लिया है। शेष 23 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति नीचे दी गई है (परिशिष्ट-III) :

सुधारात्मक कार्यवाही की स्थिति	अभ्युक्तियों की संख्या	माँड्यूल-वार ब्रेकअप
सुधारात्मक कार्यवाही सफलतापूर्वक लागू की गई	19	पंजीकरण:15 भुगतान: 2 आईजीएसटी निपटान: 2
जीएसटीएन के सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के बावजूद भी मुद्दे अभी भी बने हुए हैं।	6	पंजीकरण: 2 आईजीएसटी निपटान: 4
जीएसटीएन द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है और यथासमय में कार्यान्वित किया जाएगा	12	पंजीकरण:7 भुगतान: 1 आईजीएसटी निपटान: 4
अन्य एंजेशियों की तरफ से सुधारात्मक कार्यवाही लंबित है	5	भुगतान: 3 आईजीएसटी निपटान: 2

महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां जहां सुधारात्मक कार्यवाही को अब तक लागू नहीं किया गया है, परिशिष्ट-3 में सूचीबद्ध है।

3.7 प्रतिदाय माँड्यूल

3.7.1 प्रतिदाय माँड्यूल के विषय में

जीएसटी के तहत, प्रतिदाय किसी भी राशि को संदर्भित करता है जो प्रशासन द्वारा कर करदाता को देय है। जीएसटी कानून में निहित प्रतिदाय से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रतिदाय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करना है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 और धारा 77 में सन्निहित प्रासंगिक प्रावधान और सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89(1) और 89(2) में विभिन्न स्थितियों का विहंगावलोकन दिया गया है जिन्हें प्रतिदाय दावे की आवश्यकता है। निम्नलिखित तालिका उन प्रमुख श्रेणियों को दर्शाती है जिनके तहत प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है और 29 सितम्बर 2019 तक आरएफडी-01²⁹ के माध्यम से दायर किए गए प्रतिदाय आवेदनों का विवरण है।

²⁹ सामान्य कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति (एनआरटीपी), कर कटौतीकर्ता, कर संग्रहणकर्ता और अन्य पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति के लिए प्रतिदाय (मैनुअल) के लिए आवेदन

तालिका सं. 3.1: 29 सितम्बर 2019 तक दायर की गई प्रतिदाय आवेदन की स्थिति

प्रतिदाय श्रेणी	संख्या	राशि (करोड़ में) ³⁰
माल/सेवाओं का निर्यात- कर के भुगतान के बगैर, यानि संग्रहित आईटीसी ³¹	2,13,309	78,751
अवतरित कर ढांचे के कारण संग्रहित आईटीसी (धारा 54(3) के लिए परंतुक का खंड (ii))	1,06,245	23,683
ईसीएल ³² में अतिरिक्त जमा राशि	2,05,866	5,349
सेवाओं का निर्यात- कर भुगतान सहित	19,252	3,901
विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) इकाई/एसईजेड डेवलप (कर भुगतान के बिना) को की गई आपूर्ति के कारण	8,253	3,136
एसईजेड इकाई/एसईजेड डेवलप (कर भुगतान के साथ) को की गई आपूर्ति के कारण	21,727	1,850
कर का अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो	5,916	561
डीमड निर्यात के आपूर्तिकर्ता	1,521	542
डीमड निर्यात के प्राप्तकर्ता	2,024	492
एक अंतर-राज्य आपूर्ति पर भुगतान किया गया कर, जो बाद में अंतरा-राज्य आपूर्ति और इसके विपरीत (आपूर्ति के स्थान में परिवर्तन) आयोजित किया जाता है।	130	156
निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण	919	60
अन्य	22,507	3,772
कुल	6,07,669	1,22,253

³⁰ तालिका में डाटा दिनांक 29 सितंबर 2019 जीएसटीएन सारांश रिपोर्ट से लिया गया

³¹ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अर्थ है आउटपुट पर भुगतान योग्य कर से इनपुट पर भुगतान किये गए कर को कम करना।

³² नकद में या बैंक के माध्यम से किया गया कोई भी जीएसटी भुगतान ईसीएल में दर्शाया जाता है। ईसीएल में शेष राशि को प्रतिदाय आवेदन पत्र आरएफडी-01 को जमा करके प्रतिदाय के रूप में दावा किया जा सकता है

3.7.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जीएसटी प्रतिदाय माँड्यूल की आईटी लेखापरीक्षा का आयोजन इसलिये किया गया था कि:

- क) निर्धारण करे कि क्या जीएसटीएन द्वारा आरंभ प्रतिदाय माँड्यूल की उचित योजना बनाई गई और समयसीमा के अनुसार प्रभावी ढंग से लागू किया गया।
- ख) निर्धारण करें कि क्या जीएसटीएन द्वारा आरंभ प्रतिदाय माँड्यूल, जीएसटी अधिनियम/नियमावली/अधिसूचनाओं यथा संशोधित के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप है।
- ग) निर्धारण करें कि क्या माल के निर्यात पर आईजीएसटी के प्रतिदाय के संबंध में दो आईटी प्रणालियों (जीएसटी और सीमा शुल्क) के बीच एकीकरण को प्रभावी ढंग से शुरू किया गया है।
- घ) निर्धारण करें कि क्या प्रतिदाय माँड्यूल रोलआउट ने करदाताओं के व्यापार करने में आसानी को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।


3.7.3 प्रतिदाय माँड्यूल का आरंभ

जीएसटी पोर्टल के प्रतिदाय माँड्यूल में करदाता द्वारा प्रतिदाय आवेदन की ऑनलाईन फाइलिंग और कर विभाग द्वारा दावों के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण की परिकल्पना की गई थी। प्रतिदाय एक मुख्य करधान कार्यक्षमता है और इसलिए इस कार्यक्षमता को जीएसटी के स्वयं के आरंभ के पहले दिनों से आरंभ किया जाना चाहिए था। हालांकि, जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने पर कोई प्रतिदाय माँड्यूल नहीं था। प्रतिदाय माँड्यूल को निम्नलिखित समयसीमा के अनुसार आरंभ किया गया था:


- (क) निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी की वापसी के मामले में, अक्टूबर 2017 में जीएसटी पोर्टल में प्रतिदाय स्वीकृति का स्वचालित मार्ग परिनियोजित किया गया था। इसमें आईसीईएस के साथ एकीकरण शामिल था, जो प्रतिदाय दावों के स्वचालित सत्यापन का उपयोग करता है।

- (ख) प्रतिदाय की अन्य श्रेणियों के लिए नवंबर 2017 तक, जीएसटी पोर्टल पर कार्यक्षमता प्रदान नहीं की गई थी। नवंबर 2017 के बाद से करदाता द्वारा ऑनलाइन प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के लिए जीएसटी पोर्टल में प्रावधान किया गया था। इसके बाद, करदाता आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेकर सहायक दस्तावेजों के साथ कर अधिकारी के पास जमा कराएगा। कर अधिकारी बाद में पोर्टल के बजाय फाइलों में प्रतिदाय दावों की आगामी प्रक्रिया करेगा और प्रतिदाय को स्वीकृत करेगा। यह अनिवार्य रूप से एक फेसलैस आईटी इंटरफेस के बजाय कर अधिकारी के साथ परिहार्य इंटरफेस की आवश्यकता पर प्रतिदाय अनुमोदन प्रक्रिया का मैन्युअल प्रसंस्करण था। यह प्रणाली दिसंबर 2018 तक चालू रही।
- (ग) इसके बाद दिसंबर 2018 में, जीएसटी पोर्टल में एक फीचर चालू हुआ जिसमें सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रतिदाय आवेदन फार्म आरएफडी-01ए को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाना था। इसके बाद, दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर अधिकारी के डैशबोर्ड पर भेजा जाना था। हालांकि, प्रतिदाय आवेदन के प्रसंस्करण के लिए विभिन्न पोस्ट सबमिशन स्टेजों को मैन्युअल रूप से किया जाता रहा है जैसा कि चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।
- (घ) प्रतिदाय का यह मैन्युअल प्रसंस्करण 26 सितंबर 2019 तक जारी रहा जब जीएसटीएन ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से कर विभाग द्वारा प्रतिदाय प्रसंस्करण से एकल प्राधिकरण वितरण तक, एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय प्रसंस्करण वातावरण प्रदान किया। इस प्रक्रिया प्रवाह को चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट सं. 3.1: प्रतिदाय का मैन्यूअल प्रसंस्करण



चार्ट सं. 3.2: प्रतिदाय का ऑनलाइन प्रसंस्करण



इस प्रकार, जीएसटी प्रतिदाय माइयूल को पूरी तरह से सितम्बर 2019 में ही आरंभ किया गया था, जो जीएसटी के आरंभ होने के दो वर्षों बाद हुआ था। जीएसटीएन द्वारा बताई गई बाधाएं, जो देरी से आरंभ होने का कारण थीं वे निम्नानुसार थीं:

- क) जुलाई 2017 में जीएसटी पोर्टल के रोल आऊट से पहले के महीनों के दौरान जीएसटी नियमावली में बार-बार परिवर्तन एवं अंतिम रूप देने में देरी।
- ख) शुरुआती जीएसटी विवरणी तंत्र की व्यवस्था और जीएसटीआर-2 एवं 3 को प्रस्थागित रखने के कारण सम्पूर्ण जीएसटी प्रतिदाय मॉड्यूल को पुनः संस्कृत किया जाना।
- ग) मॉडल-1 राज्यों की तत्परता पर रोलआऊट की निर्भरता:- मार्च 2019 में, जीएसटीएन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिदाय आवेदन के प्रसंस्करण के व्यवसायिक प्रवाह के साथ तैयार किया था। हालांकि, मॉडल-1 राज्यों और सीबीआईसी के पास अपनी बैंकएंड प्रणाली है और प्रतिदाय मॉड्यूल को सभी मॉडल-1 राज्यों और सीबीआईसी की तत्परता के बिना परिनियोजित नहीं किया जा सकता है।
- घ) एकल संवितरण प्रक्रिया:- प्रारंभिक आरएफडी-01ए प्रवाह में एक ऑफलाइन वितरण प्रक्रिया थी, जिसमें प्रतिदाय राशि केन्द्रीय और राज्य प्राधिकारियों (क्रमशः सीजीएसटी और एसजीएसडी घटकों) दोनों द्वारा संवितरित की जानी थी। अतंतोगत्वा पीएफएमएस के माध्यम से एकल प्राधिकारी संवितरण को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था। इसके कारण, न केवल सीबीआईसी और मॉडल-1 राज्यों बल्कि पीएफएमएस की भी तत्परता को ध्यान में रखते हुए मॉडल-1 राज्यों के साथ एकीकरण प्रक्रिया को संशोधित करना पड़ा।

प्रतिदाय मॉड्यूल करदाताओं के लिए उच्च प्रासंगिकता वाला एक महत्वपूर्ण माड्यूल है, तथा जिसे जीएसटीएन द्वारा प्राथमिकता और शीघ्रता से किया जाना चाहिए था। प्रतिदाय मॉड्यूल के रोल आऊट में हितधारकों के बीच उचित नियोजन और समन्वय द्वारा तेजी लाई जा सकती थी।

आईटी लेखापरीक्षा में जीएसटी आईटी प्रणाली के प्रतिदाय मॉड्यूल में कमियों का पता चला, जिसमें उन क्षेत्रों को शामिल किया गया जहां जीएसटी आईटी प्रणाली जीएसटी अधिनियमों एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण निम्नानुसार था:

3.7.3.1 प्रतिदाय मॉड्यूल के आईटी लेखापरीक्षा पर निष्कर्षों का अवलोकन

प्रतिदाय मॉड्यूल की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पर्याप्त नियंत्रणों का अभाव, असत्यापित आईटीसी पर प्रतिदाय का दावा करने का जोखिम और माल के निर्यात पर आईजीएसटी प्रतिदाय के लिए आईसीईएस अनुप्रयोग के साथ जीएसटी पोर्टल के एकीकरण में कमियां देखी गईं। इस लेखापरीक्षा के भाग के रूप में प्रतिदाय मॉड्यूल से संबंधित अठारह लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को देखा गया था, जिनमें से 15 जीएसटीएन को जारी की गई थी और तीन डीजीएस को जारी की गई थी। जीएसटीएन को जारी की गई 15 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से जीसीटीएन द्वारा आठ को स्वीकार किया और चार को स्वीकार नहीं किया गया था। शेष 3 के लिए, जीएसटीएन ने जवाब दिया कि नीतिगत मामला होने के कारण इस मुद्दे को आगे की कार्रवाई के लिए डीओआर/विधि समिति को संदर्भित किया जाएगा। डीजीएस को जारी की गई दो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का जवाब नवम्बर 2020 तक प्रतीक्षित है।

3.7.3.2 जीएसटी प्रतिदाय तंत्र में निरंतर जोखिम

अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय होते हैं जो माल एवं सेवाओं के उत्पादन के दौरान संचित होते हैं। इन प्रतिदाय श्रेणियों में, एक करदाता को संचित किए गए आईटीसी के बराबर नकद में भुगतान किया जाता है। इस तरह की प्रणाली की प्रभावशीलता करदाता द्वारा दावा किए गए आईटीसी सत्यापन/दोबारा जांच करने के अंतर्निहित तंत्र और इसकी प्रमाणिकता सुनिश्चित करने पर निर्भर करती हैं। हालांकि, वर्तमान जीएसटी प्रणाली में, इस तरह का तंत्र नहीं है जिससे असत्यापित आईटीसी पर प्रतिदाय का दावा करने का जोखिम है, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में बताया गया है।

मूल जीएसटी प्रणाली में, जीएसटी पोर्टल आईटीसी को सत्यापित करता और आईटीसी के निर्बाध प्रवाह को विवरणी जीएसटीआर-1,2 एवं 3 के माध्यम से प्राप्त किए जाने की परिकल्पना की गई थी। यह परिकल्पना की गई थी कि आपूर्तिकर्ता जीएसटीआर-1 के माध्यम से महीने के दौरान उनके द्वारा की गई बाहरी आपूर्ति का बीजक वार विवरण फाइल करेंगे। इन विवरणों को फॉर्म जीएसटीआर-2ए के माध्यम से पंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना था, जो अन्य आपूर्ति के विवरण को शामिल करने के

बाद फॉर्म जीएसटीआर-2 प्रस्तुत करने वाले थे। आपूर्तिकर्ता द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए फॉर्म जीएसटीआर-1 को उसके द्वारा स्वीकार किए गए संशोधन की सीमा तक संशोधित किया जाता।

एक पंजीकृत विक्रेता द्वारा फाइल किए गए जीएसटीआर-2 का विक्रेता के जीएसटीआर-1 के साथ सामंजस्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह सामंजस्य महत्वपूर्ण है क्योंकि खरीद पर आईटीसी केवल तभी उपलब्ध होगी जब खरीदार के जीएसटीआर-2 विवरणी में फाइल किए गए खरीद के विवरण विक्रेता के जीएसटीआर-1 में की गई बिक्री के विवरण के साथ मेल खाते हैं। जीएसटीआर-3, जीएसटी देयता की राशि के साथ महीने के दौरान बिक्री और खरीद के विवरण के साथ मासिक विवरणी, जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-2 से स्वतः उत्पन्न होना था।

हालांकि, जीएसटीआर-2 एवं 3 को स्थगित रखा गया था। जीएसटीआर-3 के बदले में, एक नया फॉर्म जीएसटीआर-3बी को विवरणी सार के रूप में सरकार द्वारा सम्मिलित किया गया था। जीएसटीआर-3बी को करदाता से कर एकत्र करने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में पेश किया गया था, जब तक कि प्रारंभिक जीएसटीआर-1,2 एवं 3 की जगह एक नया विवरणी ड्राफ्ट परिनियोजित नहीं किया जाता है। हालांकि, नये विवरणी ड्राफ्ट को नवम्बर 2020 तक आरंभ नहीं किया और जीएसटीआर-3बी का लगातार उपयोग हो रहा है। अन्य विवरणी से या को जीएसटीआर-3बी से या के लिए में कोई ऑटो-पोपुलेशन नहीं है। जीएसटीआर-3बी में सभी विवरण विशुद्ध रूप से करदाता इनपुट पर आधारित है।

इस प्रकार, जीएसटीआर-1,2 और 3 के माध्यम से विवरणी के बीजक मिलान तंत्र, जैसा कि मूल रूप से परिकल्पित हैं कार्यात्मक नहीं हैं। जीएसटीआर-3बी में कर देयता का भुगतान करने के लिए एक स्व-निर्धारित सार विवरणी होने के कारण दावा किए गए आईटीसी की कोई वैधीकरण नहीं होने से एक जोखिम है कि, करदाता कर का भुगतान किए बिना आईटीसी श्रृंखला में आईटीसी पास कर दें।

जवाब में, जीएसटीएन ने कहा (जुलाई 2020) कि उन्होंने मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रतिदाय व्यापारिक प्रक्रिया को विकसित किया है और सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी परिवर्तनों को कार्यान्वित किया गया है।

जीएसटीएन के जवाब को इन तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि आईटीसी ट्रांसमिशन के कई स्तरों के बाद प्रतिदाय का दावा करने के लिए इन पारित आईटीसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के फर्जी प्रतिदाय दावों को रोकने का एकमात्र तरीका प्रतिदाय प्रसंस्करण अधिकारी (आरपीओ) द्वारा प्रतिदाय दावों को संसाधित करते समय सत्यापित किया जाना है। हालांकि यह आरपीओ के लिए व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है कि प्रत्येक हर आईटीसी दावे का स्रोत प्राप्त कर सके, विशेष रूप से जहां आईटीसी श्रृंखला में वास्तविक करदाताओं के बीच बड़ी संख्या में परते हो सकती है। इस प्रकार झूठे आईटीसी पर फर्जी प्रतिदाय दावों का जोखिम परिकल्पित विवरणी के अपूर्ण रोल आऊट और अपनाए गए वैकल्पिक तंत्र (जीएसटीआर-3बी) में सामंजस्य/ऑटो-पोपुलेशन की कमी के कारण जीएसटी इको-प्रणाली में एक अंतर्निहित जोखिम है।

3.7.3.3 आईटीसी की अधूरी रि-क्रेडिटिंग करने की सुविधा जहां दूसरे और बाद के अवसर पर डिफिशेन्सी मेमों (डीएम) जारी किया गया था।

सीजीएसटी नियम 90(3) प्रदान करता है “जहां कोई कमियां देखी जाती है, वहां उचित अधिकारी फॉर्म जीएसटी आर एफडी-3” में आवेदक को कमियां बतायेगा”, जिसके लिए उसे एक नया प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता होगी। नियम 93(1) के अनुसार, “जहां किसी भी कमी को पूर्वोक्त के तहत बताया गया है, तो नियम 89 के उप-नियम (3) के तहत डेबिट की गई राशि को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता में रि-क्रेडिट किया जाता है।

हमने देखा कि जब एक करदाता जीएसटी पोर्टल पर प्रतिदाय की विभिन्न श्रेणियों के तहत एक आवेदन दाखिल करता है, तो करदाता के आईटीसी खाता में दावा किए गए प्रतिदाय के बराबर राशि को डेबिट किया जाता है। यदि आरपीओ आवेदन पर एक डीएम जारी करता है, तो करदाता के आईटीसी खाता को आरपीओ द्वारा डीएम के जारी करने के पहले अवसर पर दावा किए गए प्रतिदाय की राशि के साथ रि-क्रेडिट किया जाता है। यदि करदाता फिर से उसी

अवधि के लिए प्रतिदाय के लिए आवेदन करता है, तो करदाता के आईटीसी खाता को डेबिट किया जाता है लेकिन यदि आरपीओ दूसरे अवसर पर और बाद के डीएम में आगे डीएम जारी करता है तो आईटीसी खाता को रि- क्रेडिट प्राप्त नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप करदाताओं के आईटीसी में रुकावट आ सकती है।

जीएसटीएन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2020) और कहा कि एक कोड त्रुटि के कारण, कुछ मामलों में, प्रणाली ने आईटीसी को रि-क्रेडिटिंग नहीं किया था, हालांकि कर अधिकारी ने आगे डीएम जारी किए। जीएसटीएन ने कहा (13 जुलाई 2020) कि कमी को 21 जनवरी 2020 को दूर किया गया था और सभी प्रभावित मामलों में आईटीसी रि-क्रेडिटिंग द्वारा डाटा फिक्स के माध्यम से समाधान किया गया था।

3.7.3.4 कर के भुगतान के बिना निर्यात के मामले में प्रणाली द्वारा अधिक प्रतिदाय की अनुमति (एलयूटी)

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(3)(ए) प्रावधान करती है कि व्यक्ति बांड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलयूटी) के तहत माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति, आईजीएसटी के भुगतान के बिना कर सकता है और अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा कर सकता है। आईटीसी की योग्य प्रतिदाय राशि की गणना करने के लिए, सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89(4) ने निम्नलिखित सूत्र बताया है:-

प्रतिदाय राशि= माल की शून्य-रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर + सेवाओं की शून्य-रेटेड आपूर्ति का टर्नओवर) x नेट आईटीसी÷ समायोजित कुल टर्नओवर (स्टेटमेंट-3ए)

इस प्रतिदाय श्रेणी का इरादा एक निर्यातक को आईटीसी पर प्रतिदाय प्रदान करना है जो उसने निर्यात माल/सेवाओं को बनाने के लिए आवश्यक घेरेलू इनपुटों को खरीदते समय जमा किया है। हमने देखा कि प्रणाली को इस तरह के कार्यान्वित किया गया है कि करदाता के लिए यह संभव है कि वह उस आईटीसी जो उसने निर्यात माल/सेवाओं को बनाने के लिये आवश्यक इनपुटों

को खरीदते समय जमा किया था से अधिक आईटीसी प्रतिदाय का दावा कर सके जो कि निम्नलिखित मामले में विस्तृत है।

केस अध्ययन:-

एक करदाता ने “कर के भुगतान के बिना माल के निर्यात पर आईटीसी के प्रतिदाय” श्रेणी के तहत अक्टूबर 2019 माह के लिए ₹59,24,756 के प्रतिदाय के लिए आवेदन फाइल किया गया। हमने देखा कि उस अवधि के लिए माल के निर्यात का कुल करयोग्य मूल्य सिर्फ ₹ 70,689 था। हालांकि, इस मामले में, ₹ 70,689 के निर्यातों के प्रति ₹ 59.25 लाख को प्रतिदाय के रूप में मंजूरी दी गई थी जो कि मंजूर प्रतिदाय एक निर्यात के अनुपात में 8381.4 प्रतिशत था। इस प्रकार, यह अतिरिक्त प्रतिदाय की मंजूरी का मामला है। एक संभावना यह भी है कि आईटीसी जिसके लिए प्रतिदाय मंजूर किए गए हैं वे सभी निर्यात से संबंधित न हों।

उपरोक्त मामला स्पष्ट रूप से दिखाता है कि स्वीकृत किए गए आईटीसी के प्रतिदाय निर्यात के वास्तविक मूल्य से अधिक विषमानुपाती था। जीएसटीएन ने एल्यूटी श्रेणी के तहत प्रतिदायों के 9136 मामलों के नमूना डाटा³³ प्रदान किए हैं। हमने देखा कि इन मामलों में से 143 में मंजूर किया गया। प्रतिदाय निर्यात मूल्य के विषमानुपाती था। इन 143 मामलों में से 27 में, स्वीकृत किए गए प्रतिदाय निर्यात मूल्य से अधिक थे एवं टर्नओवर के अनुपात में स्वीकृत किए गए प्रतिदाय 103.24 प्रतिशत से 8381.4 प्रतिशत³⁴ के बीच थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रणाली को इस तरह से बनाया गया है कि यह निर्यात मूल्य के आधार पर प्रतिदाय के दावे को प्रतिबंधित नहीं करता है और इस प्रकार करदाताओं को इस कार्यात्मकता के माध्यम से उच्च आईटीसी नकदीकरण प्राप्त करने से सक्षम बनाता है। नमूना डाटा पूछताछ परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस तरह के मामले वास्तव में हो रहे हैं तथा

³³ 01 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के लिए कर के भुगतान के बिना माल/सेवाओं के निर्यात के कारण सभी प्रतिदाय मामले जिनमें प्रतिदाय दावा, स्वीकृत राशि और कर योग्य मूल्य जैसे विवरण शामिल हैं।

³⁴ ये ऐसे मामले हैं जहां स्वीकृत प्रतिदाय निर्यात मूल्य के 28 प्रतिशत (अधिकतम जीएसटी दर) से अधिक था।

निर्यात मूल्य की तुलना में संभव अधिकतम आईटीसी से कहीं अधिक प्रतिदाय को भी स्वीकृत किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के जवाब में, जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि कार्यात्मकता को कानूनी आवश्यकताओं/प्रावधानों के अनुसार सख्ती से विकसित किया गया है और चूंकि अभ्युक्तियां नीति से संबंधित है और न की आईटी से, जीएसटीएन लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए नीति के मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। इसके अलावा, जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति इस धारणा पर आधारित है कि भुगतान के बिना माल और सेवाओं के निर्यात प्रतिदाय स्वचालित है अर्थात एकबार प्रतिदाय आवेदन फाइल करने पर, राशि स्वचालित रूप से स्वीकृत हो जाती है। हालांकि, यह मामला नहीं है। प्रतिदाय आवेदन को संसाधित करने वाले क्षेत्र अधिकारी करदाता के पूर्ववृत्त का सत्यापन करते हैं और प्रतिदाय आवेदन को मंजूरी देने से पहले मामले की संवीक्षा करते हैं, और इस प्रकार फ्लाइ-बाई-नाईट ऑपरेटर्स द्वारा फर्जी प्रतिदाय दावों के लेखापरीक्षा कथन में योग्यता का अभाव है।

हम समझते हैं कि प्रणाली को नियम प्रावधानों के अनुसार बनाया गया है। हालांकि, निर्यातों पर आईटीसी के प्रतिदाय का इरादा यह है कि निर्यात किए गए माल के लिए घरेलू रूप से कर भुगतान निर्यात किए गए माल के अनुपात में होना चाहिए। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों से पता चला कि प्रणाली निर्यात किए गए माल में कर भुगतान से कहीं अधिक प्रतिदाय की अनुमति देती है और जो कानून के इरादे के अनुरूप नहीं है। वर्तमान में भारत के बाहर निर्यात किए गए माल (जिसके लिए प्रतिदाय संभव है) के साथ भारत में बेचे गए माल के कारण (जिसके लिए प्रतिदाय स्वीकार्य नहीं है) शेष अप्रयुक्त आईटीसी को अलग करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम जीएसटीएन के विवाद से सहमत नहीं हैं कि अकेले आरपीओ इस तरीके के फर्जी दावों के प्रति एक प्रभावी जांच है। आईटी प्रणाली को जोखिम को उजागर करने में क्षेत्र अधिकारी की सहायता करने और प्रभावी नियंत्रण बनाने के लिए यथा संभव प्रयास करना चाहिए। इस मामले में, इस तरह के मामलों की पहचान और उन्हें रोकने के लिए आईटी प्रणाली की संभावना को कम उपयोग किया गया है एवं आरपीओ पर सम्पूर्ण जोखिम न्यूनीकरण की जिम्मेदारी डाल दी गई है।

जीएसटी जैसी जटिल प्रणाली में, यह संभव है कि नियम के प्रावधान सभी संभावित परिदृश्यों को कवर न कर सके। जीएसटीएन इस मुद्दे को चिन्हित करने और प्रणाली में पर्याप्त सत्यापन करने के लिए डीओआर/विधि समिति के साथ मामले पर परामर्श कर सकता है। जीएसटीएन ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि इस मामले पर विधि समिति द्वारा विचार किया गया है और जीएसटीएन को अभी तक इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है।

सिफारिश 1: जीएसटीएन निर्यात किए गए माल के टर्नओवर के अनुपात में एल्यूटी के तहत दावा किए गए प्रतिदाय को प्रतिबंधित करने के लिए वैधीकरण को कार्यान्वित कर सकते हैं।

3.7.3.5 अनिवार्य वैधीकरण प्रणाली में नहीं डाला गया (एसईजेड को आपूर्तियों के बीजकों का पृष्ठांकन विवरण अनिवार्य नहीं किया गया था)

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89 के उप-नियम (2) में यह प्रावधान है कि उप-नियम (1) के तहत आवेदन फार्म जीएसटी आरएफडी-01 के अनुलग्नक 1 में किसी भी निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ, जैसा लागू हो, आवेदक के बकाया प्रतिदाय को स्थापित करने के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिये: नामतः (डी) एक सेज इकाई या सेज डेवलपर को किए गए माल की आपूर्ति के मामले में उप नियम (1) के दूसरे प्रावधान में निर्दिष्ट पृष्ठांकन से संबंधित साक्ष्य के साथ नियम 46 में प्रदान किए गए बीजकों की संख्या और तारीख सहित एक विवरण उप-नियम (1) के दूसरे प्रावधान में निर्दिष्ट पृष्ठांकन से संबंधित साक्ष्य और भुगतान का ब्यौरा उसके सबूत सहित, सेज अधिनियम 2005 के तहत परिभाषित के रूप प्राधिकृत परिचालनों के लिए आपूर्तिकर्ता को प्राप्तकर्ता द्वारा बनाया गया, ऐसे मामले जहां एक सेज इकाई या एक सेज डेवलपर को किए गए सेवाओं के आपूर्ति के कारण प्रतिदाय होता है। प्रतिदाय एसआरएस के पैराओं 5.4.6 एवं 5.4.7 के अनुसार, सेज इकाई/सेज डेवलपर को की गई आपूर्ति के कारण प्रतिदाय के मामलों में, आवेदन को अनिवार्य रूप से सेज विवरण शिपिंग बिल/निर्यात बिल/एंडोर्सड बीजक दर्ज करना आवश्यक है। सेज श्रेणी की आपूर्तियों पर प्रतिदाय के मामले में, सेज द्वारा एंडोर्सड बीजक एक सबूत है कि सेज को वास्तव में आपूर्तियां की गई हैं।

हमने देखा कि प्रणाली में करदाता को कर के भुगतान के साथ सेज यूनिट/डेवलपर को किए गए आपूर्तियों के प्रति प्रतिदाय आवेदन दाखिल करते समय सेज (प्रतिदाय आवेदन के विवरण-4 में) द्वारा एंडोर्सड बीजकों का विवरण प्रदान किए बिना प्रतिदाय आवेदन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार, कर के भुगतान के बिना सेज इकाई/डेवलपर को की गई आपूर्तियों के प्रति प्रतिदाय आवेदन को भी प्रतिदाय आवेदन के विवरण-5 में सेज द्वारा एंडोर्सड बीजकों के विवरणों को प्रदान किए बिना दर्ज किया जा सकता है। एस आर एस के प्रावधानों के अनुसार सेज द्वारा एंडोर्सड बीजकों का सत्यापन अनिवार्य था और प्रणाली में कार्यान्वित नहीं किया गया है। एंडोर्सड बीजक के विवरणों का वैधीकरण किए बिना, यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि सेज से निर्यात (जिसके प्रति प्रतिदाय स्वीकृत किया गया है) वास्तव में हुआ है।

जवाब में, जीएसटीएन ने उल्लेख किया (जून 2020) कि आईटी कार्यात्मकता के विकास में अन्य आईटी प्रणालियों के साथ सहज एकीकरण की आवश्यकता होती है, घटक आईटी प्रणालियों की साक्षेप परिपक्वता और तैयारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब कठोर परीक्षण और जांच के बाद भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईजीएटीई) के साथ एकीकरण स्थिर हो गया है इसलिए, आईसीईजीएटीई के माध्यम से सेज एंडोर्सड बीजक डाटा वैधीकरण की प्रक्रिया का कार्यान्वयन करने के लिए हाथ में लिया गया है। जीएसटीएन ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि वे वर्तमान में एकीकरण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए आईसीईजीएटीई/सेज ऑनलाइन के साथ बातचीत कर रहे हैं। जीएसटीएन ने यह भी बताया कि कर अधिकारियों के पास सेज ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंच है, जिसमें प्रतिदाय आवेदन को संसाधित करते समय एंडोर्सड बीजकों को सत्यापित किया जा सकता है।

कर अधिकारियों की सेज ऑनलाइन तक पहुंच और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करना आईटी प्रणाली द्वारा स्वचालित वैधीकरण करने का एक प्रभावी विकल्प नहीं है। जोखिम शामिल होने के कारण सेज के साथ एकीकरण जीएसटीएन के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए थी। तथ्य यह है कि जीएसटी के रोलआउट होने के तीन साल बाद भी और इस तरह के वैधीकरण के लिए

एसआरए में प्रावधान होने के बावजूद, प्रणाली में इस जोखिम को कम करने के लिए सेज प्रणाली के साथ एकीकरण को प्राप्त नहीं किया गया है।

सिफारिश 2: जीएसटीएन सेज ऑनलाइन प्रणाली के साथ जीएसटी पोर्टल के एकीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

3.7.3.6 “विद-होल्ड” कार्यात्मकता अनुरोध का कार्यान्वयन न होना

सीजीएसटी नियम 96(4)(ए) और (5) के अनुसार, भारत के बाहर निर्यात किए गए माल (या सेवाओं) पर एकीकृत कर भुगतान के प्रतिदाय के लिए दावा रोका जाएगा जहां जीएसटी/सीमा-शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए प्रतिदाय के भुगतान को रोकने के लिए जीएसटी के क्षेत्र आयुक्त से ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ है। जहां प्रतिदाय इन प्रावधानों के अनुसार रोका गया है, सीमा शुल्क स्टेशनों पर एकीकृत कर का उचित अधिकारी आवेदक और जीएसटी के क्षेत्र आयुक्त को सूचित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति सामान्य पोर्टल में संचरण करेगा।

हमने देखा कि जीएसटी आयुक्त द्वारा शिपिंग बिलों के “विद होल्ड” के अनुरोध के मुद्दे के लिए कार्यात्मकता कर के भुगतान के साथ निर्यात के प्रतिदाय के मामले में, प्रणाली को विकसित/कार्यान्वित नहीं किया गया था। डीजीएस के साथ पूछताछ करने पर यह भी पुष्टि की गई थी कि रोके हुए मामलों में जीएसटी का कोई इलेक्ट्रॉनिक संचरण नहीं है।

जीएसटीएन ने स्वीकार किया (अप्रैल 2020) कि “विद-होल्ड” कार्यात्मकता को पूर्ण रूप में कार्यान्वित नहीं किया गया है। जीएसटीएन ने सूचित किया कि कार्यात्मकता को रोकने और जारी करने के संबंध में कार्य प्रवाह की विधि समिति में चर्चा चल रही है और फॉर्मों को अधिसूचित किया जाना है। इसके अलावा, जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि चूंकि अभ्युक्ति नीति से संबंधित हैं और आईटी से नहीं, जीएसटीएन लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए नीतिगत मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकता है।

“विद-होल्ड” कार्यात्मकता के अभाव में, निर्यातकों को और अधिक प्रतिदाय की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। हम आईजीएसटी प्रतिदाय को निलंबित करने के लिए सीमा शुल्क बंदरगाहों से सीधे जीएसटी कमिश्नरी को

लिखने के अलावा जोखिम को कम करने के लिए किसी भी वैकल्पिक तंत्र से अनजान है जो कि अक्षम हैं और प्रतिदायों की पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण की दृष्टि के अनुरूप नहीं हैं। “विद-होल्ड” का प्रावधान शुरू से ही कानून में था, और रोलिंग आऊट की आवश्यकता बहुत पहले ही अनुमानित हो जानी चाहिए थी। इस कार्यात्मकता को रोलिंग-आऊट नहीं करने की जिम्मेदारी जीएसटीएन सहित सभी हितधारकों की है।

जीएसटीएन ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि उन्होंने विधि समिति के साथ इस मुद्दे को चिन्हित किया और अभी तक इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है।

सिफारिश 3: जीएसटीएन जल्द ही “विद-होल्ड” को कार्यान्वित करने के लिए व्यापार प्रवाह और आवश्यक फॉर्मों को अंतिम रूप देने के लिए डीओआर के साथ मामले को आगे बढ़ा सकता है।

3.7.3.7 प्रतिदाय के भुगतान में देरी पर ब्याज के लिए कार्यात्मकता को प्रणाली में कार्यान्वित नहीं किया गया था

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 56 में यह प्रावधान है कि यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उप-धारा (5) के तहत कर प्रतिदाय करने का आदेश दिया जाता है, और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है और ऐसी दर पर ब्याज जो छः प्रतिशत से अधिक नहीं है, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति के तुरन्त बाद की तारीख से इस तरह के प्रतिदाय के संबंध में देय होगा। प्रतिदाय के दावे जो कि एक अधिनिर्णयन प्राधिकारी या अपीलिय प्राधिकारी या अपीलीय ट्रिब्यूनल या कोर्ट द्वारा पारित किए गए आदेश से उत्पन्न होते हैं, जो अंतिम रूप से प्राप्त हो चुके हैं, भी इन प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

हमने देखा कि

- प्रतिदाय की देरी से सवीकृति पर देय (स्वचालित/मैनुअल) ब्याज की गणना करने के प्रावधानों को एसआरएस में शामिल करने के लिए नहीं

माना गया और इसके परिणामस्वरूप प्रणाली में कार्यान्वित नहीं किया गया।

- आरएफडी-05 फॉर्म (भुगतान सलाह) में ब्याज क्षेत्र उन मामलों में भी भरना अनिवार्य नहीं है जहां प्रतिदाय आवेदन के बाद से 60 दिन बीत चुके हैं।
- ऐसा कोई क्षेत्र उपलब्ध नहीं है जहां आरपीओ को उन मामलों में ब्याज स्वीकृत नहीं करने के कारण का उल्लेख करना होता है जहां प्रतिदायों को 60 दिनों के बाद स्वीकृत किया गया है।

हमने यह भी देखा कि यदि करदाता को प्रतिदाय भुगतान के साथ ब्याज प्रदान नहीं किया गया है तो ब्याज के लिए आवेदन करने के लिए जीएसटी पोर्टल में कोई प्रावधान नहीं है इसका एक विशिष्ट उदाहरण नीचे दिया गया है।

हमने देखा कि एक को करदाता प्रतिदाय के साथ ब्याज का भुगतान नहीं किया था। वह अपनी शिकायत के निराकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय पहुंचा। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि कॉमन पोर्टल पर ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है जिससे पंजीकृत व्यक्ति देरी से प्रतिदाय पर मुआवजे/ब्याज का दावा करने के लिए आवेदन कर सके। उच्च न्यायालय ने इस विवाद से सहमति व्यक्त की और करदाता को प्रतिदाय के देरी से भुगतान के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जहां प्रतिदाय दावा के भुगतान के समय पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

जवाब में, जीएसटीएन ने जवाब दिया (अप्रैल 2020) कि कर अधिकारी मैनुअली ब्याज की राशि की गणना कर के शामिल कर सकता है। जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि प्रतिदाय की देरी की मंजूरी पर ब्याज की गणना में कई परिदृश्य शामिल हैं जिन्हें असंख्य कारकों के कारण प्रणाली द्वारा कुशलतापूर्वक पकड़ा जाना मुश्किल था। जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि प्रणाली विभिन्न परिदृश्यों में प्रतिदाय पर ब्याज की गणना नहीं कर सकती जैसे अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में करदाता द्वारा अनुपालन, जैसे, एकल आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) के प्रति कई भुगतान आदेश, उचित अधिकारी द्वारा प्रतिदाय पर रोक और उसके बाद जारी करना, करदाता द्वारा

बैंक खाते का अद्यतन न होने के कारण देरी, पीएफएमएस द्वारा निर्धारिती मास्टर सत्यापन प्रक्रिया आदि इसी प्रकार, कुछ बाहरी कारक हैं जो नियंत्रण से बाहर हैं जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, नेटवर्क टूटना, विभिन्न राज्यों के अवकाश कैलेंडरों में अंतर आदि जो प्रतिदाय राशि की मंजूरी में देरी कर सकते हैं। इसलिए इन सभी परिदृश्यों की परिकल्पना करना और ब्याज की स्व-गणना की कार्यक्षमता प्रदान करना व्यवहार्य नहीं होगा।

जीएसटीएन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ज्यादातर मामलों में ब्याज की गणना अपेक्षाकृत सरल हैं। ब्याज गणना सुविधा को कार्यान्वित नहीं करने के लिए अपवाद परिदृश्यों का हवाला देना, हमारे विचार में, प्रक्रिया की प्रभावशीलता और स्वचालन को प्राप्त करने में आईटी की क्षमता का कम उपयोग है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, जीएसटीएन ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि प्रतिदाय की स्वीकृति और भुगतान किए जाने के बीच देरी भी हो सकती है। जीएसटी पोर्टल के बाहर होने के कारण से इस तरह की देरी के लिए ब्याज स्वचालित रूप से गणना करना संभव नहीं होगा। हम जीएसटीएन के विवाद से सहमत नहीं हैं क्योंकि भुगतान चरण में देरी कम अवधि की होने की संभावना है चूंकि यह मुख्य रूप से पीएफएमएस बैंको के साथ एकीकरण से जुड़ी एक स्वचालित प्रक्रिया हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि यह देरी ब्याज की गणना के बाद होगी, इसलिए यह ब्याज की राशि को प्रभावित नहीं करेगा चाहे ब्याज गणना हाथ से या स्वचालित रूप से की गई हैं या नहीं। इसलिए इस कारण का हवाला देते हुए ब्याज की स्वतः गणना का कार्यान्वयन न करने की महत्ता नहीं हैं।

एक आईटी आवेदन का उद्देश्य मैन्युअल प्रक्रियाओं को बिल्कुल दोहराना नहीं है। इसके बजाय, आईटी प्रणाली को जहां कहीं भी संभव हो प्रक्रियाओं की क्षमताओं और स्वचालन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह तत्काल मामले में प्राप्त नहीं किया गया है।

जीएसटीएन ने करदाता के मामले में ब्याज के लिए आवेदन करने के लिए जीएसटी पोर्टल में प्रावधान की कमी के बारे लेखापरीक्षा अभ्युक्ति कि जो देरी

से प्रतिदाय के भुगतान के साथ ब्याज प्रदान नहीं किया गया का जवाब नहीं दिया।

सिफारिश 4: जीएसटीएन प्रतिदाय के देरी से भुगतान पर ब्याज की स्व-गणना की कार्यत्मकता को कार्यान्वित कर सकता है, और करदाता को ब्याज के लिए आवेदन करने के लिए जीएसटी पोर्टल में एक कार्यत्मकता के लिए प्रावधान कर सकता है यदि विभाग द्वारा प्रतिदायों की देरी से मंजूरी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है।

3.7.3.8 राज्य क्षेत्र प्राधिकारी को अन्य अधिसूचित व्यक्तियों (ओएनपी) के आरएफडी 10 का आवंटन न करना

जीएसटी प्रतिदाय मॉड्यूल के लिए एसआरएस का पैरा 6.3 यूएन निकायों/दूतावासों/ओएनपी के लिए प्रतिदाय आवेदन का मुख्य प्रवाह (एमएफ) प्रदान करता है। एसआरएस में प्रावधान है कि ओएनपी द्वारा दाखिल किए गए -आरएफडी-10' को पंजीकरण फॉर्म में आवेदक द्वारा चयनित प्राधिकरण के आधार पर राज्य/केन्द्र को भेजा जाएगा और यूएन निकायो/दूतावासों द्वारा दाखिल किए गए आरएफडी-10 को एपीआई³⁵ के माध्यम से सीबीआईसी को भेजा जाएगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने क्षेत्र प्राधिकार के रूप में "राज्य प्रशासन में अन्य अधिसूचित व्यक्ति" श्रेणी के तहत एक प्रतिरूपी प्रतिदाय आवेदन दाखिल किया। हमने देखा कि आवेदन को प्रतिदाय के लिए राज्य क्षेत्राधिकार के किसी भी अधिकारी को नहीं सौंपा गया था। यह "अद्वितीय पहचान संख्या (यूआईएन) के अन्य अधिसूचित व्यक्ति" के तहत प्रतिदाय आवेदन की कमियां दर्शाता है और यह संभावना है कि आवेदन सौंपा ही न जाए।

जीएसटीएन ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया (जून 2020) और कहा कि "यूआईएन के अन्य अधिसूचित व्यक्ति" की श्रेणी के तहत पंजीकृत बहुत कम है और एआरएन को निर्दिष्ट करने के प्रस्तावित तर्क में सभी राज्यों और सीबीआईसी की पूर्ण बैक एंड प्रणालियों का विकास होगा, जिसके एकीकरण के लिए कई एपीआई की भी आवश्यकता होगी। अन्य महत्वपूर्ण

³⁵ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस

उपयोगी मामलों के विकास और बाद में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित कार्यात्ममता को परिणाम की तुलना में अनुपातहीन प्रयास को ध्यान में रखते हुए कम प्राथमिकता दी गई थी। जीएसटीएन ने कहा (जुलाई 2020) कि लेखापरीक्षा अभियुक्ति को नोट किया गया और इस आशय के लिए एक परिवर्तन अनुरोध (सीआर) किया गया है।

3.7.3.9 पूंजीगत माल के आईटीसी की कटौती के लिए ऑटो-एक्सक्लूजन कार्यत्ममता का अभाव

जीएसटी व्यवस्था में, करदाता तैयार माल में इस्तेमाल होने वाले आगतों पर भुगतान किए गए कर पर टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2(59) के अनुसार, “इनपुट” का अर्थ है कोई भी वस्तु पूंजीगत माल के अलावा जो व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा उपयोग होती है।

मूल विवरणी ड्राफ्ट (जीएसटीआर-3) में, आगत माल, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के संबंध में अलग से लाभ लिए गए आईटीसी को कैचर करने का प्रावधान था। इसने प्रणाली को प्रतिदाय आवेदनों की प्रसंस्करण करते समय पूंजीगत माल को छोड़कर आईटीसी की पहचान करने में सक्षम बनाया होता। हालांकि यह जीएसटीआर-3 को स्थागित रखा गया था और इसके बजाय सरकार ने एक नया सारांश विवरणी अर्थात् जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत किया। जीएसटीआर-3बी के ड्राफ्ट में इनपुट माल, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के आईटीसी के लिए अलग से क्षेत्र नहीं है और इसलिए वर्तमान विवरणी ड्राफ्ट में पूंजीगत माल से आईटीसी को इनपुट माल/सेवाओं से अलग करने का कोई तंत्र नहीं है।

प्रशिक्षण वातावरण में “परिवर्तित कर संरचना” श्रेणी के तहत प्रतिदाय आवेदनों का परीक्षण करते समय, हमने देखा कि निवल आईटीसी का मूल्य उनके विवरणी (जीएसटीआर-3बी) में करदाता द्वारा आईटीसी का मूल्य लेने से ऑटो-पॉपुलेटड होता है। इसमें निवल आईटीसी के मूल्य के विवरणी अवधि के दौरान प्राप्त किए गए पूंजीगत माल (जो प्रतिदाय योग्य नहीं है) के आईटीसी भी शामिल हो सकते हैं। करदाता के पास उपलब्ध कुल आईटीसी से पूंजीगत माल

के आईटीसी की पहचान करने और उन्हें बाहर करने के लिए प्रणाली में कोई कार्यक्षमता उपलब्ध नहीं है। न ही करदाता को प्रतिदाय आवेदन दाखिल करते समय पूंजीगत माल के कारण आईटीसी को बाहर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जिसके कारण अतिरिक्त प्रतिदाय को मंजूरी दी जा सकती है।

बताए जाने पर, जीएसटीएन ने जवाब दिया (मई 2020) कि परिवर्तित शुल्क संरचना (आईडीएस) के कारण प्रतिदाय के मामले में पूंजीगत माल के आईटीसी को हटाने के लिए निर्देश को शामिल करने के लिए सीआर की गई है। जीएसटीएन ने आगे कहा (मई 2020) कि करदाता पूंजीगत माल पर प्राप्त की गई आईटीसी को बाहर करने के लिए नीचे संपादित कर सकते हैं और आरपीओ को मुद्दे के समाधान के लिए प्रतिदाय आवेदन के जीएसटीआर-2ए में आवक बीजको के ऑटो-पोप्यूलेशन तक पहुंच प्राप्त है।

पूंजीगत माल पर आईटीसी को बाहर करने के निर्देश के बजाय प्रतिदाय आवेदन फॉर्म (या प्रस्तावित नये विवरणी फॉर्म में) में अतिरिक्त क्षेत्र बनाए जा सकते हैं, जिसमें करदाता प्रतिदाय के लिए आवेदन करते समय पूंजीगत माल पर आईटीसी को स्पष्ट रूप से घोषित करता है ताकि इसे कुल आईटीसी से बाहर किया जा सके। जवाब में, जीएसटीएन ने कहा कि भले ही पूंजीगत/गैर-पूंजीगत आईटीसी का चिन्ह डाला जाता है जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया है, तो भी प्रणाली करदाताओं द्वारा चुने जा रहे चिन्ह की सत्यता को मान्य नहीं कर पाएगी और फिर यह भी एक स्व-घोषणा होगी जिसका वर्तमान में पालन किया जा रहा है।

कानूनी स्थिति यह है कि पूंजीगत माल पर आईटीसी का प्रतिदाय उपलब्ध नहीं है और इसलिए, पूंजीगत माल से संबंधित आईटीसी को अतिरिक्त प्रतिदाय की गलत मंजूरी के प्रति सुरक्षा के लिए अलग से पहचान योग्य होनी चाहिए। ऐसा क्षेत्र करदाता के लिए जानबूझकर या गलती से प्रतिदायों में पूंजीगत माल पर आईटीसी को शामिल करने के लिए एक बाधा होगी। इसके अलावा, यह आरपीओ को जोखिमों की पहचान करने में आसानी से मद्द करेगा, यदि उस क्षेत्र में असामान्य मूल है (जैसे व्यापार के प्रोफाइल के सापेक्ष पूंजीगत माल के मूल्य पर बहुत कम आईटीसी)। हमने यह भी नोट किया कि बॉड या एल्यूटी

के तहत कर के भुगतान के बिना माल या सेवाओं के निर्यात की प्रतिदाय श्रेणी में समान जोखिम होते हैं।

जीएसटीएन ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव उचित कार्रवाई/निर्देश के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

सिफारिश 5: जीएसटीएन आईडीएस की प्रतिदाय आवेदन तथा कर के भुगतान के बिना माल या सेवा या दोनों के निर्यात में अतिरिक्त क्षेत्रों को बनाने की व्यवहार्यता और प्रतिदाय दावा राशि की गणना के लिए उपयोग किए गए आईटीसी से उसे बाहर करने के लिए पूंजीगत माल से संबंधित करदाता की आईटीसी की घोषणा की समीक्षा कर सकते हैं।

3.7.3.10 पर्याप्त नियंत्रणों/वैधिकरण के अभाव में प्रतिदाय का अतिरिक्त दावा

सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 89(2) (एच) प्रावधान करता है कि प्रतिदाय आवेदन को धारा 54 की उप-धारा (3) के तहत किसी अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय से संबंधित दावे ऐसे मामलों में जहां विवरण 1ए द्वारा संलग्न किए जाएंगे, जहां क्रेडिट उत्पाद आपूर्तियों पर आपूर्तियों की शून्य दर या पूरी तरह छूट के अलावा, कर की दर इनपुटों पर कर की दर से उच्च होने के कारण संचित किया गया है (अर्थात् परिवर्तित कर संरचना) प्रतिदाय आवेदन फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01ए/01 के साथ विवरण 1ए में, करदाता इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवक और जवाब आपूर्तियों की बीजक वार विवरणों को प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार करदाता विवरण-1 में माल और सेवाओं की परिवर्तित दर पर कि गई आपूर्ति की कुल बिक्री का प्रावधान करता है। विवरण-1 में कुल बिक्री विवरण-1ए में बीजकों की कुल बिक्री से कम या बराबर होना चाहिए। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी आपूर्तियों के लिए बीजक का विवरण उपलब्ध है जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है।

हमने देखा कि 69 जीएसटीआईएन ने जावक आपूर्तियों के चालानों के कुल मूल्य की तुलना में विवरण-1 में माल और सेवाओं की आपूर्ति की परिवर्तित दर की कुल बिक्री का मूल्य उच्च घोषित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक की अवधि के लिए अखिल भारतीय आधार

पर विवरण-1ए में प्रदान किया गया था। इन दो तालिकाओं के बीच कुल बिक्री का अन्तर ₹ 652.21 करोड़ था।

जवाब में, जीएसटीएन ने कहा कि (जुलाई 2020) कि परिवर्तित शुल्क संरचना (आईडीएस) प्रतिदाय के मामलों में प्रतिदाय आवेदन के विवरण-1 में कुल बिक्री के लिए सत्यापन जोड़ने के लिए 15 जून 2020 को एक सीआर दी गई है, एक बार अन्य प्राथमिकता वाले सीआर विकसित किए जाने के बाद इसे विकास के लिए लिया जाएगा।

सिफारिश 6: जीएसटीएन विवरण-1ए में प्रदान कि गई संगत प्रविष्टियों के साथ विवरण-1 में आपूर्ति की परिवर्तित दर की कुल बिक्री को सत्यापित करने के लिए प्रणाली में सत्यापन को कार्यान्वित कर सकता है।

3.7.3.11 प्रतिदाय के लिए आवेदन करने के लिए अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता के लिए कार्यात्मकता को कार्यान्वित नहीं किया गया

धारा 76(10) (सीजीएसटी अधिनियम, 2017) में यह प्रावधान है कि जहां कोई अधिशेष उप-धारा (9) के तहत समायोजन के बाद बचता है, तो ऐसे अधिशेष की राशि या तो उपभोक्ता कल्याण फंड (धारा 57 में संदर्भित) में क्रेडिट होगी या व्यक्ति जिसने इस तरह की राशि को वहन किया को प्रतिदाय की जाएगी। जीएसटी प्रतिदाय मॉड्यूल के एसआरएस के अनुसार, अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता के मामले में, अस्थायी लॉगिन बनाने के बाद प्रतिदाय आवेदन लिया जाएगा (फ्रंट ऑफिस मॉड्यूल)। धारणा (एएस-11) प्रदान करता है 'अस्थायी लॉगिन बनाने पर अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिदाय आवेदन दाखिल किया जा सकता है'।

हमने देखा की जीएसटी पोर्टल के सर्विस मॉड्यूल में प्रदान की गई कार्यात्मकता के माध्यम से एक अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता अस्थायी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, इस अस्थायी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड (अर्थात अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता के लिए) के साथ प्रतिदाय आवेदन के लिए कार्यात्मकता को प्रतिदाय मॉड्यूल में प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी कार्यात्मकता के अभाव में, एक अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता अपने प्रतिदाय दावे के लिए आवेदन दाखिल करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा

डाटा के सत्यापन पर यह देखा गया था कि 25 मार्च 2020 तक सिर्फ एक मामले में अस्थायी जीएसटीआईएन कर अधिकारी द्वारा अपंजीकृत व्यक्ति को जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा अभियुक्ति के जवाब में, जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता को प्रतिदाय आवेदन की कार्यात्मकता को उच्च प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई थी। हालांकि, प्रतिदाय व्यवसाय प्रक्रिया अब स्थिर हो गई हैं और अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता को प्रतिदाय का दावा करने की अनुमति देने वाली कार्यात्मकता का विकास शुरू किया गया है।

सिफारिश 7: जीएसटीएन एक समयबद्ध तरीके से अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता की प्रतिदाय आवेदन की कार्यात्मकता को कार्यान्वित कर सकता है।

3.7.3.12 माल के निर्यात पर आईजीएसटी का प्रतिदाय-आईसीईएस आवेदन के साथ एकीकरण

जीएसटी व्यवस्था में निर्यात शून्य रेटेड है। तात्पर्य यह है कि निर्यातक निर्यात पर चुकाए गए कर (आईजीएसटी) के प्रतिदाय या उनके साथ उपलब्ध आईसीईएस का दावा कर सकते हैं। ऐसे दो साधन हैं जिनके साथ ये दोनों प्राप्त किए जाते हैं जिसमें जीएसटी पोर्टल और सीमा शुल्क आईसीईएस के बीच डाटा विनियम शामिल हैं।

आईजीएसटी के भुगतान के साथ माल का निर्यात

निर्यात के लिए आईजीएसटी प्रतिदाय प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2017 से आईसीईएस में परिचालन में हैं। सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 96 के अनुसार, एक निर्यातक द्वारा दाखिल किए गए शिपिंग बिल को भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर चुकाए गए एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन माना जाता है, जब दोनों एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट (ईजीएम) और फॉर्म जीएसटीआर-3 या फार्म जीएसटीआर-3 बी में वैध विवरणी, जैसा भी मामला हो, दाखिल किए जा चुके हैं। इसके अलावा, जीएसटीआर-1 (तालिका-6ए) की सूचना को आईसीईएस एप्लीकेशन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किया जाता है।

दो डाटा स्रोतों (जीएसटीएन और आईसीईएस) के बीच आवश्यक मिलान बीजक स्तर पर किया जाता है और निर्धारित मापदंडों में कोई भी गलत मिलान त्रुटि/प्रतिक्रिया कोडों के साथ विवरणी होता है। यदि मिलान सफलतापूर्वक होता है तो आईसीईएस प्रतिदाय के लिए दावे की प्रक्रिया करता है और प्रत्येक शिपिंग बिल या निर्यात बिल के संबंध में आईजीएसटी के भुगतान की प्रासंगिक राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमा शुल्क कमिश्नरी द्वारा निर्यातक के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाता है।

एलयूटी के तहत माल का निर्यात

यहां निर्यातक निर्यात करते समय आईजीएसटी का भुगतान नहीं करता है। इसके बजाय वह एलयूटी देता है और आईटीसी प्रतिदाय का दावा करता है। दो डाटा स्रोतों (जीएसटीएन और आईसीईएस) के बीच जरूरी मिलान विभिन्न डाटा क्षेत्रों से अन्य मूल्यों सहित बीजक स्तर पर किया जाता है और निर्धारित मापदंडों का कोई भी गलत मिलान त्रुटि/प्रतिक्रिया कोडों के साथ विवरणी होता है। एलयूटी के तहत निर्यात के लिए इनपुटों या इनपुट सेवाओं पर अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय के मामले में, करदाता ऑनलाइन प्रतिदाय आवेदन (आरएफडी-01/01ए) दाखिल करता है जो जीएसटी कमिश्नरियों द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

आईजीएसटी पेड निर्यात बीजकों को आईसीईजीएटीई को प्रेषित करने के लिये मौजूदा प्रणाली

जीएसटी प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए एक खाता आधारित तंत्र का उपयोग करती है कि निर्यात से संचयी देयताएं (तालिका 6ए), सेज को आपूर्ति (तालिका 6बी), निर्यात बीजक (तालिका 9ए) और क्रेडिट/डेबिट नोटों तालिका 9बी और 9सी के संशोधन के कारण देयता में किसी परिवर्तन को पर्याप्त रूप से तालिका 3.1(बी) शून्य रेटेड जावक कर योग्य आपूर्ति के तहत भुगतान किया जाता है। तालिका 6ए से माल में निर्यात से संबंधित बीजकों को आईसीईजीएटीई को प्रेषित किया जाता है यदि आईजीएसटी को अभी तक भरे गए सभी जीएसटीआर 3बी रिटर्न की तालिका 3.1 (बी) के तहत भुगतान किया जाता है तो अभी तक दायर सभी जीएसटीआर-1 को तालिका 6ए/6बी/9बीसी से उत्पन्न होने वाली संचयी देयता या तो बराबर या उससे

अधिक होती है। वैधीकरण की इस प्रक्रिया के तहत, यह संभव है कि या तो जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-3बी को उसी महीने में नहीं दायर किया है लेकिन चालानों को पिछली अवधि के लिए प्रेषित किया जाता है क्योंकि आईजीएसटी भुगतान और देयता के बीच अन्तर अधिक, या बराबर से शून्य है।

हमने जीएसटी पोर्टल और आईसीईएस के बीच एकीकरण का विश्लेषण किया और निम्नलिखित कमियां देखी गई:

3.7.3.12.1 जीएसटी पोर्टल और आईसीईएस के बीच सामंजस्य

निर्यात पर आईजीएसटी के प्रतिदाय के प्रसंस्करण में एपीआई तंत्र के माध्यम से जीएसटी पोर्टल और आईसीईएस के बीच डाटा का प्रसारण करना शामिल है। दो पोर्टलों के बीच एक मजबूत सामंजस्य तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्षित है कि प्रसारण के दौरान डाटा की कोई हानि नहीं हुई है और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छोर से प्राप्त किया गया डाटा पूर्ण एवं सटीक है। एक एपीआई आधारित डाटा विनिमय में, यह बेहतर है कि दो प्रणालियों के बीच की सामंजस्य प्रक्रिया के सहज एकीकरण के लिए सामंजस्य तंत्र भी एपीआई आधारित हो।

हम दोनों एजेसियों के बीच कोई औपचारिक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) दस्तावेज नहीं पा सके, जो स्पष्ट रूप से प्रत्येक दल की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और प्रत्येक पक्ष द्वारा सुनिश्चित किये जाने वाले वैधीकरण को स्पष्टतः निर्दिष्ट करता हो। इसी प्रकार दोनों पोर्टलों के बीच सामंजस्य प्रक्रिया स्थापित करने पर यह सुनिश्चित करने के लिए कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है कि दोनों पोर्टलों के बीच डाटा विनिमय में कोई डाटा अन्तर/हानि या प्रसारण त्रुटियां नहीं हैं।

जीएसटीएन से भी सामंजस्य रिपोर्टों की प्रतियां प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था ताकि हम मौजूदा सामंजस्य तंत्र का सत्यापन कर सकें। जवाब में, जीएसटीएन ने कहा (जुलाई 2020) कि सामंजस्य आईसीईजीएटीई को जीएसटी प्रणाली द्वारा भेजे गए लेन-देनों की गणना पर आधारित है और इसमें वह लेन देन भी शामिल है जो आईसीईजीएटीई मान्य करता है और

जीएसटी प्रणाली को वापस प्रसारित करता है। वर्तमान में एक दैनिक रिपोर्ट, जीएसटी प्रणाली द्वारा उत्पन्न होती है और सभी संबंधित हितधारकों को भेजी जाती है जिसमें आईसीईजीएटीई टीम भी शामिल है। इसी प्रकार, मेटा डाटा पर दोनो टीमों के बीच एक एकसेल आधारित डाटा तुलना की जाती है। इनमें से किसी भी रिपोर्ट या डाटा तुलना पद्धति का विवरण मांगने के बावजूद भी हमारे साथ साझा नहीं किया गया था। इसलिए, हम यह टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है कि सामंजस्य तंत्र प्रभावी है या यह त्रुटियों से मुक्त है।

जीएसटीएन और डीजीएस से उसी महीने के डाटा सेटों की तुलना करके सामंजस्य तंत्र को स्वतंत्र रूप को सत्यापित करने के लिए हमने दोनों एजेंसियों से एक ही महीने के डाटा अनुरोध किया। यद्यपि, जीएसटीएन ने (जुलाई 2020) डाटा प्रदान किया है, लेकिन हमें डीजीएस से ऐसा विश्लेषण करने के लिए वांछित डाटा सेट प्राप्त नहीं हुआ है और इसके अभाव में, हम सामंजस्य तंत्र को सत्यापित नहीं कर सकते हैं।

जीएसटीएन ने आगे कहा (जुलाई 2020) कि जीएसटी प्रणाली और आईसीईजीएटीई के बीच एपीआई आधारित सामंजस्य के लिए एक सीआर पर काम किया जा रहा है। एकबार जब सीआर लागू होता है, तो दैनिक ट्रांजेक्शन लेवल सामंजस्य एपीआई पर किया जाएगा और यदि कोई अन्तर देखा गया तो प्रासंगिक हितधारको को सतर्क किया जाएगा।

हमने नोट किया कि जीएसटी और आईसीईएस पोर्टलों के बीच एपीआई आधारित डाटा विनिमय अक्टूबर 2017 से काम कर रहा है। हालांकि, डाटा विनिमय के लिए एपीआई आधारित सामंजस्य तंत्र को अभी परिचालन किया जाना है।

सिफारिश 8: जीएसटीएन और डीजीएस जीएसटी पोर्टल और आईसीईएस प्रणाली के बीच एपीआई आधारित सामंजस्य को जल्द से जल्द कार्यान्वित कर सकते हैं।

3.7.3.12.2 शुल्क वापसी की उच्च दर वाले शिपिंग बिलों को प्रतिबंधित करने के लिए वैधीकरण का परिनियोजन न करना

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(3)(ii) में यह प्रावधान है कि यदि माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता केन्द्रीय कर पर ड्यूटी ड्राबैक या ऐसी आपूर्तियों पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के प्रतिदाय दावों के संबंध में वापसी की प्राप्ति करते हैं, तो आईटीसी के कोई प्रतिदाय की अनुमति नहीं होगी।

डीजीएस द्वारा साझा किए गए डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि चार सीमा शुल्क बंदरगाहों पर 115 शिपिंग बिलों के प्रति ₹ 1.50 करोड़ की आईजीएसटी प्रतिदाय राशि वितरित की गई थी, जहां वापसी की उच्च दर जुलाई 2017 से फरवरी 2020 की अवधि के दौरान पहले ही अनुमत की गई थी। इसका अर्थ है कि प्रणाली ने प्रतिदाय का दावा करने से शुल्क वापसी की उच्च दर प्रदान करने वाले शिपिंग बिलों को प्रतिबंधित करने के लिए वैधीकरण का परिनियोजन नहीं किया था।

यह मुद्दा दिनांक 18 जून 2020 की लेखापरीक्षा अभियुक्ति के माध्यम से डीजीएस के साथ उठाया गया था, इसके बाद दिनांक 7 जुलाई 2020 को निरीक्षण रिपोर्ट दी गई थी। जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।

सिफारिश 9: डीजीएस प्रतिदाय का दावा करने से शुल्क वापसी की उच्च दर प्रदान करने वाले शिपिंग बिलों को प्रतिबंधित करने के लिए आईसीईएस पोर्टल में वैधीकरण का परिनियोजन कर सकते हैं।

3.7.3.12.3 प्रणाली वैधीकरण के अभाव के कारण आईजीएसटी प्रतिदाय राशि की अधिकता

दिनांक 15 मार्च 2018 के परिपत्र संख्या 37/11/2018 जीएसटी के पैरा 9.1 के अनुसार, प्रतिदाय दावा के प्रसंस्करण के दौरान, जीएसटी बीजक में घोषित किए गए माल का मूल्य और इसी शिपिंग बिल/निर्यात बिल में मूल्य की जांच की जानी चाहिए और दो मूल्यों में से निम्न को प्रतिदाय के तौर पर स्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रतिदाय मॉड्यूल के एसआरएस के पैरा 9.2.6 के व्यवसायक नियम 6(1) में यह भी प्रावधान है कि प्रतिपूर्ति की जाने वाली प्रतिदाय राशि निम्नलिखित दो मूल्यों में से निम्न होगी:

- (i) सीमाशुल्क पर दायर शिपिंग बिल में रिपोर्ट किए गए आईजीएसटी मूल्य और
- (ii) जीएसटी पोर्टल में दायर जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किए गए आईजीएसटी मूल्य

डीजीएस द्वारा जुलाई 2017 से फरवरी 2020 की अवधि के लिए प्रदान किए गए अखिल भारतीय डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि प्रणाली ने 67 शिपिंग बिलों में जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किए गए आईजीएसटी और सीमा शुल्क पर शिपिंग बिलों में रिपोर्ट की गई आईजीएसटी से आईजीएसटी के उच्च मूल्य के संवितरण की अनुमति दी। इस प्रकार, प्रणाली में वैधीकरण के अभाव में ₹ 1.55 करोड़ के बजाय ₹ 2.28 करोड़ के संवितरण की अनुमति दी गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 72.49 लाख का आईजीएसटी का अधिक प्रतिदाय हुआ जो उपर्युक्त मापदंडों का उल्लंघन था। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीमा शुल्क और जीएसटीआर-1 पर शिपिंग बिल में रिपोर्ट की गई आईजीएसटी के बीच उच्च मूल्य के संवितरण के प्रतिबंधित करने के लिए कार्यात्मकता को विकसित/परिनियोजित नहीं किया गया है।

यह मुद्दा दिनांक 18 जून 2020 की लेखापरीक्षा अभियुक्ति के माध्यम से डीजीएस के साथ उठाया गया था, इसके बाद दिनांक 7 जुलाई 2020 को एक निरीक्षण रिपोर्ट दी गई। जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।

सिफारिश 10: डीजीएस जीएसटीआर-1 और सीमा शुल्क पर शिपिंग बिल में रिपोर्ट की गई आईजीएसटी के बीच निम्न मूल्य में संवितरण को प्रतिबंधित करने के लिए कार्यात्मकता को आईसीईएस पोर्टल में परिनियोजित कर सकता है।

3.8 विवरणी मॉड्यूल

3.8.1 विवरणी मॉड्यूल के बारे में

जीएसटी में, करदाताओं को सभी करों अर्थात सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के लिए सामान विवरणी फाइल करना होता है। विवरणी तंत्र की मूल विशेषताओं में, विवरणी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, बीजक स्तरीय जानकारी को अपलोड करना, आपूर्तिकर्ता के रिटर्न से

आईटीसी से संबंधित जानकारी को ऑटो-पोपुलेशन जैसा की प्राप्तकर्ता को, बीजक स्तरीय जानकारी का मिलान और बे-मेल के मामले में आईटीसी का ऑटो-रिवर्सल की परिकल्पना की गई थी। जीएसटी नियमावली के अनुसार, एक करदाता द्वारा आईटीसी का दावा तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आपूर्तिकर्ता द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जाए। यह विवरणी जीएसटीआर-1 (जावक आपूर्ति का विवरण) और जीएसटीआर-2 (आपूर्ति का विवरण) की फाइलिंग के माध्यम से “आपूर्तिकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं” के बीजकों के मिलान के लिए प्रावधानों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है, और ऐसे भी कि करदाताओं द्वारा भरे गए जीएसटीआर-1 एवं 2 पर आधारित मासिक विवरणी जीएसटीआर-3 निवल कर देयता की गणना के आधार पर कर का भुगतान ब्याज और विलंब फीस, यदि कोई हो, के साथ जीएसटीआर-3 में भुगतान किए गए कर के विवरणों को जोड़ने से सुनिश्चित होता है।

हालांकि, जीएसटी लागू होने के शुरुआती चरणों से हो, जीएसटीआर-2 एवं जीएसटीआर-3 रिटर्नों की फाइलिंग को स्थागित रखा गया है और करदाताओं को बिना किसी ऐसे प्रति-सत्यापन के जीएसटीआर-3बी विवरणी में आईटीसी दावे की अनुमति दी गई है। जीएसटीआर-3बी के तहत स्व-निर्धारण के आधार पर करदाता द्वारा आईटीसी का दावा किया जाता है। अतः वैधीकरण के अभाव में, कि आपूर्तिकर्ता द्वारा कर के भुगतान के बाद एक करदाता द्वारा आईटीसी का दावा किया जा रहा है, आईटीसी दावों की सत्यता का सत्यापन करना संभव नहीं है। इसका गंभीर निहितार्थ है क्योंकि करदाता अत्यधिक आईटीसी का दावा कर सकता है। हालांकि, हाल ही में, जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी के दावे को सीमित करके इस मुद्दे को हल करने के प्रयास किए गए जो जीएसटीआर-1 में दाखिल किए गए आपूर्तिकर्ताओं के जावक आपूर्ति विवरणों से बनाया गया है।

इसके अलावा, 31वीं जीएसटी परिषद बैठक (दिसंबर 2018) में, यह निर्णय लिया गया था कि जीएसटी के तहत करदाताओं के लिए जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी के स्थान पर एक नई विवरणी प्रणाली शुरू होगी। कार्यान्वयन की प्रस्तावित तिथि में अनेक परिवर्तनों के बाद, अक्टूबर 2020 से लाना प्रस्ताविक हुए। नये विवरणी फॉर्म एक एकल, सरल और संक्षिप्त विवरणी

फॉर्म की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए थे जो वर्तमान में करदाताओं द्वारा दायर किए जा रहे जटिल प्रकृति के कई विवरणी फॉर्मों की जगह लेंगे। जीएसटी परिषद ने अपनी 42वीं बैठक (अक्टूबर 2020) में, प्रस्तावित नई विवरणी प्रणाली को एक बार में लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इसने वर्तमान परिचित जीएसटीआर-1/3 बी योजना में नई विवरणी प्रणाली की विशेषताओं को संवर्तित रूप से शामिल करने का निर्णय लिया है। नई प्रणाली करदाताओं को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता में सभी स्रोतों अर्थात् घरेलू आपूर्तियां, आयातों और रिवर्स प्रभार पर भुगतान आदि से उपलब्ध आईटीसी देखने देगी। कर के भुगतान के लिए नियत तिथि से पहले, और करदाता एवं उसके सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल किए गए डाटा के माध्यम से विवरणी (जीएसटीआर-3बी) को ऑटो-पोपुलेट करने के लिए प्रणाली सक्षम होगी। नए प्रावधानों को मासिक दायरकर्ता के लिए 1 जनवरी 2021 से और तिमाही दायरकर्ता के लिए 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी करने का प्रावधान होगा। वर्तमान जीएसटीआर-1/3बी की फाइलिंग प्रणाली को 31 मार्च 2021 तक विस्तारित किया गया है और जीएसटीआर-1/3बी प्रणाली को डिफॉल्ट विवरणी फाइलिंग प्रणाली बनाने के लिए जीएसटी कानूनों में संशोधन किया जाएगा।

3.8.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विवरणी मॉड्यूल का आईटी लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि क्या इसे संशोधित किये गए जीएसटी अधिनियम/नियामावली अधिसूचनाओं के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप रोल ऑऊट किया गया था एवं विवरणी मॉड्यूल के अधूरे रॉल ऑऊट करने के कारण जीएसटी इको-प्रणाली में जोखिमों की पहचान करने के लिए किया गया था।

3.8.3 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

3.8.3.1 विवरणी मॉड्यूल पर निष्कर्षों का विहंगावलोकन

हमने वैधीकरणों की कमी के परिणामस्वरूप जीएसटीआर-1,3बी और 4 के अन्तरालों/फाइलिंग न करने, जीएसटीआर-3बी में करदाताओं की ब्याज देयता की स्व-गणना की कमी और एसआरएस की नियमावली की गलत मैपिंग देखी। दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने पर एक पैरा के अलावा जीएसटीएन को विवरणी

मॉड्यूल से संबंधित दस लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की गई थी। इनमें से, 6 को जीएसटीएन द्वारा स्वीकार किया गया और 2 को स्वीकार नहीं किया गया था। शेष दो अभ्युक्तियां में, जीएसटीएन ने सूचित किया कि यह मुद्दा नीति से संबंधित हैं और इसलिए, आगे स्पष्टीकरण के लिए सरकार के साथ इसे उठाया जाएगा।

3.8.3.2 लेखापरीक्षा के लिए जानकारी को प्रस्तुत न करना

प्रथम लेखापरीक्षा उद्देश्य पर आश्वासन के लिए अर्थात् क्या विवरणी मॉड्यूल को मौजूदा कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित किया गया था, हमने जानकारी प्राप्त करने वाली 93 डाटा क्वेरी (दिसंबर 2019 में) जीएसटीएन को क्रियान्वयन के लिये दी। अभी (दिसंबर 2020) तक, केवल 68 डाटा क्वेरी का आउटपुट प्रदान किया गया है, और 25 क्वेरी जीएसटीएन के पास समाधान करने के लिए सात महीनों का पर्याप्त समय होने के बावजूद आउटपुट के लिए अभी भी लंबित है।

जीएसटी इको-प्रणाली में जोखिमों की पहचान करने के द्वितीय लेखापरीक्षा उद्देश्य के संबंध में, हमने जीएसटीएन को 73 डाटा क्वेरी जारी की थीं। जीएसटीएन ने जवाब दिया कि क्वेरी आईटी प्रणाली में नियंत्रण की जांच/वैधीकरण से संबंधित नहीं थी और इसलिए ये आईटी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है। जीएसटीएन ने आगे कहा कि वह संबंधित केंद्रीय/राज्य कर प्रशासनों की ओर से व्यक्तिगत करदाताओं के डाटा को न्यासी क्षमता में धारण किए हुए हैं, और इसलिए डाटा प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। चूंकि जीएसटीएन ने अपेक्षित जानकारी प्रदान नहीं की, इसलिए हम विवरणी मॉड्यूल के अपूर्ण रॉल-आउट के कारण प्रणाली में विद्यमान जोखिमों और कमजोरियों पर आश्वासन प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।

जीएसटीएन ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि वह जल्द ही प्रथम उद्देश्य से संबंधित लंबित डाटा क्वेरी का जवाब प्रदान करेगा। विवरणी मॉड्यूल में जोखिमों का निर्धारण करने के लिए डाटा के प्रस्तुत न करने के लिए जीएसटीएन के कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीएजी को खुद को संतुष्ट करने का अधिकार है कि निर्धारण, संग्रह और राजस्व के उचित आवंटन पर एक प्रभावी जांच प्रणाली को डिजाइन में शामिल किया गया है (सीएजी के कर्तव्यों,

शक्तियां और सेवा की शर्तें (डीपीसी) अधिनियम की धारा 16) इसे करने के लिए, लेखापरीक्षा में, वैधीकरण विफलताओं की जांच करना आवश्यक था, केवल वैधयताओं की विफलता हेतु ही नहीं बल्कि इस तरह की कमजोरियों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए भी। इसलिए, डाटा सारांश का विश्लेषण, मूल रूप से बीजक-मिलान जैसे प्रावधानों की परिकल्पना के बिना जीएसटी इको प्रणाली को डिजाइन करने के संभावित प्रभाव का निर्धारण करने के लिए, अत्यंत महत्व का था।

3.8.3.3 जीएसटीआर-2ए के गलत सृजन के कारण आईटीसी की अनियमित उपलब्धता

सीजीएसटी अधिनियम 2017 (जैसे संशोधित) के प्रावधानों³⁶ और समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं³⁷ के अनुसार, आईटीसी का उपयोग केवल प्राप्तकर्ता करदाता द्वारा किया जाता है, और केवल कर की उस राशि के भुगतान के लिये जो कि जीएसटीआर-2ए (आवक आपूर्तियों का विवरण) में दिखाया गया है तथा उसके अधिकतम 10 प्रतिशत। इसके अलावा, जीएसटीआर-1 में सूचना अपलोड करने के बाद, बीजक में संशोधन करने का प्रावधान³⁸ था।

फॉर्मों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि जब प्राप्तकर्ता के जीएसटीएन को बदलकर बीजक में संशोधन किया गया था, तो दोनो प्राप्तकर्ता अर्थात मूल रूप से उल्लिखित प्राप्तकर्ता, के साथ-साथ संशोधित प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-2ए में बीजक की राशि दिख रही थी। इसके अलावा, बीजक के संशोधन के लिए मूल प्राप्तकर्ता को कोई फ्लैग नहीं दिखाया गया था। इसलिए, आईटीसी को कर के भुगतान के उपयोग के लिए दोनों प्राप्तकर्ताओं के लिए उपलब्ध दिखाया गया था। इसी प्रकार, जब केवल बीजक की राशि को संशोधित किया गया था लेकिन प्राप्तकर्ता वहीं था, यह देखा गया था कि प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-2ए में इसी राशि के साथ मूल और संशोधित दोनो बीजक होते हैं।

³⁶ सीजीएसटी अधिनियम की धारा 39 और धारा 43 ए के साथ पठित धारा 16 (2)

³⁷ दिनांक 09-10-2019 की अधिसूचना संख्या 49/2019-सी.टी, दिनांक 26 दिसंबर 2019 की अधिसूचना सं. 75/2019 द्वारा संशोधित।

³⁸ अधिसूचना 49/2019 और दिनांक: 11/11/2019 के सीबीआईसी परिपत्र संख्या 123/42/2019-जीएसटी साथ पठित सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 36 की शर्तों में

इसी प्रकार, जब एक करदाता ने आगामी कर अवधि में अपने जीएसटीआर-1 में अपनी बीजक विवरणों को संशोधित किया, तो मूल विवरणी भरने के बाद संबंधित प्राप्तकर्ताओं को जीएसटीआर-2ए में संबंधित विवरण सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं हुआ था।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2020), जीएसटीएन ने जोर दिया (जून, जुलाई 2020) कि जीएसटीआर-1/2/3 के अभाव के कारण जीएसटीआर-2ए के निर्माण में समस्याएं आई थी। यह आगे कहा गया है कि जीएसटीआर-2ए को सूचनाओं को एक बकेट के रूप में डिजाइन किया गया था, जो केवल को देखने के उद्देश्यों के लिए, करदाताओं की आवक आपूर्तियों से संबंधित है, चूंकि जीएसटीआर-2 और 3 को स्थागित रखा गया था, और जीएसटीआर-2ए न केवल जीएसटीआर-1 से दायर विवरणों को दर्शाता है बल्कि कुल विवरणों को भी जिन्हे प्रस्तुत किया गया था पर दायर नहीं किया था। यह आगे कहता है कि आईटीसी को केवल स्व-निर्धारण आधार पर दावा किया जाना था और उपलब्ध आईटीसी की राशि को उस राशि के साथ जिन्हें वे अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दावा (जीएसटीआर-3बी में) कर रहे हैं, करदाताओं (जीएसटीआर-2ए में) को पहले ही दर्शाया गया है।

जीएसटीएन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटीआर-2 के अभाव में, जीएसटीआर-2ए आवक आपूर्ति पर सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। करदाताओं, के साथ-साथ कर अधिकारी भी उनके दावों और प्रतिदायों को जारी करने के संदर्भ रिकॉर्ड के रूप में मुख्य रूप से जीएसटीआर-2ए पर भरोसा करते हैं। इस प्रकार, जीएसटीआर-2ए की सत्यता सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, अधिनियम एक ही बीजक पर दो व्यक्तियों द्वारा और एक ही बीजक पर दो बार आईटीसी लेने से प्रतिबंधित करता है। इस संबंध में वैधीकरण के अभाव में फर्जी प्रथाओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जीएसटीएन वास्तव में दोषपूर्ण जीएसटीआर-2ए के परिणामों से अवगत था और उसमें खामियों को दूर करने के लिए सीआर बनाया (अक्टूबर 2018) था। हालांकि सीआर को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

इस प्रकार, जीएसटीएन द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब से और सीआर जो कार्यान्वित नहीं किया गया था, यह स्पष्ट हुआ था कि संशोधित बीजक पर गलत आईटीसी की उपलब्धता को दर्शाने से प्रणाली को रोकने के लिए प्रणाली में अपेक्षित परिवर्तनों को लागू नहीं किया था। लेखापरीक्षा के साथ एग्जिट बैठक (जुलाई 2020) में, जीएसटीएन ने कहा कि दाखिल करने की स्थिति, संशोधन की स्थिति आदि सहित अतिरिक्त सुविधाएं सरकार के अनुमोदन के साथ जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध कराई जाएगी।

सिफारिश 11: चूंकि कर अधिकारियों और करदाताओं को जीएसटीआर-2ए पर भरोसा है, इसलिए जीएसटीएन प्रणाली को अंतर्निहित बीजक डाटा के साथ अद्यतन रखने के लिए जीएसटीआर-2ए के कार्यान्वयन में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं ताकि यह सही तस्वीर को प्रतिबिंब कर सके।

3.8.3.4 टर्नओवर पर वैधीकरण के अभाव में, प्रारंभिक सीमा को पार करने के बाद भी जीएसटीआर-4 को दाखिल करने के संबंध में, कंपोजिशन करदाताओं पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं

सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 6 में कंपोजिशन उद्ग्रहण की वैधता के लिए प्रावधान हैं। यह निर्धारित करता है कि जब व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो धारा 10 में उल्लिखित किसी भी शर्त को पूरा करने से बाधित हो जाता है, उसे उसके बाद की गई प्रत्येक कर योग्य आपूर्ति के लिए कर बीजकों को जारी करना चाहिए, और इस तरह की घटना होने के सात दिनों के अंदर फॉर्म जीएसटी सीएमपी-04 में योजना से आहरण के लिए एक सूचना दाखिल करनी चाहिए। इसके अलावा, जीएसटीआर-4 के एसआरएस³⁹ के अनुसार, विवरणी दाखिल करने के बाद, प्रणाली को पैन स्तर के आधार पर सकल टर्नओवर की जांच करनी चाहिए। यदि टर्नओवर निर्धारित सीमा⁴⁰ से अधिक है, तो डैशबोर्ड के अधिसूचना अनुभाग में करदाता के लिए एक चेतावनी भेजी जा सकती है।

³⁹ एसआरएस- बीआर_एसआरएस_आरईटी_004_16

⁴⁰ शुरुआती सीमा 40 लाख थी, बाद में प्रारंभिक टर्नओवर को दिनांक 03/07/2019 की अधिसूचना संख्या 14/2019 के अनुसार, ₹ 1.5 करोड़ में परिवर्तित कर दिया।

वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-4 को दाखिल करने से संबंधित नमूना-जांचों के दौरान हमने देखा (नमूना परिवेश में) कि करदाता को कोई चेतावनी नहीं भेजी गई थी, जब आपूर्ति का कुल मूल्य किसी भी एकल विवरणी में ₹ 1.5 करोड़ की प्रारंभिक सीमा से अधिक था। इस प्रणाली ने उसी करदाता को 2017-18 की अगली तिमाही के लिए विवरणी दाखिल करने की अनुमति दी, बावजूद इसके कि उनका टर्नओवर पिछली तिमाही में निर्धारित कट-ऑफ सीमा से अधिक था। यह जीएसटी के प्रावधानों और उपर वर्णित एसआरएस का उल्लंघन था।

यह उजागर होने पर (जनवरी 2020) जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि कंपोजिशन योजना की प्रारंभिक सीमा में निरन्तर बदलावों के कारण कार्यात्मकता को कार्यान्वित नहीं किया जा सका, साथ ही विवरणी दाखिल करने की आवृत्ति को 'वार्षिक' में परिवर्तित किए जाने के कारण यह भी कहा कि यह ऐसे परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए सॉफ्टवेयर के विकास चक्र के लिए कठिन हो जाता है। आगे कहा कि एक आईटी कार्यात्मकता के विकास के लिए 'आवश्यक' और 'हो तो अच्छा' विशेषताओं में कार्यात्मकताओं की बकेटिंग अपेक्षित हैं और 'आवश्यक होना' कार्यात्मकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जीएसटीएन का जवाब स्वीकार्य नहीं है चूंकि वार्षिक टर्नओवर, करदाता की श्रेणी पर निर्णय करने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड बनाता है। वैसे तो, कंपोजिशन योजना के तहत करदाता के लिए टर्नओवर 'हो तो अच्छा' के बजाय 'आवश्यक' होना मापदंड के तहत आना चाहिए। इसके अलावा, जीएसटीएन ने 'आवश्यक' होना बकेट में वार्षिक टर्नओवर को श्रेणीकृत नहीं करने के संबंध में लिए गए निर्णय से संबंधित रिकॉर्डों को प्रस्तुत नहीं किया। बाद में, जीएसटीएन ने कहा (जुलाई 2020) कि टर्नओवर, सीमा की जांच करने के लिए कार्यात्मकता और प्रारंभिक सीमा को पार करने पर ऐसे करदाताओं को भेजी जा रही चेतावनी को अगस्त 2020 की समाप्ति तक सीएमपी-08 (तिमाही विवरणी) (पूर्व में जीएसटीआर-4) के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

सिफारिश 12: जीएसटीएन, जीएसटीआर-4 दाखिल करने के समय पर पैन स्तरीय टर्नओवर की जांच करने के लिए प्रणाली में उचित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है, कि पात्र करदाताओं को जीएसटीआर-4 को दाखिल करने के लिए अनुमति मिले।

3.8.3.5 प्रणाली में प्रावधानों के अभाव के कारण अनिवासी करयोग्य व्यक्ति (एनआरटीपी) द्वारा रिवर्स प्रभार तंत्र (आरसीएम) के आधार पर कर का भुगतान न करना

धारा 2(98) के अनुसार 'रिवर्स प्रभार' का अर्थ है आईजीएसटी अधिनियम की धारा 9 और धारा 5 के तहत ऐसे माल या सेवा या दोनों की आपूर्तिकर्ता के बजाय माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर भुगतान की देयता। इसके अलावा, दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017 केन्द्रीय कर (दर) में सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों जिसमें संपूर्ण कर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 तहत उदग्रहय है, को निर्दिष्ट करता है, और ऐसी सेवा/(ओ) के प्राप्तिकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर भुगतान करने की आवश्यकता है, जिसके अनुसार माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) या कानूनी सेवा प्रदाता ऐसी श्रेणी के तहत आते हैं।

नमूना जांचों के दौरान, यह देखा गया था कि जीएसटीआर-5 में, जैसा कि नियम 63 में प्रावधान किया गया है, रिवर्स चार्ज के आधार पर कर भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं है, यदि एक एनआरटीपी ने उन सेवाओं का लाभ उठाया है, जिसमें केवल रिवर्स चार्ज के आधार पर भुगतान योग्य कर को आकर्षित किया है। जीएसटीएन से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी कि क्या रिवर्स चार्ज तंत्र पर कर का भुगतान जैसा कि ऐसी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए एनआरटीपी के लिए लागू होता है, प्रणाली में उपलब्ध है या नहीं; और क्या जीएसटीआर-1 दाखिल करते समय जीटीए या कानूनी सेवा प्रदाताओं आदि को रिवर्स चार्ज आधार पर भुगतान योग्य जावक आपूर्तियां (तालिका-4बी) घोषित करने की अनुमति एनआरटीपी को दी गई है या नहीं। जवाब में, जीएसटीएन ने कहा कि अधिसूचित फॉर्म जीएसटीआर-5 में ऐसे कोई प्रावधान अधिसूचित नहीं है, तथा जीएसटीआर-1 की तालिका-4बी (रिवर्स चार्ज के आधार पर आकर्षित कर रही आपूर्तियां) में प्रणाली एनआरटीपी के

जीएसटीआईएन को स्वीकार नहीं करती है। इसका अर्थ है कि रिवर्स चार्ज आधार पर प्राप्त की गई सेवाओं के लिए जीएसटी भुगतान का एक एनआरटीपी के लिए प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं है और न ही एनआरटीपी की ओर से सेवा प्रदाताओं को फॉरवर्ड चार्ज के रूप में जीएसटी का भुगतान करने का कोई प्रावधान है। फॉर्म जीएसटीआर-5 में इस कमी से मौजूदा प्रणाली के तहत राजस्व के नुकसान का जोखिम है, जैसे की अभी की में जीएसटी की देनदारी न तो एनआरटीपी के साथ है न ही सेवा प्रदाता के साथ।

यह उजागर होने पर, जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि रिवर्स चार्ज को आकर्षित कर रही आपूर्तियों का पता लगाने के लिए जीएसटीआर-5 में कोई तालिका नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रणाली को अधिसूचित फॉर्म के अनुसार डिजाइन किया गया है, आईटी प्रक्रिया और कानून के बीच कोई अंतराल नहीं है और सुझाव दिया कि सरकार के संबंधित विभाग से टिप्पणियां प्राप्त की जा सकती हैं।

जीएसटीएन का जवाब कि आईटी प्रक्रिया और कानून के बीच कोई अंतराल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, चूंकि अधिनियम के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को फॉर्म जीएसटीआर-5 में मैप नहीं किया गया है और प्रणाली में इस श्रेणी में संव्यवहारों के लिए सरकार को राजस्व हानि के साथ कर का भुगतान न करने के जोखिम को वहन करता है। बाद में, जीएसटीएन ने कहा (जुलाई 2020) कि इस लेखापरीक्षा अभियुक्ति को उचित कार्रवाई के लिए सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

सिफारिश 13: डीओआर जीएसटीआर-5 में जरूरी परिवर्तन कर सकता है और परिणामस्वरूप आईटी प्रणाली में जो एनआरटीपी को आरसीएम आधार पर उनकी कर देयता का निर्वहन करने के लिए सक्षम बनाता है उन आपूर्तियों के संबंध में जिनमें केवल आरसीएम के आधार पर कर के भुगतान की आवश्यकता होती है।

3.8.3.6 एसआरएस को नियम से गलत मैपिंग ने प्रासंगिक करदाताओं द्वारा जीएसटीआर 1-में एचएसएन⁴¹ विवरणों को घोषित करने के मापदंड को कमजोर किया

जावक आपूर्ति के विवरण को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 37 के साथ पठित सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 59(1) के अनुसार फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रासंगिक करदाताओं द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, उक्त विवरणी को दायर करने के लिए निर्देशों (जीएसटीआर-1 की क्रम.सं. 17) के अनुसार यह एचएसएन कोड रिपोर्ट करना अनिवार्य है: (i) 2 अंक स्तर पर, पूर्ववर्ती वर्ष में करदाता जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹ 1.50 करोड़ से ऊपर लेकिन, ₹ 5.00 करोड़ तक है और (ii) 4-अंक स्तर पर, पूर्ववर्ती वर्ष में करदाता जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹ 5.00 करोड़ से अधिक है। कर बीजक में एचएसएन विवरण प्रदान करने के लिए एक ऐसा ही प्रावधान दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017 केन्द्रीय कर द्वारा अधिसूचित किया गया था।

नमूना जांच के दौरान, हमने देखा कि प्रणाली ने एक निर्दिष्ट टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए यह अनिवार्य नहीं किया है कि वे संबंधित एचएसएन विवरणों को भरें। इसके लिए लेखापरीक्षा प्रश्न के जवाब में, कि प्रणाली, उपर्युक्त उल्लिखित नियम के अनुपालन के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक टर्नओवर का जांच करती है या नहीं, जीएसटीएन ने कहा कि इस समय टर्नओवर की जांच की आवश्यकता नहीं है। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जीएसटीआर-1 की तालिका-12 में एचएसएन विवरण भरने की बाध्यता पिछले वर्ष के टर्नओवर पर निर्भर है। इस प्रकार, प्रणाली में पर्याप्त वैधीकरण का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उचित एचएसएन विवरणों को न भरने का जोखिम है, जो उन करदाताओं के लिए अनिवार्य है जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक टर्नओवर ₹ 1.50 करोड़ से ऊपर था।

इस पर प्रकाश डाले जाने पर (जून 2020), जीएसटीएन ने कहा कि टर्नओवर आधारित एचएसएन जांच का कार्यान्वयन मुश्किल है और संभव नहीं हो

⁴¹ एचएसएन कोड का अर्थ है-हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेक्लचर' इस प्रणाली को पूरी दुनिया में माल के व्यवस्थित वर्गीकरण के लिए शुरू किया गया है। एचएसएन कोड 8 अंकों का एकसमान कोड है जो 5000+उत्पादों को वर्गीकृत करता है और दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है।

सकता क्योंकि टर्नओवर गतिशील है और विभिन्न संशोधनों के कारण अगले वित्तीय वर्ष के सितम्बर विवरणी तक पिछली वर्ष की समाप्ति के बाद भी बदल सकता है। इसके अलावा, एचएसएन घोषणा पर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू नहीं किया गया है क्योंकि करदाताओं की बहुसंख्या राज्य वैट से प्रवासित हुई है, और एचएसएन से परिचित नहीं है। जीएसटीएन ने बाद में कहा (जुलाई 2020) कि एचएसएन कोड वैधीकरण सरकार की अनुमति के साथ विकसित और कार्यान्वित किया जाएगा।

अधिनियम/नियम/अधिसूचना के प्रावधानों के प्रकाश में जिसमें कहा गया है कि एचएसएन विवरण अनिवार्य है जीएसटीएन का पहले वाला जवाब तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा, भले ही प्रणाली में एचएसएन भरने लगाने का प्रावधान हो, लेकिन यह संबंधित करदाताओं के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। फिर से, जैसा कि करदाता से उस विवरणी को भरते समय अपने टर्नओवर को निर्धारित करने की उम्मीद है, यह माना जाता है कि प्रणाली भी ऐसा करने में सक्षम होगी। इसके अलावा, न तो टर्नओवर की गतिशील प्रकृति, न ही करदाताओं द्वारा प्रावधान की अनदेखी, कानून के प्रावधान को कार्यान्वित नहीं करने के लिए एक वैध आधार है।

सिफारिश 14: जीएसटीएन, प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वैधीकरण को शामिल कर सकता है, जो यह बताते हैं कि उनके पिछले वर्ष के टर्नओवर के आधार पर, निर्दिष्ट करदाताओं के लिए एचएसएन की जानकारी देना अनिवार्य है।

3.8.3.7 प्रणाली के माध्यम से वास्तविक ब्याज देयता की गणना न करना और उसके भुगतान को लागू न करना

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 50(1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप कर भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन निर्धारित अवधि में सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में असफल होता है, उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसके किसी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, अपने स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो अठारह प्रतिशत से

अधिक नहीं होगी, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

विवरणी माँड्यूल की आईटी लेखापरीक्षा के दौरान जीएसटीएन से एक स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या जीएसटीआर-3बी में 'ब्याज' की स्व गणना की जाती है और क्या जीएसटीआर-3बी को 'ब्याज' के भुगतान के बिना, केवल कर भुगतान द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, भले ही ब्याज दायित्व हो। जवाब में जीएसटीएन ने कहा कि ब्याज देयता की जीएसटीआर-3बी में स्व-गणना नहीं है और ब्याज का भुगतान स्व-घोषणा के आधार पर होता है। इस प्रकार, प्रणाली करदाता को ब्याज देयता का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करता है, जिससे ब्याज देयता की गलत गणना साथ ही ब्याज का कम/भुगतान ही नहीं होने का जोखिम बना रहता है।

इस पर प्रकाश डाले जाने पर (जून 2020) जीएसटीएन ने कहा कि जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी विवरणीस आदि की फाइलिंग करने की आवृत्ति में अंतर के कारण, साथ ही विभिन्न शर्तों एवं निहितार्थों के कारण, जीएसटीआर-3बी में ब्याज की स्व- गणना को कार्यान्वित करना मुश्किल है। जीएसटीएन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ब्याज की स्व-गणना मूल रूप से जीएसटीआर-1 के एसआरएस के अनुसार परिकल्पित की गई थी, लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि जीएसटीआर-1 की फाइलिंग को अनुक्रमिक नहीं बनाया गया और जीएसटीआर-3बी के साथ जोड़ा नहीं गया था। जीएसटीएन ने यह भी कहा कि विधि समिति ने, दिनांक 20 अप्रैल 2018 की अपनी बैठक में, कहा कि जीएसटीआर-3बी का मौजूदा डिजाइन ब्याज की स्व-गणना की अनुमति नहीं देता है। बाद में, जीएसटीएन ने सूचित (जुलाई 2020) किया कि एक बार जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी जुड़ जाते हैं तो ब्याज की स्व-गणना का प्रयास किया जाएगा।

सिफारिश 15: जीएसटीएन ब्याज की स्व-गणना के लिए प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है और करदाताओं द्वारा वास्तविक ब्याज देयता के भुगतान करने को बाध्य कर सकता है।

टीआरएएन-1 और टीआरएएन-2 डाटा के आधार पर प्रणाली में देखी गई कमियां

लेखापरीक्षा के दौरान, विरासत संपदा आईटीसी को जीएसटी व्यवस्था में आगे ले जाने वाले प्रावधानों से संबंधित वैधीकरण की जांच के लिए अपवाद डाटा क्वेरीज़ को जारी किया गया था। हालांकि, जीएसटीएन के अनुरोध पर, हमने जीएसटीएन द्वारा साझा की गई 100 जीएसटीआईएन की सूची में से 10 जीएसटीआईएन के एक नमूने के लिए पूर्ण ट्रांजिशनल क्रेडिट डाटा मांगा। इसके अलावा, अन्य 10 जीएसटीआईएन से संबंधित डाटा को विस्तृत सत्यापन के लिए मांगा गया था। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित हैं:

3.8.3.8 अयोग्य करदाता को टीआरएएन-2 के तहत लाभ लेने की अनुमति

सीजीएसटी नियम 117(4)(ए)(i), सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 की उप-धारा(3) के अनुसार फॉर्म टीआरएएन-2 को एक विक्रेता/व्यापारी (लेकिन एक विनिर्माता या सेवा प्रदाता नहीं) के द्वारा भरा किया जा सकता है, जो जीएसटी व्यवस्था में पंजीकृत है, लेकिन पूर्व जीएसटी व्यवस्था के तहत अपंजीकृत थे। ऐसा विक्रेता, जिसके पास 30 जून 2017 को उसके द्वारा धारित भण्डार के लिए वैट या उत्पाद शुल्क बीजक नहीं है, उसके द्वारा धारित भण्डार के कर क्रेडिट का दावा करने के लिए टीआरएएन-2 फॉर्म का उपयोग कर सकता है। टीआरएएन-2 को प्रत्येक महीने की समाप्ति पर एक विक्रेता या व्यापारी द्वारा आईटीसी का दावा करने के लिए विवरणों के साथ भरा जाना होता है, जब भण्डार बिक जाता है।

लेखापरीक्षा के साथ साझा किए गए डाटा के विश्लेषण से पता चला कि सभी बीस करदाता माइग्रेटेड करदाता थे, जो पूर्व जीएसटी व्यवस्था में या तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर या राज्य वैट में पंजीकृत थे, और इस प्रकार टीआरएएन-2 के तहत लाभ लेने के लिए अयोग्य थे। इसके अलावा, इन 20 करदाताओं में से 10 ने अनेक पंजीकरण किए हुए थे। यह पाया गया था कि 17 करदाताओं ने ₹ 51.77 करोड़ के कुल कर मूल्य के साथ फॉर्म टीआरएएन-1 की भाग 7बी की तालिका 7(ए)⁴² और तालिका 7(डी)⁴³ में मर्दे

⁴² तालिका 7 (क) तालिका 5 (क) (धारा 140 (3), 140 (4) (ख), 140 (6) और 140 (7) के तहत क्रेडिट दावों को छोड़कर क्रेडिट के रूप में इनपुट दावों पर शुल्क और करों की राशि से संबंधित है और भाग 7 बी उन मामलों से संबंधित है जहां शुल्क का भुगतान किए गए बीजक उपलब्ध नहीं है (केवल विनिर्माता या सेवा प्रदाता के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए लागू)।

घोषित की और बाद में, धारित भण्डार पर आईटीसी को आगे ले जाने के लिए फॉर्म टीआरएएन-2 में लाभ ले लिया, जहां शुल्क के भुगतान का सबूत उपलब्ध नहीं था। इन करदाताओं ने 1571 संव्यवहारों के तहत ₹ 1.51 करोड़ के मूल्य के ऐसे मदों पर आईटीसी का लाभ लिया और उसे उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता आईटीसीएलडीजी में क्रेडिट किया गया था।

यह ऊपर उल्लिखित सीजीएसटी अधिनियम और नियमावली 2017 के प्रावधान का उल्लंघन करता है। जीएसटीएन का जवाब प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020) है।

3.8.3.9 टीआरएएन-2 में अयोग्य मदों के संबंध में आईटीसी का लाभ लिया

सीजीएसटी नियम 117 (4) के अनुसार, एक करदाता नियत दिन पर भण्डार में रखे माल और फॉर्म टीआरएएन-1 में घोषित किये गये पर इनपुट कर क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। वह ऐसे माल पर कोई आईटीसी नहीं ले सकता है जो उसमें घोषित नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में केवल ऐसे एचएसएन लाइन मदों को आईटीसी का लाभ लेने के लिए टीआरएएन-2 में जोड़ सकते हैं, जो पहले प्रस्तुत किए गए टीआरएएन-1 के भाग 7बी तालिका 7(ए) और तालिका 7(डी) में घोषित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा के साथ साझा किए गए डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि कुल 468 अलग-अलग एचएसएन में से, जिसके लिए आईटीसी को टीआरएएन-2 के रूप में 17 जीएसटीआईएन द्वारा लाभ उठाया गया था, दो मामलों में, एचएसएन को फॉर्म टीआरएएन-1 में घोषित नहीं किया गया था। हालांकि, प्रणाली ने टीआरएएन-1 में अघोषित मदों पर क्रेडिट लेने के लिए करदाता को अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, एक मामले में, फॉर्म टीआरएएन-1 में विवरणों की घोषणा उसी मद के लिए फॉर्म टीआरएएन-2 की शुरूआती मदों से असंगत थी। इस तरह प्रणाली ने करदाता को टीआरएएन-1 की घोषणाओं के आधार पर योग्यता के अनुसार फार्म टीआरएएन-2 की मदों पर आईटीसी लेने से प्रतिबंधित नहीं किया। इसके अलावा, 1108 मामलों में फॉर्म टीआरएएन-1 और फॉर्म टीआरएएन-2 में माप की इकाइयां असंगत थी। जीएसटीएन का जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

⁴³ तालिका 7 (घ) उन माल के भण्डार से संबंधित है जो कर के भुगतान के बीजको/दस्तावेजों के सबूत द्वारा समर्थित नहीं है।

3.8.3.10 कानून के अनुसार कर की दर की वैधता के बिना टीआरएएन-2 में क्रेडिट को अनुमति दी

सीजीएसटी नियम 117(4)(ए)(ii) के अनुसार, फॉर्म टीआरएएन-2 में अग्रेषित मदों पर इनपुट कर क्रेडिट “ऐसे माल पर साठ प्रतिशत की दर पर अनुमति दी जाएगी जो केन्द्रीय कर को नौ प्रतिशत या उसके अधिक और केन्द्रीय कर की अन्य माल के चालीस प्रतिशत की दर से, नियत तारीख के बाद ऐसे माल पर लागू, आकर्षित करता है और ऐसी आपूर्ति पर भुगतान योग्य केन्द्रीय कर के भुगतान के बाद क्रेडिट किया जाएगा”। आईजीएसटी के रूप में कर भुगतान के मामले में, क्रेडिट की दर क्रमशः 30 और 20 प्रतिशत होगी।

जीएसटीएन द्वारा प्रदान किए गए डाटा के विश्लेषण से पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही के लिए फॉर्म टीआरएएन-2 से अग्रेषित क्रेडिट, उपर उल्लिखित नियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं था। कुल 17 जीएसटीआईएन में से 5 जीएसटीआईएन के मामले में विसंगति पाई गई थी जिसके बारे में डाटा प्रदान किया गया था। 1571 ट्रांजेक्शनल रिकॉर्डों में यह देखा गया था कि 110 मामलों में कर का 40 प्रतिशत से अधिक भुगतान आईटीसी के लिए लागू था, इसके बावजूद कि केन्द्रीय कर की दर के अनुसार, कर के भुगतान की राशि 9 प्रतिशत से कम है। जीएसटीएन का जवाब प्रतीक्षित था (दिसंम्बर 2020)।

3.9 ई-वे बिल सिस्टम

3.9.1 ईडब्ल्यूबी के विषय में

ईलेक्ट्रॉनिक वे बिल (या ईडब्ल्यूबी) जीएसटी व्यवस्था के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के प्रत्येक प्रेषण या संचालन के लिए ईलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न किया गया बिल या अहितीय दस्तावेज है। जब ईडब्ल्यूबी उत्पन्न होता है तो एक अद्वितीय ईडब्ल्यूबी संख्या आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता और परिवहनकर्ता को उपलब्ध कराई जाती है। ईडब्ल्यूबी, वे बिल की जगह लेता है जो एक भौतिक दस्तावेज था, और प्रत्येक राज्यों में अलग-अलग माल की आवाजाही के लिए वैट व्यवस्था के दौरान मौजूद था। ईडब्ल्यूबी प्रणाली को 1 अप्रैल 2018 से माल की अन्तर-राज्य आवाजाही के लिए देश भर में शुरू

किया गया था जबकि राज्यों को अन्तरा-राज्य आपूर्तियों के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए 3 जून 2018 तक की कोई तारीख चुनने का विकल्प दिया गया था। बाद में, सभी राज्यों ने अन्तरा-राज्य आपूर्ति के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली को अधिसूचित किया, अंतिम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, जहां ईडब्ल्यूबी प्रणाली को 16 जून 2018 से शुरू किया गया था। यद्यपि जीएसटी ईको प्रणाली का हिस्सा और जीएसटीएन के नियंत्रणाधीन, ईडब्ल्यूबी के लिए आईटी पोर्टल को एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है।

3.9.2 ईडब्ल्यूबी के वैधानिक प्रावधान

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 68 सरकार को किसी वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा ले जाए जाने वाले दस्तावेजों या उपकरणों और ऐसे दस्तावेजों की वैधीकरण की पद्धति निर्धारित करने का अधिकार है। यह धारा निर्दिष्ट कर अधिकारियों को ऐसे वाहनों या माल की आवाजाही का निरीक्षण करने का भी अधिकार देता है। इस धारा के आधार पर, सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 138 के तहत विस्तृत प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

यह नियम शुरूआती तौर पर यह निर्धारित करता था कि जब तक जीएसटी परिषद द्वारा ईडब्ल्यूबी प्रणाली विकसित और अनुमोदित नहीं की जाती तब तक सरकार अधिसूचना द्वारा उन दस्तावेजों को निर्दिष्ट कर सकती हैं जो पारगमन में किसी भी माल को ले जाने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति को ले जाने चाहिए। ईडब्ल्यूबी के लिए विस्तृत प्रावधान (अगस्त 2017) नियम 138 में संशोधन करके और सीजीएसटी नियमावली 2017 में 138ए से 138डी तक नए नियमों को शामिल करके जारी किए गए थे। इसके बाद, ईडब्ल्यूबी को दिनांक 7 मार्च 2018 की अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2018 से माल के अन्तर-राज्य आवाजाही के लिए शुरू किया गया था। ईडब्ल्यूबी प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद दिसम्बर 2018 में सीजीएसटी नियमावली 2017 में नियम 138ई को शामिल किया गया था। ईडब्ल्यूबी के दो भाग हैं भाग-ए और भाग-बी। भाग ए में आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता, उत्पाद और बीजक का विवरण शामिल है। भाग-बी में ट्रांसपोर्टर और वाहन संख्या का विवरण शामिल है।

3.9.3 ईडब्ल्यूबी के उद्देश्य

ईडब्ल्यूबी के परिकल्पित उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- i. सेल्फ-सर्विस मोड में सम्पूर्ण देश के लिए माल के अन्तर-राज्य और अन्तरा-राज्य के लिए एकल एवं एकीकृत ईडब्ल्यूबी
- ii. सभी राज्यों में माल की निर्बाध आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पेपरलेस और पूरी तरह से ऑनलाइन प्रणाली को सक्षम करना।
- iii. पूरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए तीव्र परिवर्तन काल के साथ सेवा वितरण में सुधार करना और डाटा/सेवाओं के लिए किसी भी समय कहीं भी पहुंच प्रदान करना।
- iv. देश भर में अंतर-राज्य चेक पोस्टों को समाप्त कर माल की बाधा मुक्त आवाजाही को सुगम करना

3.9.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

ईडब्ल्यूबी प्रणाली की आईटी लेखापरीक्षा यह सतयापित करने के लिए की गई

- (क) क्या ईडब्ल्यूबी प्रणाली की कार्यात्मकता को परिकल्पित रूप में डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है,
- (ख) क्या प्रौद्योगिकी समाधान, अवसंरचना, प्रलेखन और सुरक्षा के संदर्भ में मजबूत है, और
- (ग) क्या ईडब्ल्यूबी पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल है।

3.9.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

एनआईसी, बेंगलुरु द्वारा विकसित ईडब्ल्यूबी प्रणाली ने कर्नाटक राज्य में प्रचलन में ई-सुगम अनुप्रयोग⁴⁴ की महत्वपूर्ण विशेषताओं का लाभ उठाया है। वर्तमान में, ईडब्ल्यूबी प्रणाली, दैनिक आधार पर उत्पन्न ईडब्ल्यूबी की बढ़ती मात्रा का प्रभावी रूप से समर्थन कर रही है। एनआईसी ने एक अनुप्रयोग

⁴⁴ ई-सुगम पूर्व जीएसटी वैट व्यवस्था में कर्नाटक के भीतर और कर्नाटक के अन्दर एवं बाहर माल जिसका मूल्य निर्धारित सीमा से ऊपर था की आवाजाही के लिए कर्नाटक राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा तय की गई एक प्रक्रिया थी, यह प्रणाली पारगमन दस्तावेज के आधार पर कार्य करती है जिसमें माल का परिवहन करने वाले विक्रेता या विक्रेता द्वारा ऑनलाइन उत्पन्न एक अद्वितीय संख्या ली जाती है। इस प्रकार प्राप्त किए गए अद्वितीय संख्या को चैक पोस्ट पर पहुंचने पर पोस्ट अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना था।

विकसित किया है ईडब्ल्यू प्रणाली में विभिन्न उन्नयनों और विशेषता का संवर्द्धन परिनियोजित किया है।

ईडब्ल्यूबी प्रणाली की पूरी क्षमता को प्राप्त करने और परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वास्तविक समय पर वस्तुओं की भौतिक आवाजाही को ट्रैक करने के लिए परिकल्पित आरएफआईडी प्रणाली का कार्यान्वयन आवश्यक है। हालांकि, आरएफआईडी प्रणाली का कार्यान्वयन नहीं हुआ है। माल की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए आरएफआईडी प्रणाली के कार्यान्वयन में लगातार हो रही देरी से ईडब्ल्यूबी प्रणाली की उपयोगिता कम हो रही है।

हमने जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा के एक हिस्से के रूप में ईडब्ल्यूबी प्रणाली से संबंधित 18 मुद्दों पर लेखापरीक्षा अभियुक्तियां जारी की। इनमें से, 10 अभियुक्तियों को स्वीकार किया गया और आठ अभियुक्तियों को स्वीकार नहीं किया गया। ईडब्ल्यूबी की आईटी लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अभियुक्तियों को अग्रगामी पैराग्राफ में दिया गया है:

3.9.5.1 ईडब्ल्यूबी का निरस्तीकरण

जीएसटी नियमावली के नियम 138 (12) में यह परिकल्पना की गई है कि यदि ईडब्ल्यूबी का प्राप्तकर्ता सामान्य पोर्टल पर या माल की डिलीवरी के समय, जो भी पहले हो; उपलब्ध कराए जा रहे विवरण के 72 घंटे के अंदर स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि व्यक्ति ने उक्त विवरण स्वीकार कर लिया है।

हालांकि, बिहार और कर्नाटक राज्यों के लिए जुलाई 2019 से सितंबर 2019 की तिमाही के लिए ईडब्ल्यूबी के सत्यापन पर, यह देखा गया कि:

क) कुल 1988 निरस्त मामलों में से (दोनों राज्यों के लिए) 281 मामलों में 72 घंटे की समाप्ति के बाद ईडब्ल्यूबी की अस्वीकृति की अनुमति नियमों के उल्लंघन में दी गई थी।

ख) 72 घंटे से कम की लघु वैधता अवधि वाले ईडब्ल्यूबी को निरस्त करना ईडब्ल्यूबी की वैधता तक सीमित नहीं था। डाटा सेट (केवल कर्नाटक के लिए) में ऐसे 155 मामले थे जहां ईडब्ल्यूबी की वैधता तिथि के बाद ईडब्ल्यूबी को निरस्त करने की अनुमति दी गई थी। सभी ईडब्ल्यूबी के

लिए 72 घंटे का एक समान सत्यापन नियम प्रदान करने से (72 घंटे से कम वैधता वाला और 72 घंटे से अधिक वैधता वाले) प्रणाली में वस्तुओं के अवैध आवागमन का संभावित जोखिम बढ़ता है।

जवाब में, एनआईसी (जुलाई 2020), ने कहा कि निर्धारित 72 घंटे के बाद ईडब्ल्यूबी की अस्वीकृति ब्राउज़र के कुछ संस्करणों में उपयोगकर्ता द्वारा स्क्रीन मैनीपुलेशन के कारण था और इस मुद्दे को 5 जून 2020 से हल किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनआईसी ने कहा कि "72 घंटों के अंदर निरस्तीकरण या माल की सुपूर्दगी के समय पर जो भी पहले हो" के नियम में परिवर्तन बाद के स्तर पर लागू किया गया था और इसलिए वैधता को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, तथ्य यह है कि अप्रैल 2018 में ईडब्ल्यूबी प्रणाली के कार्यान्वयन से पहले नियम 138 (12) में संशोधन किया गया था। जीएसटीएन ने बाद में कहा (जुलाई 2020) कि उपर्युक्त मामले (ख) का समाधान कर दिया गया है।

3.9.5.2 सेज को या द्वारा आपूर्ति

आईजीएसटी अधिनियम की धारा 7 अंतर-राज्यीय आपूर्ति की प्रकृति को परिभाषित करती है। धारा 7 की उप-धारा (5) के खंड (ख) में कहा गया है कि कोई भी आपूर्ति "किसी सेज डेवलपर या सेज इकाई को या द्वारा" अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई माल या सेवाओं की आपूर्ति या माना जाएगा। इसके साथ-साथ धारा 8 की उप-धारा (1) के परंतुक (i) में कहा गया है कि सेज डेवलपर या सेज इकाई को अथवा उसके द्वारा माल की आपूर्ति को अंतर-राज्य आपूर्ति नहीं माना जाएगा। ईडब्ल्यूबी मॉड्यूल के एसआरएस भी व्यापार नियम (पैरा 4.8.5) को यह कहते हुए वर्णित करते हैं कि "यदि पार्टी में से एक सेज इकाई है, तो आईजीएसटी कर और मूल्यों को पारित करना होगा"।

ईडब्ल्यूबी प्रणाली के फ्रंट-एंड के सत्यापन से ज्ञात हुआ कि सेज उपयोगकर्ताओं (सेज इकाइयों और सेज डेवलपर्स दोनों) को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में लेनदेन को इंगित करने के लिए सेज डेवलपर्स और इकाइयों को या उनसे लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए निर्यात/आयात के विकल्प का उपयोग करना होगा। हालांकि, प्रणाली उपयोगकर्ताओं को सेज डेवलपर्स और इकाइयों द्वारा

या उनको माल की आपूर्ति का चयन अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में करने से नहीं रोकता है। कर्नाटक राज्य के लिए जुलाई से सितंबर 2019 की तिमाही हेतु ईडब्ल्यूबी डाटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 318 मामलों में, उपयोगकर्ताओं ने आईजीएसटी के स्थान पर सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंतर्गत कर के साथ अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में सेज डेवलपर्स द्वारा या उनको माल की आपूर्ति रिकॉर्ड की है।

जीएसटीएन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा (जुलाई 2020) कि आपूर्ति, निर्यात और आयात लेनदेन के लिए प्रणाली में सेज इकाइयों के लिए सत्यापन मौजूद थे। सेज डेवलपर्स के लिए सत्यापन को उनकी स्थिति की अनुपलब्धता के कारण शामिल नहीं किया जा सका, जिसे अब 5 अप्रैल 2020 से लागू किया गया है।

उत्तर केवल लेखापरीक्षा तर्क की पुष्टि करता है। सेज उपयोगकर्ताओं की पहचान आईजीएसटी मूल्यों के लिए तब की जाती है जब वे केवल निर्यात कोड (999999) के साथ निर्यात/आयात विकल्प या केवल आपूर्ति विकल्प का उपयोग करते हैं। सेज इकाइयों और सेज डेवलपर्स के पिन कोड का उपयोग करके सीजीएसटी/एसजीएसटी मूल्यों के साथ अंतर-राज्य आपूर्ति रिकॉर्ड करने से सेज उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित करने के लिए सिस्टम में कोई वैधीकरण नहीं है। जुलाई से सितंबर 2019 (कर्नाटक राज्य के लिए) की तिमाही के लिए 10 सेज इकाइयों के नमूने की जांच से ज्ञात हुआ कि तीन सेज इकाइयों के लिए 22 रिकॉर्ड मौजूद हैं जहां आपूर्ति को आईजीएसटी के बजाय सीजीएसटी/एसजीएसटी रिकॉर्ड करके अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना गया है, जो नियमों के अनुरूप नहीं है।

सिफारिश 16: जीएसटीएन सीजीएसटी/एसजीएसटी मूल्यों के साथ अंतर-राज्य आपूर्ति रिकॉर्ड करने से सेज उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित करने के लिए एक कार्यात्मकता लागू करें।

3.9.5.3 ईडब्ल्यूबी का विस्तार

जीएसटी नियमावली के नियम 138(10) के दूसरे परंतुक में कहा गया है कि 'जहां, ट्रांस-शिपमेंट सहित असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों में, माल को ईडब्ल्यूबी की वैधता अवधि के अंदर नहीं ले जाया जा सकता है, वहां, यदि

आवश्यकता है तो, ट्रांसपोर्टर फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग बी में विवरण अद्यतित करने के बाद वैधता अवधि का विस्तार कर सकता है। इसी नियम का तीसरा परंतुक बताता है कि 'यह भी प्रावधान किया गया है कि ईडब्ल्यूबी की वैधता इसकी समाप्ति के समय से आठ घंटे के अंदर बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, नियम 138(10) के अंतर्गत स्पष्टीकरण (1) में कहा गया है कि वैधता की अवधि उस समय से मानी जाएगी जिस पर ईडब्ल्यूबी सृजित किया गया है और प्रत्येक दिन को ईडब्ल्यूबी के उत्पादन की तारीख के तुरंत बाद दिन की आधी रात को समाप्त होने वाली अवधि के रूप में गिना जाएगा।

ईडब्ल्यूबी (9,21,880 रिकॉर्ड) के विस्तार सहित बिहार और कर्नाटक राज्यों के लिए जुलाई 2019 से सितंबर 2019 की तिमाही के लिए ईडब्ल्यूबी डाटा के सत्यापन से ज्ञात हुआ कि:

- क) 14064 मामले (केवल बिहार में), ईडब्ल्यूबी का विस्तार इसकी वैधता समाप्त होने के 24 घंटे बाद किया गया है।
- ख) 11647 मामले (बिहार और कर्नाटक दोनों के लिए), ईडब्ल्यूबी की अवधि समाप्त होने से आठ घंटे पहले ईडब्ल्यूबी का विस्तार किया गया है, जो यह दर्शाता है कि ईडब्ल्यूबी प्रणाली में वैधीकरण को शामिल नहीं किया गया था।

जीएसटीएन ने उत्तर में कहा (जुलाई 2020) कि क) ईडब्ल्यूबी के वैधता समय को वैधता तिथि के 23:59:59 घंटे के रूप में पढ़ना होगा, और सभी मामले उस समय से निर्धारित आठ घंटे की सीमा के भीतर हैं; और ख) ईडब्ल्यूबी की समाप्ति से आठ घंटे पहले विस्तार ब्राउज़र के माध्यम से अनुरोध में हेरफेर करने वाले उपयोगकर्ताओं के कारण हुआ। जीएसटीएन ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को 31 जुलाई 2020 से पहले हल किया जाएगा और लेखापरीक्षा को जांच रिपोर्ट प्रदान की जाएगी।

सिफारिश 17: जीएसटीएन यह सुनिश्चित करें कि सिस्टम में दर्ज किये गये वैधता समय वास्तविक वैधता समय को दर्शाते हैं।

3.9.5.4 पिन कोड के आधार पर दूरी का स्वचालित आकलन

अप्रैल 2019 में लागू ईडब्ल्यूबी प्रणाली के संवर्द्धन में, जीएसटीएन ने ईडब्ल्यूबी के सृजन के लिए पिन कोड के आधार पर दूरी का स्वतः आकलन शुरू किया। कार्यान्वयन विवरण के अनुसार, "ईडब्ल्यूबी प्रणाली आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के पत्तों के बीच अनुमानित चालित दूरी का आकलन करेगा और इसे दर्शाएगा। उपयोगकर्ता को माल की आवाजाही के अनुसार वास्तविक दूरी दर्ज करने की अनुमति है। हालांकि, यह दर्शाई गई स्वतः संगणित दूरी की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक तक सीमित हो जाएगा।"

हालांकि, जुलाई-सितंबर 2019 की तिमाही के लिए बिहार और कर्नाटक के लिए ईडब्ल्यूबी डाटा के सत्यापन पर, यह देखा गया कि:

क) प्रणाली ने दूरी के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। उदाहरणतः 32 मामलों में, यह देखा गया है कि दर्ज की गई दूरी अवास्तविक रूप से 3500 कि.मी. से अधिक थी, जबकि आपूर्ति की जगह और प्राप्ति की जगह दोनों कर्नाटक राज्य में थे।

ख) 524 मामलों (कर्नाटक से संबंधित 407 मामले और बिहार से संबंधित 117 मामले) में, हालांकि आपूर्ति की जगह और प्राप्ति की जगह अलग-अलग राज्यों में हैं और एक सीमा साझा नहीं कर रहे हैं, वहां, दर्ज की गई दूरी 10 किमी से कम थी। इसके अतिरिक्त, ईडब्ल्यूबी प्रणाली के फ्रंट-एंड की जांच में यह भी पुष्टि की गई कि प्रणाली निचले हिस्से में अवास्तविक दूरी दर्ज करने को प्रतिबंधित नहीं करता है।

जीएसटीएन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा (जुलाई 2020) कि i) डाक विभाग से नियमित रूप से प्राप्त पिन मास्टर को विभाग द्वारा कुछ महीनों में एक बार समेकित किया जाता है, जिसके कारण नए पिन कोड के लिए पिन से पिन दूरी उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे मामलों में, उपयोगकर्ताओं को अपने व्यवसाय में बाधा डाले बिना, 4000 कि.मी. से कम दूरी दर्ज करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन ने कहा कि विभाग के अधिकारियों के लिए ऐसे ईडब्ल्यूबी की जांच करने के लिए एक एमआईएस रिपोर्ट तैयार की जा रही है; और ii) दो अलग-अलग राज्यों के लिए 10 कि.मी. से कम की दूरी का कोई

जोखिम प्रभाव नहीं होता क्योंकि कम दूरी ईडब्ल्यूबी की कम वैधता तिथि दर्शाती है और माल को कम समय में स्थानांतरित करना होता है।

उत्तर पिन मास्टर के आवधिक अद्यतन में अंतर्निहित खामी को इंगित करता है, जो पिन कोड के आधार पर दूरी की स्वतः संगणना की कार्यात्मकता को कम कर रहा है। असाधारण अधिक दूरी दर्ज करने वाले उपयोगकर्ता (जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया है) लंबी वैधता के साथ ईडब्ल्यूबी सृजित करने और कई यात्राओं के लिए एक ही ईडब्ल्यूबी का उपयोग करने के जोखिम से भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन का यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है, कि 10 किलोमीटर से कम दूरी के लिए ईडब्ल्यूबी में कोई जोखिम नहीं है क्योंकि ऐसी अवास्तविक दूरी वाले ईडब्ल्यूबी का तात्पर्य यह हो सकता है कि उपयोगकर्ता संभवतः वास्तव में उनका परिवहन किए बिना माल की आवाजाही के अनुप्रमाणन के लिए एक रिकॉर्ड/दस्तावेज़ बना रहे हैं।

सिफारिश 18: जीएसटीएन अद्यतन के लिए एक परिभाषित आवधिकता के साथ पिन मास्टर अद्यतन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करें। जीएसटीएन उपयोगकर्ताओं को अंतर-राज्य परिवहन के लिए असाधारण रूप से अधिक दूरी दर्ज करने से प्रतिबंधित करने के लिए एक *कार्यात्मकता* को लागू करने पर विचार करें। जीएसटीएन उच्चतर स्तर पर दूरी रिकॉर्ड करने के लिए वैधीकरण के समान प्रणाली संगणित दूरी की तुलना में निचले हिस्से पर रिकॉर्डिंग दूरी को सीमित करने के लिए एक कार्यप्रणाली को लागू करने पर विचार करें।

3.9.5.5 परिवहन का बहुवाहन स्वरूप

सीजीएसटी नियमावली के नियम 55 (5) के साथ पठित नियम 138 (5) बैच या लौट में माल के परिवहन की अनुमति देता है और फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग बी में विवरण तदनुसार अद्यतित किया जाना चाहिए जब माल एक वाहन से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है। एसआरएस के पैरा 4.12 में यह भी परिकल्पित है कि ईडब्ल्यूबी प्रणाली उपयोगकर्ताओं अर्थात् आपूर्तिकर्ताओं और ट्रांसपोर्टरों को परिवहन के बहुवाहन स्वरूप का विकल्प प्रदान करती है। प्रक्रिया के अनुसार, यदि उपयोगकर्ता गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए परिवहन के एक से अधिक स्वरूप में माल को भेजना चाहता है तो वे परिवहन के बहुवाहन स्वरूप का उपयोग कर सकते हैं। इस

विकल्प का उपयोग करके, उपयोगकर्ता परिवहन के बहु-स्वरूप का चयन कर सकते हैं, आवश्यकता के आधार पर मात्रा को विभाजित कर सकता है और वाहन विवरण अद्यतित कर सकते हैं। इस विकल्प का उपयोग करते समय, स्थानांतरित किए जाने वाले माल की मात्रा ईडब्ल्यूबी के अनुसार मूल मात्रा से अधिक नहीं हो सकती।

जुलाई-सितंबर 2019 की तिमाही के लिए बिहार और कर्नाटक के प्रणाली के फ्रंट-एंड और ईडब्ल्यूबी डाटा के सत्यापन ने बहु-स्वरूप परिवहन विकल्प में निम्नलिखित मुद्दों को इंगित किया:

क) ईडब्ल्यूबी सृजित करते समय एक बार दर्ज की गई मात्रा परिवर्तनों के लिए तब प्रतिसंवेदी हैं जब वाहन विवरण को बहु-स्वरूप विकल्प के साथ ईडब्ल्यूबी में अद्यतित किया जाए। 2212 मामलों में, बहु वाहन स्वरूप के अनुसार कुल मात्रा ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित कुल मात्रा से जब यह मूल रूप से सृजित हुई थी अधिक थी।

ख) वाहन अद्यतन प्रक्रिया के दौरान मूल ईडब्ल्यूबी में निर्दिष्ट माप की इकाई अर्थात बैग, बॉक्स आदि को भी स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है। 39750 मामलों में, ईडब्ल्यूबी को बहु वाहन स्वरूप में अद्यतित करते समय उल्लिखित माप की इकाई समान नहीं है जैसा कि ईडब्ल्यूबी जब यह मूल रूप से सृजित हुई थी तब में उल्लिखित किया है।

इस प्रकार, प्रणाली कुल मात्रा और माप की इकाई के लिए दर्ज मूल्यों की आंतरिक निरंतरता सुनिश्चित नहीं कर रही थी, जिससे संभावित धोखाधड़ी व्यवहार के जोखिम के लिए प्रणाली में संभावना बनी रहती है। जीएसटीएन ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि पॉलिसी अनुभाग के साथ चर्चा के आधार पर इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा।

सिफारिश 19: बहु-स्वरूप विकल्प के साथ ईडब्ल्यूबी को अद्यतित करते समय कुल मात्रा और माप की इकाई के लिए दर्ज मूल्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण शीघ्रता से लागू किए जाने की आवश्यकता है।

3.9.5.6 रेल द्वारा परिवहन

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 138 (2ए) में यह निर्धारित किया गया है कि रेल द्वारा माल के परिवहन के मामले में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग बी में जानकारी प्रस्तुत करने के बाद ईडब्ल्यूबी सृजित किया जाएगा। एसआरएस (ईडब्ल्यूबी सृजन) के पैरा 4.8 में आगे यह परिकल्पना की गई है कि जब परिवहन का साधन रेलवे है, तो उपयोगकर्ता के लिए ईडब्ल्यूबी सृजित करने के लिए रेलवे रसीद (आरआर) नंबर और तिथि दर्ज करना अनिवार्य है, और "सबमिट" बटन पर क्लिक करने पर, सिस्टम को आरआर नंबर की जांच प्रणाली द्वारा करनी चाहिए। एक वैध आरआर नंबर नौ अंकों की संख्या होती है जो रेलवे द्वारा तब प्रदान की जाती है जब एक ट्रांसपोर्टर रेल कार्गो बुक करता है।

सितम्बर 2019 माह के लिए कर्नाटक राज्य के ईडब्ल्यूबी डाटा के सत्यापन पर, यह पाया गया कि 18 मामलों में आरआर नंबर सृजित ईडब्ल्यूबी में दर्ज नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 23,024 रिकॉर्ड में से 19,104 (83 प्रतिशत) में 9 अंकों के प्रारूप में आरआर नंबर दर्ज नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, फ्रंट-एंड के एक परीक्षण ने दर्शाया कि ईडब्ल्यूबी सिस्टम आरआर नंबर के रूप में किसी भी मूल्य की अनुमति देता है। जीएसटीएन रेलवे के साथ आरआर नंबर के प्रारूप की जांच के बाद उपयुक्त वैधीकरण को शामिल करने के लिए सहमत हुआ (जुलाई 2020)।

सिफारिश 20: जीएसटीएन उपयोगकर्ताओं को अनियमित रेलवे रसीद नंबर दर्ज करने से रोकने के लिए एक कार्यात्मकता को शामिल करें जहां परिवहन में रेल द्वारा आवागमन शामिल है।

3.9.5.7 विभागीय अधिकारियों के लिए एमआईएस रिपोर्ट

ईडब्ल्यूबी प्रणाली के अधिकारी मॉड्यूल में ईडब्ल्यूबी के सत्यापन, करदाताओं, ट्रांसपोर्टरों, उत्पादों और सेवाओं पर खोज की सुविधा के लिए कार्यात्मकता शामिल हैं। इसमें विभिन्न रिपोर्टें शामिल हैं जो वस्तुओं, जीएसटीआईएन, वाहन संख्या आदि के आधार पर निरीक्षण के लिए नीतिगत स्थानों जैसे पहलुओं पर डाटा चालित विश्लेषण के साथ विभागीय अधिकारियों की सहायता

करती हैं। महत्वपूर्ण डाटा बिंदुओं और बाह्य स्थितियों पर विविध रिपोर्टें हैं, जो माल की अनियमित आवाजाही और कर चोरी का पता लगाने के लिए लक्षित दृष्टिकोण के साथ अधिकारियों की कार्यात्मक क्षमता को संभावित रूप से बढ़ा सकती हैं।

दिसंबर 2019 तक, 19,809 उपयोगकर्ताओं ने अधिकारी मॉड्यूल में पंजीकरण कराया है। हालांकि, जानकारी के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि एप्लीकेशन बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं की जा रही थी। दिसंबर 2019 के दौरान, कुल उपयोगकर्ताओं में से केवल 5 प्रतिशत दैनिक रूप से (अर्थात् महीने के 20 दिनों से अधिक के लिए एमआईएस रिपोर्ट का उपयोग करने वाले अधिकारी) एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे थे। कुछ राज्यों में उपयोग की प्रतिशतता शून्य प्रतिशत से लेकर (उदाहरणतः दिल्ली एनसीटी, जहां 140 उपयोगकर्ता पंजीकृत थे) कर्नाटक में अधिकतम 25 प्रतिशत तक थी।

जीएसटीएन ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि ईडब्ल्यूबी सिस्टम में राज्य और केंद्रीय विभागों के सभी अधिकारियों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की गई एमआईएस रिपोर्ट है और इन प्राधिकरणों को इन रिपोर्टों का व्यापक उपयोग करने की सूचना दी जाएगी।

सिफारिश 21: जीएसटीएन नियमित रूप से अधिकारी मॉड्यूल के उपयोग की स्थिति/सीमा कर विभागों के संज्ञान में लाएं। कर विभाग/जीएसटीएन भी अधिकारी मॉड्यूल के उपयोग में कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करें।

3.9.5.8 ईडब्ल्यूबी की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

जुलाई से सितंबर 2019 की तिमाही के लिए कर्नाटक राज्य से संबंधित ईडब्ल्यूबी डाटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से विशेष रूप से ईडब्ल्यूबी की अस्वीकृति, रद्दीकरण और विस्तार के संबंध में, ईडब्ल्यूबी के सृजन में कुछ उच्च जोखिम पैटर्न और भिन्नता का पता चला, जिसकी विभाग द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है।

ईडब्ल्यूबी की अस्वीकृति:

- i. 13 उपयोगकर्ताओं के लिए (प्राप्तकर्ता के रूप में), उन्हें आपूर्ति किए गए ईडब्ल्यूबी के 50 प्रतिशत से अधिक को अस्वीकृत के रूप में दर्शाया गया है।
- ii. दो उपयोगकर्ताओं के पास आपूर्ति का 90 प्रतिशत से अधिक ईडब्ल्यूबी है, जिसे अस्वीकृत माना गया।
- iii. 8 उपयोगकर्ताओं (आपूर्तिकर्ता के रूप में) के मामले में, सृजित 50 प्रतिशत से अधिक ईडब्ल्यूबी को अस्वीकार कर दिया गया है।

ईडब्ल्यूबी को रद्द करना:

- i. 128 उपयोगकर्ताओं (आपूर्तिकर्ता के रूप में) के लिए, सृजित 50 प्रतिशत से अधिक ईडब्ल्यूबी को रद्द दर्शाया गया है।
- ii. नौ उपयोगकर्ताओं के 90 प्रतिशत से अधिक ईडब्ल्यूबी रद्द पाये गये हैं।
- iii. 226 उपयोगकर्ताओं (प्राप्तकर्ता के रूप में) के मामले में, प्राप्तकर्ता के रूप में उनके प्रति सृजित 50 प्रतिशत से अधिक ईडब्ल्यूबी को रद्द दर्शाया गया है।
- iv. 20 उपयोगकर्ताओं के लिए, प्राप्तकर्ता के रूप में उनके प्रति सृजित 90 प्रतिशत से अधिक ईडब्ल्यूबी को रद्द दर्शाया गया है।

ईडब्ल्यूबी का विस्तार:

192 उपयोगकर्ताओं के लिए (ईडब्ल्यूबी सृजनकर्ता के रूप में), सृजित ईडब्ल्यूबी के 50 प्रतिशत से अधिक को पारगमन में विस्तारित दिखाया गया था, जिनमें से 14 उपयोगकर्ताओं के संबंध में, उनके 90 प्रतिशत से अधिक सृजित ईडब्ल्यूबी विस्तारित किए गए थे।

इस तरह के उच्च जोखिम वाले पैटर्न की आगे की कार्रवाई के लिए विभाग द्वारा उचित के रूप में विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जीएसटीएन ने अपनी प्रतिक्रिया (जुलाई 2020) में कहा कि इन पैटर्न पर नई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

सिफारिश 22: जीएसटीएन ईडब्ल्यूबी प्रणाली की प्रभावी निगरानी और निरीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए विवेकपूर्ण पैटर्न की प्रकृति में विश्लेषणात्मक रिपोर्ट लागू करें।

3.9.5.9 आपदा राहत (डीआर) प्रबंधन

डीआर प्रबंधन योजना की समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि एनआईसी ने एक कार्यात्मक डीआर पर्यावरण को प्रक्रियात्मक रूप नहीं दिया है। प्राथमिक साइट को प्रभावित करने वाली आपदा की स्थिति में, सिस्टम को आउटेज का सामना करना पड़ेगा और एक गैर-कार्यात्मक डीआर सेटअप के साथ, ईडब्ल्यूबी सिस्टम को वापस ऑनलाइन लाने के लिए आवश्यक समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, दस्तावेज की जांच से ज्ञात हुआ है कि यह डीआर प्रक्रिया के दौरान उठाये जाने वाले कदमों का वर्णन नहीं करता है। यदि आवश्यकता हो तो ईडब्ल्यूबी प्रणाली के डीआर साइट को सक्रिय करने के लिए दस्तावेज़ ने न तो कार्रवाई और न ही इस संबंध में उनके क्रमांक को सूचीबद्ध किया। मुद्दे-वार वृद्धि मैट्रिक्स और संपर्क विवरण ने विभिन्न शहरों में फैले कई संगठनों को इंगित किया है जिन्हें किसी आपदा की स्थिति में एक साथ काम करने की आवश्यकता होगी। कार्रवाई मदों और समन्वय के तरीके का ब्यौरा दिए बिना, यह स्पष्ट नहीं है कि डीआर योजना का अपने वर्तमान रूप में अभीष्ट उपयोग कैसे होगा।

जीएसटीएन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा (जुलाई 2020) कि ईडब्ल्यूबी सिस्टम की डीआर साइट अगस्त 2019 में एनआईसी-हैदराबाद में स्थापित की गई थी और यह पूरी आधारभूत अवसंरचना, एप्लीकेशन और डाटा के साथ परिचालन के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन ने ईडब्ल्यूबी प्रणाली की एक संशोधित बीसीपी और डीआर योजना की सूचना दी (जुलाई 2020)।

हालांकि, तथ्य यह है कि भले ही ईडब्ल्यूबी सिस्टम दो वर्षों से चल रहा है, तथापि, सिस्टम में अभी भी एक कार्यात्मक डीआर स्थापित किया जाना है। कार्यात्मकता आयाम से अंतर्निहित जोखिम संभावना के अतिरिक्त, डीआर सेट-अप के लिए अगस्त 2019 से निर्धारित प्रौद्योगिकी आधारभूत अवसंरचना में

उस अवधि के लिए एक सतत अवसर लागत है जब तक समर्पित आधारभूत अवसंरचना को एक कार्यात्मक डीआर सेट-अप में उपयोग करने के लिए स्थापित नहीं किया जाता। डीआर सेट-अप के लिए एनआईसी द्वारा साझा की गई हार्डवेयर विशिष्टताओं के आधार पर एनआईसीएसआई क्लाउड सर्विस वेबसाइट (<https://cloud.nicsi.nic.in>) में कॉस्ट कैलकुलेटर का प्रयोग करके अनुमानित लागत ₹ 14.30 लाख प्रति माह तक आंकी गई है।

सिफारिश 23: जीएसटीएन यह सुनिश्चित करें कि अपेक्षित प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं ताकि डीआर सेट-अप को कार्यात्मक बनाया जा सके।

3.10 अन्य मामले

3.10.1 घटना प्रबंधन प्रक्रिया (आईएमपी) की निगरानी

एक घटना कोई भी वृत्तांत है जो किसी सेवा के मानक संचालन का हिस्सा नहीं है और जो सेवाओं की गुणवत्ता में रुकावट या गिरावट का कारण बनती है, या हो सकता है। जीएसटीएन का घटनाओं को वर्गीकृत करने का एक तरीका है जो घटना की गंभीरता पर आधारित है जो एक सीमा है, जिस तक खामी सॉफ्टवेयर को प्रभावित कर सकती है। तदनुसार, तीन स्तर हैं जैसे, गंभीरता 1 (गंभीर व्यावसायिक प्रभाव), गंभीरता 2 (अधिक व्यावसायिक प्रभाव) और गंभीरता 3 (न्यूनतम व्यावसायिक प्रभाव)।

3.10.1.1 समाधान प्रदान करने में देरी

गंभीरता के वर्गीकरण के आधार पर, घटना को निर्धारित प्रतिक्रिया अवधि के अंदर शुरू किया जाना चाहिए और प्रक्रिया दस्तावेज में उल्लिखित निर्धारित समाधान अवधि के अंदर सेवा फिर से शुरू की जानी चाहिए। हमने पाया कि 17 उच्च प्राथमिकता (पी1) घटनाओं में से 14 में, समाधान समय (60 मिनट) निर्दिष्ट समय से अधिक था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका संख्या 3.2: घटना समाधान अवधि

गंभीरता	प्रकृति	समाधान समय	घटनाओं की कुल संख्या	निर्धारित समाधान समय से अधिक समय लेने वाले घटनाओं की संख्या
I	अत्यधिक व्यावसायिक प्रभाव	60 मिनट	17	14

जीएसटीएन ने कहा (अगस्त 2020) कि हालांकि, जीएसटी प्रणाली में किसी घटना का अंतिम परिणाम/प्रभाव एक जैसा या समान हो सकता है फिर भी घटनाओं का मूल कारण आमतौर पर अलग होता है। इसलिए, प्रणाली की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, किसी सेवा को बहाल करने के लिए सेवा स्तर समझौते (एसएलए) के अंतर्गत निर्धारित से अधिक समय लगता है। एसएलए अनुपालन को प्रमाणित करने के लिए, जीएसटीएन और एमएसपी ने एक ही मूल कारण वाली घटना की पुनरावृत्ति को कम करने और सेवा की बहाली के लिए समय-सीमा में सुधार करने के लिए प्रणाली की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने में सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है। जीएसटीएन ने इस संबंध में अग्रलिखित कार्रवाइयों का विवरण दिया:

- संदर्भ के लिए आसान बनाने और बहाली के समय को कम करने के लिए घटना/मूल कारण/समाधान के ज्ञान भंडार का डिजिटलीकरण और अद्यतन पहला। सेट मई 2020 से प्रभावी रूप से चालू किया गया है और इसे निरंतर आधार पर किया जा रहा है।
- आवर्ती मुद्दों को खत्म करने और प्रणाली लचीलेपन में सुधार के लिए निष्पादन इष्टतमीकरण को बढ़ाने के लिए डिजाइन/कोड स्तर सुधार। इसे जून 2020 से प्रचालनात्मक रूप से प्रभावी बनाया गया है और यह निरंतर आधार पर किया जा रहा है।
- समरूपता और भार से संबंधित मुद्दों को खत्म करने के लिए आधारभूत अवसंरचना लेयर और नेटवर्क लेयर पर पूर्ण क्षमता संवर्धन। इसे 18 जून 2020 और 7 जुलाई 2020 को पूरा किया गया है।

जीएसटीएन ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं, जहां मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) या तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता पर निर्भरता शामिल है या जिसके लिए यंत्र/उपकरण प्रतिस्थापन/उन्नयन की आवश्यकता होती है, में एसएलए के अंतर्गत निर्धारित समय से अधिक समय लग सकता है क्योंकि यह जीएसटीएन और एमएसपी के उचित नियंत्रण से परे है।

सिफारिश 24: जीएसटीएन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घटनाओं का समाधान घटना प्रबंधन प्रक्रिया में निर्धारित समय सीमा के अनुसार किया गया हो।

3.10.2 लाइसेंस प्रबंधन

जीएसटीएन के लाइसेंस प्रबंधन प्रक्रिया (एलएमपी) दस्तावेज के अनुसार, लाइसेंस प्रबंधन शुरू से अंत तक खरीदे गए लाइसेंस के हर पहलू का प्रबंधन और पता लगाने की क्षमता है, और इसमें प्रमुख प्रक्रिया क्षेत्र अर्थात् लाइसेंस का नाम, ओईएम का नाम, खरीदे गए/तैनात/अतिरिक्त लाइसेंस की संख्या और इसकी वैधता, लाइसेंस का मीट्रिक, आवधिक समीक्षा आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि लाइसेंस तैनाती व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार की जाएगी। एस्सेट मैनेजर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस (एसक्यूए) और एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट (एआईएस) टीम उपयोगकर्ता होंगी और एलएमपी के लिए जिम्मेदार होंगी। वे समय-समय पर निर्धारित टेम्पलेट के अनुसार सभी सॉफ्टवेयर लाइसेंस विवरण (वितरित मात्रा, वैधता, उपयोग, स्पेयर) को ट्रैक और कैप्चर करते हैं। एलएमपी टीम हर महीने सॉफ्टवेयर लाइसेंस की समीक्षा करेगी और समीक्षा की आपत्तियों/टिप्पणियों को एक सप्ताह के भीतर बंद करेगी।

मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) दस्तावेज की संवीक्षा से ज्ञात हुआ है कि हेल्पडेस्क और इंफोसिस की आंतरिक टीमों द्वारा 26/09/2019 (08:30 पूर्वाह्न पर) के सूचित करने के बाद एक घटना बनाई गई कि जीएसटी पोर्टल काम नहीं कर रहा था या उपयोगकर्ता पोर्टल पर लॉगइन नहीं कर पा रहे थे। सुबह 10:00 बजे तक सेवाएं प्रभावित रहीं क्योंकि घटना प्रबंधन टीम ने इस मुद्दे को अस्थायी रूप से सुलझाया था। हालांकि, इस बीच, टीम ने इस मुद्दे का विश्लेषण किया और यह पाया कि सभी चार

(डीसी1 और डीसी2)⁴⁵ बंडल मक्कैफी एवी लाइसेंस सीएस⁴⁶ उपकरणों के लिए समाप्त हो गये थे। सभी चार लाइसेंसों को जीएसटीएन द्वारा नवीनीकृत और सिंक किया गया था। यह मामला 08:07 रात्रि तक निपटा लिया गया और समाधान के लिए लगभग 12 घंटे लग गए। उपर्युक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लाइसेंसों के नवीकरण के लिए उचित निगरानी नहीं की जा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य घटना हुई जिससे पूरा जीएसटी पोर्टल प्रभावित हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में जीएसटीएन ने कहा (जून 2020) कि आधारभूत अवसंरचना को चालू करने के समय, सभी सॉफ्टवेयर लाइसेंस को एग्रीड बिल ऑफ मैटेरियल (बीओएम) के अनुसार परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया गया था। हालांकि, जब से मक्कैफी एंटीवायरस लाइसेंस उपकरणों में डाला गया था, तब से ये बीओएम और परिसंपत्ति रजिस्टर में अलग लाइसेंस के रूप में दर्ज नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप, इन प्राप्त हुये लाइसेंसों की वैधता की जानकारी लाइसेंस प्रबंधन टीम को नहीं थी। परिसंपत्ति रजिस्टर में लाइसेंस विवरण प्राप्त करने में अंतराल था क्योंकि ओईएम स्पष्ट रूप से बीओएम के भाग के रूप में प्राप्त हुये लाइसेंस विवरण का उल्लेख करने में विफल रहा था।

इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन ने कहा (अगस्त 2020) कि लाइसेंस प्रबंधन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है और एमएसपी के साथ मासिक संवीक्षा की जा रही है। संचालन संवीक्षा बैठकों के दौरान लाइसेंस समाप्ति की स्थिति को ट्रैक किया जा रहा है। अक्टूबर 2019 में सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी और आगे कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

3.10.3 पीक फाइलिंग दिनों में जीएसटी पोर्टल निष्पादन

जीएसटीएन की मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार - ईष्टतम तैयारी, संसाधनों का प्रवर्धन, विभिन्न घटकों की स्वास्थ्य जांच, टीमों की सक्रिय

⁴⁵ डाटा सेंटर: डीसी1 (दिल्ली की एनसीटी) और डीसी2 (बेंगलुरु)

⁴⁶ कन्टेन्ट एडरेस्ड स्टोरेज (सीएस) डिस्क पर एक स्थायी स्थान निर्दिष्ट करके निश्चित सामग्री (डाटा जिसे अपडेट नहीं किया जाना है) तक तेजी से एक्सेस प्रदान करने का एक तरीका है। सीएस इस तरह से संग्रहीत करके डाटा पुनः प्राप्त करता है कि एक बार संग्रहीत होने के बाद किसी ओब्जेक्ट को डुप्लिकेट या संशोधित नहीं किया जा सकता है; इस प्रकार, इसका स्थान स्पष्ट है।

उपलब्धता और सर्किट ब्रेकर (पोर्टल उपयोगकर्ता समरूपता) जैसी गतिविधियों को पीक अवधि से पहले किया जाना आवश्यक है। नीचे दी गई 2 तिथियाँ प्रणाली के दृष्टिकोण से प्राथमिक समय अवधियाँ हैं:

- जीएसटीआर3बी - महीने की 18 से 20 तारीख तक।
- जीएसटीआर1 - महीने की 9 से 11 तारीख तक

विभिन्न घटनाओं से संबंधित आरसीए दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, हमने पाया कि पीक फाइलिंग के दिनों में जीएसटी पोर्टल में लगातार व्यवधान/गैर-कार्यान्वयन हो रहा था और करदाताओं को विभिन्न प्रकार के विवरणी दाखिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। हमने पाया कि अक्टूबर, 2018 से फरवरी, 2020 तक इसी मुद्दे पर पांच घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के कारण प्रभावित सेवाओं की अवधि अक्टूबर, 2018 से फरवरी, 2020 तक 2 घंटे से 55 घंटे (लगभग) के बीच थी। आरसीए के दस्तावेजों के अनुसार घटनाओं के कारणों में पीक फाइलिंग दिनों पर अधिक लोड, सीपीयू का अधिक उपयोग, विवरणी एपीआई पर लोड, अपेक्षित लोड के अनुसार विन्यास नहीं बढ़ने आदि जैसे मुद्दे शामिल हैं।

पीक फाइलिंग तिथियों पर जीएसटी पोर्टल के लगातार व्यवधान से ज्ञात होता है कि जीएसटी पोर्टल जीएसटी के आरंभ के ढाई साल बाद भी अपेक्षित लोड/समवर्ती उपयोगकर्ताओं को संभालने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में, जीएसटीएन ने कहा कि लॉन्च के बाद से पोर्टल पर देखी गई अधिकतम पीक क्षमता लगभग 1.56 लाख समवर्ती उपयोगकर्ता हैं। इसके अतिरिक्त, जीएसटी प्रणाली लगभग 1500 बैंक ऑफिस उपयोगकर्ता सत्र, सरकारी सत्रों से करीब 50,000 एपीआई सत्र और 1.5 लाख जीएसटी सुविधा प्रदानकर्ता (जीएसपी) एपीआई सत्र संभालती है।

जीएसटीएन ने बताया कि जब जीएसटी लागू हुआ था, उस समय जीएसटी पोर्टल की उच्चतम समवर्तता, पंजीकरण की मूल अनुमानित संख्या के आधार पर 25,000 अनुमानित थी जो आरएफपी के अनुसार लगभग 64 लाख था। अगले पांच वर्षों में अपेक्षित वृद्धि की संभावना के अनुसार, आरएफपी ने आदेश दिया, कि सुरक्षा और नेटवर्क उपकरणों के प्रत्याशित लोड को दोगुना किया

जाए यानी-50,000 समवर्ती उपयोगकर्ता। पंजीकरण की संख्या में वृद्धि के पैटर्न के आधार पर, जीएसटीएन प्रणाली के समरूपता डिजाइन लोड को संशोधित किया गया है और इसे 1.5 लाख अर्थात् मूल डिजाइन अनुमान का लगभग छः गुना तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, कुछ परिदृश्यों के कारण जैसे दो अंतिम तिथियों के अनुरूप होना, जीएसटीआर-3बी आदि की फाइलिंग की अंतिम तारीख के अनुरूप जीएसटीआर-1 विवरणी की एमनेस्टी योजना/अंतिम तिथि विस्तार/कुछ परिदृश्यों में दाखिल करने की अंतिम तिथि के कारण समवर्ती उपयोगकर्ताओं की संख्या जीएसटी पोर्टल क्षमता से अधिक थी और इसलिए प्रणाली का निष्पादन प्रभावित हुआ। जीएसटीएन ने सूचित किया कि जीएसटी पोर्टल को अब 3 लाख समवर्ती उपयोगकर्ता सत्रों को संभालने के लिए उन्नयन किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

हमने पीक लोड को संभालने के लिए प्रणाली की क्षमता पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन पर आवधिक भार/तनाव परीक्षण का ब्यौरा भी मांगा है। जीएसटीएन ने उत्तर दिया कि जीएसटीएन और एमएसपी के बीच अनुबंध की शर्तों के अनुसार, एमएसपी सृजन वातावरण में गो-लाइव से पहले 50,000 समवर्ती उपयोगकर्ता भार पर जीएसटी प्रणाली के निष्पादन को दर्शाने के लिए बाध्य है। एमएसपी ने पंजीकरण, विवरणी फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी जैसी प्रत्येक कार्यात्मकता के लॉन्च से पहले सहमत मानदंडों के अनुसार निष्पादन/दबाव जांच को सफलतापूर्वक पूरा किया। मुख्य जीएसटी विवरणी फार्म (जीएसटीआर-3बी) ने भी जनता को उपलब्ध कराए जाने से पहले अगस्त-2017 में इस तरह के निष्पादन परीक्षण को पास किया था। चूंकि पोर्टल पर सहमति के रूप में 50,000 समवर्ती उपयोगकर्ता सत्र से अधिक वृद्धि हुई, अतः एप्लीकेशन ने दबाव के लक्षण दिखाने शुरू कर दिये। इसके उत्तर में, एमएसपी ने एप्लीकेशन स्वरूप को पुनः डिजाइन किया और नवंबर-2018 के महीने में 90,000 समवर्ती उपयोगकर्ताओं के बढ़े हुए भार पर निष्पादन जांच को दोहराया।

इसके लिए पूछे जाने के बावजूद, हमें नवंबर 2018 परीक्षण से लोड जांच रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है। नवंबर 2018 लोड टेस्ट में, अधिकतम समवर्ती लोड परीक्षण लगभग 1.6 लाख उच्चतम समवर्तता के मुकाबले केवल

90,000 समवर्ती उपयोगकर्ता थे। यहां तक कि 90,000 लोड पर भी, पोर्टल को समस्याओं का सामना करना पड़ा था और तनाव दिखा था। ऐसे परिदृश्य में, आवधिक भार/तनाव/मजबूत परीक्षण कार्रवाई का आदर्श आधार होना चाहिए था ताकि जीएसटीएन पीक लोड के लिए तैयार हो सके।

हम उच्चतम समवर्तता पर आरएफपी में पहले के अनुमानों के बारे में जीएसटीएन तर्क से सहमत हैं जो व्यापक रूप से लक्ष्य से दूर है। जीएसटी पोर्टल जैसी कुछ समानताओं के साथ एक प्रणाली डिजाइन करते समय ऐसा परिदृश्य संभव है। हालांकि, हमें इसके बाद क्षमता बढ़ाने में जीएसटीएन की दक्षता पर चिंता है। यह स्वीकार्य नहीं है कि प्रणाली अभी भी आरंभ के तीन साल बाद पीक लोड को संभालने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त, लोड परीक्षण जैसे मुद्दों पर, आरंभ समय के दौरान लोड परीक्षण करने और उसके बाद कम कार्रवाई करने की अपेक्षा अधिक सक्रिय दृष्टिकोण की उम्मीद है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, जीएसटीएन ने बताया कि उसने हाल ही में 3 लाख समवर्ती उपयोगकर्ता की उच्चतम क्षमता को हैंडल करने के लिए प्रणाली का उन्नयन किया है। यह सूचित किया गया कि जीएसटीएन 5 लाख समवर्ती उपयोगकर्ताओं को संभालने के लिए प्रणाली क्षमता का उन्नयन करने की प्रक्रिया में था। जीएसटीएन ने यह भी उत्तर दिया कि उन्होंने सृजन वातावरण में बदलाव जारी करने से पहले उच्चतम समवर्तता उपयोगकर्ताओं का पोर्टल निष्पादन पर इसके प्रभाव के लिए किसी भी नए बदलाव की जांच करने के लिए एक अभीष्ट जांच वातावरण तैयार किया है।

सिफारिश 25: जीएसटीएन पीक फाइलिंग दिनों में खराब पोर्टल निष्पादन के मुद्दे का व्यापक विश्लेषण करें, और आवश्यकता पड़ने पर पोर्टल आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करें।

3.10.4 व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन योजना

जीएसटी आईटी प्रणाली की कार्यात्मकता में किसी भी तरह का व्यवधान चाहे अस्थायी प्रकृति का देश के अप्रत्यक्ष कर प्रशासन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए, व्यापार निरंतरता प्रबंधन प्रक्रिया (बीसीएमएस) की एक

व्यापक नीति और इसका उचित कार्यान्वयन परियोजना के सभी पणधारकों के लिए महत्वपूर्ण है।

जीएसटीएन ने 28 मार्च 2019 को बीसीएमएस (संस्करण 1.4) जारी किया है। इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक सेवाओं, आपदा घटनाओं की भावी श्रेणी, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, राहत योजना और आपदा के बाद व्यापार संचालन के पूर्व-परिभाषित स्तरों पर बहाली योजना की पहचान करना है।

3.10.4.1 आपदा राहत ड्रिल योजना

जीएसटीएन ने आपदा की स्थिति में सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी आईटी प्रणाली के लिए अपनी डीआर योजना जारी की है।

एमएसपी के साथ जीएसटीएन के एसएलए दस्तावेज के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि हर साल दो डीआर ड्रिल किए जाने चाहिए। डीआर योजना की धारा 3.5.4 के अनुसार, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 30 मिनट और गैर-महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 4 घंटे की योजनाबद्ध डाउनटाइम/रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव⁴⁷ (आरटीओ) के अन्दर सेवाओं के फेलओवर होने का परीक्षण करने के लिए डीआर ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा। डीआर योजना के परीक्षण का उद्देश्य वैकल्पिक डीसी⁴⁸ के लिए सेवाओं की एक विश्वसनीय फेलओवर सुनिश्चित करना है।

हमने पाया कि जीएसटीएन ने 2019-20 में आवश्यकतानुसार दो सफल डीआर ड्रिल नहीं किए।

इसके अतिरिक्त, 5 मार्च, 2020 को आपदा घटना से संबंधित दस्तावेजों की जांच में यह ज्ञात हुआ कि 5 घंटे की योजनाबद्ध अवधि के अंदर परिवर्तन (डीसी1 डीबी विफलता) के कार्यान्वयन के दौरान डीसी1 का डाटाबेस शुरू नहीं हो रहा था। इसलिए, एक घटना बनाई गई और डीसी2 वातावरण के लिए

⁴⁷ आरटीओ समय की लक्षित अवधि और एक सेवा स्तर है जिसके भीतर व्यापार निरंतरता में अन्तराल के साथ जुड़े अस्वीकार्य परिणामों से बचने के लिए एक व्यापार प्रक्रिया एक आपदा (या व्यवधान) के बाद बहाल की जानी चाहिए।

⁴⁸ डाटा सेंटर: डीसी1 (दिल्ली की एनसीटी) और डीसी2 (बेंगलुरु)

स्विच करने के लिए निर्णय 7.21 पूर्वाह्न पर लिया गया था। डीसी2 के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं का स्विच ओवर 8.40 पूर्वाह्न शुरू कर दिया।

हालांकि, हमने पाया कि डीसी2 में केवल 10 पूर्वाह्न तक महत्वपूर्ण सेवाएं बहाल की जा सकी। इस प्रकार, डीसी1 से डीसी2 के लिए एक अनियोजित स्विचओवर में, महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए 30 मिनट की डाउनटाइम विंडो के प्रति महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए 2.39 घंटे लग गए (डीसी2 में स्विचओवर पर निर्णय के बाद)। डीसी2 में बैकअप की बहाली को 13.20 तक पूरा किया जा सका, इस प्रकार 4 घंटे के लक्षित डाउनटाइम के प्रति पूरी सेवाओं को बहाल करने के लिए 6 घंटे लगे।

लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर में, जीएसटीएन ने कहा (20 जून) कि अप्रैल 2019 में की गई डीआर ड्रिल महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण दोनों सेवाओं के लिए आरटीओ के संदर्भ में सफल रही। जीएसटीएन ने सूचित किया कि अगली डीआर ड्रिल की 1 सितंबर 2019 को कोशिश की गई थी। ड्रिल के दौरान, महत्वपूर्ण सेवाओं को सफलतापूर्वक स्विच ओवर कर दिया गया था, परन्तु गतिविधि में गैर महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भंडारण से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ा, और संचालन प्राथमिक डीसी पर स्विच कर दिये गये थे। इसके बाद, सितंबर 2019 के बाद कई बार डीआर ड्रिल की योजना बनाई गई थी, परन्तु तत्काल आवश्यक महत्वपूर्ण कार्यक्षमताओं के आरंभ और विवरणी की पीक फाइलिंग के कारण रद्द करना पड़ा जिसके कारण डीआर ड्रिल का संचालन करने के लिए एक उपयुक्त विंडो नहीं आ सकती थी। जीएसटीएन ने कहा कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया गया है, और इस तरह से काम किया जा रहा है कि किसी भी वास्तविक समय आपदा के लिए प्रणाली को तैयार रखने के लिए डीआर ड्रिल अधिक बार किया जाये।

ये मुद्दे दर्शाते हैं कि डीआर तंत्र स्थिर नहीं हुआ है और लक्षित आरटीओ प्राप्त नहीं किया गया है। डीआर ड्रिल भविष्य में किसी भी विफलता/आपदा के लिए प्रणाली तैयार करने के लिए वांछित आवृत्ति पर नहीं हो रही है।

जीएसटीएन ने कहा (अगस्त 2020) कि आपदा के लिए हर समय तत्परता सुनिश्चित करने के लिए, जीएसटीएन और एमएसपी त्रैमासिक डीसी-डीआर स्विचओवर और नामित तिथियों के साथ एक स्विचओवर कैलेंडर बनाने और

व्यावसायिक कारणों के कारण प्रस्तावित तिथि व्यावहारिक नहीं होने की स्थिति में अन्य तिथि पर सहमत हो गए हैं।

सिफारिश 26: जीएसटीएन यह सुनिश्चित करें कि आरटीओ लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए और तदनुसार डीआर प्रक्रिया को मजबूत किया जाए ताकि आपदा की स्थिति में महत्वपूर्ण सेवाओं को उचित समय पर बहाल किया जा सके।

3.11 निष्कर्ष

प्रतिदाय मॉड्यूल में पर्याप्त नियंत्रण के अभाव में असत्यापित आईटीसी पर प्रतिदाय के दावे की संभावना है। इसी तरह, टीआरएएन-1 और टीआरएएन-2 प्रपत्रों के माध्यम से दावा किए जा रहे ट्रांजिशनल क्रेडिट के मामले में नियंत्रण की कमी से यह पता चलता है कि अयोग्य आईटीसी का दावा किया जा सकता है।

रिटर्न मॉड्यूल का अधूरा रोलआऊट इस तथ्य के साथ कि जीएसटीएन ने अपेक्षित जानकारी प्रदान नहीं की, विवरणी मॉड्यूल में प्रचलित जोखिमों और कमजोरियों पर आश्वासन प्रदान करना कठिन है।

ईडब्ल्यूबी मॉड्यूल के संबंध में, डाटा विश्लेषण में बताई गई विसंगतियों को देखते हुए ऐसे पैटर्न की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। जहां तक जीएसटी पोर्टल के निष्पादन का सवाल है, उच्चतम क्षमता को संभालने के लिए प्रणाली का उन्नयन करने के अतिरिक्त, इस प्रतिवेदन में बताई गई घटनाओं के कारणों की विस्तार से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, हमने मंत्रालय/जीएसटीएन पर विचार करने के लिए 26 सिफारिशों की हैं। सिफारिशें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित मॉड्यूल में पर्याप्त सत्यापन के कार्यान्वयन; जीएसटी कानूनों और नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रणाली में कार्यक्षमताओं का समावेश; और जीएसटी प्रशासन को मजबूत करने के लिए नियमों/फार्मों में उचित परिवर्तन से संबंधित हैं।

अध्याय IV

जीएसटी की अनुपालन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। इस अध्याय में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2018-19 और 2019-20 में किए गए जीएसटी लेनदेन की लेखापरीक्षा जांच के दौरान संज्ञान में आए थे। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

4.1 लेखापरीक्षा जांच

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान, हमने मुख्य रूप से ट्रांजिशनल क्रेडिट, जीएसटी पंजीकरण और प्रतिदाय की लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। जीएसटी विवरणी की लेखापरीक्षा अभी शुरू की जानी है क्योंकि दिसंबर 2018 तक 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की मूल नियत तिथि को बाद में सांतरित तरीके से 5/7 फरवरी 2020⁴⁹ तक बढ़ाया गया। इसी प्रकार, 2018-19 के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की मूल नियत तिथि दिसंबर 2019 को बाद में बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020⁵⁰ कर दिया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को बाद के आगामी पैराग्राफ में शामिल किया गया है:

भाग क : ट्रांजिशनल क्रेडिट

4.2 प्रस्तावना

जीएसटी जिसमें कई अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया है, को शुरू करने और लागू करने के साथ पुरानी कर व्यवस्था से जीएसटी में सुचारू रूप से पारगमन सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों और व्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से बताने की भी आवश्यकता थी। यह विशेष रूप से उन पूर्व-जीएसटी करों से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक था, जो *जीएसटी प्रशासन में (इसके बाद ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में संदर्भित)* जीएसटी के आरंभ के दिन करदाताओं के पास उपलब्ध थे।

⁴⁹ अधिसूचना संख्या 6/2020-सीटी दिनांक 3 फरवरी 2020

⁵⁰ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24 अक्टूबर 2020

सरकार और व्यापार दोनों के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। व्यापार के लिए, इन क्रेडिट को उचित रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उन्हें उन करों का लाभ दिया जा सके जो उन्होंने पहले ही पूर्व जीएसटी प्रशासन में इनपुट या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किया था। सरकार के दृष्टिकोण के मद्देनजर, स्वीकार्य ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि जीएसटी राजस्व के नकद प्रवाह की सीमा निर्धारित करेगी और इसलिए राजस्व के हित में, केवल स्वीकार्य और पात्र ट्रांजिशनल क्रेडिट को जीएसटी में आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

4.3 ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित प्रावधान

4.3.1 ट्रांजिशनल क्रेडिट प्राप्त करने के लिए शर्तें

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 में आईटीसी के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्थाओं से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं। इस धारा में कंपोजीशन करदाता के अतिरिक्त एक पंजीकृत व्यक्ति को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतः शेष को सीजीएसटी के रूप में अग्रेषित करने और निर्दिष्ट शर्तों के अधीन एसजीएसटी के रूप में राज्य वैट अधिनियमों के अंतर्गत इनपुट क्रेडिट को करने का प्रावधान है। महत्वपूर्ण शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:-

- क) पूर्व जीएसटी संविधियों के अंतर्गत दर्ज किये गये पिछले विवरणी में दिए गए क्रेडिट को अग्रेषित किया जा सकता है
- ख) इस तरह के क्रेडिट को जीएसटी अधिनियम और पूर्व - जीएसटी अधिनियमों के अंतर्गत आईटीसी के रूप में स्वीकार्य होना चाहिए
- ग) जीएसटी के आरंभ होने से पहले कम से कम छः महीने के लिए विवरणी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

एक पंजीकृत व्यक्ति, जो पूर्व-जीएसटी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, या जो छूट प्राप्त माल/सेवाओं या पहले/दूसरे चरण के विक्रेता या किसी उत्पादक के पंजीकृत आयातक या डिपो से व्यापार कर रहा था, वह भण्डार में रखे गए आदानों और भण्डार में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल के इनपुट के संबंध में, उसे योग्य शुल्क के अग्रेषण का पात्र है। इसके लिए निर्धारित महत्वपूर्ण शर्तें यह हैं कि उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास

चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए, ऐसी जानकारियों के संबंध में मौजूदा कानून के अंतर्गत शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए, जो नियत दिन (अर्थात् 1 जुलाई 2017) से तुरंत पहले बारह महीने से पूर्व जारी नहीं किए गए थे।

4.3.2 ट्रांजिशनल क्रेडिट विवरणी के लिए समयबद्धता

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 117 में प्रावधान है कि ट्रांजिशनल क्रेडिट के हकदार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को जीएसटी के आरंभ होने के 90 दिनों के भीतर जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी ट्रान-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उद्घोषणा दाखिल करनी होती है। इस नियम में जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर आयुक्त द्वारा 90 दिन की अवधि बढ़ाने का भी प्रावधान है। इस प्रकार, सीजीएसटी नियमावली ने शुरू में ट्रान-1 फाइल करने के लिए अधिकतम 6 महीने का प्रावधान किया था। हालांकि, जो करदाताओं जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण नियत तिथि तक ट्रान-1 फाइल नहीं कर सके, उनकी सुविधा के लिए परिषद की सिफारिशों पर ट्रान-1 के लिए तारीख को 31 मार्च 2020 से आगे की अवधि तक बढ़ाने का प्रावधान इस नियम में डाला⁵¹ गया था।

ट्रान-1 को दाखिल करने या संशोधित करने की नियत तिथि, जो मूल रूप से 28 सितंबर 2017 थी, को समय-समय पर अंतिम समय सीमा के साथ 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है जैसा कि नीचे विस्तृत किया गया है:-

⁵¹ अधिसूचना संख्या 02/2020-सीटी दिनांक 1 जनवरी 2020।

आदेश की तिथि	विस्तारित नियत तिथि	विस्तार का कारण
18 और 21 सितम्बर 2017	31 अक्टूबर 2017	ट्रान-1 विवरणी जमा करने की नियत तिथि ट्रान-1 में संशोधन की सुविधा के लिए बढ़ा दी गई थी।
28 अक्टूबर 2017	30 नवम्बर 2017	विस्तार के लिए कोई विशेष कारण नहीं मिला लेकिन जीएसटी परिषद ने ट्रान-1 के संशोधन के लिए कार्यात्मकता के विकास में देरी के बारे में चर्चा की।
15 नवम्बर 2017	27 दिसम्बर 2017	जीएसटीएन द्वारा प्रदान की गई समय सीमा और जीएसटीएन के साथ चर्चा के आधार पर, जमा करने की नियत तिथि बढ़ा दी गई।
17 सितम्बर 2018	कुछ मामलों में 31 जनवरी 2019 तक	सार्वजनिक पोर्टल पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण, जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित विस्तार, पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण नियत तिथि तक ट्रान-1 जमा नहीं कर सके।
31 जनवरी 2019	कुछ मामलों में 31 मार्च 2019 तक	
7 फरवरी 2020	कुछ मामलों में 31 मार्च 2020 तक	

4.4 ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन के लिए सीबीआईसी के निर्देश

सीबीआईसी ने सितंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन के संदर्भ में समय-समय पर निर्देश जारी किए, जैसा कि नीचे विस्तृत किया गया है:-

- सितंबर 2017 में, सीबीआईसी ने अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश दिया कि वे पूर्ववत कानूनों के तहत दायर विवरणी में अंतः शेष राशि के साथ ट्रांजिशनल विवरणी में दावा किए गए क्रेडिट का मिलान करके

₹ एक करोड़ से अधिक के आईटीसी के दावों को सत्यापित करें, और जीएसटी प्रशासन के अंतर्गत क्रेडिट की पात्रता की जांच करें।

- ii. 1 दिसंबर 2017 के निर्देशों के माध्यम से, क्षेत्रीय संरचनाओं को विशेष देखभाल के साथ ₹ एक करोड़ से अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट के मामलों का सत्यापन करने और उसके बाद प्राप्त क्रेडिट के घटते क्रम में सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे।
- iii. सीबीआईसी द्वारा जारी परिपत्र (मार्च 2018) ने दर्शाया कि केंद्रीय कर कार्यालय उन सभी करदाताओं के मामले में सीजीएसटी के संबंध में ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों का सत्यापन करेंगे, चाहे करदाता को केंद्रीय या राज्य कर कार्यालय को आवंटित किया गया था या नहीं। सीबीआईसी ने केंद्रीय कर कार्यालयों के साथ डाटासेट के साथ सीजीएसटी क्रेडिट के चिन्हित 50,000 मामलों की सूची भी साझा की और उन्हें मार्च 2019 तक सत्यापन पूरा करने को कहा गया। सितंबर 2020 में मंत्रालय ने बताया कि सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा 37,622 ट्रान-1 घोषणाओं का सत्यापन किया गया है।

4.5 डीओआर/सीबीआईसी द्वारा ट्रान-1 डाटा प्रस्तुत न करने के कारण ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा करने में असमर्थता

डाटा विश्लेषण करने और ध्यान केन्द्रित क्षेत्रों की पहचान करने और लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों/मामलों का चयन करने के लिए हमने राजस्व विभाग से ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित डाटा प्रदान करने का अनुरोध किया। निरंतर अनुरोधों के बावजूद, हमें वि.व.19 और वि.व.20 के दौरान मांगा गया डाटा⁵² प्रदान नहीं किया गया था।

डाटा के अभाव में, हम इकाइयों में जिन्हें हमने अन्य राजस्व संबंधी जोखिम मापदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया था ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की केवल सीमित लेखापरीक्षा ही कर सके थे। हमें लेखापरीक्षा को ज्यादातर उन ट्रान-1 मामलों तक सीमित किया, जिन्हें विभाग द्वारा पहले ही

⁵² ट्रांजिशनल क्रेडिट डाटा अब जुलाई 2020 में प्रदान किया गया है।

सत्यापित किया जा चुका था, क्योंकि जीएसटी आईटी प्रणाली के माध्यम से अन्य ट्रान्- उद्घोषणाओं तक पहुंच प्रदान नहीं की गई थी।

4.6 ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा

ट्रांजिशनल क्रेडिट के महत्व को देखते हुए, जीएसटी में पारगमन के दौरान एकल-गतिविधि और जीएसटी प्रशासन में राजस्व प्रवाह पर इसके प्रभाव के मद्देनजर, हमने 2018-19 और 2019-20 में अपने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के सत्यापन पर ध्यान केंद्रित किया।

व्यक्तिगत मामलें पाये गये और इन मामलों के आधार पर पहचानी गई प्रणाली की खामियों को आगामी पैराग्राफ में शामिल किया गया है।

4.6.1 ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा का विहगांवलोकन

अक्टूबर 2018⁵³ से मार्च 2020 की अवधि के दौरान, हमने 81 केंद्रीय जीएसटी कमिशनरियों और पांच लेखापरीक्षा कमिशनरियों में 626 रेंजों और 29 डिवीजनों की लेखापरीक्षा किया। हमने इन इकाइयों में 77,363 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से 5,822 का सत्यापन किया और ₹ 543.70 करोड़ की धन राशि के साथ 1,182 मामलों में (20 प्रतिशत) चूक पाई। सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं को टिप्पणियों के रूप में जारी किए गए 1,182 मामलों में से, 325 चूक में प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख से अधिक धनराशि थी और 857 चूक में प्रत्येक मामले में धनराशि ₹ 10 लाख से कम थी।

इस प्रतिवेदन में 36 कमिशनरियों से संबंधित 105 महत्वपूर्ण टिप्पणियों को शामिल किया गया है, जिसमें नीचे दिए गए ₹ 86.11 करोड़ की धनराशि को शामिल (परिशिष्ट- IV) किया गया है:-

⁵³ अक्टूबर 2018 से पहले नोट की गई ऑडिट आपत्तियां 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11 में बताई गई हैं।

(₹ करोड़ में)

पाये गये मामले	शामिल कमिश्नरी	मामलों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्ति की राशि
पारगमन में इनपुट सेवाओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	4	18	36.77
क्रेडिट के रूप में पूर्व व्यवस्था के उपकर का अनियमित लाभ	13	16	4.52
अनुमेय अवधि के बाद लेखों में दर्ज भण्डार पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	11	13	6.67
सेनवेट क्रेडिट के अतिरिक्त अग्रोषण	12	13	4.01
छूट प्राप्त माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	6	7	7.16
भण्डार में माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	1	5	7.69
ईआर-1/एसटी-3 विवरणी दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	4	4	2.34
ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा जो इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के दायरे में नहीं आता है	3	3	0.69
ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित अन्य अनियमितताएं	15	26	16.26
कुल		105	86.11

इन 105 मामलों में से, मंत्रालय ने ₹ 21.18 करोड़ की राशि से जुड़े 44 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और 15 मामलों में ₹ 3.60 करोड़ की वसूली की जानकारी दी। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

4.6.2 पारगमन में इनपुट सेवाओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

कराधान नियमावली, 2011 में प्रावधान है कि जिस समय किसी सेवा को प्रदान किया माना जाएगा, वह पहले (1) बीजक या भुगतान की तारीख से पहले होगा, जो भी पहले हो (यदि बीजक सेवा के प्रावधान को पूरा करने की तारीख से निर्धारित अवधि के अंदर जारी किया जाता है) (2) सेवा या भुगतान के प्रावधान को पूरा करने की तारीख, जो भी पहले हो (यदि ऊपर की तरह निर्धारित अवधि के अंदर बीजक जारी नहीं किया जाता है जैसा कि ऊपर दिया गया है) (3) अग्रिम भुगतान प्राप्त करने की तिथि होगी।

मार्च 2018 के बोर्ड के निर्देशों के पैरा 8.1 को सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा सत्यापन की आवश्यकता है कि शुल्क भुगतान दस्तावेज मौजूद है और करदाता से पुष्टि करता है और शुल्क या कर भुगतान दस्तावेज कानून में निर्धारित शर्तों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के लेखे में दर्ज किए गए थे।

चयनित चार⁵⁴ सीजीएसटी कमिशनरियों में 333 में से 167 ट्रांजिशनल क्रेडिट उद्घोषणाओं की जांच के दौरान अठारह मामलों में यह देखा गया कि करदाताओं ने अनियमित रूप से ट्रान-1 उद्घोषणा की तालिका 7(बी)⁵⁵ के अंतर्गत ₹ 36.77 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। ट्रान-1 की तालिका 7(बी) के माध्यम से पारगमित सेनवेट क्रेडिट के विवरण में बीजक विवरण की जांच के दौरान, हमने पाया कि करदाताओं ने अनियमित रूप से सेनवेट क्रेडिट को अग्रेषित किया था, जिन्हें नियत तिथि से पहले बीजक बद्ध किया गया था। कराधान नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, ये इनपुट सेवाएं पहले ही बीजक की तारीख अर्थात् 30 जून 2017 से पहले ही मिल चुकी थीं। तदनुसार, क्रेडिट को ट्रान-1 उद्घोषणा की तालिका 7(बी) की अपेक्षा तालिका 5(ए)⁵⁶ के माध्यम से लिया जाना आवश्यक था। इसलिए ₹ 36.77 करोड़ की ऐसी इनपुट सेवाओं पर दावा किए गए अनियमित क्रेडिट को वसूल करने की आवश्यकता है।

⁵⁴ बेलापुर, भिवंडी, मुंबई दक्षिण और पुणे ।

⁵⁵ तालिका 7 (बी): धारा 140 (5) और धारा 140 (7) के तहत इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में पात्र शुल्क और कर/वैट की राशि।

⁵⁶ तालिका 5 (ए): केंद्रीय कर (धारा 140 (1), धारा 140 (4) (ए) और धारा 140 (9) के रूप में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के लिए आगे बढ़ाया सेनवेट क्रेडिट की राशि

हालांकि इन मामलों का विभाग द्वारा सत्यापन किया गया था, तथापि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई खामियों का पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने इस विषय में बताया (नवंबर 2018 और मई 2019 के बीच), तो विभाग ने सूचित किया कि सात मामलों में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए थे और करदाताओं ने दो मामलों में क्रेडिट को रिवर्स कर दिया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (जुलाई और अक्टूबर 2019 के बीच) कि प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर क्रेडिट से इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि जीएसटी एक नई कर योजना है, इसलिए करदाताओं द्वारा ऐसी प्रक्रियात्मक गलतियां करने की संभावना थी।

हालांकि विभाग ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि प्रक्रियागत चूक हुई, अतः ऐसे क्रेडिट की स्वीकृति के संबंध में विभागीय तर्क स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि करदाता द्वारा एक ही बीजक पर दो बार अर्थात् तालिका 5(ए) के माध्यम से और फिर तालिका 7(बी) के माध्यम से क्रेडिट का दावा करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए विभाग को उपरोक्त मामलों के लिए इस पहलू की पुष्टि करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

4.6.3 क्रेडिट के रूप में पूर्ववर्ती व्यवस्था के उपकर की अनियमित प्राप्ति

कराधान कानून संशोधन अधिनियम, 2017 के माध्यम से, शिक्षा उपकर (ईसी), माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उपकर (एसएचईसी), स्वच्छ भारत उपकर (एसबीसी) और कृषि कल्याण उपकर (केकेसी) को 1 जुलाई 2017 से समाप्त कर दिया गया था और इस प्रकार, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में जीएसटी व्यवस्था के लिए अग्रेषण अयोग्य हो गया था। इसे मार्च 2018 में सीबीआईसी के निर्देशों से भी स्पष्ट किया गया था।

धारा 140 (9) में यह निर्धारित किया गया है कि जहां मौजूदा कानून के अंतर्गत प्रदान की गई इनपुट सेवाओं के लिए प्राप्त किसी भी सेनवेट क्रेडिट का तीन महीने की अवधि के अंदर भुगतान न करने के कारण रिवर्स कर दिया गया है, वहां इस तरह के क्रेडिट का इस शर्त के अधीन पुनः दावा किया जा

सकता है कि पंजीकृत व्यक्ति ने नियत दिन से तीन महीने की अवधि के अंदर सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान किया है।

मार्च 2018 के बोर्ड के निर्देशों के पैरा 4.1.1 के अनुसार सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं को यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि लिया गया क्रेडिट विरासतीय सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी घटा उपकर में क्रेडिट के अंत शेष से अधिक नहीं होना चाहिए।

हमने 12⁵⁷ कमिश्नरियों में 16 मामलों में पाया कि करदाता ने ₹ 4.52 करोड़ के ट्रान-1 में उपर्युक्त उपकरणों का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया था (परिशिष्ट-IV), जो अस्वीकार्य था।

जब हमने इस विषय में बताया (सितंबर 2017 से मार्च 2019 के बीच), तब मंत्रालय ने नौ मामलों में टिप्पणी स्वीकार करते हुए (अगस्त तथा दिसम्बर 2020 के बीच) सात मामलों में ₹ 1.71 करोड़ की वसूली की सूचना दी। शेष मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

चेन्नई आउटर कमिश्नरी के अंतर्गत पल्लवराम डिवीजन के अलांदूर आउटर रेंज में ट्रांजिशनल क्रेडिट उद्घोषणाओं की जांच के दौरान हमने पाया कि एक करदाता ने ईसी, एसएचईसी और केकेसी के संबंध में ₹ 44.40 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेषित किया था। करदाता ने ईसी, एसएचईसी और केकेसी के संबंध में अधिनियम की धारा 140 (9) के संदर्भ में ₹ 41.23 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट को भी पुनः प्राप्त किया। चूंकि ये उपकर अग्रेषित करने योग्य नहीं हैं, इसलिए कुल ₹ 85.63 लाख की राशि की वसूली करने आवश्यकता है। हालांकि विभाग द्वारा इस मामले का सत्यापन किया गया था, लेकिन विभाग द्वारा इस चूक का पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने इस विषय में बताया (सितंबर 2019), तब मंत्रालय ने आपत्ति (अगस्त 2020) को स्वीकार करते हुए कहा कि करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, चूक का पता न लगाने के कारणों के

⁵⁷ बेंगलुरु ईस्ट, चेन्नई आउटर, दिल्ली साउथ, दिल्ली ईस्ट, हैदराबाद (ऑडिट-1), बेंगलुरु नॉर्थ, बेंगलुरु साउथ, हावड़ा, वडोदरा-1, अहमदाबाद साउथ, विशाखापट्टनम और गुरुग्राम

संबंध में, यह कहा गया था कि विभाग ने जनवरी और जून 2019 में की गई सेवा कर आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान चूक का पता लगा लिया था।

इस चूक का पता न चलने के संबंध में मंत्रालय का उत्तर आंशिक रूप से स्वीकार्य है। हालांकि विभाग ने ₹ 44.40 लाख के अनियमित अग्रेषण का पता लगाया था, लेकिन उसने ₹ 41.23 लाख के पुनः दावा किए ट्रांजिशनल क्रेडिट का पता नहीं लगाया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने ₹ 44.40 लाख के अनियमित अग्रेषण के संबंध में तब तक एससीएन जारी नहीं किया था जब तक कि लेखापरीक्षा द्वारा अनियमितता को इंगित नहीं किया गया था।

4.6.4 अनुमेय अवधि के बाद बही खातों में दर्ज भण्डार पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (5) के अनुसार, 1 जुलाई 2017 को या उसके बाद प्राप्त इनपुट सेवाओं के संबंध में ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है, जिसके संबंध में शुल्क या कर का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा मौजूदा कानून के अंतर्गत इस शर्त के अधीन किया गया है, कि बीजक या उससे कोई अन्य शुल्क या उससे अधिक भुगतान करने वाला दस्तावेज नियत दिन से (1 जुलाई 2017) तीस दिनों की अवधि के अंदर ऐसे व्यक्ति के लेखों में दर्ज किया गया था। पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, तीस दिनों की अवधि को आयुक्त द्वारा तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

मार्च 2018 के बोर्ड के निर्देशों के पैरा 8.1 के अनुसार सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा इस बात के सत्यापन की आवश्यकता है कि शुल्क भुगतान दस्तावेज मौजूद हैं और करदाता से पुष्टि करते हैं कि शुल्क या कर भुगतान दस्तावेज कानून में निर्धारित शर्तों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के लेखों में दर्ज किए गए थे।

11 कमिश्नरियों⁵⁸ में, 13 मामलों के संबंध में, हमने ऊपर उद्धृत प्रावधानों का पालन किए बिना ₹ 6.67 करोड़ (परिशिष्ट-IV) के राजस्व सहित ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ देखा।

जब हमने इस विषय में बताया (नवंबर 2018 से फरवरी 2020 के बीच) तो मंत्रालय ने 10 मामलों में टिप्पणी स्वीकार करते हुए सूचना दी (अगस्त से दिसम्बर 2020 के बीच) दो मामलों में ₹ 40.19 लाख की वसूली की। शेष मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

चेन्नई उत्तर सीजीएसटी कमिश्नरी के अंतर्गत एगमोर डिवीजन के एगमोर III रेंज में ट्रांजिशनल क्रेडिट उद्घोषणाओं की जांच के दौरान, हमने देखा कि एक करदाता ने ट्रान-1 घोषणा की तालिका 7(बी) के अंतर्गत ₹ 24.59 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। यह देखा गया कि 30 दिनों की अनुमय अवधि से अधिक लेखों में 914 बीजक दर्ज किए गए थे, जो अधिनियम के अंतर्गत अग्रेशन योग्य नहीं थे। अपात्र ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि ₹ 3.36 करोड़ थी, जिसे करदाता से वसूल किया जाना है।

जब हमने इस विषय में बताया (अगस्त 2019), तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2020) कि ₹ 3.36 करोड़ रुपये के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

4.6.5 सेनवेट क्रेडिट का अतिरिक्त अग्रेशन

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (1) के अनुसार, धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त पंजीकृत व्यक्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है जो मौजूदा कानून के अंतर्गत उसके द्वारा इस ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, निर्धारित दिन से तुरंत पहले समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रहित सेनवेट क्रेडिट की राशि अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में लेने की पात्र होगी। बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को तब तक क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक

⁵⁸ दमन, चेन्नई उत्तर, कोयंबटूर (ऑडिट), हैदराबाद (ऑडिट-1), विशाखापत्तनम (ऑडिट-1), वडोदरा-II, तिरुचिरापल्ली, कोलकाता उत्तर, बोलपुर, अहमदाबाद दक्षिण और गांधीनगर

कि उक्त क्रेडिट मौजूदा कानून के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो और इस अधिनियम के अंतर्गत इनपुट कर क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य हो।

इसके अतिरिक्त, धारा 50 (3) के अनुसार, एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप-धारा (10) के अंतर्गत इनपुट कर क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है या धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट कर देयता में जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर चौबीस प्रतिशत से अधिक अनुचित या अधिक कमी करता है, ऐसे अनुचित या अतिरिक्त दावे पर या ऐसे अनुचित या अधिक छूट पर ब्याज का भुगतान नहीं करेगा।

मार्च 2018 के बोर्ड के निर्देशों के पैरा 4.1.1 सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं को यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि लिया गया क्रेडिट विरासतीय सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी में क्रेडिट के स्वीकार्य अंत शेष से अधिक नहीं होना चाहिए।

12 कमिश्नरियों⁵⁹ में, 13 मामलों के संबंध में, हमने ऊपर उद्धृत प्रावधानों का पालन किए बिना ₹ 3.84 करोड़ (परिशिष्ट-IV) के राजस्व वाले अतिरिक्त सेनवेट क्रेडिट का अनियमित रूप से अग्रगण्य करते हुये पाया।

जब हमने इस विषय में बताया (अक्टूबर 2017 से अगस्त 2020 के बीच), तो मंत्रालय ने सात मामलों में टिप्पणी स्वीकार करते हुए एक मामले में ₹ 77.08 लाख की वसूली की सूचना दी (सितंबर से दिसम्बर 2020 के बीच)। शेष मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

कोच्चि कमिश्नरी के अंतर्गत रेंज 4 में ट्रांजिशनल क्रेडिट उद्घोषणाओं की जांच के दौरान, हमने देखा कि एक करदाता ने सेनवेट क्रेडिट विवरण के अनुसार उपलब्ध ₹ 9.25 करोड़ के प्रति 2016-17 की दूसरी छमाही के लिए एसटी-3 विवरणी के अनुसार ₹ 9.99 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। इसके

⁵⁹ बेंगलुरु ईस्ट, चेन्नई साउथ, कोयंबटूर, कोच्चि, दिल्ली ईस्ट, दीमापुर ईस्ट, गुवाहाटी, पुणे I, बेंगलुरु नॉर्थ, दिल्ली वेस्ट और मेदचल

परिणामस्वरूप ₹ 73.60 लाख का अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त हुआ था जिसे रिवर्स करने की आवश्यकता है।

जब हमने इस विषय में बताया (अक्टूबर 2017), तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (सितंबर 2019) इस विषय में बताया कि करदाता ने अतिरिक्त क्रेडिट को रिवर्स कर दिया था।

4.6.6 छूट प्राप्त माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 (1) के अनुसार, धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य पंजीकृत व्यक्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है मौजूदा कानून के अंतर्गत उसके द्वारा इस ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, निर्धारित दिन से तुरंत पहले समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रेषित सेनवेट क्रेडिट की राशि अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में लेने का पात्र होगा। बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को वहां क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां उक्त क्रेडिट सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार ऐसी छूट अधिसूचनाओं के तहत निर्मित तथा निकासित माल से संबंधित हो।

इसके अतिरिक्त, धारा 50 (3) के अनुसार, एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप-धारा (10) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है या धारा 43 की उप-धारा (10) के अंतर्गत आउटपुट कर देयता में जैसा भी मामला हो, चौबीस प्रतिशत से अधिक न होने वाली ऐसी दर पर अनुचित या अधिक कमी पर, ऐसे अनुचित या अधिक दावे पर ब्याज का भुगतान करेगा।

मार्च 2018 के बोर्ड के निर्देशों के पैरा 6.1 के अनुसार सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं को यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि यदि केवल छूट प्राप्त माल का निर्माण किया जा रहा था, तो सेनवेट क्रेडिट नियमावली (सीसीआर) के नियम 6(2) ने सेनवेट रजिस्टर में किसी भी क्रेडिट की अनुमति नहीं दी और इसलिए, ऐसे मामलों में इनपुट के संबंध में विवरणी से कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए ट्रान-1 की तालिका 5(ए) में प्रविष्टि शून्य होना चाहिए। ऐसे मामलों में, केवल इनपुट के क्रेडिट और अर्ध-निर्मित माल के

इनपुट ही उपलब्ध होगी जो पारगमन के दिन भण्डार में मौजूद था और जिसके लिए धारा 140 (3) में निर्धारित शर्तें पूरी की गई हैं।

छ: कमिश्नरियों⁶⁰ में सात मामलों के संबंध में, हमने ऊपर उद्धृत प्रावधानों का पालन किए बिना ₹ 7.16 करोड़ (*परिशिष्ट-IV*) के राजस्व सहित छूट प्राप्त माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ देखा।

जब हमने इस विषय में बताया (नवंबर 2018 से अगस्त 2020 के बीच), तो मंत्रालय ने चार मामले में टिप्पणी स्वीकार करते हुए ₹ 5.42 लाख की वसूली की सूचना दी (नवंबर से दिसम्बर 2020 के बीच)। शेष मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2020)।

एक निदर्शी उदाहरण मामला नीचे दिया गया है:-

कोयंबटूर लेखापरीक्षा कमिश्नरी में ट्रांजिशनल क्रेडिट उद्घोषणाओं की जांच के दौरान, हमने पाया कि एक करदाता, विस्कोज स्टेपल फाइबर्स (वीएसएफ) के निर्माता ने तालिका 5(ए) में सेनवेट क्रेडिट के अन्तः शेष के अग्रेषण के प्रति ₹ 1.94 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया। प्राप्त क्रेडिट का पूरा उपयोग किया गया।

चूंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ 55101110 के अंतर्गत आने वाले वीएसएफ के विनिर्माण को अधिसूचना संख्या 30/2004-सीई, दिनांक 9 जुलाई 2004 के अनुसार उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी, अतः करदाता इनपुट और इनपुट सेवाओं पर किसी भी सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने का पात्र नहीं था तथा इसलिए तालिका 5(ए) में कोई क्रेडिट का शेष अग्रेषण के लिए पात्र नहीं था। इस प्रकार, ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में ₹ 1.94 करोड़ के अंतः शेष के अग्रेषण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि क्रेडिट का पूरा उपयोग किया गया था, अतः ₹ 96.83 लाख की राशि पर 24 प्रतिशत ब्याज भी करदाता से वसूल योग्य था।

जब हमने इस विषय में बताया (फरवरी 2020), तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार न करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि करदाता ने केवल सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के प्रावधानों के अनुसार प्रोद्भूत योग्य क्रेडिट का अग्रेषण

⁶⁰ कोयंबटूर, कोयंबटूर (ऑडिट), गांधीनगर, मदुरै, गुंटूर और अहमदाबाद दक्षिण

किया है, पूर्ववर्ती शुल्कयोग्य प्रशासन से, और 2008-09 की अवधि के बाद से, निर्धारित दोनों अधिसूचनाओं संख्या 29/2004-सीई (आंशिक रूप से छूट) और 30/2004-सीई (पूरी तरह से छूट प्राप्त) दिनांक 9 जुलाई 2004 के अंतर्गत परिचालन कर रहा था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि ईआर-1 डाटा का उपयोग करने पर, पात्र अग्रेषित क्रेडिट अप्रैल, 2008 तक ₹ 1.71 करोड़ है और करदाता ने छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल पर इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया है। करदाता ने अधिसूचना 29/2004-सीई दिनांक 9 जुलाई 2004 के अनुसार शुल्कयोग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले उदाहरणों में ही कच्चे माल पर क्रेडिट का लाभ उठाया।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत, जनवरी से जून 2017 की अवधि के ईआर-1 विवरणी की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि करदाता ने वास्तव में अधिसूचना संख्या 30/2004-सीई दिनांक 9 जुलाई 2004 के अंतर्गत छूट का लाभ उठाकर उक्त माल को मंजूरी दी थी और इसलिए, इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार, ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में तालिका 5(ए) में ₹ 1.94 करोड़ का अंत शेष अग्रेषित करना अनुचित था।

4.6.7 भण्डार में माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति, जो मौजूदा कानून के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए पात्र नहीं था, या जो छूट प्राप्त माल के निर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान से जुड़ा था, या जो निर्माणकार्य अनुबंध सेवा प्रदान कर रहा था और अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर दिनांक 20 जून 2012 का लाभ उठा रहा था या एक प्रथम स्तर के विक्रेता या द्वितीय स्तर के विक्रेता या एक पंजीकृत आयातक या किसी निर्माता का डिपो, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में, भण्डार में रखे गए इनपुट के संबंध में पात्र शुल्कों का क्रेडिट और निर्धारित दिन पर भण्डार में रखे गए अर्ध-निर्मित या निर्मित माल के इनपुट, नामतः निम्नलिखित शर्तों के अधीन, लेने के पात्र होंगे: (i) इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए इस तरह के इनपुट या सामान का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना है; (ii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत

ऐसे इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है; (iii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के अंतर्गत शुल्क का भुगतान करने वाले बीजक या अन्य निर्दिष्ट दस्तावेज अधीन है; (iv) इस तरह के चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज निर्धारित दिन से पहले बारह महीने से पहले तक जारी नहीं किए गए थे; और (v) सेवाओं के आपूर्तिकर्ता इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी छूट के लिए पात्र नहीं है।

बशर्ते कि, जहां किसी निर्माता या किसी सेवा के प्रदाता की अपेक्षा पंजीकृत व्यक्ति इनपुट के संबंध में शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में किसी चालान या अन्य किसी दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आते, तो ऐसा पंजीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अंतर्गत होगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त उक्त करयोग्य व्यक्ति प्राप्तकर्ता को कम कीमतों के माध्यम से ऐसे क्रेडिट के लाभ को पारित करेगा, जिस ढंग से निर्दिष्ट किया गया हो उसे ऐसी दर पर क्रेडिट लेने की अनुमति दी जाए।

मार्च 2018 के बोर्ड के निर्देशों के पैरा 6.1 के अनुसार कर अधिकारियों को उन मामलों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने की आवश्यकता है, जहां छूट प्राप्त माल से संबंधित जानकारी के कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा में पंजीकृत एक निर्धारिती द्वारा क्रेडिट दिखाया जा रहा है, और ध्यान से जांच करने के लिए कि क्या निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के प्रावधानों का पालन किया है।

चयनित चार⁶¹ सीजीएसटी कमिश्नरियों में 333 में से 167 ट्रांजिशनल क्रेडिट उद्घोषणाओं की जांच के दौरान, पांच मामलों में हमने करदाताओं द्वारा ₹ 7.69 करोड़ की राशि के भण्डार में माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के अनियमित दावे को देखा।

⁶¹ बेलापुर, भिवंडी, मुंबई दक्षिण और पुणे ।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

पुणे-1 सीजीएसटी कमिश्नरी में एक करदाता ने ट्रान-1 में तालिका 7(ए)⁶² के अंतर्गत ₹ 5.62 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। बीजकों/ दस्तावेजों की जांच के संबंध में, यह देखा गया कि इस तरह के इनपुट जम्मू-कश्मीर (जे एंड के) में स्थित उनकी मौजूदा पंजीकृत विनिर्माण इकाई से खरीदे गए थे। करदाता ने दिनांक 6 फरवरी 2010 की अधिसूचना संख्या 1/2010-सीई के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को मंजूरी दी, जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित एक इकाई से उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने से मंजूरी की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि उक्त अधिसूचना के अंतर्गत उनके द्वारा भुगतान किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कारण करदाता को ₹ 4.40 करोड़ के प्रतिदाय की मंजूरी दी गई थी, जिससे यह प्रमाणित होता है कि पीएलए के माध्यम से जे एंड के में विनिर्माण इकाई द्वारा पूर्व में भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क भाग को प्रतिदाय के माध्यम से विनिर्माण इकाई को वापस कर दिया गया था, जिसका तात्पर्य है कि माल छूट प्राप्त था। इसलिए, करदाता की जे एंड के इकाई से खरीदे गए भण्डार में पड़ा माल ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावे के लिए पात्र नहीं था। इसके परिणामस्वरूप भण्डार में माल पर ₹ 5.62 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा गलत था, जिसकी वसूली करने की आवश्यकता है।

जब हमने इस विषय में बताया (मई 2019), तो विभाग ने कहा (जून 2019) कि जम्मू एवं कश्मीर में अपनी इकाई से शुल्क के भुगतान पर करदाता द्वारा प्राप्त रद्द माल पर छूट प्राप्त माल के रूप में इस वजह से विचार नहीं किया जा सकता कि जम्मू एवं कश्मीर इकाई ने मूल्य संवर्धन पर देय शुल्क के प्रतिदाय का दावा किया है। विभाग ने यह भी कहा कि करदाता ने शुल्क भुगतान दस्तावेजों के तहत माल प्राप्त किया था तथा तालिका 7(ए) के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में दावा की गई राशि उचित और क्रमानुसार थी। तथापि, इस मामले में एक एससीएन जारी किया जा रहा था।

⁶² तालिका 7(ए): तालिका 5(ए) (धारा 140(3), 140(4)(बी), 140(6) और 140(7)) के तहत दावा किए गए क्रेडिट को छोड़कर क्रेडिट के रूप में दावा किए गए इनपुट पर शुल्क और करों की राशि)

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(3) में यह स्पष्ट रूप से अनुबंधित है कि कथित पंजीकृत व्यक्ति के पास ऐसे इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के तहत शुल्क के भुगतान का प्रमाण देने वाले बीजक अथवा अन्य निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए। उत्पाद शुल्क तत्व जिसका पहले ही पीएलए के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर में विनिर्माण इकाई द्वारा भुगतान किया जा चुका था, जो उस प्रतिदाय द्वारा विनिर्माण इकाई को वापस कर दिया गया था जिससे यह पता चलता था कि माल को शुल्क भुगतान से छूट दी गई थी। पुणे में करदाता ने अपनी जम्मू एवं कश्मीर इकाई से कर बीजक के कवर के तहत माल प्राप्त किया तथा तालिका 7(ए) के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया। ऐसे क्रेडिट के दावे के परिणामस्वरूप एक बार प्रतिदाय के रूप में तथा दूसरी बार ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में करदाता को अनुचित दोहरा लाभ हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

4.6.8 ईआर-1/एसटी-3 विवरणी दाखिल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) के अनुसार, धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने के इच्छुक व्यक्ति के अलावा, एक अन्य पंजीकृत व्यक्ति अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में मौजूदा कानून के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत नियम तिथि से शीघ्र पूर्व की तिथि पर समाप्त अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रेषित सेनवेट क्रेडिट की राशि का हकदार उस रूप में होगा जैसा कि इस शर्त के अध्यक्षीन निर्धारित किया गया हो कि पंजीकृत व्यक्ति को नियत तिथि से तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के लिए मौजूदा कानून के तहत सभी विवरणी दाखिल करनी होगी।

धारा 50(3) यह अनुबंधित करती है कि करयोग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उपधारा (10) के तहत इनपुट कर क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है अथवा धारा 43 की उपधारा (10) के तहत आउटपुट कर देयता में अनुचित या अधिक कमी करता है, वह ऐसे अनुचित या अधिक दावे पर अथवा ऐसी अनुचित या अधिक कमी जैसा भी मामला हो, पर चौबीस प्रतिशत से अधिक न होने वाली दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

मार्च 2018 के बोर्ड के निर्देशों के पैरा 4.3 में कर अधिकारियों को ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने वाले करदाता द्वारा पिछली छः माह की विवरणी की प्रस्तुति का सत्यापन करना अपेक्षित है।

चार कमिश्नरियों⁶³ में नमूना जांच के दौरान, हमने अपेक्षित ईआर-1/एसटी-3 विवरणी दाखिल किए बिना चार करदाताओं द्वारा ₹ 2.34 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ लेते पाया (परिशिष्ट-IV)।

ये मामलें जून तथा अगस्त 2020 के बीच मंत्रालय के संज्ञान में लाए गए। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

चेन्नई आउटर कमिश्नरी में ट्रांजिशनल क्रेडिट घोषणाओं की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक करदाता ने ट्रांज-1 घोषणा के माध्यम से ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में जून 2017 की ईआर 1 विवरणी (17 नवम्बर 2017 को विलंब से दाखिल की गई) में ₹ 25.34 लाख का अन्तः शेष अग्रेषित किया। तथापि, करदाता ने जनवरी से मई 2017 तक की अवधि हेतु ईआर-1 विवरणी दाखिल नहीं किया था जिससे उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने के लिए करदाता को अयोग्य घोषित किया गया। इसलिए, ट्रांजिशनल क्रेडिट की ₹ 25.34 लाख की संपूर्ण राशि की ₹ 13.68 लाख के ब्याज सहित वसूली किए जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि, नियत तिथि से पूर्व लगातार छः माह तक ईआर-1 विवरणी दाखिल न करने के मामलें को सिस्टम द्वारा चिन्हित किया गया, तथापि, रेंज अधिकारी सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ट्रांजिशनल क्रेडिट को अस्वीकृत न करके इस पर कार्रवाई करने में विफल रहा।

जब हमने इस विषय में बताया (दिसम्बर 2019) तब विभाग ने कहा (फरवरी 2020) कि करदाता को ब्याज सहित ₹ 25.34 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

⁶³ बेंगलुरु साउथ, बेलापुर, पुणे-1 तथा चेन्नई आउटर

4.6.9 ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा जो इनपुट, इनपुट सेवाओं तथा पूंजीगत माल के दायरे में नहीं आता

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(2) अनुबंधित करती है कि धारा 10 के तहत कर भुगतान के इच्छुक व्यक्ति के अलावा एक अन्य पंजीकृत व्यक्ति अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में मौजूदा कानून के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत नियत तिथि से शीघ्र पूर्व की तिथि पर समाप्त अवधि के लिए विवरणी में अग्रेषित न किए गए पूंजीगत माल के संबंध में न लिए गए सेनवेट क्रेडिट के क्रेडिट का हकदार उस रूप में होगा जैसा निर्धारित है बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को तब तक क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कथित क्रेडिट मौजूदा कानून के तहत सेनवेट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो तथा इस अधिनियम के तहत इनपुट कर क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य न हो।

कथित अधिनियम की धारा 140(3) में प्रावधान है कि प्रथम चरण में विक्रेता अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में नियत तिथि पर भण्डार में रखे इनपुटों के संबंध में योग्य शुल्क का क्रेडिट लेने का हकदार होगा।

तीन कमिश्नरियों⁶⁴ में नमूना जांच के दौरान, हमने तीन मामलों में ट्रांजिशनल क्रेडिटों के अनियमित दावे देखे जो उक्त उद्धरित प्रावधानों का अनुपालन किए बिना ₹ 0.69 करोड़ (परिशिष्ट-IV) के राजस्व वाले इनपुटों, इनपुट सेवाओं तथा पूंजीगत माल के दायरे में नहीं आते।

जब हमने इस विषय में बताया (अगस्त तथा दिसम्बर 2019 के बीच), तब मंत्रालय ने एक मामले में आपत्ति को स्वीकार करते हुए ₹ 18.83 लाख की वसूली की सूचना दी (अगस्त 2020)। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

सेनवेट क्रेडिट नियमावली (सीसीआर), 2004 के नियम 2(1) यथा संशोधित के अनुसार, 'इनपुट सेवा' से तात्पर्य उस सेवा को प्रदान करने के लिए आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी सेवा से है। सीसीआर के

⁶⁴ चेन्नई आउटर, गुन्टर तथा मेडचल

नियम 3 में यह प्रावधान है कि आउटपुट सेवा प्रदाता को निर्धारित शुल्क तथा करों का क्रेडिट लेने की स्वीकृति दी जाएगी जिसके तहत आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किसी इनपुट सेवा पर भुगतान किया जाएगा।

वलाजाबाद रेंज, मराईमलाई नगर डिवीजन, चेन्नई आउटर कमिश्नरी में ट्रांजिशनल क्रेडिट घोषणाओं की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि व्यवसाय सहायक सेवा प्रदान करने में संलग्न एक करदाता, एक प्रथम चरण के विक्रेता ने धारा 140(1) के अनुसार तथा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140(3) के तहत नियत तिथि पर भण्डार में रखे इनपुटों पर भुगतान किए गए शुल्क पर ₹ 59.49 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ लिया।

हमने देखा कि तत्कालीन कानून के तहत करदाता ने ₹ 18.83 लाख की गोदाम किराया राशि पर भुगतान किए गए सेवाकर के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया तथा इसे क्रेडिट बकाया के रूप में अग्रेषित किया। गोदाम को आगामी बिक्री हेतु रखे आयातित माल को संग्रहित करने के लिए पट्टे पर लिया गया था तथा इसका करदाता द्वारा प्रदत्त आउटपुट सेवा से कोई संबंध नहीं था जो मुख्य कंपनी से प्राप्त बिक्री कमीशन की वजह से था। इसलिए, आयातित माल का भण्डारण करने के लिए भुगतान किया गया पट्टा किराया सीसीआर, 2004 में परिभाषित अनुसार “इनपुट सेवा” के दायरे में नहीं आता था। इसके फलस्वरूप, ₹ 18.83 लाख का सेवाकर क्रेडिट का लाभ लिया गया तथा ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में अग्रेषित किया गया सेवा कर क्रेडिट अस्वीकार्य था तथा ₹ 10.17 लाख के ब्याज सहित करदाता से वसूली योग्य था।

जब हमने इस विषय में बताया (दिसम्बर 2019) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह सूचना दी (अगस्त 2020) कि करदाता ने ₹ 18.83 लाख का भुगतान किया था तथा ब्याज के लिए एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।

4.6.10 ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित अन्य अनियमितताएं

16 कमिश्नरियों⁶⁵ में 27 मामलों के संबंध में, हमने ₹ 17.20 करोड़ (परिशिष्ट-IV) के राजस्व वाले पूर्व पैराग्राफों में दर्शाए गए मामलों के अलावा

⁶⁵ गांधीनगर, बंगलुरु ईस्ट, चेन्नई नॉर्थ, कोयम्बटूर (ऑडिट), हैदराबाद, हैदराबाद (ऑडिट-1), भुवनेश्वर, राउरकेला, बेलापुर, भिवंडी, मुंबई साउथ, पुणे-1, रांची, विशाखापत्तनम, गुंटूर और अहमदाबाद साउथ

अन्य मामलों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट के अनियमित दावे पाए।

जब हमने इस विषय में बताया (नवम्बर 2018 तथा फरवरी 2020 के बीच) तब मंत्रालय ने 13 मामलों में आपत्ति को स्वीकार करते हुए तीन मामलों में ₹ 47.31 लाख की वसूली की सूचना दी (अगस्त तथा दिसम्बर 2020 के बीच)। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:-

(क) कार्य अनुबंध सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

केन्द्रीय माल तथा सेवा अधिनियम (सीजीएसटी अधिनियम), 2017 की धारा 140(3) में वर्णित है कि एक पंजीकृत व्यक्ति जो कार्य अनुबंध सेवा प्रदान कर रहा था तथा अधिसूचना संख्या 26/2012-एसटी दिनांक 20 जून 2012 (निर्माण) सेवाओं की श्रेणी के तहत सेवा कर का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों को छूट प्रदान करता है) का लाभ भी ले रहा था, वह भण्डार में रखे इनपुटों तथा नियत तिथि पर भण्डार में रखे अर्ध-तैयार या तैयार माल में निहित इनपुटों के संबंध में योग्य शुल्क का क्रेडिट लेने का हकदार होगा।

बैंगलुरु पूर्व कमिश्नरी के तहत एईडी-। रेंज में ट्रांजिशनल क्रेडिट घोषणाओं की नमूना जांच के दौरान, हमने देखा कि एक करदाता तत्कालीन सेवाकर तंत्र में आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए निर्माण कार्य अनुबंध सेवाएं प्रदान करने में संलग्न था। करदाता द्वारा दावा किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट का सत्यापन करते समय, हमने देखा कि करदाता ने भण्डार में रखे इनपुटों के संबंध में ₹ 4.81 करोड़ का ट्रांजिशनल क्रेडिट लिया था। आगे सत्यापन से यह पता चला कि करदाता अधिसूचना संख्या 26/2012-एसटी, दिनांक 20 जून 2012 का लाभ उठाए बिना निर्माण कार्य अनुबंध सेवा के तहत सेवा कर का भुगतान कर रहा था। अतः करदाता ₹ 4.81 करोड़ के कथित क्रेडिट को अग्रेषित करने के लिए योग्य नहीं था।

हालांकि, विभाग द्वारा इस मामले को सत्यापित किया गया था तथापि, विभाग द्वारा इस चूक का पता नहीं लगाया गया।

जब हमने इस विषय में बताया (जनवरी 2019) तब विभाग ने कहा (अगस्त 2019) कि बैंगलुरु लेखापरीक्षा कमिश्नरी-। ने आन्तरिक लेखापरीक्षा

(मार्च 2019) के दौरान करदाता द्वारा लिए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट को सत्यापित किया तथा कोई विसंगति नहीं पाई।

विभाग का उत्तर सामान्य था तथा इसमें उस आधार को निर्दिष्ट नहीं किया गया जिस पर करदाता कथित क्रेडिट लेने के योग्य था। विभाग का उत्तर चूक का पता लगाने में आन्तरिक लेखापरीक्षा की विफलता को ही नहीं दर्शाता अपितु इस तथ्य को भी दर्शाता है कि इसने लेखापरीक्षा आपत्ति में दर्शाई गई चूक को वास्तविक रूप से नहीं बताया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

(ख) अस्वीकार्य मदों पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

(i) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) यह वर्णित करती है कि धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने के इच्छुक व्यक्ति के अलावा, एक अन्य पंजीकृत व्यक्ति अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में मौजूदा कानून के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत नियम तिथि से शीघ्र पूर्व की तिथि पर समाप्त अवधि से संबंधित विवरणी में अग्रेषित सेनवेट क्रेडिट की राशि का हकदार उस रूप में होगा जैसा निर्धारित है। बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को तब तक क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कथित क्रेडिट मौजूदा कानून के तहत सेनवेट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो तथा इस अधिनियम के तहत इनपुट कर क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य न हो।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140(2) अनुबंधित करती है कि धारा 10 के तहत कर भुगतान के इच्छुक व्यक्ति के अलावा एक अन्य पंजीकृत व्यक्ति अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में मौजूदा कानून के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत नियत तिथि से शीघ्र पूर्व की तिथि पर समाप्त अवधि के लिए विवरणी में अग्रेषित न किए गए पूंजीगत माल के संबंध में न लिए गए सेनवेट क्रेडिट के क्रेडिट का हकदार उस रूप में होगा जैसा निर्धारित है बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को तब तक क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कथित क्रेडिट मौजूदा कानून के तहत सेनवेट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो तथा इस अधिनियम के तहत इनपुट कर क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य न हो।

इसके अलावा, एक पेट्रोलियम उत्पाद होने के नाते प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है तथा इस पर मौजूदा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून लागू है।

अहमदाबाद साउथ कमिश्नरी के तहत रेंज I में ट्रान-1 घोषणाओं की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक करदाता ने विनिर्मित उत्पादों से संबंधित सेनवेट क्रेडिट के संबंध में ₹ 2.21 करोड़ के इनपुट कर क्रेडिट का दावा किया जो माल तथा सेवाकर के दायरे से बाहर है। करदाता बिक्री, खरीद, आपूर्ति, वितरण, परिवहन सहित गैस वितरण के व्यापार, प्राकृतिक गैस के व्यापार, पाइपलाइनों, ट्रकों या परिवहन के अन्य प्रकार के माध्यम से संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) तथा पाइपड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के व्यापार में लगा है। जीएसटी तंत्र में परिवर्तन के पश्चात, निर्धारिती ने अपने उस विनिर्मित उत्पादों (प्राकृतिक गैस) पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/वैट के भुगतान के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तंत्र के तहत अपना पंजीकरण अनुरक्षित रखा जोकि जीएसटी के दायरे से बाहर है। चूंकि निर्धारिती द्वारा विनिर्मित उत्पादों (सीएनजी, पीएनजी) पर जीएसटी नहीं लगता अतः इन उत्पादों के विनिर्माण से संबंधित किसी इनपुट/इनपुट सेवाओं/पंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट भी जीएसटी अधिनियम के तहत इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में अग्रेषित करने योग्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.21 करोड़ के अस्वीकार्य सेनवेट क्रेडिट को अग्रेषित किया गया जिसकी वसूली किए जाने की आवश्यकता है।

जब हमने इस विषय में बताया (नवम्बर 2019) तब आपत्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2020) कि ड्राफ्ट एससीएन प्रक्रियाधीन था।

(iii) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(1) के अनुसार, यथा निर्धारित ऐसी शर्तों तथा प्रतिबंधों के अधीन तथा धारा 49 में निर्देष्ट तरीके से प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति माल अथवा सेवा अथवा दोनों की ऐसी किसी आपूर्ति पर उस पर प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा जिसे उसके व्यावसाय की अवधि अथवा सहायता में उपयोग किया गया है अथवा उपयोग किए जाने हेतु अभीष्ट है तथा कथित राशि को ऐसे व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में क्रेडिट किया जाएगा।

इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 17(5) के अनुसार, धारा 16 की उप-धारा (1) तथा धारा 18 की उपधारा (1) में शामिल होने के बावजूद (क) मोटर वाहन तथा अन्य वाहनों के संबंध में इनपुट कर क्रेडिट तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि उनका उपयोग कर योग्य आपूर्तियां, (ख) खाद्य तथा पेय पदार्थों की आपूर्ति, आउटडोर कैटरिंग, बाह्य करयोग्य आपूर्ति करने के लिए कोई आवक आपूर्ति, (ग) किराया-ए-टैक्सी, जीवन बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा केवल उसे छोड़कर जहां सरकार ने उन सेवाओं को अधिसूचित किया है जो लागू होने के समय किसी कानून के तहत किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए अनिवार्य है, (घ) जब ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग व्यवसाय की अवधि अथवा सहायता में किया गया हो, के सहित उसके स्वयं के खाते में अचल सम्पत्ति (संयंत्र या मशीनरी के अलावा अन्य) के निर्माण के लिए एक करयोग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, (ड.) निजी उपभोग के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाएं या दोनों के संबंध में इनपुट कर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। यदि इनपुट क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है या किसी भी कारण से उसका उपयोग किया गया है तो अधिनियम की धारा 73 अथवा 74 के तहत ब्याज सहित वसूली की जा सकती है।

भुवनेश्वर कमिश्नरी के तहत पारादीप II रेंज की लेखापरीक्षा अवधि (अगस्त 2019) के दौरान, एक करदाता की जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि की जीएसटीआर-3बी विवरणी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही तथा जीएसटी आईटीसी रजिस्टर की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि करदाता ने अस्वीकार्य माल अर्थात् सीमेंट, टीएमटी बार, निगम अस्पताल हेतु दवाईयों तथा सेवाओं अर्थात् सिविल कार्यों, कैंटीन, गेस्ट हाउस के खर्चों, सिविल टाउनशिप के रख-रखाव आदि पर भुगतान किए गए जीएसटी पर आईटीसी का अनियमित रूप से लाभ लिया था जोकि उक्त प्रावधानों के अनुसार अस्वीकार्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ की राशि की अस्वीकार्य मदों पर अनियमित इनपुट कर क्रेडिट लिया गया जिसे ब्याज तथा शास्ति सहित वापस करने की आवश्यकता है।

जब हमने इस विषय में बताया (जनवरी 2019) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया (नवम्बर 2020) कि करदाता को एससीएन जारी किए गए थे।

(ग) स्रोत पर कर कटौती के मूल्य के तहत वैट के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73(1) यह वर्णित करती है कि जहां उचित अधिकारी को यह पता चले कि किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलत तरीके से प्रतिदाय दिया गया है अथवा जहां इनपुट कर क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है अथवा धोखाधड़ी या जानबूझकर दिए गए गलत बयान या कर अपवंचन हेतु तथ्य छुपाने के कारणों के अलावा अन्य किसी कारण हेतु उपयोग किया गया हो, तो वह उस कर के प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस देगा जिसका भुगतान नहीं किया गया है अथवा जिसका कम भुगतान किया गया है अथवा जिसको गलती से प्रतिदाय दिया गया है अथवा जिसने गलत तरीके से इनपुट कर क्रेडिट लिया है या उपयोग किया है, जिसमें उसे वह कारण बताना अपेक्षित है कि उसे धारा 50 के तहत देय ब्याज इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके तहत बने नियमों के तहत उद्ग्राह्य शास्ति सहित नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए।

रांची सीजीएसटी कमिश्नरी के तहत आने वाले के गिरिडीह डिवीजन में रेंज II ट्रांजिशनल क्रेडिट घोषणाओं की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि एक करदाता ने ट्रान-1 घोषणा के माध्यम से ₹ 2.16 करोड़ के वैट क्रेडिट का दावा किया। सत्यापन के पश्चात् राज्य कर प्राधिकरण ने केन्द्रीय कर प्राधिकरण को सूचना दी कि करदाता द्वारा ₹ 2.16 करोड़ का आईटीसी दावा अस्वीकार्य था क्योंकि कथित राशि स्रोत पर कर कटौती की राशि थी। इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 73 के तहत कार्रवाई आरंभ की जानी थी। तथापि, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की तिथि तक (दिसम्बर 2018) धारा 73 के तहत कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

जब हमने इस विषय में बताया (दिसम्बर 2018), तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह कहा (सितम्बर 2020) कि अयोग्य आईटीसी की वसूली के लिए धारा 73 के अनुसार कार्रवाई की गई है।

(घ) समान सेनवेट क्रेडिट के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट तथा प्रतिदाय दोनों का अनियमित रूप से अनुमत करना

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 142(3) में यह प्रावधान है कि मौजूदा कानून के तहत भुगतान किए गए सेनवेट क्रेडिट, शुल्क, कर, ब्याज की राशि या किसी अन्य राशि के प्रतिदाय के लिए नियत तिथि से पूर्व, उस पर अथवा उसके पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किए गए प्रतिदाय के प्रत्येक दावे को मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा तथा उसके प्रति प्रोद्भूत किसी राशि का भुगतान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11बी की उपधारा (2) के प्रावधानों के अलावा अन्य मौजूदा कानून के प्रावधानों के तहत निहित के विपरीत होने के बावजूद नकद में किया जाएगा। बशर्ते कि जहां सेनवेट क्रेडिट के प्रतिदाय हेतु किसी दावे को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाएं, वहां अस्वीकार की गई राशि समाप्त हो जाएगी। आगे प्रावधान है कि जहां नियत तिथि तक कथित राशि के बकाया को ट्रान-1 के माध्यम से अग्रेषित किया गया है, वहां सेनवेट क्रेडिट की किसी राशि पर कोई प्रतिदाय स्वीकृत नहीं होगा।

पुणे-। सीजीएसटी कमिश्नरी में ट्रांजिशनल क्रेडिट घोषणाओं की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि एक करदाता ने ट्रान-1 के माध्यम से ₹ 1.54 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। हमने देखा कि करदाता ने जुलाई 2016 से सितम्बर 2016 तथा अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2016 तक की अवधि हेतु सेवाओं के निर्यात के प्रति अधिसूचना संख्या 27/2012-सीई (एनटी) दिनांक 18 जून 2012 के साथ पठित सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 5 के तहत ₹ 1.54 करोड़ की समान राशि के दो प्रतिदाय दावे दाखिल किए थे। कथित प्रतिदाय दावों को करदाता के लिए संस्वीकृत किया गया था। इस प्रकार, ₹ 1.54 करोड़ के अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट जिसके लिए प्रतिदाय संस्वीकृत किया गया है, उसकी वसूली किए जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि इस मामले को विभाग द्वारा सत्यापित किया गया था अतः यह इस चूक को नहीं दर्शाता।

जब हमने इस विषय में बताया (मई 2019) तब विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया (जून 2019) कि ₹ 1.38 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी तथा ₹ 15.76 लाख की बकाया राशि की वसूली की जा रही थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

प्रणालीगत मुद्दा

4.6.11 अपर्याप्त अभिलेखों पर विभाग द्वारा किया गया ट्रांजिशनल क्रेडिट सत्यापन

बोर्ड ने ट्रांजिशनल क्रेडिट सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाली 14 जांच निर्धारित की थी। इन 14 जांच को करने के लिए विभिन्न रिकॉर्ड/सूचना अपेक्षित थी। दिशानिर्देश लेख के पैरा 13.1 के अनुसार, यह निर्देश भी दिए गए थे कि करदाता से संपर्क किए बिना विभाग के पास पहले से ही उपलब्ध डाटा के आधार पर ट्रान-1 क्रेडिट को सत्यापित करने के लिए अग्रणी प्रयास किए जाने चाहिए। जहां ऐसे सत्यापन के लिए करदाता से संपर्क करने की आवश्यकता होती है वहां पर्याप्त लीड समय देने तथा उस विशिष्ट सूचना को मांगने के लिए एक पत्र लिखा जाए जो उक्त सूचीबद्ध चौदह जांच बिन्दुओं के अनुसार सत्यापन में सहायता करेगी। संबंधित कमिश्नरी में प्राप्त किए गए परिणामों के रिकॉर्ड अनुरक्षित किए जाएंगे तथा उस तिमाही जिसमें सत्यापन पूर्ण किया गया हो, के अगले माह की 10 तारीख पर अथवा उससे पूर्व बोर्ड को सूचना दी जाएगी।

केस फाइलों में उपलब्ध रिकॉर्डों की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पुणे-1 तथा बेलापुर, के सीजीएसटी कमिश्नरियों की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, लेखापरीक्षा ने सभी ट्रान-1 सत्यापित मामलों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। केस फाइलों के अवलोकन पर, यह देखा गया कि केस फाइलों में रिकॉर्ड तथा सूचना बहुत सीमित थी बल्कि प्रस्तुत केस फाइलों में ट्रान-1 फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही, ट्रान-1 फार्म की विभिन्न तालिकाओं में दावा

किए गए क्रेडिट का विवरण, पिछले 6 माह के लिए ईआर-1/एसटी-3 विवरणी, इलेक्ट्रॉनिक कैश खाता बही आदि की प्रति जैसे मूल रिकॉर्ड/सूचना भी उपलब्ध नहीं थी। ट्रान-1 सत्यापन फाइलों में उपलब्ध रिकॉर्ड/सूचना पूरी तरह से अपर्याप्त थी।

जब हमने इस विषय में बताया (मई 2019) तब विभाग ने कहा (जुलाई 2019) कि एआईओ कम्प्यूटर टर्मिनल (ऑल इन वन) पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं थे क्योंकि विभाग के सभी बैंक एंड सिस्टम संस्थापित नहीं थे। अतः चरण-1 में की गई सत्यापन प्रक्रिया में प्रमुख रूप से उन दस्तावेजों/सूचना जो शीघ्र उपलब्ध थी अथवा करदाताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

विभाग का उत्तर दर्शाता है कि ट्रान-1 मामलों का सत्यापन बोर्ड के दिशानिर्देश लेख के अनुसार किया गया तथा ट्रान-1 सत्यापन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी सीमित कार्रवाई को सर्वोत्तम नहीं माना जा सकता।

उक्त सभी मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

भाग ख : प्रतिदाय

4.7 प्रतिदाय दावों की लेखापरीक्षा का विहंगावलोकन

अक्टूबर 2018 से मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान, हमने 33 सीजीएसटी कमिशनरियों में 23,106 में से 4,736 प्रतिदायों से संबंधित अभिलेखों की जांच की। हमने ₹ 16.16 करोड़ की राशि वाले 280 दावों (6 प्रतिशत) में प्रतिदायों के प्रसंस्करण में मौजूदा प्रावधानों का अननुपालन देखा। इनमें से 53 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए विभाग ने 15 मामलों में ₹ 1.87 करोड़ की वसूली की सूचना दी। 280 दावे जिसके प्रति सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं को लेखापरीक्षा आपत्ति जारी की गई थी, में से 42 दावों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख से अधिक की धनराशि थी तथा 238 दावों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख से कम की धनराशि थी।

इस प्रतिवेदन में छः कमिशनरियों में ₹ 8.26 करोड़ की धनराशि वाली पच्चीस महत्वपूर्ण आपत्तियों को शामिल (परिशिष्ट-V) किया गया है जैसा कि नीचे वितरण दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

देखे गए मामले	सम्मिलित कमिश्नरियां	मामलों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्ति की राशि
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में न्यूनतम बकाया पर विचार न करने के कारण अनियमित प्रतिदाय देना	2	10	5.57
पंजीगत माल पर लिए गए इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय की अनियमित संस्वीकृति	2	3	1.18
अन्य मामले	3	12	1.51
कुल		25	8.26

इन 25 मामलों में से मंत्रालय ने ₹ 32.54 लाख की राशि वाले दो मामलों में आपत्ति स्वीकार की तथा ₹ 32.54 लाख की वसूली की सूचना दी (अगस्त तथा अक्टूबर 2020 के बीच)। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है। अनुपालन मुद्दों पर दो मामलों तथा प्रणालीगत मुद्दों पर दो मामलों का नीचे उल्लेख किया गया है:-

4.7.1 करावधि की समाप्ति पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाताबही में न्यूनतम बकाया पर विचार न करने के कारण अनियमित रूप से प्रतिदाय देना

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 54(3) वर्णित करती है कि करावधि की समाप्ति पर पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा शून्य-दर पर आपूर्तियों के संबंध में आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 89(3) में यह प्रावधान है कि इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय हेतु, आवेदक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही को इस प्रकार दावा किए गए प्रतिदाय के समान राशि से डेबिट किया जाएगा। इसके अलावा, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) नियमावली, 2017 का नियम 89(4) उस सूत्र का वर्णन करता है जिसके अनुसार माल या सेवाओं की शून्य-दर पर आपूर्ति में प्रतिदाय दिया जाएगा।

$$\text{प्रतिदाय राशि} = (\text{माल की शून्य-दर पर आपूर्ति की कुल बिक्री} + \text{सेवाओं की शून्य-दर पर आपूर्ति की कुल बिक्री}) \times \text{निवल आईटीसी} \div \text{समायोजित कुल कुल बिक्री}$$

जहां “निवल आईटीसी” से तात्पर्य संबंधित अवधि के दौरान इनपुट तथा इनपुट सेवाओं पर लिए गए इनपुट कर क्रेडिट से है तथा प्रतिदाय राशि से तात्पर्य उस अधिकतम प्रतिदाय राशि से है जो स्वीकार्य है।

सीबीआईसी ने दिनांक 4 सितम्बर 2018 के परिपत्र द्वारा यह स्पष्ट किया है कि शून्य दर पर आपूर्तियों के अनुपयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय योग्य राशि की संगणना निम्नलिखित राशि से कम से कम के रूप में की जानी है:

- (क) सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 89(4) में वर्णित सूत्र के अनुसार अधिकतम प्रतिदाय राशि;
- (ख) दावेदार की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में बकाया को उस करावधि की समाप्ति पर जमा किया गया है जिसके लिए कथित अवधि हेतु प्रतिदाय के पश्चात् प्रतिदाय दावा दाखिल किया जा रहा है; तथा
- (ग) लागू प्रतिदाय जमा करते समय दावेदार की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में बकाया।

इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 142 के अनुसार, मौजूदा कानून (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 तथा वित्त अधिनियम, 1994) के तहत भुगतान किए गए कर/शुल्क के प्रतिदाय का निपटान मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

सीबीआईसी के दिनांक 15 नवम्बर 2017 के निर्देशों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश भी दिया कि सभी जीएसटी प्रतिदाय आदेशों की पश्च-लेखापरीक्षा मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर की जानी है। दिनांक 16 मई 2008 के परिपत्र के पैरा 2.6 में यह वर्णित है कि पश्च-लेखापरीक्षा प्रतिदाय के मूल आदेश की तिथि के दो माह के अन्दर पूर्ण हो।

- (i) केन्द्रीय कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क डिवीजन पैरुम्बवूर में प्रतिदाय दावों (जनवरी 2019) की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि एक करदाता

ने जुलाई 2017 माह के लिए ₹ 2.56 करोड़ (सीजीएसटी के रूप में ₹ 2.34 करोड़ तथा एसजीएसटी के रूप में ₹ 22.56 लाख) के आईटीसी प्रतिदाय का आवेदन किया था (फरवरी 2018) तथा विभाग ने ₹ 2.54 करोड़ (सीजीएसटी के रूप में ₹ 2.32 करोड़ तथा एसजीएसटी के रूप में ₹ 22.04 लाख) के प्रतिदाय को संस्वीकृति दी थी (अप्रैल 2018)। तथापि, जुलाई 2017 की समाप्ति पर ईसीएल में अप्रयुक्त आईटीसी बकाया होते हुए योग्य प्रतिदाय ₹ 27.97 लाख (अर्थात् सीबीआईसी मानदंड के अनुसार कम से कम तीन राशियां) था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.27 करोड़ के सीजीएसटी प्रतिदाय की अनियमित संस्वीकृति हुई। इसके अलावा, हमने यह देखा कि ₹ 2.54 करोड़ (सीजीएसटी के रूप में ₹ 2.32 करोड़ तथा एसजीएसटी के रूप में ₹ 22.04 लाख) के संस्वीकृत प्रतिदाय में ₹ 1.15 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट शामिल था जिसका प्रतिदाय सही नहीं था।

भले ही उक्त मामले में प्रतिदाय अप्रैल 2018, में संस्वीकृत किया गया था तथापि पश्च लेखापरीक्षा नहीं की गई जोकि सांविधिक अनुपालन के साथ-साथ अंकगणितीय सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध एकमात्र जांच थी।

इसके अलावा, ₹ 3.60 लाख के एसजीएसटी प्रतिदाय को ₹ 2.27 करोड़ के अधिक सीजीएसटी प्रतिदाय के प्रति समायोजित किया गया जबकि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 49(5)(एफ) केन्द्रीय कर के भुगतान के प्रति राज्य के कर अथवा संघ शासित क्षेत्र के कर के उपयोग की अनुमति नहीं देती।

जब हमने इस विषय में बताया (जनवरी 2019), तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार न करते हुए यह कहा (अक्टूबर 2020) कि जीएसटी पोर्टल पर प्रतिदाय आवेदन के अनुसार दावा किए जाने वाले प्रतिदायों की संगणना में विवरण 3ए के अनुसार मूल्य, इलेक्ट्रॉनिक कैश खाता बही में बकाया, अवधि के दौरान लिए गए कर क्रेडिट तथा उपयुक्त राशि (सभी में कम) सम्मिलित थी। तीन राशियों में सबसे कम की संगणना करने का विकल्प दिनांक 4 सितम्बर 2018 के परिपत्र के पश्चात् प्रभावी हुआ। आगे यह कहा गया कि एक सुरक्षात्मक कारण बताओं मांग भी जारी की गई है। सीजीएसटी के प्रति ₹ 3.60 लाख के एसजीएसटी के समायोजन के संबंध में, यह सूचना दी गई

कि कारण बताओं नोटिस के अधिनिर्णयन के दौरान सीजीएसटी तथा एसजीएसटी का अंतिम समायोजन किया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 4 सितम्बर 2018 का परिपत्र स्पष्टात्मक प्रकृति का है तथा प्रतिदाय संबंधी मामलों पर स्पष्टीकरण प्रदान करता है। उक्त उद्धरित प्रावधानों के अनुसार, प्रतिदाय को संविधि के प्रावधानों के अनुसार तीन में से सबसे कम राशि के रूप में संगणित किया जाना अपेक्षित है। प्रतिदाय मामले की पश्च लेखापरीक्षा न करवाने के पहलू पर मंत्रालय के उत्तर में उल्लेख नहीं किया गया है।

(iii) मुम्बई ईस्ट कमिश्नरी में डिवीजन IV के प्रतिदाय अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक करदाता के दावा किए अनुसार जुलाई 2017 के माह हेतु माल की शून्य दर पर आपूर्ति के कारण ₹ 2.45 करोड़ के प्रतिदाय की संस्वीकृति की गई (जुलाई तथा सितम्बर 2018)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि कथित अवधि के लिए विवरणी दाखिल करने के पश्चात् करावधि की समाप्ति पर दावेदार के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में ₹ 1.10 करोड़ बकाया था। इसके सबसे कम होने के नाते दावेदार ₹ 1.10 करोड़ की सीमा तक प्रतिदाय का हकदार था। इस प्रकार, ₹ 1.35 करोड़ (सीजीएसटी: 48.25 लाख, एसजीएसटी: ₹ 48.25 लाख तथा आईजीएसटी: ₹ 38.32 लाख) के प्रतिदाय की अधिक अनुमति दी गयी।

जब हमने इस विषय में बताया (फरवरी 2019), तब पैरा को स्वीकार न करते हुए (मार्च 2019) विभाग ने तर्क दिया कि दिनांक 15 नवम्बर 2017 के परिपत्र बोर्ड द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार जीएसटी पोर्टल द्वारा प्रतिदाय राशि की संगणना की गई थी तथा विभाग ने निर्देशों के अनुसार केवल हस्त्य रूप से दावों को संसाधित किया था। इसके अलावा, विभाग का मत था कि प्रतिदाय योग्य राशि का निर्धारण करने की संशोधित पद्धति का अनुसरण दिनांक 4 सितम्बर 2018 के परिपत्र के जारी होने की तिथि के पश्चात् किया जाना था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड का परिपत्र कानून के प्रयोजन की व्याख्या करते हुए स्पष्टीकरण के स्वरूप का है। विधायिका का प्रयोजन शून्य दर पर आपूर्तियों के संबंध में आईटीसी के पूर्ण प्रतिदाय को स्वीकृत न

करना था जबकि वास्तव में इसे स्थानीय आपूर्तियों के लिए देयताओं के निर्वहन हेतु आंशिक रूप से उपयोग किया गया तथा करावधि की समाप्ति पर क्रेडिट खाता बही में बकाया लिए गए आईटीसी से कम था। प्रथम दृष्टतया से यह प्रतीत हुआ कि प्रतिदाय मापांक बनाने में विसंगतियां थीं तथा जैसे कि सामान्य पोर्टल ने इस बात के बावजूद प्रतिदाय दावे को स्वीकार किया कि करावधि की समाप्ति पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में बकाया प्रतिदाय के रूप में दावा किए गए संग्रहित आईटीसी से कम था। इसके अलावा, विभाग का यह तर्क कि दिनांक 4 सितम्बर 2018 के बोर्ड के परिपत्र में स्पष्ट किए गए प्रतिदाय का निर्धारण करने की पद्धति परिपत्र जारी होने की तिथि से लागू थी, स्वीकार्य नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

4.7.2 पूंजीगत माल पर लिए गए इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय की अनियमित संस्वीकृति

चेन्नई आउटर कमिश्नरी के मराईमलाई नगर डिवीजन में प्रतिदाय दावों की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक करदाता के करावधि अक्टूबर से दिसम्बर 2017 के लिए तीन प्रतिदाय दावों में ₹ 5.65 करोड़ के अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय को संस्वीकृत किया गया। प्रतिदाय राशि प्राप्त करने के लिए “निवल आईटीसी” की संगणना करते समय, करदाता ने पूंजीगत माल पर लिए गए ₹ 1.10 करोड़ के आईटीसी को शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ के प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति हुई जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 के साथ पठित धारा 73 के अनुसार ब्याज सहित वसूली योग्य था। यद्यपि, प्रतिदाय दावों को पश्च लेखपरीक्षा के लिए भेजा गया था तथापि, यह अधिक प्रतिदाय नहीं देखा गया।

जब हमने इस विषय में बताया (अक्टूबर 2019), तब मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2020) कि ₹ 1.10 करोड़ के अधिक प्रतिदाय की वसूली ₹ 27.28 लाख के ब्याज सहित की गई थी (मार्च 2020)।

प्रणालीगत मुद्दे

4.7.3 समकक्ष कर प्राधिकरण को प्रतिदाय आदेश सूचित करने में असामान्य विलम्ब

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(7) अनुबंधित करती है कि सभी संदर्भों में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के अन्दर प्रतिदाय आदेश जारी किया जाएगा। इसके अलावा, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 91(2) में प्रावधान है कि प्रतिदाय दावे तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की संवीक्षा के पश्चात् और इस बात से प्रथम दृष्टतया संतुष्ट होते हुए कि प्रतिदाय के रूप में दावा की गयी राशि को, संस्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी पावती की तिथि से सात दिन से अनधिक अवधि के अन्दर अनन्तिम आधार पर कथित आवेदक को देय प्रतिदाय की राशि को स्वीकृत कर सकता है।

इसके अलावा, दिनांक 21 दिसम्बर 2017 के बोर्ड के परिपत्र के अनुसार, केन्द्रीय कर प्राधिकरण या राज्य कर/यूटी कर प्राधिकरण द्वारा जारी प्रतिदाय आदेश को कर अथवा उपकर जैसा भी मामला हो, की संबंधित संस्वीकृत राशि के भुगतान के प्रयोजन के लिए 7 कार्यकारी दिवसों के अन्दर संबंधित समकक्ष कर प्राधिकरण को सूचना दी जाएगी। प्रतिदाय आदेशों की संस्वीकृति हेतु सीजीएसटी अधिनियम तथा नियमावली की क्रमशः धारा 54(7) तथा नियम 91(2) के तहत निर्दिष्ट समयसीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी इसे दोहराया गया था।

मुम्बई ईस्ट कमिश्नरी में प्रतिदाय दावों की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि दिसम्बर 2018 तक जारी 3,730 प्रतिदाय आदेशों में से कमिश्नरी ने 16 से 195 दिनों के बीच विलम्ब के साथ राज्य कर प्राधिकरण को आगे की ओर संचरण के लिए प्रधान मुख्य आयुक्त के कार्यालय, मुम्बई में नोडल अधिकारी को ₹ 47 करोड़ वाले 972 प्रतिदाय आदेश (26 प्रतिशत) अग्रेषित किए। विभाग ने संबंधित करदाताओं को प्रतिदाय के आगामी भुगतान के लिए राज्य कर प्राधिकरण को इन आदेशों को भेजने की सही तिथि सूचित नहीं की।

इसके अलावा, उपलब्ध कराए गए डाटा से यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 (दिसम्बर 2018 तक) के दौरान राज्य कर प्राधिकरण द्वारा प्रेषित 4,519 प्रतिदाय आदेशों में से ₹ 419.37 करोड़ के 4,382 प्रतिदाय दावे (97 प्रतिशत) 16 से 383 दिनों के बीच विलम्ब के साथ प्रतिदाय दावे के भुगतान के लिए मुम्बई ईस्ट कमिश्नरी द्वारा पीएओ को अग्रेषित किए गए।

विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि क्या उक्त वर्णित मामलों पर प्रतिदाय के विलम्बित भुगतान पर करदाताओं को ब्याज का भुगतान किया गया था।

इसे मार्च 2019 में विभाग के संज्ञान में लाया गया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

4.7.4 लेखापरीक्षा के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध न कराना

हमने जुलाई 2018 में मुम्बई ईस्ट कमिश्नरी को यह सूचना दी की जीएसटी प्रतिदाय की लेखापरीक्षा अक्टूबर 2018 से की जाएगी। इसके बाद, हमने अक्टूबर 2018 माह में लेखापरीक्षा हेतु 652 जीएसटी प्रतिदाय मामलों के लिए मांग पत्र जारी किए। तथापि, विभिन्न अनुस्मारकों तथा अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद भी, विभाग ने केवल 478 जीएसटी मामलों से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किए। ₹ 173.14 करोड़ के प्रतिदाय वाले शेष 174 जीएसटी प्रतिदाय मामलों (26.69 प्रतिशत) बिना कोई कारण बताए लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

भाग ग : अन्य मामले

4.8 जीएसटी लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अन्य अनियमितताएं

पूर्ववर्ती पैराग्राफों में बताई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के अलावा, हमने 56⁶⁶ कमिश्नरियों में नमूना जांच के दौरान जीएसटी विवरणी दाखिल न करने, जीएसटी विवरणी को दाखिल न करने वाले के जीएसटी पंजीकरण को रद्द न करने, जीएसटी का भुगतान न करने/कम भुगतान करने, जीएसटी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करने आदि से संबंधित अनियमितताएं पाई।

मंत्रालय को छः कमिश्नरियों⁶⁷ के संबंध में ₹ 6.77 करोड़ की राशि की आठ महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां जारी की गई थी (*परिशिष्ट-VI*)। मंत्रालय ने ₹ 5.51 करोड़ की राशि के छः मामलों में आपत्ति को स्वीकार करते हुए ब्याज सहित ₹ 3.40 करोड़ की वसूली की सूचना दी (अगस्त तथा दिसम्बर 2020 के बीच)। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

कुछ मामलों का वर्णन नीचे किया गया है:-

4.8.1 जीएसटी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न होना

जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(1) के अनुसार, इस अधिनियम अथवा इसके तहत निर्मित नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने हेतु दायी प्रत्येक व्यक्ति जो निर्धारित अवधि के अन्दर सरकार को कर का अथवा इसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है वह उस अवधि, जिसके लिए कर अथवा इसके किसी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, के लिए अठारह प्रतिशत से अधिक न होने वाली ऐसी दर पर ब्याज का स्वयं भुगतान करेगा जो परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित हो। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(2) के अनुसार, ब्याज की संगणना

⁶⁶ अहमदाबाद (दक्षिण), दमन, सूरत, वडोदरा प्रथम व द्वितीय, अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बेलगावी, बंगलौर पूर्व, बंगलूरु पश्चिम, बंगलूरु उत्तर, बंगलूरु दक्षिण, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई आउटर, कोयंबटूर, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जालंधर, लुधियाना, पंचकुला, शिमला, दिल्ली पूर्व, दिल्ली उत्तर, दिल्ली दक्षिण, रायपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, गुंटूर, हैदराबाद, मेदचल, रंगरेड्डी, सिकंदराबाद, तिरुपति, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, राऊरकेला, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, जमशेदपुर, पटना प्रथम व द्वितीय, रांची व पटना ऑडिट, मुंबई पश्चिम, नवी मुंबई, नागपुर व हावड़ा।

⁶⁷ राऊरकेला, वाराणसी, रांची, जयपुर, जमशेदपुर, आगरा

उस तिथि के बाद वाली तिथि से होगी जिस पर ऐसा कर भुगतान होने के लिए देय था। इसके अलावा, दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित ब्याज दर 18 प्रतिशत है।

दिनांक 15 सितम्बर 2017 की अधिसूचना संख्या 35/2017-सीटी तथा दिनांक 15 नवम्बर 2017 की संख्या 56/2017-सीटी के अनुसार, फॉर्म जीएसटीआर-3बी में उक्त अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के अध्यक्षीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति कथित अधिनियम के तहत देय कर, ब्याज, शास्ति, फीस अथवा किसी अन्य राशि के प्रति अपनी देयता का निर्वहन इलेक्ट्रॉनिक कैश खाता बही अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही जैसा भी मामला हो, को डेबिट करके अंतिम तिथि, जिस पर उसे कथित विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, से पहले करेगा।

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 68 से साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46 में विभाग द्वारा नोटिस जारी करने के पन्द्रह दिनों के अन्दर ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित धारा 39 के तहत विवरणी प्रस्तुत करने में विफल होने वाले पंजीकृत व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी करना अपेक्षित है। इसके अलावा, नियम 68 में ऐसा नोटिस जारी करने की समय सीमा सम्मिलित नहीं थी।

राउरकेला सीजीएसटी कमिश्नरी के तहत राजागंजपुर रेंज में करदाताओं के जीएसटी विवरणी/अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने यह देखा कि करदाता ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान 51 से 174 दिनों के बीच विलम्ब के साथ जीएसटी (सीजीएसटी, एसजीएसटी तथा आईजीएसटी) का भुगतान किया परन्तु जीएसटी के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.15 करोड़ (एसजीएसटी पर ब्याज के प्रति ₹ 1.37 करोड़ की राशि सहित) के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इस विषय में बताया (फरवरी 2019) तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह कहा (अक्टूबर 2019) कि ₹ 1.03 लाख की राशि की वसूली की गई है तथा शेष राशि के लिए वसूली प्रक्रिया आरम्भ की गई है।

4.8.2 जीएसटी का भुगतान न होना

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 46 में विवरणी चूककर्त्ताओं को नोटिस की चर्चा की गयी है तथा इसमें वर्णन किया गया है कि जहां एक पंजीकृत व्यक्ति विवरणी प्रस्तुत करने में विफल होता है, वहां पन्द्रह दिनों के अन्दर ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उसे नोटिस जारी किया जाएगा।

इसके अलावा, दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(1) के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने हेतु दायी प्रत्येक व्यक्ति जो निर्धारित अवधि के अन्दर केन्द्र अथवा राज्य सरकार के खाते में कर अथवा उसके भाग का भुगतान करने में विफल होता है, वह व्यक्ति 18 प्रतिशत की दर पर स्वयं ही ब्याज का भुगतान उस अवधि के लिए करेगा, जिसके लिए कर या उसका कोई भाग अप्रदत्त रहता है।

रांची कमिश्नरी की डाल्टोगंज रेंज में करदाता के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि एक मामले में जीएसटी का भुगतान नहीं हुआ। हमने यह देखा कि करदाता ने फरवरी 2018 में ₹ 14.11 करोड़ तथा मार्च 2018 में ₹ 11.23 करोड़ के सकल बिल बनाए थे जिस पर करदाता ₹ 1.27 करोड़ की जीएसटी राशि का भुगतान करने के लिए दायी था। तथापि, करदाता ने जीएसटी की देयता का निर्वहन नहीं किया था। करदाता ने लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2018) तक, फरवरी 2018 और मार्च 2018 के माह हेतु जीएसटीआर-1 तथा जीएसटीआर-3बी विवरणी दाखिल नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ (सीजीएसटी - ₹ 2.01 लाख, एसजीएसटी - ₹ 2.01 लाख तथा आईजीएसटी - ₹ 1.23 करोड़) की जीएसटी राशि तथा उस पर ब्याज का भुगतान नहीं हुआ।

विभाग ने केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार करदाता द्वारा विवरणी प्रस्तुत न करने पर कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की।

जब हमने इस विषय में बताया (जून 2018), तब मंत्रालय ने आपत्ति (नवम्बर 2020) को स्वीकार करते हुए यह कहा कि करदाता ने 185 तथा

156 दिनों के विलम्ब से फरवरी 2018 तथा मार्च 2018 माह हेतु अपनी जीएसटीआर-3बी विवरणी दाखिल की थी तथा ₹ 2.26 करोड़ के जीएसटी का भुगतान किया गया था।

करदाता जीएसटी के विलम्बित भुगतान हेतु ₹ 19.59 लाख के ब्याज का भुगतान करने हेतु भी दायी है जिसकी स्थिति लेखापरीक्षा को अभी सूचित की जानी है।

जैसा कि ब्याज राशि के लिए, मंत्रालय ने यह कहा कि करदाता ने माननीय उच्च न्यायालय, रांची के समक्ष एक याचिका दायर की है और उच्च न्यायालय ने ब्याज की वसूली को रद्द/खारिज कर दिया। तथापि, विभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर के लिए प्रस्ताव भेजा है।

4.8.3 जीएसटी का कम भुगतान

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 यह वर्णित करती है कि उचित अधिकारी विवरणी की सटीकता की जांच करने के लिए विवरणी तथा संबंधित विवरणों की संवीक्षा करे तथा निर्धारित तरीके से विसंगति यदि कोई हो, सूचित करे और इस पर स्पष्टीकरण की मांग करे। यदि उचित अधिकारी द्वारा सूचना देने के तीस दिनों की अवधि के अन्दर अथवा उसके द्वारा अनुमत ऐसी अन्य अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता अथवा जहां पंजीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के बाद उस माह हेतु अपनी विवरणी में सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल होता है जिसमें ऐसी विसंगति स्वीकृत की गई है, तो उचित अधिकारी धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के तहत निहित को सम्मिलित करते हुए उचित कार्रवाई आरंभ करें अथवा धारा 73 या धारा 74 के तहत कर तथा अन्य देयताओं को निर्धारित करने के लिए कार्रवाई करें।

दिनांक 27 नवम्बर 2018 के बोर्ड के पत्र के अनुसार, सांख्यिकीय और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) डाटा विश्लेषण के माध्यम से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करता है तथा विभाग की क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने हेतु संबंधित सीजीएसटी जोन के साथ इसे साझा करता है। इसके अलावा, जोनल मुख्य आयुक्त डीजीएआरएम से प्राप्त प्रत्येक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पर मासिक फीडबैक प्रस्तुत करेगा।

जयपुर सीजीएसटी कमिश्नरी के तहत सीजीएसटी रेंज XXVII की मार्च 2019 तक प्राप्त 15 (डीजीएआरएम) रिपोर्टों की नमूना जांच के दौरान, हमने यह पाया कि एक (डीजीएआरएम) रिपोर्ट में, पंक्ति संख्या 19डी में (जीएसटीआर-1 तथा जीएसटीआर-3बी में सूचित देयता में भिन्नता से संबंधित), यह बताया गया कि करदाता द्वारा प्रस्तुत जनवरी 2019 माह के जीएसटीआर-1 तथा जीएसटीआर-3बी विवरणी के अनुसार ₹ 1.26 करोड़ की देयता में भिन्नता थी। डीजी (एआरएम) से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, रेंज अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी की संवीक्षा की तथा यह पाया कि निर्धारिती ने जीएसटीआर-1 में घोषित ₹ 1.42 करोड़ की देयता के प्रति जीएसटीआर-3बी में ₹ 0.16 करोड़ का भुगतान किया। करदाता ने विसंगतियों को स्वीकार किया तथा यह बताया कि मई 2019 के प्रथम सप्ताह में मार्च 2019 तथा अप्रैल 2019 माह के लिए विवरणी भरते समय कर मई 2019 के पहले सप्ताह में जमा कर दिया जाएगा। रेंज अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत विवरण के अनुपालन में मामलें को 'कार्रवाई पूरी हुई' के रूप में चिन्हित किया परन्तु करदाता लेखापरीक्षा की तिथि अर्थात् सितम्बर 2019 तक कर का भुगतान करने में विफल हुआ। इस प्रकार, करदाता द्वारा जनवरी 2019 माह के लिए ₹ 1.26 करोड़ का कम भुगतान हुआ था।

जब हमने इस विषय में बताया (सितम्बर 2019), तब मंत्रालय ने आपत्तियों को स्वीकार न करते हुए यह कहा (अक्टूबर 2020) कि मामला पहले ही उनके संज्ञान में था। फरवरी 2020 में एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था तथा करदाता ने मार्च 2020 में राशि जमा की थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करदाता ने लेखापरीक्षा की तिथि अर्थात् सितम्बर 2019 तक राशि जमा नहीं की थी तथापि, उसने विभाग को यह सूचना दी कि कर मार्च तथा अप्रैल 2019 के माह में जमा कर दिया जाएगा। तथापि, रेंज अधिकारी ने उच्च प्राधिकारियों को विवरण प्रस्तुत करते हुए मामले को 'कार्रवाई पूरी हुई', के रूप में चिन्हित किया। लेखापरीक्षा द्वारा इसे बताए जाने के बाद, विभाग ने फरवरी 2020 में एससीएन जारी किया तथा करदाता ने मार्च 2020 में राशि जमा की। अतः यह स्पष्ट है कि यदि लेखापरीक्षा ने इस चूक को बताया न होता तो जीएसटी की राशि अप्रदत्त

रहती क्योंकि रेंज अधिकारी द्वारा मामले को 'कार्रवाई पूरी हुई' के रूप में चिन्हित किया गया था।

4.8.4 जीएसटी विवरणी को ना दाखिल करने वालों के पंजीकरण का रद्द न होना

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29(2)(बी) तथा (सी) उचित अधिकारी को जहां "धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति ने तीन क्रमिक करावधियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है तथा किसी पंजीकृत व्यक्ति ने छः माह की निरन्तर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई", में किसी पूर्वव्यापी तिथि, जैसा वह उचित समझें, सहित उस तिथि से एक व्यक्ति के पंजीकरण को रद्द करने का प्राधिकार देती है।

आगरा सीजीएसटी कमिश्नरी के तहत अलीगढ़ डिवीजन में रेंज-1 तथा II में जीएसटीआर-3बी विवरणी को ना दाखिल करने वालों के डाटा की जांच (अगस्त/सितम्बर 2019) के दौरान, हमने यह देखा कि 12,694 करदाताओं में से 1,965 करदाताओं ने छः अथवा छः माह से अधिक की निरन्तर अवधि के लिए अपनी जीएसटी-3बी विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि, इन चूककर्त्ताओं का पंजीकरण सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 22 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात विभाग द्वारा रद्द नहीं किया गया था।

इसे सितम्बर तथा अक्टूबर 2019 में विभाग के संज्ञान में लाया गया, विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

4.9 राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव

इस अध्याय के पैराग्राफ 4.6, 4.7 तथा 4.8 में उल्लिखित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए, राज्य माल एवं सेवा कर पर इसका तदनुसूची प्रभाव परिशिष्ट VII में दिया गया है।

अध्याय V

सीबीआईसी में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) एवं अधिनिर्णयन प्रक्रिया


5.1 प्रस्तावना

अधिनिर्णयन केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के विभागीय अधिकारियों का एक अर्ध-न्यायिक कार्य है। अधिनिर्णयन के पश्चात् एक उपयुक्त शास्ति लगाने के माध्यम से विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि लागू कानूनों तथा नियमों के उल्लंघन के कारण कोई राजस्व हानि न हो जिसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान न होना/कम भुगतान होना, गलत प्रतिदाय, सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ आदि हुआ। यह अनिवार्य है कि यदि विभाग निर्धारिती के लिए नुकसानदेह कोई कार्यवाही करने पर विचार करता है तो कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया जाए। एससीएन में कथित रूप से उल्लंघन किए गए कानून के प्रावधानों का विवरण होगा तथा यह नोटिसी से कारण बताने को कहेगा कि अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के तहत उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार, एक एससीएन नोटिसी को उसके मामले को प्रस्तुत करने का एक अवसर देता है।

5.2 एससीएन तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया

तीन अधिनियमों अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, वित्त अधिनियम, 1994 तथा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत एससीएन जारी करने तथा उनके अधिनिर्णयन की प्रक्रिया नीचे संबंध चार्ट में वर्णित की गई है;

चार्ट 5.1
एससीएन तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया




5.3 एससीएन जारी करने तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया के लिए प्रशासन ढांचा

चार्ट-5.2 में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का संगठनात्मक चार्ट दर्शाया गया है। 31 मार्च 2019 तक सीबीआईसी को 21 जोन, 107 कार्यकारी कमिश्नरियों, 725 डिविजनों तथा 3,785 रेंजों का समर्थन प्राप्त था। इसके अतिरिक्त, 71 अन्य इकाइयों के साथ 48 लेखापरीक्षा

कमिश्नरियां थीं। चार्ट-5.3 में अधिनिर्णयन⁶⁸ के संबंध में मौद्रिक सीमाएं दर्शाई गई हैं

चार्ट 5.2
एससीएन एवं अधिनिर्णयन प्रक्रिया हेतु संगठनात्मक संरचना



चार्ट 5.3
एससीएन के अधिनिर्णयन हेतु मौद्रिक सीमा

आयुक्त	• दो करोड़ रूपए से अधिक के मामले
अपर/संयुक्त आयुक्त	• पचास लाख से अधिक परन्तु दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं
उप/सहायक आयुक्त	• दस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख रूपए से अधिक नहीं
अधीक्षक	• दस लाख रूपए से से अधिक नहीं

⁶⁸ मास्टर सर्कुलर नंबर 1053/02/2017-सीएक्स दिनांक 10 मार्च 2017 के अनुसार

5.4 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षाओं के परिणाम

हमने विव 12 से विव 14 की अवधि को कवर करते हुए विव 15 में विभाग की एससीएन तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया की जांच की थी। इसे 2016 की प्रतिवेदन संख्या 1 (सेवाकर) के अध्याय-II तथा 2016 की प्रतिवेदन संख्या 2 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के अध्याय-V में सम्मिलित किया गया। इस जांच के मुख्य परिणाम में अन्य बातों के साथ-साथ एससीएन जारी करते समय विस्तारित समयावधि की गलत मांग भी थी जिसके परिणामस्वरूप मांग का समयबाधित होना, एससीएन के अधिनिर्णयन में विलंब, अनुबंधित अवधि के अन्दर अधिनिर्णयन आदेश जारी नहीं हुआ तथा कॉल बुक मामलों की गैर-आवधिक समीक्षा के परिणामस्वरूप कॉल बुक मामलों का अनियमित अवरोधन हुआ।

मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) (जून 2016) में कहा कि सभी क्षेत्रीय संरचनाओं को समय पर एससीएन जारी करने तथा विभिन्न चरणों में विलंब को कम करने और एससीएन की प्रक्रिया के लिए कठोर निगरानी करने के निर्देश दिए गए थे ताकि सरकारी राजस्व तथा निर्धारिती दोनों के हित सुरक्षित हो। मंत्रालय ने आगे कहा (मार्च 2017) कि एससीएन एवं अधिनिर्णयन प्रक्रिया के लिए एक मास्टर परिपत्र दिनांक 10 मार्च, 2017 जारी किया गया था जिसमें कथित परिपत्र के पैरा 3.1 से 3.7 में निर्धारित अनुसार एससीएन जारी करने हेतु समय-सीमा के कठोर अनुपालन तथा सीमांकन की विस्तारित अवधि के अधिकार सहित मांग का प्रावधान था। इसके अलावा परिपत्र का पैरा 14.10 यह वर्णित करता है कि उन सभी मामलों जहां व्यक्तिगत सुनवाई समाप्त हो गई है, में जितना शीघ्र संभव हो परन्तु किसी भी मामले में एक माह के बाद नहीं, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर फाइल में दर्ज करते हुए निर्णय सूचित करना अनिवार्य है।

हमने मंत्रालय के उत्तर का अनुसरण किया तथा इस लेखापरीक्षा के दौरान की गई कार्यवाही टिप्पणी (मार्च 2017) में मंत्रालय के आश्वासन के बावजूद एससीएन जारी करने तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया के संबंध में निरन्तर अनुपालन के उल्लंघन देखे। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी पैराओं में बताया गया है।

5.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य:

इस लेखापरीक्षा में, हमने निम्नलिखित की जांच की:

- क) अधिनिर्णयन प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों आदि की पर्याप्तता;
- ख) क्या एससीएन जारी करने तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया के संबंध में कानून तथा नियमों के मौजूदा प्रावधानों का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया जा रहा था;
- ग) क्या विभाग द्वारा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी मॉनीटरिंग तथा आन्तरिक नियंत्रण तंत्र था।

5.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा मापदंड तथा लेखापरीक्षा नमूना

5.6.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने विव 17 से विव 19 तक की अवधि के एससीएन तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया से संबंधित विभागीय कार्यालयों द्वारा बनाई एससीएन फाइलों, रजिस्ट्रों तथा मासिक विवरणी की जांच की थी।

5.6.1.1 लेखापरीक्षा नमूना

हमने लेखापरीक्षा के लिए विभागीय इकाईयों की पहचान के लिए एक जोखिम आधारित नमूना पद्धति का अनुसरण किया। हमने स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर एक जोन में कमिश्नरियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक सीजीएसटी जोन से एक से तीन कार्यकारी कमिश्नरियों का चयन किया। ऐसे जोन जहां कार्यकारी कमिश्नरियों की संख्या 1 से 5 हैं, में एक कमिश्नरी का चयन किया गया है। ऐसे जोन जहां कार्यकारी कमिश्नरियों की संख्या 5 से 10 है, वहां दो कमिश्नरियों का चयन किया गया है। ऐसे जोन जहां कार्यकारी कमिश्नरियों की संख्या दस से अधिक है, वहां तीन कमिश्नरियों का चयन किया गया है। कार्यकारी कमिश्नरियों के अतिरिक्त, प्रत्येक जोन से एक लेखापरीक्षा कमिश्नरी तथा लेखापरीक्षा के लिए डीजीजीएसटीआई मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक माल एवं सेवा कर आसूचना (डीजीजीएसटीआई) (पहले डीजी सीईआई) की एक जोनल इकाई का चयन किया गया था।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित विभागीय इकाइयों का ब्यौरा नीचे तालिका 5.1 में दिया गया है-

तालिका संख्या 5.1: यूनीवर्स तथा विभागीय इकाइयों के नमूने

इकाइयों के प्रकार	इकाइयों की कुल संख्या	नमूने के रूप में चयनित इकाइयां
कार्यकारी कमिश्नरी (सीजीएसटी)	107	28 कमिश्नरी (28 डिवीजन और उनके अधीन 26 रैंज सहित वहां के तहत)
लेखापरीक्षा कमिश्नरी	48	20
डीजीजीएसटीआई की जोनल इकाइयां	25	14 (डीजीजीएसटीआई मुख्यालय सहित)

हमने डीजीजीएसटीआई, नई दिल्ली⁶⁹ सहित कार्यकारी कमिश्नरी, लेखापरीक्षा कमिश्नरी तथा जीएसटीआई की जोनल इकाइयों के तहत 116 इकाइयों का चयन किया है।

इसके अलावा चयनित इकाइयों में उपलब्ध एससीएन संबंधी फाइलों के नमूने यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर विस्तृत जांच हेतु लिए गए थे। ध्यानकेन्द्रित लेखापरीक्षा क्षेत्रों के लिए लेखापरीक्षा यूनीवर्स तथा नमूने का ब्यौरा नीचे तालिका 5.2 में दिया गया है:

⁶⁹ गाजियाबाद, इलाहाबाद, जमशेदपुर, अहमदाबाद उत्तर, राजकोट, वडोदरा II, जयपुर, मुंबई दक्षिण, मुंबई पश्चिम, रायगढ़, पुणे II, नासिक, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, त्रिची, चेन्नई उत्तर, तिरुवनंतपुरम, जालंधर, गुरुग्राम, भोपाल, बेंगलुरु ईस्ट, मंगलौर, कोलकाता उत्तर, हावड़ा, गुवाहाटी, अगरतला, दिल्ली साउथ, कानपुर ऑडिट, मेरठ II ऑडिट, अहमदाबाद ऑडिट, वडोदरा ऑडिट, जयपुर ऑडिट, रायगढ़ ऑडिट, पुणे II ऑडिट, नासिक ऑडिट, हैदराबाद I ऑडिट, विशाखापट्टनम ऑडिट, भुवनेश्वर ऑडिट, चेन्नई I ऑडिट, कोच्चि ऑडिट, लुधियाना ऑडिट, गुरुग्राम ऑडिट, दिल्ली II ऑडिट, भोपाल ऑडिट, बेंगलुरु I ऑडिट, कोलकाता I ऑडिट, गुवाहाटी ऑडिट, डीजीआई मुख्यालय दिल्ली, लखनऊ डीजीजीआई, अहमदाबाद डीजीजीआई, जयपुर डीजीजीआई, पुणे डीजीजीआई, हैदराबाद डीजीजीआई, विशाखापट्टनम डीजीजीआई, भुवनेश्वर डीजीजीआई, चेन्नई डीजीजीआई, लुधियाना डीजीजीआई, भोपाल डीजीजीआई, बेंगलुरु डीजीजीआई, कोलकाता डीजीजीआई और गुवाहाटी डीजीजीआई।

तालिका संख्या 5.2: विस्तृत जांच हेतु चयनित फाइलों के समष्टि तथा नमूने

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ध्यान केन्द्रित क्षेत्र	अवधि	लेखापरीक्षा यूनीवर्स	लेखापरीक्षा नमूना		जनसंख्या के % के रूप में नमूना
				सं.	धनराशि	
1.	अधिनिर्णयन हेतु लंबित एससीएन ⁷⁰	31 मार्च 2019 को	11,723	4,457	29,672.96	38
2.	अधिनिर्णीत एससीएन	विव 17 से विव 19	8,766	3,335	17,208.40	38
3.	कॉल बुक में लंबित एससीएन	31 मार्च 2019 को	5,491	2,191	13,308.02	40
4.	रिमांड बैंक केस	विव 17 से विव 19	748	622	3,358.21	83
5.	एससीएन की छूट	विव 17 से विव 19	17,095	1,020	1,155.69	6
6.	जारी करने के लिए लंबित ड्राफ्ट एससीएन (डीएससीएन)	31 मार्च 2019 को	203	203	1,282.80	100
7.	सीईआरए ऑडिट आपत्तियां	विव 17 से विव 19	1,079	373	912.15	35
8.	जीएसटी की पुनः संरचना के कारण हस्तांतरित एससीएन एवं डीएससीएन	जुलाई 2017 से मार्च 2019	551	500	523.26	91

5.6.2 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, वित्त अधिनियम 1994 में अधिनिर्णयन संबंधी प्रावधान, बोर्ड द्वारा अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं को जारी नियम तथा परिपत्र अर्थात् मास्टर परिपत्र संख्या 1053/02/2017-सीएक्स दिनांक 10 मार्च 2017 जिसके द्वारा इस विषय पर तीन परिपत्रों अर्थात् 984/08/2014-सीएक्स दिनांक 16 सितम्बर 2014, 137/46/2015-एस.टी. दिनांक 18 अगस्त 2015 तथा 1023/11/2016-सीएक्स दिनांक 8 अप्रैल 2016 को छोड़कर अन्य सभी परिपत्रों को रद्द किया गया, शामिल थे। जीएसटी के लिए, लेखापरीक्षा मानदण्डों में आईजीएसटी अधिनियम 2017 के अध्याय XV की धारा 73 से 84 तथा सीजीएसटी नियमावली 2017

⁷⁰ इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- लेखापरीक्षा कमिशनरियों द्वारा अन्य संरचनाओं को जारी तथा हस्तांतरित 1,922 एससीएन
- डीजीजीएसटीआई इकाईयों द्वारा अन्य संरचनाओं को जारी तथा हस्तांतरित 2,208 एससीएन।

के अध्याय XVIII के तहत नियम 142 से 161 में निहित अनुसार मांग तथा वसूली से संबंधित प्रावधान शामिल थे।

5.7 एससीएन के अधिनिर्णयन में विभाग का निष्पादन

5.7.1 अधिनिर्णयन हेतु लंबित एससीएन की प्राप्ति, निपटान तथा अन्तः शेष

6 अगस्त 2014 से प्रभावी संशोधन के अनुसार वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 की उप-धारा 4बी के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए की उप-धारा 11(बी) के अनुसार, सामान्य मामलों में जारी एससीएन को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सीई) एवं सेवा कर (एसटी) के संबंध में छः माह के अन्दर अधिनिर्णित किया जाना था तथा धोखाधड़ी और मिलीभगत के मामलों हेतु जारी एससीएन को सीई के संबंध में दो वर्षों तथा एसटी के संबंध में एक वर्ष में अधिनिर्णित किया जाना चाहिए।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एससीएन की प्राप्ति, निपटान तथा अन्तः शेष का ब्यौरा नीचे तालिका 5.3 में दिया गया है:

तालिका संख्या 5.3: एससीएन की प्राप्ति, निपटान तथा अन्तः शेष

तालिका संख्या 5.3(क) - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

राशि (₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष (एससीएन)		वर्ष के दौरान जारी एससीएन		वर्ष के दौरान निपटान किए गए		अन्तः शेष (एससीएन)		निपटान की प्रतिशतता
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	
वि.वि.17	23,104	29,354.68	55,520	50,218.92	68,166	59,097.92	10,347	20,474.20	86.69
वि.वि.18	10,347	20,474.20	28,876	50,513.21	30,321	53,776.60	8,534	17,401.47	77.30
वि.वि.19	8,534	17,401.47	17,174	28,219.49	18,719	28,210.50	6,989	17,410.46	72.81

तालिका संख्या 5.3(ख) - सेवा कर

राशि (₹ करोड़ में)


वर्ष	अथ शेष (एससीएन)		वर्ष के दौरान जारी एससीएन		वर्ष के दौरान निपटान किए गए		अन्तः शेष (एससीएन)		निपटान की प्रतिशतता
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	
वि.वि.17	30,453	76,123.74	54,310	67,413.25	65,702	74,594.52	19,053	68,940.78	77.51
वि.वि.18	19,053	68,940.78	35,173	70,918.42	32,349	55,931.20	22,208	81,280.44	59.65
वि.वि.19	22,208	81,280.44	44,776	1,25,740.29	34,788	92,256.81	32,196	1,14,764.40	51.93

उक्त तालिकाओं से पता चलता है कि एससीएन के निपटान ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई थी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में एससीएन के निपटान में विव 17 में 86.69 प्रतिशत से विव 19 में 72.81 प्रतिशत तक की गिरावट थी। इसी प्रकार, सेवा कर में एससीएन के निपटान में विव 17 में 77.51 प्रतिशत से विव 19 में 51.93 प्रतिशत तक की गिरावट थी।

5.7.2 लंबित एससीएन का समय-वार विश्लेषण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर से संबंधित एससीएन का समय-वार लम्बन नीचे चार्ट - 5.4 में दर्शाया गया है:

चार्ट 5.4: एससीएन का समय वार लम्बन



चार्ट से यह पता चलता है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित 1,177 एससीएन (17 प्रतिशत) तथा सेवा कर से संबंधित 5,926 एससीएन (19 प्रतिशत) सामान्य मामलों में छः माह तथा विस्तारित समयावधि में एक वर्ष की निर्धारित समय सीमा के प्रति एक वर्ष से अधिक के लिए अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे। विभाग ने एक वर्ष से अधिक के लंबित मामलों का आगे समय-वार ब्यौरे का रखरखाव नहीं किया।

5.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निम्नलिखित तालिका 5.4 विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयनित एससीएन/ अधिनिर्णयन संबंधी रिकॉर्डों के नमूनों में देखी गई विसंगतियों की सीमा का वर्णन करती है। कानून तथा नियमों से विचलन की सीमा विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित विभिन्न ध्यान केन्द्रित क्षेत्रों के लिए 0.80 प्रतिशत से 45.92 प्रतिशत तक है।

तालिका संख्या 5.4: विस्तृत लेखापरीक्षा तथा देखे गए विचलनों के लिए चयनित फाइलों के नमूने

क्रम सं.	क्षेत्र	अवधि	लेखापरीक्षा नमूना		पाई गई कमियों की संख्या	नमूने के % के रूप में कमियां
			सं.	राशि		
1.	अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन	31 मार्च 2019 को	4,457	29,672.96	1,407	31.57
2.	अधिनिर्णीत एससीएन	वि.वि.17 से वि.व.19	3,335	17,208.40	968	29.03
3.	कॉल बुक्स में लंबित एससीएन	31 मार्च 2019 को	2,191	13,308.02	1,006	45.92
4.	रिमांड बैंक केस	वि.वि.17 से वि.व.19	622	3,358.21	65	10.45
5.	एससीएन की छूट	वि.वि.17 से वि.व.19	1,020	1,155.69	32	3.14
6.	जारी करने के लिए लंबित ड्राफ्ट एससीएन (डीएससीएन)	31 मार्च 2019 को	203	1,282.80	2	0.99
7.	सीईआरए लेखापरीक्षा आपत्तियां	वि.वि.17 से वि.व.19	373	912.15	3	0.80
8.	जीएसटी पुनर्गठन के कारण हस्तांतरित एससीएन और डीएससीएन	जुलाई 2017 से मार्च 2019	500	523.26	5	1.00

तालिका 5.4 से प्रमाणित अनुसार, हमने कॉल बुक में लंबित एससीएन, अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन तथा एससीएन जिनको विव 17 से विव 19 के दौरान अधिनिर्णित किया गया था की विस्तृत लेखापरीक्षा के दौरान कानून/नियमों के उल्लंघन के विपथन की उंची दर देखी। हमने एससीएन के अधिनिर्णयन में महत्वपूर्ण विलंब, अंतिम व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) पूर्ण होने के पश्चात अनुबंधित अवधि के अन्दर मूल आदेश (ओआईओ) के जारी करने में विलम्ब, कॉल बुक मामलों की आवधिक रूप से समीक्षा न होना, कॉल बुक से एससीएन की पुनः प्राप्ति न होना/विलंब से पुनः प्राप्ति होना, कॉल बुक में एससीएन का गलत हस्तांतरण आदि पाए। ध्यान केन्द्रित क्षेत्र वार लेखापरीक्षा निष्कर्षों का ब्यौरा आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

5.9 अधिनिर्णयन हेतु लंबित एससीएन में पाई गई विसंगतियां

चयनित 116 कार्यालयों में 31 मार्च 2019 तक अधिनिर्णयन हेतु 11,723 एससीएन लंबित थे। हमने ₹ 29,672.96 करोड़ की धनराशि वाले 4,457 एससीएन की जांच की तथा ₹ 12,162.53 करोड़ की धनराशि वाले 1,407 एससीएन (31.57 प्रतिशत) में अनियमितताएं देखी। देखी गयी विसंगतियां एससीएन में मांग की गलत संगणना, अधिनिर्णयन में विलम्ब तथा मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कार्रवाई न करने आदि से संबंधित हैं। जैसा कि नीचे तालिका 5.5 में विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 5.5: अधिनिर्णयन हेतु लंबित एससीएन में देखी गई विसंगतियां

क्रम सं.	कमी के प्रकार	कमियों की संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	नमूने के % में कमियां (संख्या)
1.	एससीएन में मांग की गलत संगणना के परिणामस्वरूप कम मांग की गई	161	36.63	3.61
2.	एससीएन को विलम्ब से जारी करना जिसके फलस्वरूप मांग अधिनिर्णयन में समयबाधित हो सकती है	71	30.17	1.59
3.	अधिनिर्णयन में विलम्ब	373	4,310.17	8.37
4.	निपटान आयोग के संबंध में सूचना न होना	768	7,658.32	17.23
5.	विस्तारित अवधि का गलत उपयोग	2	3.19	0.04
6.	एससीएन तैयार करने में अत्यधिक विलम्ब	23	94	0.52
7.	जांच को अंतिम रूप देने में विलम्ब की वजह से कम मांग किया जाना	6	30.05	0.13
8.	एससीएन को गलत जारी करना	3		0.07
	पाई गई कुल विसंगतियां	1,407	12,162.53	31.57
	लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए कुल मामलों	4,457	29,672.96	
	चयनित इकाइयों में अधिनिर्णयन हेतु लंबित कुल मामलों	11,723		

5.9.1 एससीएन में मांग की गलत संगणना के परिणामस्वरूप मांग कम की गयी

116 चयनित कार्यालयों में जांचे गए 4,457 मामलों में से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन न होने, कर की गलत दर अपनाने और आयकर विवरणी/स्रोत पर काटे गए कर के डाटा का सत्यापन न होने आदि के कारण, सात कमिश्नरी⁷¹ चार लेखापरीक्षा कमिश्नरी⁷² और एक डीजीजीएसटीआई जोनल इकाई⁷³ में हमने 168 एससीएन (3.77 प्रतिशत) में ₹ 54.62 करोड़ की मांग का कम किया जाना देखा।

⁷¹ भोपाल, चेन्नई उत्तर, हावड़ा, मुंबई दक्षिण, मुंबई पश्चिम, पुणे-II और रायगढ़

⁷² पुणे, भोपाल, नासिक और रायगढ़

⁷³ भोपाल

जब हमने यह बताया (नवंबर 2019 से दिसंबर 2019) मंत्रालय ने 141 मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2020)। 17 मामलों में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार नहीं किया। शेष तीन मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.9.1.1 एससीएन जारी करना एक सांविधिक आवश्यकता है और यह कर देयता से संबंधित किसी भी विवाद के निपटारे या अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए की जाने वाली किसी दंडात्मक कार्रवाई के लिए मूल दस्तावेज है। बोर्ड ने मुख्य परिपत्र (मार्च 2017) में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी दोहराया था कि एससीएन से पार्टी के विरुद्ध किसी भी कानूनी कार्यवाही की शुरुआत होती है इसलिए इसका मसौदा अत्यंत सावधानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए। परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि नोटिसी से देय राशियों की संगणना करने के सिद्धांत और तरीके एससीएन में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं।

पुणे ॥ कमिश्नरी में, प्रदान की गयी निर्माण कार्य संविदा सेवा के संबंध में छूट और कमी का अनियमित लाभ उठाने के लिए अक्टूबर 2018 में एक निर्धारिती को एक एससीएन जारी किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि विभाग ने एसटी-3 विवरणी में दर्शाए गए ₹ 52.55 करोड़ के बजाय ₹ 46.68 करोड़ पर प्रदान की गयी सेवा का सकल मूल्य गलत तरीके से अपनाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप स्वीकार्य कमी अनुमत करने के बाद कर योग्य सेवा का ₹ 4.21 करोड़ तक कम निर्धारण हुआ, जिसके फलस्वरूप ₹ 0.79 करोड़ के सेवा कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

जब हमने इसके बारे में बताया (नवम्बर 2019), मंत्रालय ने अभियुक्ति को स्वीकार न करते हुए कहा (दिसम्बर 2020) कि एससीएन उन बीजकों पर आधारित था जो सरकारी विभागों को जारी किये गये थे। मंत्रालय का उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि एससीएन के परिशिष्ट में वे बीजक भी शामिल हैं जो उन ग्राहकों को जारी किये गये थे जो कि सरकारी विभाग नहीं थे।

5.9.2 एससीएन का विलम्ब से जारी किया जाना जिस के परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन में मांगसमय बाधित हो सकती है या अंशकालिक मांग छोड़ी जा सकती है

चार कार्यकारी कमिश्नरी⁷⁴ और एक लेखापरीक्षा कमिश्नरी⁷⁵ में हमने पाया कि 116 चयनित कार्यालयों में जांच किए गए 4,457 मामलों में से 70 मामलों (1.57 प्रतिशत) में एससीएन देर से जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन में समय- बाधित मांग की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा, हमने एक मामले में एससीएन में अंशकालिक मांग का छोड़ा जाना भी देखा। इस प्रकार, एससीएन के देर से जारी होने के कारण 71 एससीएन में ₹ 30.17 करोड़ की समग्र मांग समय-बाधित हो सकता है।

जब हमने यह (नवंबर 2019 से दिसंबर 2019) बताया तो मंत्रालय ने एक मामले में तथ्यों को स्वीकार किया और शेष मामलों में तथ्यों को स्वीकार नहीं किया (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.9.2.1 बेंगलुरु लेखापरीक्षा- कमिश्नरी के आंतरिक लेखापरीक्षा दल (आईएपी) ने जनवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान दी गई सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करने से संबंधित एक निर्धारिती पर एक अभियुक्ति की थी, जो एक विदेशी कंपनी, उसकी प्रमुख कंपनी को मध्यवर्ती के रूप में मानते हुए गलत तरीके से ₹ 675.46 लाख की राशि को निर्यात के रूप में मानते हुए थी। पैरा को शुरू में जनवरी 2017 में आयोजित निगरानी समिति की बैठक (एमसीएम) में प्रस्तुत किया गया था और मई 2017 में आयोजित एमसीएम में इसकी पुष्टि की गई थी। हालांकि, एससीएन की तैयारी के समय, आईएपी ने महसूस किया कि विपणन सेवाओं और बिक्री के बाद सहायक सेवाओं के करारों को उनकी प्रमुख कंपनी (1 अप्रैल 2015) के साथ किए जाने से पहले ही निर्धारिती विपणन सेवाएं प्रदान कर रहा था। इस पहलू की जांच करने के लिए इस मुद्दे को आगे की जांच के लिए सितंबर 2017 में एमसीएम में हुई चर्चा के बाद कार्यकारी कमिश्नरी को हस्तांतरित कर दिया गया था।

⁷⁴ इलाहाबाद, कोलकाता उत्तर, गुवाहाटी, और पुणे-॥

⁷⁵ बेंगलुरु लेखापरीक्षा

यह देखा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा की तारीख से 35 माह बीत जाने के बावजूद आज तक कोई एससीएन जारी नहीं किया गया था। सामान्य अवधि के भीतर एससीएन जारी करने की तारीख 29 अक्टूबर 2018 को समाप्त हो गई थी, इसलिए पूरी मांग के समय-बाधित होने का खतरा था।

इसलिए आईएपी द्वारा अप्रभावी लेखापरीक्षा और मामलों की स्थिति पर लेखापरीक्षा कमिश्नरी द्वारा निगरानी की एक प्रभावी प्रणाली के अभाव/एससीएन के कार्यकारी कमिश्नरी में हस्तांतरण के कारण विलम्ब हुआ।

जब हमने इसके बारे में बताया (अक्टूबर 2019) मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2020) कि एससीएन समय की विस्तारित अवधि का आह्वान करते हुए, नवम्बर 2014 से अप्रैल 2017 कि समयावधि के लिए, मई 2020 में जारी किया गया। चूंकि मार्च 2015 को समाप्त अर्धवर्ष कि एसटी-3 विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि अप्रैल 2015 थी, मई 2020 में देरी से एससीएन जारी किये जाने के कारण मार्च 2015 तक के लेनदेन कि समय सीमा समाप्त हो सकती है।

5.9.3 निर्धारित समय सीमा के अन्दर एससीएन का गैर-अधिनिर्णयन

22 कार्यालयों⁷⁶ में हमने देखा कि जांच किए गए 4,457 मामलों, जिनमें ₹ 4,310.17 करोड़ के राजस्व को शामिल किया गया था, में से 373 एससीएन (8.37 प्रतिशत) पर सामान्य मामलों में छः महीने की निर्धारित समय सीमा में और विस्तारित अवधि के मामलों में एक वर्ष (एसटी)/दो वर्ष (सीएक्स) की निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिनिर्णय नहीं लिया गया था।

जब हमने इसे (सितंबर 2019 से दिसंबर 2019) बताया तो मंत्रालय ने (दिसम्बर 2020) गुरुग्राम कमीशनरी के साथ मामलों को छोड़कर सभी मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि स्टाफ की कमी और जीएसटी लागू होने के परिणामस्वरूप अत्यधिक कार्य भार के कारण विलंब हुआ।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

⁷⁶ इलाहाबाद, अहमदाबाद उत्तर, भोपाल, चेन्नई उत्तर, दिल्ली दक्षिण, भुवनेश्वर, बंगलुरु पूर्व, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हावड़ा, हैदराबाद, जालंधर, जमशेदपुर, कोलकाता उत्तर, मंगलौर, मुंबई दक्षिण, मुंबई पश्चिम, पुणे-II, रायगढ़, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा-II और डीजीजीएसटी-I मुख्यालय दिल्ली।

5.9.3.1 एक निर्धारिती के मामले में, एक एससीएन जिसमें ₹ 18.08 करोड़ का शुल्क शामिल है, को सं. 574/सीई/12/2016/आईएनवी दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 के तहत जारी किया गया था। निर्धारिती ने एससीएन के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसने उक्त एससीएन को रद्द करने का आदेश (जनवरी 2017) दिया और स्पष्ट रूप से प्रस्तावित मांगों निर्धारित करने के बाद नए सिरे से एससीएन जारी करने का निर्देश दिया। विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय (मई 2017) में अपील दायर की। उच्चतम न्यायालय (दिसंबर 2017) ने एससीएन को पुनः स्थापित कर दिया था और प्रक्रिया के अनुसार अधिनिर्णयन कार्यवाही करने का आदेश दिया था। लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है या मामले पर सितंबर 2019 तक अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जारी होने की तारीख से 22 महीने से अधिक समय के बाद भी अधिनिर्णय देने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई नियत नहीं की गयी।

जब हमने यह बताया (सितंबर 2019), तो मंत्रालय ने (दिसम्बर 2020) लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि देरी के मुख्य कारण स्टाफ की कमी, अत्यधिक कार्य व जीएसटी का लागू होना है। हालांकि लंबित मामलों को कम किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

5.9.4 निपटान आयोग के माध्यम से मामलों के निपटारे के संबंध में सूचना न देना

सीबीआईसी द्वारा जारी मुख्य परिपत्र दिनांक 10 मार्च 2017 के पैरा 14.1 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कारण बताओ नोटिस एक पत्र के साथ भेजा जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि निर्धारिती निपटान आयोग के माध्यम से मामले के निपटान के लिए संपर्क कर सकते हैं। जहां नोटिसी निपटान आयोग से संपर्क करता है, वहां मामले को कॉल बुक में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है जब तक कि मामले का निर्णय निपटान आयोग द्वारा नहीं किया जाता है।

27 कार्यालयों⁷⁷ में हमने देखा कि 116 चयनित कार्यालयों में जांच किए गए 4,457 मामलों में से ₹ 7,658.32 करोड़ की धनराशि के 768 मामले को, निपटान आयोग के माध्यम से मामलों के निपटारे के संबंध में कोई सूचना एससीएन के साथ नोटिसी को अग्रेषित नहीं की गयी थी।

जब हमने यह बताया (अक्टूबर से दिसंबर 2019), तो मंत्रालय (दिसंबर 2020) ने 694 मामलों में लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया और भविष्य में विभागीय निर्देशों के अनुपालन का आश्वासन दिया। शेष 74 मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.9.5 एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित अवधि का गलत लागू करना

नोएडा लेखापरीक्षा और बेंगलुरु लेखापरीक्षा-1 कमिश्नरी में, हमने देखा कि विस्तारित अवधि के लिए ₹ 3.19 करोड़ के मौद्रिक मूल्य वाले दो एससीएन जारी किए गए थे। हालांकि, विस्तारित अवधि की मांग करने के लिए घटक को एससीएन में स्पष्ट रूप से विस्तृत नहीं किया गया था, और इसलिए अधिनिर्णयन के समय विस्तारित अवधि की मांग को अवैध ठहराया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन में मांग को समय-बाधित घोषित किया जा सकता है।

मंत्रालय ने ऑडिट अभियुक्ति को स्वीकार न करते हुए कहा (दिसम्बर 2020) कि दोनों मामलों में विस्तारित अवधि का आह्वान सही था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारितियों कि एसटी-3 विवरणी में चूक पहले से ही प्रतिबिंबित हो रही थी, अतः विस्तारित अवधि का आह्वान सही नहीं था।

⁷⁷ अगरतला, अहमदाबाद उत्तर, चेन्नई उत्तर, दिल्ली दक्षिण, गाजियाबाद, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हावड़ा, हैदराबाद, जालंधर, कोलकाता उत्तर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम कमिश्नरी, चेन्नई लेखापरीक्षा-1, भोपाल ऑडिट गुवाहाटी लेखापरीक्षा-1, हैदराबाद लेखापरीक्षा-1, विशाखापट्टनम लेखापरीक्षा, डीजीजीएसटीआई भोपाल, डीजीजीएसटीआई चेन्नई, डीजीजीएसटीआई गुवाहाटी, डीजीजीएसटीआई हैदराबाद, डीजीजीएसटीआई कोलकाता, डीजीजीएसटीआई लखनऊ, डीजीजीएसटीआई पुणे, डीजीजीएसटीआई विशाखापट्टनम और डीजीजीएसटीआई मुख्यालय दिल्ली।

5.9.6 एससीएन को तैयार करने और अंतिम रूप देने में असामान्य विलंब

नासिक लेखापरीक्षा कमिश्नरी में ड्राफ्ट एससीएन रजिस्टर से यह देखा गया कि 23 ड्राफ्ट एससीएन को अंतिम रूप देने में 119 से लेकर 1,435 दिनों तक का असामान्य विलंब हुआ। इससे अंततः अधिनिर्णयन में विलम्ब हुआ और सरकारी राजस्व में ₹ 94 करोड़ का परिणामी अवरोधन हुआ। ड्राफ्ट एससीएन को तैयार करने और अंतिम रूप देने में विलंब का कारण आमतौर पर लेखापरीक्षा कमिश्नरी द्वारा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव के कारण हुआ।

जब हमने यह बताया (दिसंबर 2019), तो मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2020) कि ड्राफ्ट एससीएन लेखापरीक्षा समूहों से प्राप्त होता है, और चूंकि वे लगातार फील्ड इयूटी पर हैं, तो स्पष्टीकरण, यदि कोई हो मुख्यालय में लौटने के बाद उनसे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, प्रश्नों के अनुपालन के लिए, लेखापरीक्षा समूहों को निर्धारितियों से जानकारी प्राप्त करनी होती है। कमिश्नरी ने आगे बताया कि दिसंबर, 2016 के बाद से जहां मांग ₹ 50 लाख से ज्यादा है, वहां पूर्व एससीएन परामर्श किया जाना था। इन कारकों के कारण एससीएन जारी करने में कुछ समय लगा, हालांकि पार्टी को इसे समय पर जारी किया गया।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 119 से लेकर 1435 दिनों तक एससीएन को अंतिम रूप देने में काफी विलंब हुआ था जिससे बाद में अधिनिर्णयन में विलंब हुआ और सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ।

5.9.7 जांच को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण कम मांग करना

डीजीजीएसटीआई जोनल यूनिट पुणे में हमने जांच को देर से अंतिम रूप देने के कारण चयनित 116 कार्यालयों में जांच किए गए 4,457 मामलों में से छः एससीएन (0.13 प्रतिशत) में ₹ 30.05 करोड़ की मांग को कम देखा। एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

5.9.7.1 एससीएन जारी करने में असामान्य विलंब जिससे राजस्व की हानि हुई

डीजीजीएसटीआई, पुणे जोनल यूनिट (पूर्व क्षेत्रीय इकाई) ने एक निर्धारित की विभिन्न संयंत्रों से रेडी मिक्स कंक्रीट के परिवहन के लिए पारगमन मिश्रण की तैनाती पर सेवा के कराधान के लिए विव 13 में 13 मामलों में जांच शुरू की

थी। सभी 13 मामलों में, विभाग ने उक्त सेवा को कार्गो हैंडलिंग सेवा (सीएचएस) के तहत वर्गीकृत करके कर लगाने की कार्यवाही शुरू की थी और तदनुसार प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए (सामान्य घटना रिपोर्ट के माध्यम से) मुंबई जोनल यूनिट को भेजा गया था। अक्टूबर 2013 में, मुंबई जोनल यूनिट ने राय दी कि सेवा 'मूर्त सेवा की आपूर्ति (एसटीजी) शीर्ष के तहत उचित रूप से वर्गीकरणीय थी। दिसंबर 2013 में पुन जाँच के बाद, पुणे जोनल यूनिट ने सूचित किया कि यदि इस सेवा पर 'एसटीजी' के बजाय 'सीएचएस' के तहत कर लगाया गया तो यह उचित होगा। पुणे जोनल यूनिट की ओर से यह देखा गया कि 2014 से 2016 के दौरान इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अप्रैल, 2017 में मुंबई जोनल यूनिट से स्पष्टीकरण मिलने के बाद कार्यवाही शुरू की गई और ₹ 17.99 करोड़ की मांग करते हुए पांच एससीएन को अक्टूबर 2018 और अप्रैल 2019 के बीच विव 14 की अवधि को शामिल करते हुए आठ निर्धारितियों को जारी किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 2013 में विभाग द्वारा 11 मामलों में ₹ 30 करोड़ के सेवा कर अपवंचन का अनुमान लगाया गया था लेकिन चूँकि जांच की कार्यवाही में असामान्य रूप से विलंब हुआ था, इसलिए विभाग मार्च 2013 से पहले की अवधि को शामिल नहीं कर सका क्योंकि वह समय बाधित हो गई थी। सभी 13 मामलों के संबंध में समय बाधित मांग लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती थी क्योंकि पूर्व अवधि के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड संबंधित फाइलों में उपलब्ध नहीं थे।

जब हमने यह बताया (दिसंबर 2019), तो विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2019) कि सेवा के वर्गीकरण पर विपरीत मत होने के कारण, उक्त सेवा के वर्गीकरण के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अभाव में इस मुद्दे को स्थगित रखा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस मुद्दे में शामिल राशि बहुत अधिक थी और इसलिए, सेवा के वर्गीकरण का निर्धारण करने और राजस्व का संरक्षण करने के लिए त्वरित और उचित कार्रवाई समय पर की जानी चाहिए थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.10 अधिनिर्णित एससीएन में पाई गई कमियां

चयनित 116 कार्यालयों में, विव 17 से विव 19 के दौरान 8,766 एससीएन का अधिनिर्णय हुआ था। हमने ₹ 17,208.40 करोड़ की धनराशि से जुड़े 3,335 मामलों की जांच की और 968 मामलों (29.03 प्रतिशत) में अनियमितताएं पाई जिसमें ₹ 9,006.86 करोड़ की धनराशि शामिल है। नीचे दी गई तालिका 5.6 के अनुसार एससीएन में मांग की गलत संगणना, एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समयावधि की गलत मांग, अधिनिर्णयन में विलंब, मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कदम नहीं उठाने से संबंधित कमियां आदि देखी गईं:

तालिका सं. 5.6: विव 17 से विव 19 के दौरान अधिनिर्णयन एससीएन में पाई गई कमियां

क्र.सं.	कमियों के प्रकार	कमियों की सं.	धनराशि (₹ करोड़ में)	नमूने के % में कमियां (सं.)
1.	विस्तारित समयावधि को मांगना अधिनिर्णयन में अनियमित रहा	10	17.32	0.3
2.	आवधिक एससीएन जारी करने के लिए समय की विस्तारित अवधि को मांगना जो आगे की अपील में अनियमित माना जा सकता है	9	4.94	0.27
3.	एससीएन देर से जारी करने के कारण आंशिक अवधि की मांग को शामिल न करना	4	8.26	0.12
4.	मांग की गलत संगणना जिसके परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन में मांग की कम पुष्टि हुई	15	147.81	0.45
5.	अधिनिर्णयन में विलंब	340	4,716.09	10.19
6.	अंतिम पीएच पूरा होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर ओआईओ जारी करने में विलंब	581	4063.89	17.42
7.	विश्वसनीय दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण मांग को छोड़ना	9	48.55	0.27
	कुल पाई गई कमियां	968	9,006.86	29.03
	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए कुल मामलों	3,335	17,208.40	
	चयनित इकाइयों में अधिनिर्णय वाले कुल मामले	8,766		---

5.10.1 विस्तारित समयावधि की मांग अधिनिर्णयन में अनियमित सिद्ध हुई

चार कमिश्नरी⁷⁸ में हमने देखा कि 116 चयनित कार्यालयों में जांच किए गए 3,335 मामलों में से, ₹ 17.32 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 10 मामलों में एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समयावधि को मांग (0.30 प्रतिशत) अनियमित मानी गयी।

जब हमने यह बताया (नवंबर 2019 से दिसंबर 2019) तो विभाग ने दो मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया। शेष आठ मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.10.1.1 आंतरिक लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के आधार पर दिसंबर 2015 में कोलकाता उत्तर कमिश्नरी में एक निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था और इसमें दिसंबर 2010 से अक्टूबर 2015 तक की मांग अवधि को शामिल किया गया था। हालांकि, नोटिसी ने योग्यता के साथ-साथ विस्तारित अवधि की सीमा के बिंदु पर मांग का विरोध किया। आदेश पारित करते समय अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने उल्लेख किया कि एससीएन में मासिक ईआर-1 विवरणी प्रस्तुत न करने के कोई आरोप नहीं थे; और यह कि माल का टैरिफ वर्गीकरण, और अधिसूचना का लाभ उठाना विभाग की जानकारी में था। अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने आगे कहा कि चूंकि एससीएन में नोटिसी के विरुद्ध धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों के छिपाने का कोई आरोप नहीं लगाया गया था, इसलिए विस्तारित अवधि को मांगना न्यायोचित नहीं था। इस प्रकार, नोटिसी एससीएन (दिनांक 22 दिसंबर 2015) जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् दिसंबर 2014 से अक्टूबर 2015 तक अप्रदत्त/कम प्रदत्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी था। ₹ 3.83 करोड़ की राशि की एससीएन में उल्लिखित शेष अवधि की मांग को विस्तारित अवधि की सीमा के कारण छोड़ दिया गया था।

हमने अक्टूबर 2019 में यह बताया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

⁷⁸ कोलकाता उत्तर, गाजियाबाद, गुवाहाटी और वडोदरा।

5.10.2 आवधिक एससीएन जारी करने के लिए समय की विस्तारित अवधि की मांग जिसे आगे की अपील में अनियमित माना जा सकता है

चार कमिश्नरी⁷⁹ में हमने देखा कि चयनित 116 कार्यालयों में जांच किए गए 3,335 मामलों में से नौ मामलों (0.27 प्रतिशत) में ₹ 4.94 करोड़ के राजस्व प्रभाव को शामिल करते हुए बाद की अवधि के लिए विस्तारित अवधि की मांग करते हुए आवधिक एससीएन जारी किए गए थे जिनकी पुष्टि अधिनिर्णयन में की गई थी लेकिन अपील में इस मुद्दे को समय बाधित माना जा सकता है क्योंकि यह मुद्दा पहले से ही विभाग की जानकारी में था।

जब हमने यह बताया (नवंबर 2019 से दिसंबर 2019) तो विभाग ने एक मामले में तथ्यों को स्वीकार किया। शेष आठ मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.10.2.1 मार्च, 2017 के मुख्य परिपत्र के पैरा 3.7 में यह निर्धारित किया गया है कि विस्तारित अवधि को मांग करते हुए पहले एससीएन के जारी होने के बाद, बाद वाले एससीएन को सामान्य सीमांकन अवधि के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

सीजीएसटी कमिश्नरी, गाजियाबाद के एडिशनल कमीशनर द्वारा विव 14 से विव 16 की अवधि के लिए विस्तारित समयावधि (अक्टूबर 2018) को मांग करते हुए ₹ 1.86 करोड़ के सेवा कर का भुगतान न करने के लिए एक निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था। रिकॉर्ड की आगे की जांच से पता चला कि जनवरी, 2015 में इसी आधार पर इसी निर्धारिती को एक और एससीएन जारी किया गया था। इस प्रकार, अक्टूबर 2018 में विस्तारित समयावधि को मांग करते हुए दूसरे एससीएन को जारी करना उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत था। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 78 के तहत शास्ति की बराबर राशि के साथ मांग की पुष्टि की गयी लेकिन निर्धारिती ने ओ-आई-ओ के विरुद्ध अपील दायर की।

⁷⁹ गाजियाबाद, हावड़ा, मुंबई दक्षिण और त्रिची।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2019), तो विभाग ने कहा (सितंबर 2019) कि सीईएसटीएटी (दिसंबर 2018) ने मामले को नए सिरे से अधिनिर्णयन के लिए भेजा और इस संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.10.3 एससीएन देर से जारी होने के कारण आंशिक अवधि की मांग को शामिल न करना

चार कमिश्नरी⁸⁰ में हमने चयनित 116 कार्यालयों में जांच किए गए 3,335 मामलों में से चार मामलों (0.12 प्रतिशत) में एससीएन को देरी से जारी किया गया पाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.26 करोड़ रुपये की अंशकालिक मांग को छोड़ा गया था।

जब हमने यह बताया (नवंबर 2019 से दिसंबर 2019) तो विभाग ने एक मामले में इस तथ्य को स्वीकार किया। शेष तीन मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

5.10.3.1 नासिक कमिश्नरी में यह पाया गया कि डीजीसीईआई मुंबई जोनल यूनिट ने औद्योगिक प्रोत्साहन आर्थिक सहायता पर उत्पाद शुल्क का भुगतान न करने के संबंध में एक निर्धारिती के मामले में जांच शुरू की थी। मुंबई जोनल यूनिट की जांच के उत्तर में, निर्धारिती ने नवंबर 2015 में ₹ 202.54 करोड़ की प्राप्त आर्थिक सहायता का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया था। लेखापरीक्षा संविक्षा से पता चला कि डीजीसीईआई ने जांच समाप्त कर जून 2017 में एससीएन जारी किया जो ₹ 146.52 करोड़ की कर औद्योगिक प्रोत्साहन आर्थिक सहायता पर कर लगाने के लिए था। एससीएन जारी करने के समय तक विव 12 की मांग को समय बाधित होने के कारण मार्च 2012 में निर्धारिती को प्राप्त ₹ 61.24 करोड़ की आर्थिक सहायता पर विचार नहीं किया गया। चूंकि संबंधित जानकारी नवंबर 2015 में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसलिए एससीएन जारी करने के लिए विभाग द्वारा 19 माह के

⁸⁰ गाजियाबाद, गुवाहाटी, मुंबई दक्षिण और नासिक।

विलंब से एससीएन में ₹ 6.12 करोड़ का राजस्व को छोड़ना पड़ा था और राजस्व की परिणामी हानि हुई थी।

हमने दिसंबर 2019 में यह बताया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.10.4 मांग की गलत गणना के कारण एससीएन में कम मांग उठाया जाना

छ: कमिश्नरी⁸¹ में हमने चयनित 116 कार्यालयों में जांच किए गए 3,335 मामलों में से 15 मामलों (0.42 प्रतिशत) में ₹ 147.81 करोड़ की मांग के कम किए जाने को देखा, जिसका मुख्य कारण विभाग द्वारा एससीएन में मांग की गणना करते समय कर योग्य मूल्य को गलत अपनाना था।

हमने नवंबर 2019 से दिसंबर 2019 तक यह बताया। विभाग ने एक मामले में लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार नहीं किया। शेष 14 मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.10.4.1 मुंबई दक्षिण कमिश्नरी में, एक निर्धारिती के मामले में पारित अधिनिर्णयन आदेश की जांच करते समय, यह देखा गया कि, एससीएन तैयार करते समय, विभाग ने निर्धारिती द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को जोकि कार्य संविदा सेवा के तहत आता है, जो 60 प्रतिशत की दर पर छूट की अनुमति के बाद कर के लिए चार्ज किया गया था। लेखापरीक्षा संविदा से पता चला कि विभाग ने पहले भूमि की लागत के लिए फ्लैटों के मूल्य के 75 प्रतिशत की दर से छूट की अनुमति दी थी और उसके बाद, इस सेवा को कार्य संविदा सेवा के रूप में विचार करते हुए 60 प्रतिशत की दर से और छूट की अनुमति दी गई थी, जो मूल्यांकन नियमावली, 2006 के नियम 2ए (ii) के अनुरूप नहीं थी। चूंकि, इस सेवा पर कार्य संविदा सेवा के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव था, इसलिए निर्धारिती 75 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त छूट की अनुमति के बिना सकल मूल्य के 40 प्रतिशत पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि यह त्रुटि अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा देखी

⁸¹ अगरतला, भोपाल, चेन्नई उत्तर, गाजियाबाद, मुंबई दक्षिण और मुंबई पश्चिम

गयी थी, लेकिन निर्धारित कानून के अनुसार वह एससीएन से आगे की कार्रवाई नहीं कर पाया और एससीएन में निर्धारित आरोपों के अनुसार मामले का अधिनिर्णय करना था। इस तरह एससीएन तैयार करने में हुई गलती से वित्त अधिनियम 1994 की धारा 78 के तहत अनिवार्य शास्ति सहित ₹ 22.26 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी।

हमने अक्टूबर 2019 में यह बताया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.10.5 अधिनिर्णयन में अत्यधिक विलंब

14 कार्यालयों⁸² में, हमने देखा कि चयनित 116 कार्यालयों में जांच किए गए 3,335 मामलों में से 340 एससीएन (10.19 प्रतिशत), जिनमें ₹ 4,716.09 करोड़ का राजस्व शामिल है, सामान्य मामलों में छः महीने की निर्धारित समय सीमा में और विस्तारित अवधि के मामलों में एक वर्ष (एसटी)/दो वर्ष (सीएक्स) की निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिनिर्णय नहीं लिया गया।

जब हमने यह बताया (सितंबर 2019 से दिसंबर 2019), हैदराबाद, विशाखापत्तनम, जयपुर, दिल्ली दक्षिण, गाजियाबाद, पुणे-II, रायगढ़, मुंबई दक्षिण कमिश्नरी और डीजीजीएसटीआई, नई दिल्ली के संबंध में विभाग ने अधिनिर्णयन में विलंब को स्वीकार किया और कहा कि मामलों के भारी लंबित होने और प्राधिनिर्णयन अधिकारियों में लगातार बदलाव के कारण विलंब हुआ।

शेष कमिश्नरी के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.10.5.1 आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ द्वारा एक निर्धारिती के प्रति धारा 11 एसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत

⁸² अगरतला, इलाहाबाद, बेंगलुरु ईस्ट, दिल्ली साउथ, गाजियाबाद, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई साउथ, मुंबई वेस्ट, पुणे-II, रायगढ़, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम कमिश्नरी और डीजीजीएसटीआई हेडक्वार्टर दिल्ली।

₹ 0.47 करोड़ की मांग के साथ इतनी ही राशि की शास्ति की पुष्टि⁸³ की गई (फरवरी 2001)। इस आदेश से व्यथित होकर, निर्धारिती ने सीईजीएटी नई दिल्ली में अपील दायर की और अधिकरण ने अपने अंतिम आदेश 292-94/2001-ए दिनांक 03 जनवरी 2001 के माध्यम से मार्च, 1994 से 14 जनवरी, 1997 तक की अवधि के लिए मांग को बरकरार रखा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11एसी के तहत शास्ति और धारा 11 एबी के तहत ब्याज के सम्बन्ध में, अधिकरण ने माना कि धारा 11 एसी और धारा 11 एबी के प्रावधान लागू होने की तारीख से पहले शास्ति और ब्याज नहीं लगाया जा सकता है और तदनुसार अधिनिर्णय लेने वाले प्राधिकारी को शुल्क, शास्ति और ब्याज की राशि को फिर से निर्धारित करने का निर्देश दिया गया।

पार्टी के साथ-साथ विभाग ने 2002 की सिविल अपील संख्या 8529-8531/2001 और सिविल अपील संख्या 2008-2010 के माध्यम से क्रमशः माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2007 को अपने अंतिम निर्णय के माध्यम से सीईजीएटी द्वारा पारित आदेश को पुनः अधिनिर्णय देकर इसे लागू करने का निर्देश दिया। हालांकि लेखापरीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि 2018 में आयुक्त सीजीएसटी गाजियाबाद द्वारा इस मामले पर फिर से अधिनिर्णय⁸⁴ दिया गया था, अर्थात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के 11 साल बाद 30 नवंबर 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) नियत करके दिया गया।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2019) तो विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2019) कि जब उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई तो मामला मेरठ कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में था। विभाग की पुनःसंरचना के कारण 2002 में मामला गाजियाबाद कमिश्नरी को हस्तांतरित किया गया, जिसे अक्टूबर 2014 में हुई विभाग के बाद की पुनः संरचना में फिर से मेरठ कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया। हालांकि, इस मामले

⁸³ मार्च, 1994 से मार्च, 1997 की अवधि के लिए ओ-आई-ओ नंबर 01/कॉमर/एम-01/2001 दिनांक 02 फरवरी, 2001 के माध्यम से एससीएन दिनांक 19 मार्च 1999 द्वारा मांग की गई।

⁸⁴ ओ-आई-ओ नंबर V(15)/एडीजे-01/51/99 334-340 दिनांक 31 जनवरी 2018 के द्वारा

में अंततः सीजीएसटी कमिश्नरी, गाजियाबाद द्वारा फिर से अधिनिर्णय दिया गया क्योंकि जीएसटी लागू होने के कारण 2017 में विभाग की पुनःसंरचना के कारण मामला फिर से गाजियाबाद कमिश्नरी को हस्तांतरित कर दिया गया था।

कमिश्नरी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस मामले का फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2007 में किया था और मामले की फाइल 2007 से 2014 तक गाजियाबाद कमिश्नरी के पास थी। इसलिए, गाजियाबाद कमिश्नरी मामले पर फिर से अधिनिर्णय ले सकता था और सात वर्षों के दौरान राशि की पुनः मात्रा निर्धारित कर सकता था, जब मामले की फाइल उनके पास थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020) है।

5.10.6 व्यक्तिगत सुनवाई पूरी होने के बाद निर्धारित अवधि में अधिनिर्णयन आदेश जारी न करना

दिनांक 10 मार्च 2017 के मुख्य परिपत्र के अनुसार, व्यक्तिगत सुनवाई कम से कम तीन बार की जानी चाहिए और जहां व्यक्तिगत सुनवाई संपन्न होती है, वहां निर्णय को यथाशीघ्र सूचित करना आवश्यक है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, जिन्हे फाइल में दर्ज किया जाए, अंतिम व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख से एक महीने से बाद में नहीं। इसके अलावा, आदेश को सीईए, 1944 की धारा 37सी के प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती को सूचित किया जाना आवश्यक है जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अनुसार सेवा कर पर भी लागू है।

25 कार्यालयों⁸⁵ में, हमने देखा कि 581 मामलों में ₹ 4,063.89 करोड़ की धनराशि के साथ ओ-आई-ओएस (17.42 प्रतिशत), एक महीने की निर्धारित अवधि बाद देरी के साथ जारी किए गए थे जो मामले की फाइलों में किसी कारण के दर्ज किए बिना थे। इससे ₹ 4,063.89 करोड़ की वसूली की कार्यवाही करने में देरी हुई।

⁸⁵ इलाहाबाद, अगरतला, अहमदाबाद उत्तर, बंगलुरु पूर्व, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई उत्तर, दिल्ली दक्षिण, गाजियाबाद, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हावड़ा, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता उत्तर, मुंबई दक्षिण, मुंबई पश्चिम, नासिक, पुणे-II, राजकोट, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा-II, विशाखापट्टनम कमिश्नरी और डीजीजीएसटीआई मुख्यालय दिल्ली।

जब हमने यह बताया (सितंबर से नवंबर 2019) तो अहमदाबाद उत्तर, वडोदरा-II, राजकोट, जयपुर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलोर पूर्व, जालंधर, गुरुग्राम, दिल्ली दक्षिण, कोलकाता उत्तर, हावड़ा, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, अगरतला, पुणे-II, मुंबई दक्षिण, मुंबई पश्चिम, नासिक, भोपाल कमिश्नरी और डीजीजीएसटीआई मुख्यालय, दिल्ली ने उत्तर दिया था कि आदेश जारी करने से पहले तथ्यों के सत्यापन के कारण, जीएसटी लागू होने से स्टाफ की कमी और भारी कार्यभार के कारण एक माह से अधिक के ओ-आई-ओएस जारी करने में देरी हुई।

कमिश्नरियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि परिपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि अपवादात्मक मामलों में जहां ओ-आई-ओएस एक महीने के भीतर जारी नहीं किए जा सकते हैं, कारणों को फाइलों में दर्ज करना होगा। अधिनिर्णयन की फाइलों में कोई औचित्य दर्ज नहीं पाया गया। शेष कमिश्नरियों से उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.10.7 एससीएन फाइलों में विश्वसनीय दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण मांग का गिरना

कोलकाता-उत्तर, हावड़ा कमिश्नरी और डीजीजीएसटीआई मुख्यालय में यह देखा गया कि जांच किए गए 3,335 मामलों में से नौ मामलों (0.27 प्रतिशत) में ₹ 48.55 करोड़ की मांगों को छोड़ दिया गया, क्योंकि एससीएन के तहत उठाई गई इन मांगों को दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थन नहीं किया गया था। डीजीजीएसटीआई मुख्यालय में देखा गया मामला नीचे दिया गया है:

5.10.7.1 मुख्य परिपत्र सं.1053/02/2017-सीएक्स दिनांक 10 मार्च 2017 में यह बताया गया है कि कारण बताओ नोटिस और कारण बताओ नोटिस में विश्वसनीय दस्तावेजों को अधिनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्धारिती को भेजा जाना आवश्यक है।

अधिनिर्णयन मामलों से संबंधित फाइलों की संविक्षा के दौरान यह देखा गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली के आयुक्त द्वारा 21 मार्च 1995 को एससीएन जारी किया गया था। एक निर्धारिती (अक्टूबर 2013) के प्रति मांग की पुष्टि करते हुए मामले का अधिनिर्णयन किया गया। उक्त ओ-आई-ओ से

व्यथित होकर, सीईएसटीएटी में निर्धारिती ने अपील की और सीईएसटीएटी ने विश्वसनीय दस्तावेजों (आरयूडीएस) के मद्देनजर मांग को ध्यान में रखते हुए पुनः अधिनिर्णयन के लिए अक्टूबर 2013 में मामलों को वापस भेज दिया। यह मामला डीजीसीईआई, नई दिल्ली के अपर महानिदेशक (अधिनिर्णयन) को सौंपा गया था। आदेश संख्या 60/2018-सीई दिनांक 31 मार्च 2018 के तहत अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने ₹ 46.52 करोड़ की मांग को छोड़ दिया क्योंकि 440 आरयूडी में से 395 आरयूडी, मामला फाइलों के साथ उपलब्ध नहीं थे।

जब हमने यह बताया (सितंबर 2019) तो विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2019) कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इस मामले का फैसला किया था और कि आरयूडी को आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली द्वारा नोटिसी को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके परिणामस्वरूप कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी।

उत्तर में उन कारणों के बारे में उल्लेख नहीं है कि आरयूडी केस फाइलों के साथ क्यों उपलब्ध नहीं थे, जिससे ₹ 46.52 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11 कॉल बुक मामलों की निगरानी

बोर्ड की, परिपत्र संख्या 992/16/2014-सीएक्स, दिनांक 26 दिसंबर 2014 और 1023/ 11/2016- सीएक्स दिनांक 08 अप्रैल 2016 और मुख्य परिपत्र संख्या 1053/02/2017/सीएक्स दिनांक 10 मार्च 2017 के साथ पठित परिपत्र संख्या 162/73/95-सीएक्स.3, दिनांक 14 दिसंबर 1995 में उन मामलों की श्रेणियों को निर्दिष्ट किया गया है, जिनका कुछ निर्दिष्ट कारणों की वजह से तत्काल अधिनिर्णयन नहीं किया जा सकता है जैसे कि विभाग ने इसी तरह के मामले में अपील दायर की हैं, न्यायालयों आदि द्वारा निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है और इसके परिणामस्वरूप ऐसे मामलों का अधिनिर्णयन स्थगित कर दिया गया है, जिसे कॉल बुक में हस्तांतरित किया जा सकता है।

इसके अलावा, सीबीआईसी ने 08 अप्रैल 2016 के अपने परिपत्र⁸⁶ द्वारा अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं को सूचित किया कि सीएजी की लेखापरीक्षा आपत्तियों से

⁸⁶ परिपत्र सं.1023/11/2016-सीएक्स नई दिल्ली दिनांक 08 अप्रैल 2016

सृजित कारण बताओ नोटिसों को कॉल बुक में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी और भविष्य में ऐसा कोई कारण बताओ नोटिस कॉल बुक को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। परिपत्र में आगे कहा गया कि कॉल बुक्स में रखे गए पिछले एससीएनएस की भी समीक्षा की जाएगी और उक्त परिपत्र में यथा निर्धारित तरीके से अधिनिर्णयन किया जाएगा। बोर्ड ने दिनांक 4 मार्च 1992 के अर्धशासकीय पत्र द्वारा कमिश्नरों को मासिक आधार पर कॉल बुक में हस्तांतरित मामलों की मासिक अवधि पर समीक्षा करने के निर्देश जारी किए थे।

31 मार्च, 2019 के अंत में कॉल बुक के एससीएन के लंबित होने की प्रास्थिति नीचे तालिका 5.7 में दी गई है:

तालिका सं. 5.7: कॉल बुक में लंबित एससीएन का विवरण

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	मामलों की सं. (सीएक्स)	राशि	मामलो की सं. (एसटी)	राशि
जिन मामलों में विभाग ने उपयुक्त प्राधिकारी के पास अपील की है	20,687	64,530.92	14,516	54,677.94
ऐसे मामले जहां एससी/एचसी/ट्रिब्यूनल आदि द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है।	1,289	5,492.68	1,555	6,513.14
ऐसे मामले जहां सीईआरए लेखापरीक्षा आपत्तियों का विरोध किया जाता है	704	2,263.04	401	938.59
ऐसे मामले जहां बोर्ड ने विशेष रूप से मामले को कॉल बुक/अन्य में रखने का आदेश दिया है	288	2,081.04	546	3,348.92
ऐसे मामले जहां पार्टी ने निपटान आयोग में आवेदन दायर किए थे, जो लंबित हैं	43	68.49	84	411.26
कुल	23,011	74,436.17	17,102	65,889.84

ऊपर की तालिका 5.7 से यह स्पष्ट है कि ₹ 74,736.17 करोड़ का केंद्रीय उत्पाद शुल्क और ₹ 65,889.84 करोड़ का सेवा कर कॉल बुक में अपुष्ट मांग के रूप में पड़ा है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि बोर्ड के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, क्षेत्रीय संरचनाओं ने कॉल बुक से विवादित सीएजी लेखापरीक्षा

आपत्तियों के आधार पर एससीएन को पुनः प्राप्त नहीं किया, जो कॉल बुक मामलों की समीक्षा के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी का संकेत देता है।

चयनित 116 कार्यालयों में 31 मार्च 2019 तक 5,491 एससीएन को कॉल बुक में रखा गया था। हमने ₹ 13,308.02 करोड़ की धनराशि से जुड़े 2,191 मामलों की जांच की और 1,006 मामलों (45.92 प्रतिशत) में अनियमितताओं को देखा, जिसमें ₹ 6,918.57 करोड़ की धनराशि शामिल है। पाई गई कमियां एससीएन में मांग की गलत संगणना, एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समयावधि की गलत मांग, कॉल बुक में एससीएन का गलत हस्तांतरण, कॉल बुक से एससीएन की गैर/विलंबित पुनर्प्राप्ति, एससीएन के स्थानांतरण की सूचना नोटिसी को न देने आदि से संबंधित थीं जैसा कि नीचे तालिका 5.8 में दिया गया है:

तालिका सं. 5.8: कॉल बुक में लंबित एससीएन में पाई गई कमियां

क्र.सं.	कमियों के प्रकार	कमियों की सं	धनराशि (₹ करोड़ में)	नमूने के % में कमियां (सं.)
1.	मांग की गलत गणना जिसके परिणामस्वरूप एससीएन में मांग कम की गयी	7	25.99	0.32
2.	आवधिक एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समयावधि की गलत मांग	4	307.78	0.18
3.	आवधिक एससीएन जारी न करना	8	0	0.37
4.	कॉल बुक में एससीएन का गलत हस्तांतरण	23	120.73	1.05
5.	कॉल बुक मामलों की गैर-आवधिक समीक्षा	370	2,251.92	16.89
6.	कॉल बुक से एससीएन की गैर/विलंबित पुनर्प्राप्ति	137	437.64	6.25
7.	कॉल बुक में एससीएन के हस्तांतरण के संबंध में नोटिसी को सूचना न देना	415	3,225.17	18.94
8.	कॉल बुक में मामलों को हस्तांतरित करने के लिए आयुक्त की कोई पूर्व मंजूरी नहीं लेना	10	13.18	0.46
9.	आवधिक एससीएन जारी करने में अत्यधिक विलंब	32	536.16	1.46
	कुल पाई गई कमियां	1,006	6,918.57	45.92
	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए कुल मामलें	2,191	13,308.02	
	चयनित इकाइयों में कॉल बुक में लंबित कुल मामले	5,491		---

5.11.1 कॉल बुक में रखे गए एससीएन में मांग की कम संगणना

त्रिची और पुणे-॥ कमिश्नरी में, हमने कर की गलत दर को अपनाने और पूरी राशि पर विचार न करने के कारण चयनित 116 इकाइयों में जांच किए गए 2,191 कॉल बुक मामलों में से सात एससीएन (0.32 प्रतिशत) में ₹ 25.99 करोड़ की मांग का कम किया जाना पाया।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2019 से दिसंबर 2019) तो विभाग ने छः मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया और एक मामले में लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार नहीं किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.11.1.1 पुणे-॥ कमिश्नरी में हमने देखा कि मार्च 2013 में एक निर्धारिती को रिवर्स चार्ज के आधार पर विदेश से प्राप्त सेवाओं के संबंध में 2010-11 की अवधि के लिए ₹ 6.55 करोड़ के सेवा कर का भुगतान न करने के लिए एक एससीएन जारी किया गया था। निर्धारिती ने एससीएन जारी करने से पहले विरोध के तहत ₹ 1.21 करोड़ का भुगतान किया, बाद में ₹ 5.34 करोड़ की शेष राशि का भुगतान किया और ₹ 6.55 करोड़ की पूरी राशि का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया। चूंकि, भुगतान विरोध के तहत किया गया था, इसलिए विभाग ने सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9 (बीबी) के तहत सेनवैट का लाभ उठाने पर आपत्ति जताई और कर के भुगतान से बचने के इरादे से तथ्यों के छिपाने के कारण कर का कम भुगतान हुआ। परिणामस्वरूप, विभाग ने जून 2016 में नए सिरे से एससीएन जारी कर लिए गए उपरोक्त सेनवैट के प्रतिवर्ती करने/भुगतान की मांग की। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पहले एससीएन के जारी करने से पहले किए गए ₹ 1.21 करोड़ के भुगतान को छोड़कर ₹ 5.34 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया गया था। चूंकि इस मामले में तथ्यों का छिपाना शामिल था और विरोध के तहत भुगतान किया गया था, इसलिए विस्तारित अवधि की मांग करते हुए ₹ 6.55 करोड़ के लिए गए सेनवैट की पूरी राशि के लिए एससीएन को जारी किया जाना था। हालांकि विभाग ने ₹ 1.21 करोड़ के सेनवैट का लाभ उठाने का सत्यापन करने के लिए संबंधित प्रभाग को आगे निर्देश दिए थे, लेकिन यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए संबंधित प्रभाग द्वारा अनियमितता को सुधारने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की गयी थी। इस चूक से ₹ 1.21 करोड़ की सीमा तक सरकारी राजस्व को खतरे में डाल दिया गया था।

जब हमने यह (दिसंबर 2019) बताया, तो विभाग ने कहा (जनवरी 2020) कि एससीएन दिनांक 31/03/2013 जारी करने से पहले रिवर्स चार्ज के तहत

₹ 1.21 करोड़ की राशि का भुगतान सेवा कर के रूप में किया गया था। बाद में सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने की जानकारी विभाग को दी जाती है। इसलिए, सेनवैट क्रेडिट के अनियमित लाभ के लिए जारी किए गए ₹ 5.34 करोड़ का एससीएन कानूनी और सही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा सेवा कर का भुगतान नहीं किए जाने को बताए जाने के बाद विरोध के तहत निर्धारिती ने सेवाकर भुगतान किया था। इसलिए, निर्धारिती द्वारा प्राप्त सेनवैट क्रेडिट को सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9 (1) (बीबी) के अनुसार अननुमत कर दिया जाना चाहिए और विभाग को ₹ 5.34 करोड़ के बजाय ₹ 6.55 करोड़ का एससीएन जारी करना चाहिए था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11.2 आवधिक एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समावधि को गलत मांग करना/आवधिक एससीएन जारी न करना

तीन कमिश्नरी⁸⁷ में हमने 116 चयनित कार्यालयों में जांच किए गए 2,191 कॉल बुक मामलों में से चार एससीएन (0.18 प्रतिशत) में ₹ 307.78 करोड़ के आवधिक एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समयावधि की गलत मांग का किया जाना और आठ एससीएन (0.37 प्रतिशत) में आवधिक एससीएन का जारी न करना पाया।

हमने अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 तक यह बताया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून, 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.11.2.1 त्रिची कमिश्नरी के तहत एक निर्धारिती को एक एससीएन जारी किया गया था (दिसंबर 2013) जो दिसंबर 2008 से नवंबर 2013 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक ग्राहकों को 50 किलोग्राम बैग में सीमेंट की निकासी के लिए सीई टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची की टैरिफ मद 25232910 और 25232930 के तहत आने वाले सीमेंट के विनिर्माण में लगा था जिसमें ₹ 89.01 करोड़ के शुल्क की मांग करते हुए विस्तारित अवधि की मांग की

⁸⁷ चेन्नई, मंगलौर और त्रिची।

गयी। यह इस तथ्य के बावजूद है कि इसी आधार पर एक एससीएन पहले ही जारी किया जा चुका था (दिसंबर 2008) जिसमें दिसम्बर 2007 से अक्टूबर 2008 तक की अवधि शामिल थी। इसलिए, विस्तारित अवधि की मांग करते हुए बाद में एससीएन जारी करना गलत है क्योंकि मामला पहले से ही विभाग की जानकारी में था और अधिनिर्णयन के समय मांग को समय बाधित किया जा सकता है।

हमने अगस्त 2019 में यह बताया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11.3 कॉल बुक में एससीएन का गलत हस्तांतरण

छ: कमिश्नरी⁸⁸ में हमने लेखापरीक्षा में जांच में पाया कि चयनित 116 इकाइयों में 2,191 कॉल बुक मामलों में से ₹ 120.73 करोड़ की धनराशि वाले 23 एससीएन (1.05 प्रतिशत) को गलत हस्तांतरण किया गया।

जब हमने यह बताया (सितंबर 2019 से दिसंबर 2019) तो विभाग ने पांच मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया। शेष 18 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.11.3.1 गुरुग्राम कमिश्नरी में यह देखा गया कि एससीएन सं. 4867 दिनांक 24 अक्टूबर 2008 को ब्याज और शास्ति के साथ ₹ 2.12 करोड़ की सेवा कर की वसूली के लिए अपर महानिदेशक (डीजीसीईआई) द्वारा कमिश्नर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली-III के समक्ष पेश होने के निर्देश के साथ जारी किया गया था। नोटिसी ने 30 दिसंबर 2008 को कमिश्नर सर्विस टैक्स नई दिल्ली को उत्तर प्रस्तुत किया था। इसके बाद चीफ आयुक्त (दिल्ली जोन) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नई दिल्ली ने इस मामले को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त को सौंपा था। तीन पीएच 20 मई 2009, 4 जून 2009 और 12 जून 2009 को निर्धारित की गई थीं। नोटिसी ने 04 जून 2009 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। इसके बाद विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोई आधार

⁸⁸ दिल्ली दक्षिण, गाजियाबाद, गुरुग्राम, जमशेदपुर, कोलकाता उत्तर और पुणे-II

बताए बिना 16 दिसंबर 2015 को कॉल बुक में मामला हस्तांतरित कर दिया गया।

जब हमने यह (सितंबर 2019) बताया, तो विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को (जनवरी 2020) स्वीकार किया और भविष्य के अनुपालन के लिए इसे नोट किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11.4 कॉल बुक मामलों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई

बोर्ड ने दिनांक 4 मार्च 1992 के अर्धशासकीय पत्र द्वारा कमिश्नरों को मासिक आधार पर कॉल बुक में हस्तांतरित मामलों की मासिक आवधिक समीक्षा करने के निर्देश जारी किए थे।

11 कार्यालयों⁸⁹ में, हमने देखा कि चयनित 116 इकाइयों में जांचे गए 2,191 कॉल बुक मामलों में से ₹ 2,251.92 करोड़ की धनराशि वाले 370 एससीएन (16.89 प्रतिशत) की आवधिक समीक्षा नहीं की गई जो ऊपर दिए गए निर्देशों के उल्लंघन में थी।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2019 से दिसंबर 2019) विभाग ने 121 मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया और 96 मामलों में लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार नहीं किया। शेष 153 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11.5 कॉल बुक से मामलों की गैर/विलंबित पुनर्प्राप्ति

13 कमिश्नरी⁹⁰ में हमने चयनित 116 इकाइयों में जांच किए गए 2,191 कॉल बुक मामलों में से ₹ 437.64 करोड़ की धनराशि वाले 137 एससीएन (6.25 प्रतिशत) की गैर/विलंबित पुनर्प्राप्ति देखी।

जब हमने यह (अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019) बताया तो विभाग ने 60 मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया। शेष 77 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

⁸⁹ भोपाल, भुवनेश्वर, गाजियाबाद, हैदराबाद, जालंधर, कोलकाता उत्तर, मुंबई पश्चिम, पुणे-II, रायगढ़, विशाखापट्टनम कमिश्नरी और डीजीजीएसटीआई मुख्यालय नई दिल्ली

⁹⁰ भुवनेश्वर, चेन्नई उत्तर, दिल्ली दक्षिण, गाजियाबाद, गुरुग्राम, गुवाहाटी, जालंधर, मंगलौर, मुंबई पश्चिम, पुणे-II, रायगढ़, तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.11.5.1 चेन्नई उत्तर कमिश्नरी में 31 मार्च 2019 तक लंबित 532 कॉल बुक मामलों की जांच की गई, जिसमें इसी तरह के मुद्दों पर विभिन्न न्यायिक मंचों पर निर्धारितियों के विरुद्ध विभागीय अपीलें लंबित थीं। माननीय उच्चतम न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट में मामलों के निपटारे की प्रास्थिति के संबंध में मामलों का सत्यापन सीएजी की लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था। यह देखा गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 29 एससीएन और सेवा कर के 29 एससीएन को अभी भी कॉल बुक में रखा गया था जिसमें इसी तरह के मामलों का निपटारा न्यायपालिका द्वारा किया गया था। इसलिए, ये मामले अधिनिर्णयन के लिए कॉल बुक से पुनः प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे, लेकिन कॉल बुक में अनियमित रूप से इसे रोककर रखा गया था।

इससे यह संकेत मिलता है कि कमिश्नरी ने ऐसी अपील के आधार पर हस्तांतरित कॉल बुक से एससीएन को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से अपील में लंबित मामलों की निगरानी नहीं की।

जब हमने यह (सितंबर 2019) बताया, तो कमिश्नरी ने कहा (अक्टूबर 2019) कि सितंबर, 2019 में अधिनिर्णयन के लिए कॉल बुक से आठ मामले प्राप्त किए गए थे; माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के परिणाम लंबित होने के कारण कॉल बुक में 12 मामले रखे गए थे; कानूनी धारा द्वारा तीन मामलों की जांच की जा रही थी; और एक मामला मंगलौर कमिश्नरी का था। शेष 34 मामलों के संबंध में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11.6 कॉल बुक में एससीएन के हस्तांतरण के संबंध में नोटिसी को सूचना न देना

सीबीआईसी द्वारा जारी दिनांक 10 मार्च 2017 के मुख्य परिपत्र के पैरा 9.4 के अनुसार, नोटिसी को एक औपचारिक सूचना जारी की जानी चाहिए, जहां मामला कॉल बुक को हस्तांतरित कर दिया गया है।

आठ कार्यालयों⁹¹ में हमने देखा कि चयनित 116 इकाइयों में जांच किए गए 2,191 कॉल बुक मामलों में से ₹ 3,225.17 करोड़ की धनराशि वाले 415 एससीएन (18.94 प्रतिशत) में नोटिसी को कॉल बुक में उनके मामलों के हस्तांतरण के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

जब हमने यह बताया (अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019) तो विभाग ने 54 मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया। शेष 361 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11.7 एससीएन के कॉल बुक में हस्तांतरण से पहले आयुक्त से पूर्व अनुमोदन का न लिया जाना

बोर्ड ने दिनांक 4 मार्च 1992 के अर्धशासकीय पत्र द्वारा निर्देश दिए थे कि एससीएन को आयुक्त की पूर्व अनुमति से कॉल बुक में हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

हमने देखा कि चयनित 116 इकाइयों में 2,191 कॉल बुक मामलों में से तिरुवनंतपुरम और दिल्ली दक्षिण कमिश्नरी में ₹ 13.18 करोड़ की धनराशि वाले 10 मामलों (0.46 प्रतिशत) को कॉल बुक में मामले हस्तांतरित करने से पहले आयुक्त का पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया था।

हमने अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 तक यह बताया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11.8 भारतीय भण्डार ब्रोकरों द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को प्रदान की गयी सेवाओं पर ब्रोकरेज प्रभारों पर सेवा कर के उद्ग्रहण के मुद्दे पर बोर्ड से स्पष्टीकरण में असामान्य देरी, जिससे राजस्व का अवरोध न हुआ।

भण्डार ब्रोकर कई विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/अन्य विदेशी ग्राहकों के साथ-साथ घरेलू ग्राहकों को भण्डार ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। 01 जुलाई 2012 से नकारात्मक सूची व्यवस्था लागू होने के बाद भण्डार ब्रोकरों ने एफआईआई और अन्य विदेशी ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के

⁹¹ भोपाल, दिल्ली दक्षिण, गुरुग्राम, जालंधर, पुणे-II, तिरुवनंतपुरम, त्रिची कमिश्नरी और डीजीजीएसटीआई मुख्यालय दिल्ली।

लिए सेवा कर का भुगतान करना बंद कर दिया, क्योंकि सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान भारत से बाहर था। भण्डार ब्रोकरों ने 01 जुलाई 2012 से 30 सितंबर 2014 तक अपने विदेशी ग्राहकों को दी जाने वाली भण्डार ब्रोकिंग सर्विसेज पर सेवा कर का भुगतान करना बंद कर दिया। "मध्यस्थ" शब्द की परिभाषा में संशोधन किए जाने के बाद 01 अक्टूबर 2014 से सेवा कर का भुगतान करना शुरू कर दिया गया था जिसमें माल की आपूर्ति की सुविधा को शामिल किया गया था और फलस्वरूप उनके भारत में स्थित होने के नाते और मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के नाते, सेवा नियमों के प्रावधान के स्थान के नियम 9 के खंड (सी) के अनुसार सेवा के प्रावधान का स्थान भारत में था।

जुलाई 2012 से सितंबर 2014 तक की मध्यावधि के दौरान एफआईआई को दी जाने वाली सेवाओं के लिए ब्रोकरेज प्रभारों की करदेयता के मुद्दे पर मुंबई जोन ने यह रुख अपनाया कि प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुओं के दायरे में आती हैं और इसलिए कर योग्य हैं। तदनुसार, कई भण्डार ब्रोकरों के मामलों में, विभाग ने बीच की अवधि के दौरान सेवा कर के उद्ग्रहण के लिए एससीएन जारी किए। हालांकि, इसी बीच भण्डार ब्रोकर्स एसोसिएशन, एशिया सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन (एएसआईएफएमए) ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्रदान की जाने वाली भण्डार ब्रोकिंग सेवाओं पर सेवा कर के पूर्वव्यापी उद्ग्रहण से बचने के लिए अगस्त 2014 में बोर्ड को प्रस्तुतिकरण दिया।

मुंबई दक्षिण कमिशनरी में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यह देखा गया कि अगस्त 2016 में बोर्ड ने सभी जोन से इस मुद्दे पर लंबित एससीएन के संबंध में कुछ विवरण मांगे थे। इसके उत्तर में अक्टूबर 2016 में मुंबई के तत्कालीन प्रिं.आयुक्त एसटी-III ने सूचित किया था कि मुंबई जोन में इस मुद्दे पर 32 एससीएन, जिसमें ₹ 536.16 करोड़ का राजस्व शामिल था, को बोर्ड से स्पष्टीकरण के अभाव में कॉल बुक में रखा गया था। यह देखा गया कि जुलाई 2018 में मुंबई जोन के चीफ आयुक्त ने अपनी कमिशनरियों को सूचित किया था कि एएसआईएफएमए के अनुरोध को बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और कॉल बुक में रखे गए इन मामलों का अधिनिर्णयन करने के निर्देश दिए गए थे।

उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि बोर्ड को मुंबई जोन को स्पष्टीकरण देने में लगभग चार साल लग गए। बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने में इस असामान्य विलम्ब के कारण कॉल बुक में 32 एससीएन में ₹ 536.16 करोड़ की राशि के मामलों को चार वर्षों के लिए अकेले मुंबई जोन में अनुचित रूप से रोके रखा गया।

हमने दिसंबर 2019 में यह बताया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.12 रिमांड मामलों में पाई गई कमियां

अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अनुपालन में नये सिरे से अधिनिर्णयन के मामले में, ऐसे मामलों का निर्णय उसी रैंक के अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए जिन्होंने उस आदेश को पारित किया था जो अधिकारियों के अधिनिर्णयन की शक्ति में वृद्धि के बावजूद अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील में था। अपीलीय प्राधिकारी से नये सिरे से अधिनिर्णयन का आदेश प्राप्त होने पर ऐसे मामले को ऐसे अधिनिर्णयन प्राधिकारी के अधिनिर्णयन के लिए लंबित मामलों की सूची में लंबित दर्शाया जाना चाहिए, जब तक कि उनके द्वारा इस पर निर्णय नहीं लिया जाता, दिखाया जाए। रिमांड मामलों को उसी तरीके से अधिनिर्णित किया जाना चाहिए जैसे नए एससीएन का अधिनिर्णयन होता है।

विव 17 से विव 19 के दौरान, 13 कार्यालयों⁹² में 748 एससीएन को अधिनिर्णयन के लिए वापस भेज दिया गया। हमने ₹ 3,358.21 करोड़ के धन मूल्य से जुड़े 622 मामलों की जांच की और 65 मामलों (10.45 प्रतिशत) जिसमें ₹ 419.52 करोड़ का धन मूल्य शामिल है, में अनियमितताएं पाई। कमी रिमांड मामलों के अधिनिर्णयन न करने/विलंब करने से संबंधित है।

जब हमने यह इंगित किया (अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2020), विभाग ने 15 मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया। शेष 50 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

⁹² अगरतला, अहमदाबाद उत्तर, बेंगलुरु पूर्व, भोपाल, चेन्नई उत्तर, दिल्ली दक्षिण, जयपुर, जमशेदपुर, मंगलौर, पुणे-II, रायगढ़, तिरुवनंतपुरम कमिश्नरेट और डीजीजीएसटीआई मुख्यालय दिल्ली

दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

5.12.1 आयुक्त सेवा कर, बेंगलुरु ने अपात्र इनपुट सेवा क्रेडिट की पुष्टि की (दिसंबर 2012), जिसका ₹ 5.20 करोड़ का लाभ निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया गया। निर्धारिती ने सीईएसटीएटी को अपील की और सीईएसटीएटी ने संबंधित इनपुट सेवा बीजक सत्यापित करने के लिए मूल अधिनिर्णयन प्राधिकरण को मामला वापस किया⁹³ (सितम्बर 2014) और निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट की अनुमति दी, जहां भी यह पात्र है। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ईस्ट डिवीजन-I, बेंगलुरु ईस्ट कमिश्नरी के असिस्टेंट आयुक्त ने 24 जून 2019 को अर्थात् लगभग पांच साल की देरी के बाद आयुक्त को अपनी सत्यापन रिपोर्ट सौंपी थी, यह बताते हुए कि कुल इनपुट सर्विस में से केवल ₹ 229 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट अनियमित था। यह मामला अभी अधिनिर्णयन के लिए लंबित है। इस प्रकार, प्रभाग द्वारा सत्यापन रिपोर्ट देर से प्रस्तुत करने के कारण, मामला अभी भी अधिनिर्णयन के लिए लंबित था जिसके परिणामस्वरूप लंबी अवधि के लिए मुकदमेबाजी के अंतर्गत बड़ी राशि लंबित थी।

हमने सितंबर 2019 में इसे इंगित किया था। विभाग का प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर, 2020)।

5.12.2 सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी की गैर-नियुक्ति के कारण रिमांड मामले का गैर अधिनिर्णयन

दिल्ली दक्षिण कमिश्नरी में अधिनिर्णयन के लिए लंबित अभिलेखों/एससीएन की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ₹ 9.27 करोड़ धन मूल्य से जुड़े पांच मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29 अप्रैल 2015 के अपने निर्णय संख्या सिविल अपील संख्या 2004 की 4964-4976 के द्वारा सीईएसटीएटी के आदेश के विरुद्ध विभागीय अपील को खारिज कर दिया था और पुनः अधिनिर्णयन के लिए मामलों को वापस भेज दिया था।

हमने पाया कि आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय दिल्ली II ने 17 जनवरी 2017 को पीएच तय किया, जिसमें उपरोक्त नोटिसी की ओर से वकील ने

⁹³ उनकी अंतिम आदेश संख्या 21693/2014 दिनांक 08 सितंबर, 2014 देखें

अनुरोध किया कि इसी तरह के आठ मामलों में सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, (जिनमें से तीन ग्रेटर नोएडा में स्थित हैं और दिल्ली में पांच) क्योंकि इसमें शामिल मुद्दा एक सा था, ताकि निर्णय में एक समानता बनाए रखी जा सके। आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली ॥ ने 23 जनवरी 2017 को चीफ आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली जोन से अनुरोध किया कि वे साझा अधिनिर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए बोर्ड के साथ मामला उठाएं। इसी तरह के अनुरोध, 28 फरवरी 2017, 09 मार्च 2017, 19 मई 2017, 22 नवंबर 2017, 12 अक्टूबर 2018 और 20 मार्च 2019 को किए गए थे। कई अनुरोधों के बावजूद, बोर्ड ने एक सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्त नहीं किया और मामले अभी भी अधिनिर्णयन के लिए लंबित हैं। इसके परिणामस्वरूप, 2015 से ₹ 9.27 करोड़ के सरकारी राजस्व पर अभी अधिनिर्णय होना बाकी है।

जब हमने यह इंगित किया (अक्टूबर 2019), तो विभाग ने कहा (दिसंबर 2019) कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक अनुमोदन के लिए बोर्ड से अनुरोध कर रहा था और उसकी ओर से कोई चूक नहीं हुई क्योंकि बोर्ड द्वारा सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी के नियुक्त किए जाने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है।

उपरोक्त और विभाग के उत्तर से यह देखा जा सकता है, कि तीन साल बीत जाने के बाद भी ₹ 9.27 करोड़ के राजस्व से जुड़े मामलों के लिए सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.13 एससीएन जारी होने से पहले या जारी होने के एक महीने के अंदर शुल्क/कर मांग के भुगतान पर मामलों को बंद करना (एससीएन की छूट)

वित्त अधिनियम 2015 द्वारा सरकार ने 14 मई 2015 से सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शास्तिक प्रावधानों को उदार बनाया है, जिसमें यह प्रावधान है कि, यदि कोई निर्धारिती एससीएन जारी करने से पहले या एससीएन जारी करने के 30 दिनों के अंदर ब्याज के साथ शुल्क/कर का भुगतान करने का इच्छुक है, अग्रलिखित होगा:

(क) गैर-धोखाधड़ी के मामलों में कोई जुर्माना नहीं।

(ख) धोखाधड़ी के मामलों में 15 प्रतिशत की घटी हुई शास्ति।

5.13.1 विव 17 से विव 19 के दौरान देय राशि के भुगतान पर चयनित 116 कार्यालयों में, 17,095 एससीएन को जारी किए बिना बंद कर दिया गया था। हमने ₹ 1,155.69 करोड़ के धन मूल्य से जुड़े 1,020 मामलों की जांच की और तिरुवनंतपुरम कमिश्नरी में ₹ 6.50 करोड़ धनमूल्य सहित 30 मामलों (2.94 प्रतिशत) में अनियमितताएं पाईं। यह अनियमितताएं निर्धारितियों को उनके मामलों में कार्यवाही बंद करने के संबंध में सूचना न देने से संबंधित थीं। इसके अतिरिक्त, हमने नोएडा लेखापरीक्षा कमिश्नरी में पाया कि दो मामलों में, (डीएआर) ₹ 0.66 करोड़ की आपत्ति की गयी राशि का भुगतान सुनिश्चित करने से पहले कार्यवाही बंद कर दी गई थी।

जब हमने यह इंगित किया (नवंबर 2019), तो नोएडा लेखापरीक्षा कमिश्नरी (नवंबर 2019), ने एक मामले में आपत्ति की गयी राशि की वसूली की और दूसरे मामले में विवरण की प्रतीक्षा है। तिरुवनंतपुरम कमिश्नरी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.14 जारी किये जाने हेतु लंबित ड्राफ्ट एससीएन

चयनित 116 कार्यालयों में, 31 मार्च, 2019 तक 203 ड्राफ्ट एससीएन जारी करने के लिए लंबित थे। हमने सभी 203 ड्राफ्ट एससीएन की जांच की जिसमें ₹ 1,282.80 करोड़ का धन मूल्य शामिल है। हमने पुणे ॥ कमिश्नरी में ₹ 35.06 करोड़ के धन मूल्य वाले दो मामलों (0.99 प्रतिशत) में अनियमितताएं देखीं। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.14.1 ड्राफ्ट एससीएन (डीएससीएन) की अनुचित ड्राफ्टिंग

बोर्ड के 10 मार्च 2017 के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, कारण बताओ नोटिस (एससीएन) चूककर्ता के विरुद्ध किसी भी कानूनी कार्यवाही का शुरुआती बिंदु है। यह उन कार्यवाहियों के लिए पूरा ढांचा निर्धारित करता है जो शुरु की जानी है और इसलिए, इसका मसौदा अत्यंत सावधानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए। एससीएन जारी करना एक वैधानिक आवश्यकता है और यह कर देयता से संबंधित किसी भी विवाद के निपटारे या अधिनियम के प्रावधानों और वहां

बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए की जाने वाली किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए मूल दस्तावेज है।

पुणे ॥ कमिश्नरी में, एक निर्धारिती के मामले में ड्राफ्ट एससीएन तैयार किया गया था जिसमें अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 की अवधि से संबंधित ₹ 197.77 करोड़ के गलत प्रतिदाय की मांग की गई थी। लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि मूल प्रतिदाय देते समय विभाग ने ₹ 17.39 करोड़ का सेनवैट क्रेडिट अस्वीकार माना था। हालांकि, ड्राफ्ट एससीएन में, विभाग द्वारा इस अपात्र सेनवैट क्रेडिट की वापसी/भुगतान की मांग करने की चूक हुई। यह चूक ₹ 17.39 करोड़ तक के राजस्व के नुकसान के जोखिम से भरी थी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि विभाग ने मई 2017 के महीने में एक एससीएन जारी किया था, जिसमें अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 तक की पूर्व अवधि को शामिल करते हुए ₹ 90.91 करोड़ के गलत प्रतिदाय की मांग की गई थी। उक्त एससीएन में भी विभाग ने ₹ 15.24 करोड़ की सीमा तक अस्वीकार्य सेनवैट क्रेडिट की वापसी/भुगतान की मांग नहीं की थी, जिसे मूल प्रतिदाय देते समय अस्वीकार्य ठहराया गया था। इससे सरकारी खजाने को ₹ 15.24 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हमने दिसंबर 2019 में यह इंगित किया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2020)।

5.15 आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन

बोर्ड ने दिनांक 23 मई 2003 के पत्र द्वारा कमिश्नरों और चीफ कमिश्नरों को अधिनिर्णयन मामलों के लंबित होने के कारणों का विश्लेषण करने और निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए थे। मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) की एमपीआर डीपीएम-एसटी-1ए और डीपीएम-सीई-1ए में लंबित मामलों के अधिनिर्णयन और उनके निपटान से संबंधित सूचना शामिल है।

5.15.1 रजिस्ट्रों का गैर/अनुचित रखरखाव

बोर्ड ने दिनांक 24 दिसंबर 2008 के अपने परिपत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत रैंज अधिकारियों और सैक्टर अधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की परिकल्पना की थी जो उचित अभिलेखों/

रजिस्ट्रों के रखरखाव और मासिक सार की समय पर समीक्षा और तैयारी के लिए थी।

116 कार्यालयों में अभिलेखों की जांच के दौरान हमने, गाजियाबाद, गुवाहाटी, अगरतला, मुंबई दक्षिण, पुणे-II, नासिक, त्रिची, चेन्नई उत्तर, भोपाल, दिल्ली दक्षिण, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद उत्तर, राजकोट, भुवनेश्वर लेखापरीक्षा, नासिक लेखापरीक्षा कमिश्नरी और लखनऊ डीजीजीएसटीआई जोनल यूनिट में रिकॉर्ड, रजिस्ट्रों का गैर/अनियमित रखरखाव देखा। एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

5.15.1.1 गाजियाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत सीजीएसटी रेंज 28 में, एससीएन की प्रास्थिति देखने के लिए आवश्यक पुष्ट/अपुष्ट रजिस्ट्रों का रखरखाव नहीं किया गया। मुंबई दक्षिण कमिश्नरी में डिवीजन-VII के अंतर्गत रेंज-IV और पुणे-II कमिश्नरी के अंतर्गत डिवीजन-VII में डीएससीएन रजिस्टर नहीं रखे गए थे। लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई कार्रवाई की प्रगति देखने के लिए सीईआरए लेखापरीक्षा आपत्ति रजिस्टर, पुणे-II कमिश्नरी में नहीं रखा गया पाया गया।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गयी चयनित 28 कमिश्नरियों में, हमने पाया कि एससीएन की प्राप्ति और निपटान के मासिक सार सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से रखे गए नहीं पाए गए थे। उचित रजिस्ट्रों का रखरखाव न करने के कारण, रजिस्टर और एमपीआर में दर्शाए गए आंकड़ें पुणे-II और गाजियाबाद कमिश्नरी में बेमेल नजर आए।

हमने अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 में यह इंगित किया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.16 लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा के दौरान सीएंडएजी के साथ सहयोग के संबंध में बोर्ड के निर्देशों⁹⁴ के बावजूद, विभाग ने पूरी और व्यापक जानकारी, अधिप्राप्त करके और उपलब्ध करवाकर पूरा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया। लेखापरीक्षा के दौरान विस्तृत जांच के लिए विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का विवरण नीचे तालिका 5.9 में दिया गया है।

⁹⁴ बोर्ड की अर्धशासकीय पत्र संख्या एफ नं.232/मिस डीएपी/2018-सीएक्स-7, दिनांक 26 अप्रैल, 2018

तालिका संख्या 5.9: प्रस्तुत न किये गये रिकॉर्ड

क्र. सं.	लेखापरीक्षिती इकाई	मांगे गए रिकॉर्ड की प्रकृति	प्रस्तुत न किये रिकॉर्ड की संख्या
1.	जमशेदपुर कमिश्नरी	डीएससीएन फाइलें	13
2.	पुणे-॥ कमिश्नरी	एससीएन मामले की फाइलों की छूट	33
3.	जमशेदपुर कमिश्नरी	अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन	24
4.	पुणे-॥ कमिश्नरी	अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन	6
5.	रायगढ़ कमिश्नरी	अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन	24
6.	जमशेदपुर कमिश्नरी	अधिनिर्णीत मामले	16
7.	अगरतला कमिश्नरी	अधिनिर्णीत मामले	4
8.	जमशेदपुर कमिश्नरी	कॉल बुक	1
9.	दिल्ली दक्षिण कमिश्नरी	जीएसटी के कारण रिकॉर्ड का हस्तांतरण	रिकार्ड की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई
10.	गुरुग्राम लेखापरीक्षा कमिश्नरी	कुल रिकॉर्ड की सूची	रिकार्ड की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई
11.	बेंगलुरु लेखापरीक्षा-1 कमिश्नरी	जीएसटी के कारण रिकॉर्ड का हस्तांतरण	अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं से प्राप्त 559 केस फाइलें उपलब्ध नहीं कराई गई। अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं को अंतरित की गयी 115 केस फाइलें भी उपलब्ध नहीं कराई गई।
12.	डीजीजीएसटीआई मुख्यालय	जीएसटी के कारण रिकॉर्ड का हस्तांतरण	रिकार्ड की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई
13.	डीजीजीएसटीआई जोनल यूनिट (हैदराबाद और कोलकाता)	एससीएन की छूट मामलों की फाइले	45
कुल			843

विभाग द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत न करना न केवल लेखापरीक्षा को यह आश्वासन देने से रोकता है कि क्या इन मामलों में संहितीय प्रावधानों और उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, बल्कि यह लेखापरीक्षा को रिकार्ड प्रस्तुत करने के संबंध में बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन भी नहीं है।

हमने अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 तक यह इंगित किया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.17 निष्कर्ष

हमने एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन प्रक्रिया के संबंध में लगातार अनुपालन विचलन देखा। हमने 31 मार्च 2019 तक अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन की लेखापरीक्षा के दौरान कानून/नियमों में महत्वपूर्ण विचलन देखा जैसेकि एससीएन में मांग की गलत संगणना, एससीएन विलम्ब से जारी करना, अधिनिर्णयन में विलम्ब आदि। जहां पर विव 17 से विव 19 के बीच अधिनिर्णयन किया गया, उनमें विस्तारित अवधि की गलत मांग, एससीएन के देर से जारी होने के कारण आंशिक अवधि की मांग को शामिल न करने, मांग की गलत संगणना, अधिनिर्णयन में देरी, अधिनिर्णयन आदेश के जारी करने में देरी, मामले की फाइल में दस्तावेजों की अनुपलब्धता आदि से संबंधित अनियमितताएं शामिल थीं। जिसके परिणामस्वरूप मांग आदि को छोड़ दिया गया। जहां तक 31 मार्च 2019 को कॉल बुक में रखे गए एससीएन का संबंध है, इसमें आवधिक एससीएन जारी न करने, कॉल बुक में रखे गए एससीएन में मांग की कम संगणना, कॉल बुक में एससीएन का गलत हस्तांतरण, कॉल बुक से मामलों की गैर/विलंबित पुनर्प्राप्ति, कॉल बुक की आवधिक समीक्षा न करने, एससीएन को कॉल बुक में हस्तांतरण करने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन न होने आदि से संबंधित अनियमितताएं पाई गईं। इसके अतिरिक्त, हमने रिमांड मामलों में अनियमितताओं, एससीएन को छूट और जारी करने के लिए लंबित ड्राफ्ट एससीएन में भी अनियमितताओं को पाया। हमने जीएसटी पारगमन के दौरान अधिनिर्णयन रिकॉर्ड के हस्तांतरण की भी समीक्षा की और कोई महत्वपूर्ण अवलोकन नहीं पाया।

हमने प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी, सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं के बीच अपर्याप्त समन्वय, बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने में देरी, सीबीआईसी

क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा जांच/सत्यापन में देरी, सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति में देरी, मामले की फाइलों में अभिलेखों की अनुपलब्धता आदि की लेखापरीक्षा द्वारा पायी गयी कई अनियमितताओं के लिए कारणों के रूप में पहचान की। इसके अतिरिक्त विभाग ने जीएसटी में बदलाव, स्टाफ की कमी, मामलों के अधिक लंबित होने, अधिनिर्णयन प्राधिकारी में लगातार बदलाव, अभिलेखों के हस्तांतरण में देरी आदि को अधिनिर्णयन में देरी का कारण और लेखापरीक्षा में पाई गई अन्य अनियमितताओं को बताया।

5.18 सिफारिशें

अधिनिर्णयन प्रक्रिया में लगातार देरी, मैनुअल गलतियों और लेखापरीक्षा में पाई गई अन्य अनियमितताओं को दूर करने और एससीएन की निगरानी को मजबूत करने के लिए विभाग निम्नलिखित घटकों के साथ एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया के एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण/स्वचालन पर विचार कर सकता है:

- (i) एससीएन जारी करने की प्रक्रिया को इनबिल्ट कंट्रोल के साथ कंप्यूटरीकृत किया जाए ताकि मांग की सही संगणना, एससीएन को समय पर जारी किया जाना, विस्तारित समयावधि की वैध मांग करना और जारी एससीएन की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।
- (ii) प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने, व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित करने और ओआईओ को समय पर जारी करने के लिए इनबिल्ट नियंत्रणों के साथ अधिनिर्णयन प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण।
- (iii) आवधिक एससीएन जारी करना, कॉल बुक से एससीएन को समय पर पुनः प्राप्त करना, कॉल बुक में मामलों के हस्तांतरण के संबंध में निर्धारिती को सूचना देना, कॉल बुक में एससीएन के स्थानांतरण से पहले सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन और वैध मामलों को कॉल बुक में स्थानांतरित करने के संबंध में नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए कॉल बुक के रखरखाव को इनबिल्ट मैकेनिज्म के साथ कंप्यूटरीकृत किया जाए।

अध्याय VI

कर प्रशासन तथा आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर)

6.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की लेखापरीक्षा


इस अध्याय में पारंपरिक अप्रत्यक्ष करों अर्थात केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। भारतीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्रशासन एक स्व-मूल्यांकन प्रणाली थी जिसमें करदाता अपने स्वयं की विवरणी तैयार करते थे तथा उन्हें विभाग को सौंपते थे। यह प्रणाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 तथा वित्त अधिनियम, 1994 सहित राजकोषीय नियमों द्वारा निर्देशित थी। कर विभाग प्राथमिक संवीक्षा तथा विस्तृत संवीक्षा के द्वारा विवरणी की संवीक्षा करता था तथा करदाता द्वारा इस प्रकार जमा किए गए कर की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा करता था।

हमने निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों से संबंधित अभिलेखों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय संरचनाओं तथा बोर्ड के कार्यात्मक अनुभाग के अभिलेखों की जाँच की।

6.2 लेखापरीक्षा नमूना

रेंज विभागीय ईकाईयाँ हैं जहाँ निर्धारितियों का पंजीकरण किया जाता है तथा विवरणी जमा की जाती हैं। इसीलिए, रेंज पंजीकरण के सत्यापन, विवरणी की संवीक्षा, राजस्व संग्रहण की जाँच आदि के लिए उत्तरदायी है। डिवीजन तथा कमिश्नरी क्रमशः रेंज तथा डिवीजन के कार्यों की निगरानी करने वाली निगरानी ईकाईयाँ है। वि.व. 19 तथा वि.व. 20 के दौरान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के संबंध में राजस्व संग्रहण के प्रशासन के लिए स्थापित प्रणाली तथा प्रक्रियाओं की प्रभाविकता की जाँच के लिए, हमने नीचे दर्शाये गए अनुसार कमिश्नरी, डिवीजन तथा रेंजों की नमूना ईकाईयाँ का चयन किया:

चार्ट 6.1: लेखापरीक्षा समष्टि तथा नमूना



वि.व. 19 के दौरान, 827 चयनित रेंजों में, हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के निर्धारण और भुगतान के संबंध में विस्तृत जाँच के लिए 2,939 निर्धारितियों के अभिलेखों का चयन किया। वि.व. 20 के दौरान, 451 चयनित रेंजों में, हमने विस्तृत जाँच के लिए 1,471 निर्धारितियों के अभिलेखों का चयन किया। लेखापरीक्षा तथा लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 के अनुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के महानिदेशक (डीजी)/प्रधान निदेशक (पीडी) की अध्यक्षता वाले हमारे नौ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा की गई।

6.3 लेखापरीक्षा अभियुक्तियों का विहंगावलोकन

वि.व. 19 तथा वि.व. 20 के दौरान लेखापरीक्षित किए गए कुल 4,410 निर्धारितियों के अभिलेखों में से, हमने 1,562 निर्धारितियों (35.42 प्रतिशत) के संबंध में कर कानूनों तथा नियमों का अननुपालन पाया। हमने ₹ 1,036.35 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 2,712 लेखापरीक्षा

अभियुक्तियां उठाई। ₹ 1,011.77 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 494 अभियुक्तियों में, प्रत्येक मामले में मौद्रिक मूल्य ₹ 10 लाख या अधिक था।

2,712 लेखापरीक्षा अभियुक्तियों में से, विभाग ने 1,669 अभियुक्तियों (61.54 प्रतिशत) के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किए, जिसमें से 1,141 अभियुक्तियों (68.36 प्रतिशत) को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। 841 अभियुक्तियों (50.39 प्रतिशत) में, विभाग द्वारा एससीएन जारी कर या राशि की वसूली कर कार्यवाई की गई।

4,410 निर्धारितियों, जिनके अभिलेखों की हमारे द्वारा जाँच की गई, में से 1,244 निर्धारितियों को विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा पहले ही लेखापरीक्षित किया जा चुका था। हमने पाया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा 594 निर्धारितियों (47.75 प्रतिशत) से संबंधित ₹ 420.39 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 1,104 मामलों में चूक का पता लगाने में विफल रही।


शेष 3,166 निर्धारितियों में से, जो आन्तरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन नहीं थे, हमने 968 निर्धारितियों (30.57 प्रतिशत) से संबंधित ₹ 615.96 करोड़ की मौद्रिक प्रभाव वाली 1,608 अभियुक्तियों को देखा।

लेखापरीक्षा अभियुक्तियों का मामलेवार सक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या 6.1: वि.व. 19 तथा वि.व. 20 के दौरान पाई गई लेखापरीक्षा अभियुक्तियां

अभियुक्तियों की श्रेणी	अभियुक्तियों की उप-श्रेणी	अभियुक्तियों की कुल संख्या	राशि (करोड़ में)	₹ 10 लाख या अधिक के मौद्रिक प्रभाव वाली अभियुक्तियों की संख्या	राशि (करोड़ में)
शुल्क/कर का भुगतान न करना	गलत छूट	49	57.01	16	56.39
	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म	155	15.43	23	14.08
	अन्य	401	178.22	86	173.72
शुल्क/कर का कम भुगतान	गलत निर्धार्य योग्य मूल्य	65	73.39	23	72.72
	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म	96	12.64	17	11.71
	गलत छूट	25	6.98	12	6.54
	संबंधित पार्टी लेनदेन	11	3.86	2	3.81
	अन्य	321	62.63	72	58.79
सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ/उपयोग		499	195.54	101	190.10
सेनवैट क्रेडिट की वापसी न होना/ कम वापसी	शुल्कयोग्य और छूट प्राप्त वस्तुओं के लिए अलग-अलग खातों का रखरखाव न करना	60	54.19	20	53.23
	अन्य	81	35.35	13	34.73
उपकर का भुगतान न होना		57	42.82	10	42.52
ब्याज का भुगतान न होना		236	49.99	42	48.14
अन्य		656	248.30	57	245.29
	कुल	2,712	1,036.35	494	1,011.77

लेखापरीक्षा अभियुक्तियों की प्रकृति तथा मौद्रिक मूल्य के संदर्भ में उनका अनुपात चार्ट 6.2 में चित्रित किया गया है।



कर का भुगतान न होना/कम भुगतान, वि.व. 19 तथा वि.व. 20 के दौरान, लेखापरीक्षा आपत्तियों के कुल मौद्रिक मूल्य का 39 प्रतिशत था। सेनवेट क्रेडिट का वापस न होना/कम वापसी तथा गलत लाभ/उपयोग लेखापरीक्षा आपत्तियों के कुल मौद्रिक मूल्य का 28 प्रतिशत था।

हमने ₹ 472.30 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 146 महत्वपूर्ण अभियुक्तियों⁹⁵ टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को जारी की, जैसा कि तालिका 6.2 में विवरण दिया गया है। अभियुक्तियों का ब्योरा परिशिष्ट-VIII में दिया गया है।

तालिका संख्या 6.2: मंत्रालय को जारी महत्वपूर्ण अभियुक्तियाँ

शुल्क/कर	जारी अभियुक्तियाँ		स्वीकृत अभियुक्तियाँ		वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	42	93.80	23	15.17	9	6.74
सेवा कर	104	378.50	66	280.61	50	19.01
जोड़	146	472.30	89	295.78	59	25.75

मंत्रालय ने ₹ 288.45 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 76 अभियुक्तियों को स्वीकार किया। इन 76 अभियुक्तियों में से, 74 मामलों में, मंत्रालय ने एससीएन को जारी/पुष्टि करके या राशि की वसूली कर सुधारात्मक कार्यवाई शुरू की/पूरी की। दो मामलों में, सुधारात्मक कार्यवाई अभी शुरू की जानी है।

⁹⁵ मंत्रालय को जारी अभियुक्तियों में प्रणालीगत मामले या उच्च मौद्रिक मूल्य शामिल था।

₹ 7.33 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 13 अभियुक्तियों में, मंत्रालय ने राजस्व निहितार्थ स्वीकार किया परन्तु विभागीय चूक को स्वीकार नहीं किया था। मंत्रालय ने ₹ 8.82 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली दस अभियुक्तियों को स्वीकार नहीं किया। ₹ 167.70 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 47 अभियुक्तियों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2020)।

कुछ लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है-

6.4 निर्धारितियों की चूकें जिनका विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा के बावजूद पता नहीं लगाया गया

आंतरिक लेखापरीक्षा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर कानूनों के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रकाश में निर्धारितियों द्वारा अनुपालन के स्तर को मापने में मदद करती है। बोर्ड ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका, 2015 (सीईएसटीएएम, 2015) के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया जारी की थी।

अक्टूबर 2014 में विभाग के पुनर्गठन के बाद, महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए केन्द्रीयकृत जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षणीय ईकाईयों को तीन श्रेणियों अर्थात् बड़ी, मध्यम तथा छोटी ईकाईयों में पुनः संगठित किया गया है। लेखापरीक्षा कमिश्नरी के पास उपलब्ध श्रमबल बड़ी, मध्यम तथा छोटी ईकाईयों में क्रमशः 40:25:15 के अनुपात में आवंटित किया गया है तथा शेष 20 प्रतिशत श्रमबल का योजना, समन्वय तथा अनुवर्ती कार्यवाही के लिए उपयोग किया जाता है।

जैसा कि पैरा 6.3 में बताया गया है, 4,410 निर्धारितियों, जिनके अभिलेखों की हमारे द्वारा जांच की गई है, में से 1,244 निर्धारितियों की विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा पहले ही लेखापरीक्षा की जा चुकी थी। हमने पाया कि 594 निर्धारितियों (47.75 प्रतिशत) से सम्बन्धित ₹ 420.39 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 1,104 दृष्टांतों में, आंतरिक लेखापरीक्षा चूकों का पता लगाने में विफल रही।

हमने मंत्रालय को ₹ 255.32 करोड़ के राजस्व वाले 30 ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किए, जहाँ आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली में अपर्याप्तता के कारण,

करदाताओं द्वारा अनुपालन न करने के कारण का पता नहीं चला, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका सं. 6.3: निर्धारितियों की चूकें जिनका विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा के बावजूद पता नहीं चला

अभियुक्तियों की श्रेणी	अभियुक्तियों की कुल संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
शुल्क/कर का भुगतान न होना	9	16.21
शुल्क/कर का कम भुगतान	8	11.18
सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना/उपयोग करना	6	190.25
सेनवैट क्रेडिट की वापसी न होना/कम वापसी	5	37.15
कर का भुगतान न होना	2	0.53
जोड़	30	255.32

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

6.4.1 घोषित सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना - आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता न लगा पाना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ई(ई) में निर्धारित किया गया था अधिनियम कि कार्य या स्थिति को सहन करने के लिए बाध्य होने की सहमति एक कर योग्य सेवा है। किसी मूल्य के लिए उक्त बाध्यता के प्रति सहमत व्यक्ति धारा 66बी के तहत सेवा कर भुगतान के लिए दायी है।

बेलागवी कमिश्नरी की होसपेट 'सी' रेंज के अन्तर्गत आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेवा कर का भुगतान न होना पाया। निर्धारिती (जॉब वर्कर) ने अपने ग्राहक (प्रधान विनिर्माता) के लिए जाब वर्क के लिए एक करार किया था। करार की शर्तों के अनुसार, प्रधान विनिर्माता जॉब वर्कर की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में इनपुट भेजने पर सहमत हुआ, जैसी कि सहमति हुई थी, प्रधान विनिर्माता के पर्याप्त मात्रा में इनपुट भेजने में विफल रहने से, जॉब वर्कर ने करार में निर्दिष्ट मुआवजा प्रभारित किया। यह मुआवजा इस स्थिति को सहन करने के प्रतिफल के रूप में होता है, जहाँ जॉब वर्कर जॉब वर्क के लिए पूरी क्षमता का उपयोग करने में समर्थ नहीं है तथा

इसे कर योग्य सेवा समझा जाना चाहिये। हालांकि, यह पाया गया कि निर्धारिती ने प्रधान विनिर्माता से वसूल किए गए ऐसे मुआवजे पर वि.व. 16 तथा वि.व. 17 के दौरान ₹ 4.22 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा, निर्धारिती के अभिलेखों से सेवा कर के भुगतान न होने का पता लगाने में विफल रही, जिसके कारण सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने तक त्रुटि का पता नहीं चला।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर, (फरवरी 2020), कमिश्नरी ने इस आधार पर लेखापरीक्षा अभियुक्तियों का विरोध किया कि भुगतान की गई राशि केवल मुआवजा थी तथा किसी कार्य को छूट या माफ करने की प्रकृति में किसी सेवा के लिए प्रतिफल नहीं थी। विभाग ने भयाना बिल्डर्स (प्रा) लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रभारित राशि तथा प्रदान की गई सेवा के बीच तालमेल होना चाहिए। कोई प्रभारित राशि जिसका कर योग्य सेवा के साथ कोई तालमेल नहीं है, वह उस मूल्य का हिस्सा नहीं बनता है जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के तहत कर योग्य है। कमिश्नरी ने आगे कहा कि सीईएसटीएटी (कलकत्ता ब्रांच) ने अमित मेटालिक्स लिमिटेड तथा अन्य के मामले में, यह माना था कि माल की बिक्री पर चूक के लिए प्राप्त मुआवजे या निर्णीत हर्जाने की मुआवजा राशि को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ई(ई) के तहत सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है।

कमिश्नरी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, जब भी प्रधान विनिर्माता इनपुट की पर्याप्त मात्रा प्रदान करने में विफल रहे, जॉब वर्क के लिए करार में राशि एकत्र करने के लिए विशेष खंड है। इस प्रकार करार में उक्त स्थिति में छूट के लिए एक प्रतिफल निर्धारित किया गया है। इसीलिए, सेवा तथा प्रतिफल के बीच एक अंतर्निहित तालमेल है, जैसा कि भयाना बिल्डर्स (प्रा) लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया। इसके अलावा, सीईएसटीएटी (कलकत्ता ब्रांच) द्वारा अमित मेटालिक्स लिमिटेड तथा अन्य के मामले में लिया गया निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि यह मामला माल की बिक्री पर चूक के लिए मुआवजे से संबंधित था जबकि वर्तमान मामले में मुआवजा खंड करार में पूर्व निर्धारित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

6.4.2 पूंजीगत माल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क का भुगतान न होना - आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता न लगा पाना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 के अन्तर्गत उप-नियम (5ए)(ए)(ii) के अनुसार, यदि पूंजीगत माल, जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है, को उपयोग के बाद निकासित किया गया है, तो आउटपुट सेवा के विनिर्माता या प्रदाता को उक्त पूंजीगत माल पर स्ट्रेट लाइन विधि द्वारा गणना किए गए प्रतिशतता अंकों तक कम किए गए, लिए गए सेनवैट क्रेडिट की राशि के बराबर भुगतान करना होगा जैसा कि सेनवैट क्रेडिट के लेने की तिथि से एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए निर्दिष्ट किया गया है। बशर्ते, यदि इस प्रकार गणना की गई राशि, लेनदेन मूल्य पर उद्ग्राह्य शुल्क के बराबर राशि से कम है, भुगतान की जाने वाली राशि लेनदेन मूल्य पर उद्ग्राह्य शुल्क के बराबर होगी।

चेन्नई दक्षिण कमीशनरी की रेंज IV के अंतर्गत आनेवाले निर्धारितियों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने एक निर्धारिती द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न होना पाया। निर्धारिती ने वि.व. 15 से वि.व. 18 की अवधि के दौरान ₹ 6.03 करोड़ के मूल्य के आयातित सिनेमा प्रोजेक्टर तथा उनके सहायक सामान को बेच दिया। निर्धारिती ने इन वस्तुओं के आयात पर भुगतान किए गए प्रतिकारी शुल्क पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया था, परन्तु इन वस्तुओं की बिक्री पर ₹ 75.27 लाख के लागू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया था, जिसे लागू ब्याज के साथ वसूल किया जाना आवश्यक था।

विभाग ने वि.व. 15 से वि.व. 16 की अवधि के लिए अप्रैल 2016 में निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की परन्तु उसे चूक का पता नहीं चला।

इसके बारे में बताए जाने पर, (अप्रैल 2018), मंत्रालय ने अभियुक्त को स्वीकार किया तथा कहा (मार्च 2020) कि भुगतान/वापसी के लिए देय राशि की ₹ 76.19 लाख की गणना की गई थी। निर्धारिती ने ₹ 25.77 लाख के

ब्याज के साथ राशि का भुगतान किया। मंत्रालय ने आगे कहा कि संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा जा रहा था।

6.4.3 प्राप्त किए गए अग्रिम पर सेवा कर का कम भुगतान-आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता न लगा पाना

कराधान बिंदू नियमावली, 2011 का नियम 3 निर्धारित करता है कि कर योग्य सेवाओं के लिए कराधान का बिंदु वह समय होगा जब प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए बीजक जारी किए गए हैं। यदि बीजक जारी करने से पहले सेवाओं के लिए अग्रिम प्राप्त होता है, तो कराधान का बिंदु वह समय होगा जब ऐसे अग्रिम प्राप्त होते हैं।

बेंगलुरु ईस्ट कमिश्नरी की डीईडी-1 रेंज के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने एक निर्धारिती द्वारा सेवा कर का कम भुगतान पाया। निर्माण गतिविधियों में लगे हुए सेवा प्रदाता निर्धारिती ने परियोजना के अपने ग्राहको से अग्रिम प्राप्त किए थे परन्तु इसने अपने एसटी-3 विवरणी में प्राप्त अग्रिम के मूल्य को कम घोषित किया। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2014 से जून 2017 की अवधि के लिए ₹ 1.13 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

विभाग ने मार्च 2015 तक की अवधि को कवर करते हुए निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा (अगस्त - सितम्बर 2015) की परन्तु इसमें चूक का पता नहीं चला।

इस बारे में बताए जाने पर (मार्च 2019), मंत्रालय ने अभियुक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2020) तथा बताया कि ₹ 1.13 करोड़ के सेवा कर की मांग करते हुए एक एससीएन जारी किया गया था।

6.4.4 लेन-देन में माल भाड़ा राशि शामिल न करने के कारण शुल्क का कम भुगतान-आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता न लगा पाना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का निर्धारण) के नियम 5 के नीचे स्पष्टीकरण-11 में स्पष्ट किया गया था कि यदि फैक्टरी माल निकासी की जगह नहीं हैं, तो फैक्टरी से लेकर हटाने की जगह जैसे डिपो, परेषण एजेंट परिसर आदि तक उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य के

निर्धारण के प्रयोजनार्थ परिवहन की लागत को छोड़ा नहीं जा सकता है। बोर्ड के परिपत्र संख्या 988/12/2014-सीएक्स दिनांक 20 अक्टूबर 2014 में यह भी निर्धारित था कि जिस स्थान पर बिक्री की गई है या जहां माल में संपत्ति विक्रेता से खरीददार को स्थानांतरित की जाती है, हटाने की जगह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक स्थान है।

दमन कमीशनरी की रेंज III के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने एक निर्धारिती द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान पाया। निर्धारिती ने अपने ग्राहकों से ₹ 51.51 करोड़ के मालभाड़े की वसूली (अप्रैल 2013 से जून 2017) की थी जिसे उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का निर्धारण करते समय लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। निर्धारिती के एक खरीददार के करार दस्तावेजों के निबंधन तथा शर्तें यह दर्शाते थे कि निर्धारिती, खरीददार के स्टोर पर माल की सुपुर्दगी के लिए उत्तरदायी था। इसीलिए, इस मामले में खरीददार का स्टोर निकासी की जगह थी तथा भाड़ा प्रभारों को उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य निर्धारण के लिए शामिल किया जाना था। निर्धारिती ने निर्धार्य मूल्य में भाड़ा प्रभारों को शामिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.29 करोड़ के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान हुआ जिसे लागू ब्याज के साथ वसूल किया जाना था।

विभाग द्वारा फरवरी-मार्च 2016 में सितम्बर 2015 तक की अवधि के लिए निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई परन्तु उसे चूक का पता नहीं चला। इस बारे में बताए जाने पर (अक्टूबर 2018), विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2019) तथा बताया कि जनवरी 2014 से जून 2017 की अवधि के लिए ₹ 6.83 करोड़ के एससीएन निर्धारिती को जारी किए गए थे। एससीएन में अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2013 तक की अवधि छोड़े जाने तथा आंतरिक लेखापरीक्षा विफल होने पर उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2020)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

6.4.5 गैर-कर योग्य सेवा पर भुगतान किए गए सेवाकर पर सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ-आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगा पाना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65बी(51) के अनुसार, “कर योग्य सेवा” का अर्थ उस सेवा से है जिस पर धारा 66बी के अन्तर्गत सेवा कर उद्ग्राह्य है। उक्त अधिनियम की धारा 65बी(44) के अनुसार, ‘सेवा’ की परिभाषा किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे के लिए, प्रतिफल के लिए की गई गतिविधि है तथा इसमें एक घोषित सेवा शामिल है।

नियम 2(i) के अनुसार, “इनपुट सेवा” का अर्थ है एक आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली या विनिर्माता द्वारा उपयोग की गई कोई सेवा, जो चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम उत्पाद के विनिर्माण तथा हटाने की जगह तक अंतिम उत्पादों की निकासी के सम्बन्ध में हों।

भुवनेश्वर कमिश्नरी की पारादीप-1 रेंज के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की जाँच के पैरान हमने एक निर्धारिती द्वारा सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना पाया। हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तथा सुपिरियर केरोसिन ऑयल के विनिर्माण में लगे निर्धारिती ने वि.व. 16 तथा वि.व. 17 के दौरान ₹ 129.51 करोड़ की राशि के अपने एक सेवा प्रदाता द्वारा जारी किए गए बीजकों पर सेनवैट क्रेडिट को प्राप्त किया था। निर्धारिती तथा सेवा प्रदाता के बीच करार के अनुसार तीन घटकों के संबंध में भुगतान किया गया (i) पूर्ण टैंकेज सुविधाओं के लिए स्थायी पूंजीगत निवेश पर प्रतिफल के लिए मासिक स्थायी प्रभार (ii) पूर्ण टैंकेज सुविधाओं के संचालन के लिए मासिक प्रभार (iii) पूर्ण टैंकेज सुविधाओं के रखरखाव के लिए मासिक प्रभार। सेवा प्रदाता इन सभी घटकों पर सेवा कर प्रभारित कर रहा था। उक्त नियमों के अनुसार, स्थायी पूंजीगत निवेश पर प्रतिफल के लिए मासिक स्थायी प्रभार पर ₹ 123.21 करोड़ के क्रेडिट का उठाया गया लाभ अनियमित था, क्योंकि यह स्थायी पूंजीगत निवेश पर प्रतिफल था न कि सेवा।

इसी प्रकार वि.व. 16 तथा वि.व. 17 के दौरान निर्धारिती ने इस संबंध में किए गए भुगतान के लिए ₹ 400.01 करोड़ की राशि के अन्य सेवा प्रदाता द्वारा

जारी किए गए बीजकों पर इनपुट सेवा क्रेडिट का लाभ उठाया, (i) महानदी नदी से पारादीप तक इनटेक स्ट्रक्चर से पानी की निकासी के लिए पूंजी पर प्रतिफल के लिए मासिक स्थायी प्रभार और (ii) पाइपलाइन से पानी के निर्वासन के लिए मासिक प्रभार। पूंजी पर प्रतिफल के लिए मासिक स्थायी प्रभारों पर उठाया गया ₹ 32.50 करोड़ के क्रेडिट का लाभ अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 155.71 करोड़ को राशि की गैर-कर योग्य सेवा पर भुगतान किए गए सेवा कर पर सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया।

विभाग द्वारा वि.व. 16 तक की अवधि के लिए निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई, परन्तु वह इन चूकों का पता नहीं लगा पाया।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (फरवरी 2019), मंत्रालय ने अभियुक्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2020) तथा बताया कि जून 2017 की अवधि तक ₹ 183.37 करोड़ के लिए एक कारण बताओं नोटिस जून 2020 में जारी किया गया था।

6.4.6 सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना - आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता न लगाया जाना।

नियम 2(i) के अनुसार, “इनपुट सेवा” का अर्थ है एक आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली या विनिर्माता द्वारा उपयोग की गई कोई सेवा जो चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम उत्पाद के विनिर्माण तथा हटाने की जगह तक अंतिम उत्पादों की निकासी के सम्बन्ध में हो।

इसके अलावा सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 7 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आईएसडी) द्वारा क्रेडिट के वितरण के तरीके को निर्धारित करता है, जिसके उप-नियम (सी) के अनुसार, किसी ईकाई द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग की गई सेवा का क्रेडिट केवल उसी ईकाई को वितरित किया जायेगा।

दमन कमिश्नरी की रेंज III के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना पाया। निर्धारिती,

जो अध्याय टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 27101990 (अर्थात, लाईट लिक्विड पैराफिन, व्हाइट ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल) के अन्तर्गत आने वाली उत्पादों का निर्माता है, ने वि.व. 14 से वि.व. 18 की अवधि के दौरान इसके मुख्य कार्यालय, मुम्बई में स्थापित इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आईएसडी), द्वारा वितरित बौद्धिक संपदा सेवाओं (रायल्टी) पर ₹ 6.06 करोड़ (उपकर सहित) के सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया था। हमने पाया कि आईएसडी ने अपने ब्रांड नाम के अंतर्गत, अपनी इकाईयों से विनिर्मित ल्यूब्रीकैण्टस (सीटीएच 27101980 के अंतर्गत आने वाले) को बेचने के लिए निर्धारिती के अलावा विभिन्न ऑटो सैक्टर की कम्पनियों को रायल्टी का भुगतान किया था। आईएसडी ने इस रायल्टी पर भुगतान किए गए सेवा कर के क्रेडिट का लाभ उठाया था तथा टर्नओवर के अनुपात में, उपरोक्त निर्धारिती सहित जो ल्यूब्रीकैण्ट के विनिर्माण में शामिल नहीं था, अपनी इकाईयों में वितरित किया था। क्योंकि निर्धारिती ल्यूब्रीकेटिंग ऑयल के विनिर्माण में नहीं लगा हुआ था, इसीलिए ल्यूब्रीकैण्ट से संबंधित सेवाओं के लिए निर्धारिती द्वारा ₹ 6.06 करोड़ के क्रेडिट का लाभ उठाना उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार गलत था, तथा इस राशि को लागू ब्याज के साथ वूसला जाना आवश्यक था।

विभाग द्वारा फरवरी-मार्च 2016 में सितम्बर 2015 तक की अवधि के लिए निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई परन्तु चूक का पता नहीं लगा।

इस बारे में बताए जाने पर (अक्टूबर 2018), विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2019) तथा सूचित किया कि निर्धारिती को एससीएन जारी किया जा रहा था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर उत्तर प्रतिक्रित था (अगस्त 2019)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्रित है (दिसम्बर 2020)।

6.4.7 सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी को पता लगाने में आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता तथा लेखापरीक्षा अभियुक्ति पर समय रहते कार्यवाई न करने के परिणामस्वरूप आंशिक माँग का समय बाधित होना - आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता न लगा पाना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66बी के साथ पठित धारा 66डी(ई) के अंतर्गत सेवाओं की नकारात्मक सूची में शामिल होने के कारण ट्रेडिंग एक गैर-

कर योग्य सेवा है तथा सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(ई) के अंतर्गत एक 'छूट प्राप्त सेवा' के रूप में आती है। आउटपुट सेवा प्रदाता को, कर योग्य तथा छूट प्राप्त, दोनों सेवाओं के प्रावधान के लिए इनपुट/इनपुट सेवाओं की प्राप्ति तथा उपयोग के लिए अलग-अलग खाते नहीं रखने का विकल्प चुनते हुए, सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) या 6(3ए) के अंतर्गत किसी एक तरीके का चयन करके छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग की जाने वाली इनपुट सेवाओं से संबंधित सेनवैट क्रेडिट के हिस्से को वापस करना है।

इसके अलावा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए में साधारण मामले में, संबंधित दिनांक से दो वर्ष के अन्दर तथा धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों के छुपाने के मामले में पाँच वर्ष के अंदर कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी करने का प्रावधान किया गया है।

बेंगलुरु नार्थ कमिश्नरी की रेंज एएनडी-1 के अंतर्गत निर्धारितियों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी पाई। निर्धारिती विभिन्न वस्तुओं के विनिर्माण तथा विभिन्न कर योग्य सेवाओं के प्रदान के साथ, माल की ट्रेडिंग में भी, जो एक छूट प्राप्त सेवा है, लगा हुआ था। निर्धारिती ने, छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान, कर योग्य सेवाओं के प्रावधान तथा उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया। निर्धारिती के सेनवैट क्रेडिट अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि भले ही निर्धारिती ने अलग-अलग खातों को नहीं रखने के लिए सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3ए) के अन्तर्गत राशि के भुगतान के लिए विकल्प चुना, लेकिन वि.व. 14 से वि.व. 16 की अवधि के दौरान निर्धारिती ने ₹ 34.84 करोड़ के सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी की थी।

विभाग ने वि.व. 16 की अवधि कवर करते हुए, निर्धारिती की आन्तरिक लेखापरीक्षा की थी (सितम्बर 2017), परन्तु विभाग इस चूक का पता नहीं लगा सका।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (अप्रैल 2018), विभाग ने वि.व. 15 से वि.व. 17 के लिए ₹ 28.13 करोड़ का एक एससीएन निर्धारिती को जारी किया था (अक्टूबर 2019), परन्तु वि.व. 14 से संबंधित ₹ 6.71 करोड़ की माँग को शामिल नहीं किया था।

अप्रैल 2018 में सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति इंगित किये जाने के बावजूद, विभाग ने एससीएन जारी करने में डेढ़ साल का समय लिया। एससीएन जारी करने के समय तक, वि.व. 14 के लिए माँग, समय-बाधित हो गई। इसीलिए, वि.व. 14 में कम भुगतान की गई राशि वसूली न करने योग्य हो गई। यदि विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति प्राप्त होने के समय ही एससीएन जारी कर दिया होता, तो वि.व. 14 से संबंधित राशि एससीएन में शामिल हो गई होती। इसलिए, लेखापरीक्षा आपत्ति पर विभाग द्वारा समय रहते कार्रवाई न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 6.71 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

6.4.8 ब्याज का भुगतान न होना - आंतरिक लेखापरीक्षा में पता न लगा पाना

कराधान बिंदु नियमावली 2011 के नियम 7 के अनुसार, सेवा के प्राप्तकर्ताओं के रूप में कर का भुगतान करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों के संबंध में “कराधान का बिंदु” वह तिथि होगी जिस पर भुगतान किया जाता है। जहाँ बीजक की तिथि के तीन महीने की अवधि में भुगतान नहीं किया गया है, कराधान का बिन्दु तीन महीने की उक्त अवधि के तुरंत बाद की तिथि होगी। इसके अलावा, सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 6 यह निर्दिष्ट करता है कि सेवा कर का भुगतान उस महीने की 6 तारीख तक किया जाना है, जिसमें सेवा प्रदान की गई है। मार्च माह के भुगतान के संबंध में, भुगतान की नियत तिथि इसी माह की 31 तारीख है। वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 75 में सेवा कर के देर से भुगतान पर ब्याज का भुगतान निर्धारित किया गया है।

बेंगलुरु ईस्ट कमिश्नरी की एईडी-5 रेंज के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने दो निर्धारितियों द्वारा सेवा कर के देर से भुगतान पर ब्याज का भुगतान न होना

पाया। पहले निर्धारिती ने कराधान बिंदु नियमावली, 2011 के नियम 7 के अंतर्गत अप्रैल 2013 से जून 2017 की अवधि के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत भारत के बाहर से प्राप्त सेवाओं पर देर से सेवा कर का भुगतान किया था। हालांकि, निर्धारिती ने विलंबित रूप से किये गये सेवा कर भुगतान पर ₹ 28.46 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया था।

दूसरे निर्धारिती ने अप्रैल 2015 से जून 2017 के अवधि के लिए सेवा कर नियमावली 1994, के नियम 6 के अंतर्गत सेवा कर के देर से भुगतान के लिए ₹ 28.77 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया था। इन दो निर्धारितियों द्वारा ब्याज का कुल कम-भुगतान ₹ 57.23 लाख था।

विभाग द्वारा मार्च 2014 की अवधि को कवर करते हुये पहले निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी (मई 2014), परन्तु विभाग इस चूक का पता नहीं लगा पाया। आईएपी की विफलता पर कमिश्नरी का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2020)।

हमने दूसरे निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा का ब्यौरा देने का अनुरोध किया, परन्तु विभाग द्वारा इसे प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (दिसम्बर 2018), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2020) तथा कहा कि वसूली योग्य कुल राशि ₹ 42.15 लाख थी। कमिश्नरी ने इन निर्धारितियों से ₹ 27.11 लाख की वसूली की (मार्च 2019 से दिसम्बर 2019) तथा शेष राशि के लिए, पहले निर्धारिती ने एसवीएलडीआरएस योजना के अंतर्गत आवेदन दायर किया, जिसे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था।

6.5 विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा कवर नहीं किए गए निर्धारितियों की चूकें

हमने निर्धारितियों से संबंधित ₹ 136.76 करोड़ के राजस्व वाले 88 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किए थे, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

तालिका सं. 6.4: आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा कवर न किए गए निर्धारितियों से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

आपत्तियाँ की श्रेणी	आपत्तियाँ की कुल संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
शुल्क/कर का भुगतान न होना	29	33.00
शुल्क/कर का कम भुगतान	19	48.73
सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना/गलत उपयोगिता	14	11.66
सेनवैट क्रेडिट की वापसी न होना/कम वापसी	11	34.99
उपकर का भुगतान न होना/कम भुगतान	1	0.31
ब्याज का भुगतान न होना/कम भुगतान	14	8.07
जोड़	88	136.76

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

6.5.1 सेवा कर का भुगतान न होना

वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 65(44), सेवा को किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए की गई किसी भी गतिविधि के रूप में परिभाषित करती है तथा इसमें घोषित सेवा शामिल है परन्तु ऐसे स्थानांतरण, वितरण या माल की आपूर्ति शामिल नहीं है जिसे संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 29ए के अंतर्गत बिक्री माना गया है। माल का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण के बिना किराये, लीज, लाइसेंस द्वारा या ऐसे किसी भी तरीके से माल के हस्तांतरण को अधिनियम की धारा 66ई(एफ) के अंतर्गत एक सेवा के रूप में घोषित किया गया है।

बेंगलुरु नार्थ कमिश्नरी की एएनडी-8 रेंज के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेवा कर का भुगतान न होना पाया। फ्लाइट कोर्स/ट्रेनिंग सर्विस तथा व्यक्तियों व एयरलाइन कम्पनियों से संबंधित अन्य सेवाएं के प्रावधान से संबंधित, निर्धारिती ने इस आधार पर प्रदान की जाने वाली 'ड्राई

ट्रेनिंग' पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था कि इसे 'उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण' के रूप में लिया गया था। ड्राई ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर के बिना घंटे के आधार पर हैण्डस-ऑन ट्रेनिंग के लिए सिम्यूलेटर तथा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के उपयोग के लिए प्रत्येक एयरलाइन को लाइसेंस प्रदान करना शामिल है। ट्रेनिंग करारों की सामान्य शर्तों के अवलोकन से पता चलता है कि निर्धारिती ने सिम्यूलेटर के प्रभावी नियंत्रण तथा कब्जे को बनाए रखा तथा 'ड्राई ट्रेनिंग' के दौरान उपकरणों के दैनिक संचालन, रखरखाव तथा सहायता के लिए उत्तरदायी था। निर्धारिती ने उसी अवधि के दौरान दूसरे ग्राहकों को अलग घंटों की अवधि में ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए उसी सिम्यूलेटर का उपयोग किया था तथा इसीलिए अपने ग्राहकों को उपयोग के अधिकार को कभी हस्तांतरित नहीं किया। इसीलिए, गतिविधि घोषित सेवा थी तथा सेवा कर के अंतर्गत कर योग्य थी। निर्धारिती ने वि.व. 16 से वि.व. 18 तक के (जून 2017 तक) के लिए ₹ 31.60 करोड़ एकत्र किए, हालांकि, ₹ 4.59 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (मई 2019), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2020) तथा कहा कि निर्धारिती द्वारा प्रदान किए गए ड्राई ट्रेनिंग सर्विस पर ₹ 5.93 करोड़ की मांग वाला एक कारण बताओ नोटिस वि.व. 15 से वि.व. 18 (जून 2017 तक) के लिए जारी किया गया था।

6.5.2 छूट के अनियमित लाभ उठाने के कारण सेवा कर का कम भुगतान

अधिसूचना संख्या 25/2014 दिनांक 20 जून 2012 के खण्ड 12(एफ) में सरकार, एक स्थानीय प्राधिकरण या एक सरकारी प्राधिकरण को, मुख्य रूप से स्वयं के उपयोग या कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों, जैसा कि अधिनियम की धारा 65बी के खंड 44 के स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट किये गये हैं; भवन निर्माण, उत्पादन, कमीशनिंग, संस्थापना, पूर्णता, फिटिंग, के उपयोग हेतु आवासीय परिसर के परिवर्तन के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं को छूट देने का प्रावधान है।

इसके अलावा, उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 29 का खंड (एच) उपरोक्त काम के ठेकेदारों के उपठेकेदारों को छूट देता है।

मुम्बई ईस्ट कमिश्नरी की डिवीजन V की रेंज IV के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि के लिए सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेवा कर का कम भुगतान पाया। निर्धारिती ने महाराष्ट्र के स्लम पुर्नवास प्राधिकरण (एसआरए) द्वारा अनुमोदित निजी डेवलपर्स द्वारा विभिन्न सिविल निर्माण परियोजनाओं के संबंध में उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 29(एच) के अंतर्गत छूट का गलत दावा किया था। निर्धारिती ने जून 2017 तक महाराष्ट्र के एसआरए द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में निजी डेवलेपर्स को ₹ 1027.93 करोड़ की सेवाएं प्रदान की थी तथा केवल ₹ 534.52 करोड़ के मूल्य पर कर का भुगतान किया था। निर्धारिती ने ₹ 493.41 करोड़ तक की अनियमित छूट का दावा किया था जिस पर देय कर ₹ 29.60 करोड़ था। इस प्रकार, ₹ 493.41 करोड़ तक की छूट का अनियमित दावा तथा उसकी अनुमति दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹29.60 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (अप्रैल 2018), मंत्रालय ने पैरा स्वीकार किया तथा बताया (मई 2020) कि ₹ 29.60 करोड़ की राशि की वसूली के लिए एक एससीएन जारी किया गया था।

6.5.3 सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली (सीसीआर), 2004 का नियम 4 इनपुट, इनपुट सेवाओं तथा पूंजीगत माल पर सेनवैट क्रेडिट की अनुमति देने के लिए शर्तें प्रदान करता है। सीसीआर के नियम 4(7) के अनुसार, इनपुट सेवा के संबंध में सेनवैट क्रेडिट की अनुमति उस दिन या उसके बाद दी जाएगी, जिस दिन बीजक, बिल या, जैसा भी मामला हो, नियम 9 में संदर्भित चालान प्राप्त होता है।

अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि के लिए मुम्बई ईस्ट कमिश्नरी की डिवीजन V के रेंज IV के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेनवैट क्रेडिट का अनियमित होना पाया। निर्धारिती ने पाँच बीजकों के संबंध में एक ही बीजक पर दो बार सेनवैट क्रेडिट लिया था। इसके अलावा,

निर्धारिती ने, एक बीजक के संबंध में, बीजक की प्रतिलिपि पर अनियमित सेनवैट क्रेडिट लिया, निर्धारिती द्वारा प्राप्त किये गये कुल अनियमित सेनवैट क्रेडिट की राशि ₹ 32.27 लाख थी, जिसे वसूल किया जाना चाहिए था।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (अप्रैल 2018), विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2018) कि निर्धारिती ने ₹ 32.39 लाख का सेवा कर सेनवैट क्रेडिट वापिस कर दिया था।

6.5.4 आईएसडी क्रेडिट का अनियमित वितरण

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी), एक से अधिक ईकाईयों द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवा से संबंधित सेवा कर क्रेडिट को, ऐसी ईकाईयों, जो उस वर्ष में चालू हैं, के प्रांसगिक अवधि के दौरान टर्नओवर तथा उसकी सभी इकाईयों के कुल टर्नओवर के अनुपात में वितरित करेगा, इसके अलावा, इसमें प्रावधान है कि किसी विशेष इकाई को इनपुट सेवा के रूप में देय सेवा का क्रेडिट केवल उसी इकाई को वितरित होगा।

गोवा कमिश्नरी की रेंज IV के अधीन आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ पाया। निर्धारिती के आईएसडी ने वि.व. 16 तथा वि.व. 17 के दौरान क्रमशः ₹ 3.92 करोड़ तथा ₹ 14.78 करोड़ का सेनवैट क्रेडिट लिया तथा निर्धारितियों को क्रमशः ₹ 3.31 करोड़ तथा ₹ 4.83 करोड़ का क्रेडिट वितरण किया गया। सीए प्रमाणपत्र के अनुसार, आईएसडी क्रेडिट के वितरण के उद्देश्य से वि.व. 16 तथा वि.व. 17 के दौरान निर्धारिती का टर्नओवर अनुपात क्रमशः 31.23 प्रतिशत तथा 13.16 प्रतिशत था। इस प्रकार, गोवा ईकाई को वितरित किया जाने वाला आईएसडी क्रेडिट ₹ 3.31 करोड़ तथा ₹ 4.83 करोड़ के प्रति ₹ 1.23 करोड़ (₹ 3.92 करोड़ का 31.23 प्रतिशत) तथा ₹ 1.95 करोड़ (₹ 14.78 करोड़ का 13.16 प्रतिशत) था, इसके परिणामस्वरूप, गोवा ईकाई द्वारा ₹ 2.75 करोड़ का अधिक आईएसडी क्रेडिट प्राप्त किया गया।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (जुलाई 2018), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2020) तथा बताया कि ₹ 3.08 करोड़ की माँग की पुष्टि की गई थी।

6.5.5 प्रदान की गई, छूट प्राप्त सेवाओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66डी के अंतर्गत, ट्रेडिंग, जो सेवाओं की नकारात्मक सूची में शामिल होने के कारण एक गैर-कर योग्य सेवा है, अधिनियम की धारा 66बी के साथ पठित सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(ई) के अंतर्गत एक 'छूट प्राप्त सेवा' के रूप में आती है। आउटपुट सेवा प्रदाता, कर योग्य तथा छूट प्राप्त, दोनों सेवाओं के प्रावधान के लिए इनपुट/इनपुट सेवाओं की प्राप्ति तथा उपयोग के लिए अलग-अलग खाते नहीं रखने का विकल्प चुनते हुए, सेनवैट नियमावली 2004 के नियम 6(3) के अंतर्गत किसी एक तरीके का चयन करके छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग की जाने वाली इनपुट सेवाओं से संबंधित सेनवैट क्रेडिट के हिस्से को वापस करेगा।

बेंगलुरु ईस्ट कमिश्नरी की बीईडी-5 रेंज के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी पाई। एक निर्धारिती, जो कर योग्य सेवाओं के प्रदाता के साथ माल की ट्रेडिंग, जो एक छूट प्राप्त सेवा है, में लिप्त था। निर्धारिती, कर योग्य तथा छूट प्राप्त सेवाओं; दोनों, के प्रावधान के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट प्राप्त कर रहा था तथा प्रत्येक माह लिए गए ऐसे क्रेडिट के एक भाग को वापस कर रहा था सेनवैट क्रेडिट अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 32.28 करोड़ की राशि के प्रति केवल ₹ 17.56 करोड़ की वापसी की, जिसे वि.व. 17 के दौरान वापिस किया जाना चाहिए था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.72 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि निर्धारिती ने मई 2011 में सेनवैट क्रेडिट नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत विकल्प को चुनने लिए अपनी इच्छा विभाग को बताई थी परन्तु बाद के वर्षों के लिए कोई सूचना नहीं दी गई थी।

यद्यपि निर्धारिती अंतिम रूप से वि.व. 17 के दौरान, प्रत्येक माह नियम 6 के अंतर्गत कुछ राशि वापस कर रहा था, फिर भी निर्धारिती ने नियमावली में निर्धारित वास्तविक वापसी के विवरण को प्रस्तुत नहीं किया था। विभाग ने वास्तविक वापसी के सत्यापन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने तक सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी का पता नहीं लगाया जा सका था। क्या निर्धारिती के एसटी-3 विवरणियों की जानकारी रेंज द्वारा विस्तृत संवीक्षा के अधीन थी, वह सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (जनवरी 2019), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2020) तथा बताया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

6.5.6 सेवा कर के देरी से भुगतान पर ब्याज का भुगतान न होना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 परिकल्पित करती है कि जहाँ कोई भी सेवा कर या उसके हिस्से का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया गया है, वहाँ कर भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अधिनियम में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा।

वि.व. 18 तथा वि.व. 19 की अवधि के लिए दिल्ली पश्चिम कमिश्नरी की रेंज 121 के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की जाँच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेवा कर की देरी से भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना पाया। निर्धारिती ने नवम्बर 2016, जनवरी 2017 फरवरी 2017 तथा मई 2017 महीने के लिए सेवा कर के देरी से भुगतान पर ₹ 5.44 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया था।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (दिसम्बर 2019), मंत्रालय ने अभियुक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2020) तथा बताया कि निर्धारिती ने ₹ 4.82 करोड़ की राशि के देय योग्य वास्तविक ब्याज को जमा करा दिया था।

6.6 वि.व. 19 से पहले लेखापरीक्षा द्वारा आपत्तियां बताई गई अभियुक्तियां जहाँ विभाग द्वारा कार्यवाई लंबित थी

पैरा 6.4, 6.5 तथा 6.7 में वर्णित लेखापरीक्षा आपत्तियों के अतिरिक्त, हमने ₹ 667.71 करोड़ वाली 66 आपत्तियां (परिशिष्ट-IX) जारी की थी, जो वि.व. 19 से पहले की गई सीएजी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई थी। अभियुक्तियाँ शुल्क/कर के गैर/कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना/उपयोग तथा ब्याज का गैर/कम भुगतान आदि से संबंधित हैं। ₹ 197.31 करोड़ वाली, 52 अभियुक्तियों में, विभाग द्वारा या तो एससीएन जारी कर या राजस्व की वसूली द्वारा कार्यवाई पूरी की गई थी। ₹ 470.40 करोड़ वाली शेष 14 आपत्तियों के लिए, राजस्व की वसूली के लिए कार्यवाई लंबित थी/प्रक्रिया अधीन थी। मंत्रालय ने ₹ 180.12 करोड़ वाली 45 लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया था तथा ₹ 9.07 करोड़ की वसूली सूचित की थी। मंत्रालय ने ₹ 19.19 करोड़ वाले छः मामलों में आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया था। शेष 15 मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

6.7 विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई चूकें

हमने क्षेत्राधिकारी कमिश्नरी के कार्य में कमियों को दर्शाते हुए ₹ 80.22 करोड़ के राजस्व वाले 28 मामले पाये जैसा कि नीचे वर्णित है।

तालिका संख्या 6.5: विभागीय कार्यों में चूकों को दर्शाने वाली आपत्तियां

आपत्तियों की श्रेणी	आपत्तियों की कुल संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
प्रतिदायों को संसाधित करने में अनियमितताएं	3	1.44
एससीएन जारी/निगरानी करने में अनियमितताएं	6	1.68
कॉल बुक मामलों की अप्रभावशील निगरानी	5	NMV
विलंब फीस/शास्ति का उदग्रहण न होना	4	1.03
अपवचन-रोधी जाँचों का पूरा न होना	2	58.00
कर आधार को व्यापक बनाने संबंधित आपत्तियां	2	11.40
विभागीय अधिकारियों द्वारा समय पर कार्यवाई का अभाव	3	1.63
बकाया की वसूली में अनियमितताएं	3	5.04
जोड़	28	80.22

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

6.7.1 एससीएन जारी करते समय कम उद्ग्रहण की गलत गणना तथा उक्त का अधिनिर्णयन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002, के नियम 5 के अनुसार, किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर लागू टैरिफ मूल्य के शुल्क की दर, उस तिथि की दर या मूल्य होगी जब ऐसा माल एक फैक्टरी या एक गोदाम, जैसा भी मामला हो, से हटाया गया है, अधिसूचना सं. सीई 18/2012 दिनांक 17 मार्च 2012 के अनुसार, 17 मार्च 2012 से मूल उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था।

नासिक कमिश्नरी के नासिक I डिवीजन में एससीएन तथा अधिनिर्णयन से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने सतपुर रेंज में पंजीकृत एक निर्धारिती के मामले में पाया कि विभाग ने वि.व. 11 से वि.व. 15 की अवधि के लिए कम भुगतान की वसूली के लिए एससीएन जारी किया, जिसमें 17 मार्च 2012 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क की गणना 12 प्रतिशत दर, जो उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत आवश्यक था, के बजाय 10 प्रतिशत दर पर की गई थी, इसके परिणामस्वरूप लागू ब्याज सहित ₹ 29.14 लाख के उत्पाद शुल्क का कम भुगतान हुआ।

हमारे द्वारा इस के बारे में बताए जाने पर (जुलाई 2018), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2020) तथा बताया कि लिपिकीय गणना संबंधी भूल के कारण गलती हुई थी तथा निर्धारिती ने ₹29.14 लाख की राशि के ब्याज सहित अंतरीय देयता को स्वीकार किया। हालांकि, निर्धारिती ने पहले ही मूल-आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी में अपील फाइल की हुई थी तथा अंतरीय शुल्क तथा ब्याज की वसूली सीईएसटीएटी में अपील के परिणाम पर आधारित होगी।

6.7.2 विभाग द्वारा जाँच पड़ताल की पहल करने/पूरा करने में देरी

सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक सत्वों को प्रदान की जाने वाली कोई सेवा 1 अप्रैल 2016 से वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66डी(ए)(iv) के साथ पठित धारा 66बी के अंतर्गत सेवा कर के लिए उत्तरदायी है। सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के अधिकार के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जहां उपयोग करने का ऐसा अधिकार सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद सौंपा गया था, अधिसूचना सं. 25/2012-एसटी दिनांक 20 जून 2012 (मेगा छूट अधिसूचना) की क्रम सं. 61 के अंतर्गत सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि अधिसूचना सं. 22/2016-एसटी दिनांक 13 अप्रैल 2016 की अंतर्गत संशोधित किया गया है। अधिसूचना संख्या 30/2012- एसटी के अंतर्गत तालिका के क्रम संख्या 6 के अनुसार, इस तरह के सेवा कर का भुगतान सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए।

हमने कर्नाटक सरकार (जीओके) के अंतर्गत खदान तथा भू विज्ञान (डीएमजी) विभाग द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक सत्वों द्वारा पट्टे पर ली गई खदानों के प्रति कर्नाटक सरकार (जीओके), को इन व्यावसायिक सत्वों द्वारा की गई रायल्टी भुगतान से संबंधित डाटा को सत्यापित किया। हमने पाया कि वि.व. 17 के दौरान सौंपी गई खदान के संबंध में रायल्टी के लिए जीओके को कुल ₹ 772.50 करोड़ का भुगतान 31 व्यावसायिक सत्वों द्वारा किया गया परन्तु सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था। हमने आगे पाया कि विभाग ने डीएमजी के अंतर्गत निगरानी समिति (एमसी) से ली गई जानकारी पर आधारित इन 31 मामलों में से 23 मामलों के संबंध में जाँच पड़ताल शुरू की थी (जुलाई 2016)। विभाग ने जाँच पड़ताल के फलस्वरूप, इन मामलों में से पाँच के संबंध में, खदानों के पट्टे को जारी रखने के लिए सरकार को भुगतान की गई रायल्टी पर सेवा कर की माँग करते हुए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया था। विभाग ने ₹ 53.16 करोड़ के सेवाकर वाले शेष 18 मामलों के संबंध में जाँच की स्थिति प्रस्तुत नहीं की थी। इसके अलावा, विभाग ने ₹ 4.64 करोड़ के सेवा कर वाले शेष मामलों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी।

हमने इसकी जानकारी बेलागावी कमिश्नरी (अप्रैल 2019) तथा बेंगलुरु जोन (मार्च 2019) को दी। बेलागावी कमिश्नरी ने बताया (दिसम्बर 2019) कि आठ ठेकेदारों के संबंध में निर्धारितियों के क्षेत्राधिकार की जानकारी नहीं थी। कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा से आठ ठेकेदारों की जानकारी की मांग की थी।

हमने डीएमजी से इन आठ ठेकेदारों में से सात का पता तथा संपर्क जानकारी प्राप्त की तथा विभाग को सूचित किया। शेष एक निर्धारिती की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2020)।

विभाग के उत्तर से पता चला कि विभाग ने डीएमजी के अंतर्गत निगरानी समिति तथा लेखापरीक्षा से रायँल्टी भुगतान की जानकारी प्राप्त करने के बाद भी आठ निर्धारितियों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके अलावा, तथ्य कि विभाग द्वारा 18 मामलो जहाँ पहले ही कार्रवाई की गई थी, में माँग नोटिस जारी नहीं किया जाना अप्रभावी निगरानी तंत्र को दर्शाता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

6.7.3 कॉलबुक में एससीएन का अनियमित स्थानांतरण

बोर्ड परिपत्र सं. 1028/2016 - सीएक्स दिनांक 26 अप्रैल 2016 में निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें कॉलबुक में स्थानांतरण किया जा सकता है:

जहाँ नीचे निर्दिष्ट विभिन्न कारणों से एससीएन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है:

- (i) ऐसे मामले जिनमें विभाग, उचित प्राधिकार के पास अपील के लिए गया है।
- (ii) ऐसे मामले जहाँ सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/सीईजीएटी आदि के द्वारा आदेश जारी किया गया है।
- (iii) ऐसे मामले जहाँ बोर्ड ने विशेष रूप से लंबित रखने तथा कॉलबुक में शामिल किए जाने का आदेश दिया है
- (iv) ऐसे मामले जिन्हें निपटान आयोग को संदर्भित किया गया है।

इसके अलावा क्षेत्रीय संरचनाओं को जारी किए गए मौजूदा निर्देशों के अनुसार लंबित कॉलबुक मामलों की मासिक समीक्षा की आवश्यकता होती है।

बेंगलुरु ईस्ट कमिश्नरी तथा इसके क्षेत्रीय संरचनाओं की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि कमिश्नरी के अंतर्गत 254 कारण बताओ नोटिस (एससीएन) कॉल बुक में लंबित थे। हमने 72 मामलों की नमूना जांच की तथा पाया कि ₹ 34.88 करोड़ की माँग वाले 21 एससीएन, जो कमिश्नरी के अंतर्गत विभिन्न अधिनिर्णित प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए थे, दो से छः वर्षों के बीच की अवधि से कॉलबुक में लंबित थे। ये मामले, इसके बाद भी कि जिन आधारों पर मामले कॉल बुक में स्थानांतरित किए गए थे, वे अब अस्तित्व में नहीं थे, कॉलबुक में गलत तरीके से रखे गए थे।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर, (मई 2018 से दिसम्बर 2018), विभाग ने बताया (जुलाई 2019) कि सभी 21 एससीएन लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर कॉल बुक से वापिस ले लिए गए थे। इनमें से, 17 मामले ₹ 10.78 करोड़ की माँग की पुष्टि करते हुए अधिनिर्णित किए गए थे तथा शेष राशि के लिए मांग छोड़ दी गई थी। शेष चार मामले अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे।

कॉल बुक में एससीएन को अनियमित रूप से रोकना; कमिश्नरी द्वारा कॉलबुक मामलों की अप्रभावी आवधिक समीक्षा को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त निर्दिष्ट एससीएन में ₹ 10.78 करोड़ की मांग की पुष्टि करने में असामान्य विलंब हुआ।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2020) कि जीएसटी लागू होने तथा कमिश्नरी के पुर्नगठन के कारण बड़ी संख्या में फाइलें एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित की गई थी। स्टाफ की कमी तथा जीएसटी के कार्यभार के कारण मासिक आधार पर कॉलबुक की समीक्षा नहीं की गई थी। अधिकारियों को मासिक आधार पर कॉलबुक की समीक्षा करने के लिए सचेत किया गया था।

6.7.4 प्रतिदाय को स्वीकृत करने से पहले अपात्र क्रेडिट की वापसी को सुनिश्चित न करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 5 के अनुसार; अप्रयुक्त क्रेडिट का प्रतिदाय उस निर्धारिती को स्वीकार्य है जो अनुबंध या वचन पत्र (एलओयू) के अंतर्गत शुल्क/कर के भुगतान के बिना निर्यात के लिए माल/सेवाओं की निकासी करता है। उक्त नियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना (27/2012-सीई (एनटी)) के अनुसार विभाग द्वारा कोई भी दस्तावेज मांगा जा सकता है, यदि मंजूरी प्राधिकारी (एसी/डीसी) के पास यह मानने का कारण है कि प्रतिदाय दावे में दी गई जानकारी गलत या अपर्याप्त है और प्रतिदाय दावे की मंजूरी से पहले आगे की जाँच की जरूरत है तथा प्रतिदाय मंजूर करने से पहले माल/सेवाओं के निर्यात से संबंध में दावे तथा तथ्यों के सही होने के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार, प्रावधानों के अनुसार विभाग को इस तरह के अप्रयुक्त क्रेडिट से संबंधित प्रतिदाय की मंजूरी से पहले निर्धारिती द्वारा दावा किए गए सेनवैट क्रेडिट का सही होना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4(1) के प्रावधानों के अनुसार, विनिर्माता के कारखाने में, या आउटपुट सेवा के प्रदाता परिसर में प्राप्त इनपुट के संबंध में सेनवैट क्रेडिट, इनपुट प्राप्त होने पर तत्काल लिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, अधिसूचनाएं 21/2014-सीई (एनटी) दिनांक 11 जुलाई 2014 और 06/2015-सीई (एनटी) 1 मार्च 2015, क्रेडिट के दावे को, नियम 9 के अंतर्गत बीजक जारी करने की तिथि से क्रमशः छः महीने और एक वर्ष के अन्दर लेने को बाधित करती हैं।

गोवा कमिश्नरी की डिवीजन IV में प्रतिदाय दावों की नमूना जाँच के दौरान, हमने पाया कि एक निर्धारिती ने जून 2017 में ₹ 12.88 करोड़ के लिए प्रतिदाय दावे को फाइल किया था। विभाग ने ₹ 25.06 करोड़ के कुल सेनवैट क्रेडिट में शामिल ₹ 41.96 लाख के अपात्र क्रेडिट के कारण प्रतिदाय दावे में से ₹ 12.71 करोड़ की राशि की मंजूरी दी तथा ₹ 16.60 लाख (दिसम्बर 2017) को नामंजूर किया था जिसकी उक्त प्रतिदाय के लिए गणना की जानी थी। यद्यपि, निर्धारिती के प्रतिदाय के प्रसंस्करण के दौरान विभाग को अपात्र क्रेडिट

का पता चला, परन्तु विभाग, अपात्र क्रेडिट की वसूली के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रहा।

हमारे द्वारा इस के बारे में बताए जाने पर (जून 2018), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार न (मार्च 2020) करते हुए कहा कि निर्धारिती ने पहले से ही ₹ 41.96 लाख के क्रेडिट को वापिस कर दिया था। राशि के दौबारा क्रेडिट न लेने के निर्देश के साथ ₹ 16.60 लाख के प्रतिदाय दावे को अस्वीकार कर दिया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जून 2018 में लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद नवम्बर 2018 में निर्धारिती द्वारा ₹ 25.35 लाख का शेष क्रेडिट वापिस किया गया था, जो यह दर्शाता है कि निर्धारिती द्वारा प्रतिदाय दावे को फाइल करने से पहले क्रेडिट वापिस नहीं किया गया था।

6.7.5 प्रतिदाय दावे पर ब्याज का भुगतान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35 एफएफ के अनुसार, जहाँ आयुक्त (अपील) या अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद अपीलीय प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि को अपीलीय प्राधिकरण के प्रथम परंतुक के अंतर्गत वापिस किया जाना आवश्यक है और यदि ऐसी राशि को अधिनिर्णयन प्राधिकरण के लिए इस तरह के आदेश के संचार की तिथि के तीन महीनों के अन्दर वापिस नहीं किया जाता है, जब कि अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के प्रचालन पर किसी वरिष्ठ न्यायलय या न्यायधिकरण द्वारा रोक नहीं लगाई जाती है, तब अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के प्रचालन की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद ऐसे राशि के प्रतिदाय की तारीख तक धारा 11बी में निर्दिष्ट दर पर अपीलकर्ता को ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

वि.व. 18 के दौरान दिल्ली दक्षिण कमिश्नरी के हौज खास सीजीएसटी डिवीजन द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय की नमूना जाँच के दौरान, हमने पाया कि जीएसटी से पूर्व की अवधि से संबंधित सेनवैट क्रेडिट के अस्वीकार्य लाभ उठाने के मद्देनजर एक निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था। विभाग द्वारा एससीएन अधिनिर्णित किए गए थे। अधिनिर्णयन द्वारा व्यथित, निर्धारिती ने

सीईएसटीएटी में पाँच अपील फाइल की थी तथा निर्धारिती को सीईएसटीएटी द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 एफ के अंतर्गत ₹ 3.03 करोड़ के पूर्व जमा करने के आदेश दिए थे। दायर की गई अपीलों का निर्धारण सीईएसटीएटी आदेशों दिनांक 21 मई 2013 तथा 22 दिसम्बर 2016 के अंतर्गत निर्धारिती के पक्ष में किया गया था। विभाग द्वारा सीईएसटीएटी आदेशों के संबंध में प्रतिदाय आदेशों पर कार्यवाई नहीं की गई थी, निर्धारिती ने 20 फरवरी 2017 को ब्याज सहित ₹ 3.03 करोड़ के लिए रिफंड दावा आवेदन दायर किया। हालांकि, विभाग ने 25 सितम्बर 2017 तथा 01 सितम्बर 2017 को ₹ 70.83 लाख के ब्याज सहित प्रतिदाय आदेश जारी किए थे। इस प्रकार अपीलीय प्राधिकरण के आदेश की तिथि से प्रतिदाय राशि की मंजूरी में तीन वर्ष से अधिक तक का विलंब हुआ जिसमें परिणामस्वरूप विभाग द्वारा ₹ 70.83 लाख के ब्याज का अपरिहार्य भुगतान हुआ।

हमारे द्वारा इस के बारे में बताए जाने पर (मार्च 2019), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए अनुचित विलंब को स्वीकार न करते हुए बताया (सितम्बर 2020) कि विभाग में दो बार संवर्ग पुनर्गठन हुआ था, और तत्पश्चात क्षेत्राधिकारों में बदलाव हुआ था। वर्तमान क्षेत्राधिकार अधिकारी को जुलाई 2017 में प्रतिदाय फाइल प्राप्त हुई तथा प्रतिदाय दावे को सितम्बर 2017 में निपटाया गया।

विभाग के संवर्ग पुनः संरचना पर विचार करने के बाद भी प्रतिदाय की मंजूरी में तीन वर्ष से अधिक के विलंब को देखते हुए मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

6.7.6 बकाया वसूली के लिए प्रतिरोधी उपाय शुरू करने में विभाग की विफलता

सीबीआईसी के परिपत्र सं. 967/01/2013-सीएक्स दिनांक 1 जनवरी 2013 के अंतर्गत पुष्टिगत मांगों के प्रति वसूली कार्रवाई के संबंध में निर्देश जारी किए, जिन्हें कारण बताओ नोटिस, अधिनिर्णयन तथा वसूली पर मास्टर सर्कलुर दिनांक 10 मार्च 2017 में फिर से दोहराया गया। इन निर्देशों के अनुसार, जिन मामलों में आदेशों के प्रति प्रतिदाय अपील दायर नहीं की गई है, उन मामलों में अपील की अवधि खत्म होने के बाद विभाग को बकाया की वसूली के लिए

कार्रवाई करनी चाहिए। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87 के अंतर्गत सेवा कर बकाया की वसूली किसी भी शक्ति का प्रयोग करके की जा सकती है जैसे देय प्रतिदाय से समायोजन, किसी तीसरे व्यक्ति को गनिंशी नोटिस जारी करना, जो उस व्यक्ति, जिसके खिलाफ मांग की पुष्टि की गई है, को राशि के लिए उत्तरदायी है, अचल संपत्तियों की बिक्री या जब्त करना या बेचना या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य राशि को प्रामाणिक कार्रवाई करना।

वि.व. 20 में बेलागावी कमिश्नरी तथा इसके क्षेत्रीय संरचनाओं की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने कमिश्नरी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर वसूली के लिए लंबित ₹ 171.55 करोड़ के देयता वाले सेवा कर की पुष्टिगत माँग के 168 मामलों का सत्यापन किया। कर बकाया रिपोर्ट (टीएआर) तथा संबंधित फाइलों के सत्यापन से पता चला कि विभाग ने ₹ 46.62 करोड़ के देय कर वाले 69 मामलों में पूर्वोक्त धारा 87 के अंतर्गत निर्दिष्ट बकाया की वसूली के लिए बलपूर्वक उपाय शुरू नहीं किए गए, यद्यपि ये मामले ऐसी कार्रवाई के लिए उपयुक्त थे, जो इस प्रकार है:

- i. ₹ 5.59 करोड़ के देय कर वाले दो निर्धारितियों से संबंधित चार मामलों को गलत तरीके से श्रेणी “इकाई बंद या चूककर्ताओं का पता नहीं लगाया गया” के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जबकि ये दोनों निर्धारिती माल तथा सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत थे तथा विवरणी फाइल कर रहे थे।
- ii. विभाग ने अपील अवधि के पूरा होने के बावजूद “अपील अवधि पूरी नहीं हुई” की श्रेणी के अंतर्गत ₹ 28.03 करोड़ की पुष्टि माँग वाले 51 मामलों को वर्गीकृत किया जबकि निर्धारितियों द्वारा अपील फाइल नहीं की गई थी।
- iii. विभाग ने “अपील अवधि खत्म” की श्रेणी के अंतर्गत ₹ 12.80 करोड़ की पुष्टिकृत मांग वाले 14 मामलों में कोई कार्यवाई शुरू नहीं की थी, यद्यपि ये निर्धारिती जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत थे तथा विवरणी फाइल कर रहे थे।

इस प्रकार, बकाया की वसूली के लिए विभाग की ओर से बकाया तथा निष्क्रियता के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 46.62 करोड़ की वसूली में देरी हुई बल्कि, ये राशि वसूली न होने के जोखिम में बनी रही।

हमने इसके बारे में जुलाई 2019 तथा फरवरी 2020 में इंगित किया। कमिश्नरी का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2020)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

6.7.7 सेवा कर का पंजीकरण न होना तथा भुगतान न होना

26 मई 2003 को चीफ आयुक्त को परिचालित की गई सेवा कर महानिदेशक की कार्य योजना के अनुसार, क्षेत्रीय संचालनों द्वारा कर आधार को व्यापक बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, बोर्ड ने प्रत्येक कमिश्नरी में एक विशेष सेल बनाने के निर्देश जारी किए, जिससे विभिन्न स्रोतों जैसे यैलो पेजिज, समाचार-पत्र विज्ञापनों, आयकर विभाग, क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकरण तथा वेबसाइट, नगर निगमों से प्राप्त जानकारी, प्रमुख निर्धारितियों इत्यादि से अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की पहचान की जा सके।

धारा 68 में प्रावधान है कि कर योग्य सेवाएं प्रदान करने वाला व्यक्ति सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जब तक की विशेष रूप से सेवा कर के भुगतान से छूट न दी जाए। सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 4 निर्दिष्ट करता है कि सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर उदग्राह्य होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर पंजीकृत किया होना चाहिए।

2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 में शामिल किये गये, 'पैरा सं. 5.3.2: स्थानीय निकायों का पंजीकरण न करना तथा इसके परिणामस्वरूप सेवा कर का भुगतान न करना', की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अनुसार हमने कर्नाटक सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति के सेवाकर लेखों की जाँच की तथा पाया कि हालांकि समिति ने न तो सेवा कर के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत किया तथा न ही अपनी सेवा कर देयता का निर्वहन किया, परन्तु विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

समिति राज्य में, विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों की संकल्पना, कार्यान्वयन तथा निगरानी करने में संलिप्त है। इसके अलावा, समिति में एक अधिप्राप्ति ई-अनुभाग था जो एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करती है तथा ठेकेदारों को निविदा मंगवाने, निविदा समयसारणी तथा निविदा ऑनलाइन जमा करने के लिए नोटिस डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है। समिति प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में ग्राहकों से निविदा प्रोसेसिंग, ई-नीलामी शुल्क, आपूर्ति पंजीकरण फीस, नवीनीकरण फीस इत्यादि जैसे प्रभार एकत्र करती है। इसके अलावा, समिति विभिन्न बिजली कंपनियों को भी सेवाएं प्रदान करती है तथा पोर्टल उपयोग तथा मोबाइल वन ऐप उपयोग के संबंध में इन कम्पनियों से सेवा प्रभार एकत्र करती है। इसके अलावा, समिति विभिन्न बिजली कंपनियों को भी सेवाएं प्रदान करती है तथा पोर्टल उपयोग तथा मोबाइल वन ऐप उपयोग के संबंध में इन कम्पनियों से सेवा प्रभार एकत्र करती है। यद्यपि ये सेवाएं, सेवा कर प्रावधानों के अंतर्गत कर योग्य है, समिति ने न ही सेवा कर प्रावधानों के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत किया तथा न ही अप्रैल 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 9.95 करोड़ की सेवा कर देयता को प्रभारित किया।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (दिसम्बर 2018), कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2019) तथा अप्रैल 2014 से जून 2017 की अवधि के लिए ₹ 11.05 करोड़ की सेवा कर की माँग करते हुए निर्धारितियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।

उत्तर इन कारणों पर मौन है कि विभाग निर्धारिती को कर आधार के अंतर्गत लाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा तथा तथा लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने तक देय की वसूली नहीं की।

मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2020)।

6.7.8 क्षेत्राधिकारी द्वारा सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण के लिए कार्रवाई शुरू न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 72, ऐसे निर्धारिती जो एसटी-3 विवरणी दाखिल नहीं करते हैं, उनके मामले में विभागीय अधिकारियों को अपने निर्णय के सर्वोत्तम स्तर पर कर योग्य मूल्य का निर्धारण करने तथा लिखित रूप से एक आदेश जारी करके, निर्धारिती द्वारा देय कर का निर्धारण करने के लिए शक्तियां प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 73 में संबंधित तिथि से 30 महीने के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करना निर्धारित किया गया है, जब तक कि विस्तारित अवधि लागू न की जाए। यह धारा समान आधार पर पूर्व में जारी एससीएन जारी रखने में मांगों को जारी रखने के मामले में मांग के विवरण (एसओडी) जारी करना भी निर्दिष्ट करती है।

बेंगलुरु ईस्ट कमिश्नरी के अंतर्गत एईडी-1 रेंज की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि मार्च 2012 तक की अवधि के लिए ग्राहकों से वसूले गए सेवा कर को प्रेषण न करने के लिए एक निर्धारिती के प्रति तत्कालीन सेवा कर कमिश्नरी, बेंगलुरु की एंटी-इवेजन अनुभाग द्वारा एक अपराधिक मामला दर्ज (अक्टूबर 2012) किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग ने एक एससीएन जारी (अक्टूबर 2012) किया तथा लागू ब्याज तथा शास्ति के साथ सेवा कर मांग की पुष्टि की (मई 2013)। निर्धारिती ने केवल आंशिक रूप से देय राशि का भुगतान किया था तथा शेष राशि वसूली के लिए लंबित है। हमने आगे पाया कि अप्रैल 2013 के बाद की अवधि के लिए निर्धारिती ने न ही सेवा कर का भुगतान किया तथा न ही एसटी-3 विवरणी फाइल किया था। आयकर विभाग से प्राप्त विवरण से पता चला कि निर्धारिती ने वि.व. 14 से वि.व. 16 तक की अवधि के लिए ₹ 491.42 लाख की आय की घोषणा की थी तथा उस पर ₹ 61.89 लाख⁹⁶ के सेवा कर का भुगतान देय था। चूंकि, निर्धारिती ने एसटी-3 विवरणी फाइल नहीं की थी, विभाग को पूर्वोक्त धारा 72 के अंतर्गत निर्धारित सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी। यद्यपि विभाग को निर्धारिती के विवरणी दाखिल नहीं करने तथा सेवा कर के भुगतान

⁹⁶ इस राशि की अनंतिम गणना निर्धारिती के आयकर विवरणी में घोषित सकल सेवा आय तथा वि.व. 14 एवं वि.व. 15 के लिए 12.36 प्रतिशत तथा वि.व. 16 के लिए 14 प्रतिशत की कर दर के आधार पर ₹ 61.89 लाख के रूप में की गई है।

न करने की जानकारी थी, परंतु विभाग ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इस के बारे में बताए जाने पर (अक्टूबर 2018), मंत्रालय ने यह कहते हुए विभाग की विफलता को स्वीकार नहीं किया कि निर्धारिती ने अप्रैल 2013 से जून 2017 की अवधि के लिए देर से एसटी-3 विवरणी फाइल की थी (फरवरी-मार्च 2019)। विभाग ने निर्धारिती का पता लगाने का प्रयास किया था परन्तु निर्धारिती अपने पंजीकृत परिसर में उपलब्ध नहीं था। विभाग केवल जीएसटी व्यवस्था में ही निर्धारिती का पता लगा सका तथा फिर से निर्धारिती को पिछली अवधि के लिए अपनी विवरणी फाइल करने के लिए कहा, जिसके बाद निर्धारिती ने अपनी विवरणी फाइल की थी। विभाग ने इस मामले का विस्तार से सत्यापन किया तथा अक्टूबर 2013 से जून 2017 तक की अवधि के लिए ₹ 55.60 लाख के सेवा कर की माँग करने के लिए निर्धारिती को एक एससीएन जारी किया। मंत्रालय ने आगे कहा (फरवरी 2020) कि निर्धारिती ने इस मामले के लिए सबका विश्वास - विरासतीय विवाद समाधान योजना, 2019 (एसवीएलडीआरएस) के अंतर्गत आवेदन दायर किया और इस योजना के अंतर्गत ₹ 27.80 लाख के सेवा कर का भुगतान किया।

निर्धारिती का पता लगाने में पाँच वर्ष से अधिक की देरी को देखते हुए मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जिस दौरान निर्धारिती अपने ग्राहकों को कर योग्य सेवाएं प्रदान कर रहा था, वह निर्धारिती का पता लगाने में विभाग द्वारा किए गए प्रयासों में कमी दिखा रहा है।

6.7.9 एसटी-3 विवरणी को देर से फाइल करने के संबंध में विलंब शुल्क का उद्ग्रहण न होना

सेवा कर नियमावली के नियम 7सी के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 70, सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा रेंज अधिकारी को विवरणी जमा करने को निर्धारित करता है। विवरणी दाखिल करने में देरी की स्थिति में विलंब शुल्क देय होता है। 15 दिन तक देरी के विलंब शुल्क फीस ₹ 500 15 दिन से अधिक तथा 30 दिन तक की देरी के लिए ₹ 1000 निर्धारित है। 30 दिन से अधिक विलंब होने की स्थिति में विलंब

शुल्क ₹ 1000 तथा 31 दिन से प्रत्येक दिन के लिए ₹ 100 हैं जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 20,000 है।

वि.व. 19 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि बेंगलुरु उत्तर कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाली तीन रेंज⁹⁷ में निर्धारितियों द्वारा 193 एसटी-3 विवरणियां देर से फाइल की गई थी। तथापि रेंज अधिकारियों ने निर्धारितियों से ₹ 18.77 लाख के विलंब शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।


हमारे द्वारा इस के बारे में बताए जाने पर (अक्टूबर 2018 तथा मई 2019), कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि 39 विवरणी के संबंध में ₹ 2.75 लाख की वसूली की गई थी तथा इन तीन निर्धारितियों ने सबका विश्वास-विरासतीय विवाद समाधान योजना, 2019 के अंतर्गत आवेदन फाइल किया था। 106 मामलों के संबंध में कार्रवाई शुरू की गई थी, जबकि विभाग 42 निर्धारितियों का पता लगाने का प्रयास कर रहा था। तीन निर्धारितियों के संबंध में अनुपालन की प्रतीक्षा है जिनका क्षेत्राधिकार संबंधित रेंज से बाहर बताया गया था। हालांकि, विभाग ने राजस्व निहितार्थ को स्वीकार किया था, लेकिन देर से फीस वसूलने के लिए नियमों के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा नहीं होने के आधार पर विभाग ने लेट फीस वसूली के लिए समय पर कार्रवाई करने में अपनी विफलता स्वीकार नहीं की। विभाग ने आगे बताया कि यद्यपि उचित कार्रवाई की गई है, इसलिए कुछ महीनों में वसूली पूरी कर ली जाएगी।

यद्यपि विलंब शुल्क की वसूली के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, विभाग ने 1 जुलाई 2017, जब से कि नई जीएसटी कर व्यवस्था लागू हुई, से डेढ़ साल तक पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत विलंब शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, जब तक कि सीएजी लेखापरीक्षा ने उक्त विषय पर नहीं बताया। तथ्य, कि 42 मामलों के संबंध में निर्धारितियों का पता नहीं लगाया जा सकता है, समय पर कार्रवाई के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि विवरणी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर (एसीईएस) प्रणाली में स्वचालन के जरिए रेंज अधिकारी को फाइल दिया जाना था, इसीलिए विभाग के पास वसूली के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त जानकारी थी। तथ्य यह है कि विभाग ने इस उद्देश्य के लिए, एसीईएस या मैनुअल रूप से अपेक्षित तंत्र

⁹⁷ रेंज एएनडी-3, एएनडी-5 तथा डीएनडी-4

तैयार नहीं किया तथा विलंब शुल्क वसूल करने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की, जबकि बड़ी संख्या में विवरणियां देर से दाखिल की गई थी जो एसीईएस लागू होने के बाद भी विभाग की ओर से गंभीर नियंत्रण चूक दर्शाता है। इसीलिए विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।



(सतीश सेठी)

नई दिल्ली

दिनांक: 15 फरवरी 2021

प्रधान निदेशक (माल एवं सेवा कर-II)

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

नई दिल्ली

दिनांक: 15 फरवरी 2021

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

**परिशिष्ट-I: 2017-18 के लिए माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति)
अधिनियम, 2017 की धारा 7(3)(ख) के तहत राजस्व के प्रमाणीकरण
की स्थिति
(देखें: पैराग्राफ 1.5)**

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य
प्रमाणित	
1	आंध्र प्रदेश
2	अरुणाचल प्रदेश
3	असम
4	छत्तीसगढ़
5	गोवा
6	हिमाचल प्रदेश
7	जम्मू-कश्मीर
8	झारखंड
9	कर्नाटक
10	केरल
11	मणिपुर
12	मेघालय
13	मिजोरम
14	नागालैंड
15	उड़ीसा
16	पुडुचेरी
17	सिक्किम
18	तमिलनाडु
19	त्रिपुरा
प्रक्रिया अधीन	
20	दिल्ली
21	गुजरात
22	हरियाणा
23	पंजाब
24	राजस्थान
25	पश्चिम बंगाल
राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी/अभिलेख प्राप्त न होने के कारण प्रमाणित नहीं	
26	बिहार
27	मध्य प्रदेश
28	महाराष्ट्र

2021 की प्रतिवेदन संख्या 1 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य
29	तेलंगाना
30	उत्तर प्रदेश
31	उत्तराखंड

परिशिष्ट-II: प्रमुख वैधीकरण/कार्यत्मकता प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं
(देखे पैरा 3.5.1)

पैरा नं.	संक्षेप में मामला	एसआरएस में प्रदान की गई	कार्यान्वयन विफलता
प्रतिदाय मॉड्यूल			
3.7.3.3	आईटीसी की अधूरी री-क्रेडिटिंग सुविधा जहां दूसरे और बाद के अवसर पर डिफिशेन्सी मेमो जारी किया गया था	हाँ	हाँ
3.7.3.4	कर के भुगतान के बिना निर्यात के मामले में प्रणाली द्वारा अधिक प्रतिदाय की अनुमति (एलयूटी)	नहीं	-
3.7.3.5	अनिवार्य वैधिकरण प्रणाली में नहीं रखा गया (एसईजेड को आपूर्ति के बीजकों के विवरण पृष्ठांकित करना अनिवार्य नहीं किया गया था)	हाँ	हाँ
3.7.3.6	“विद-होल्ड” कार्यात्मकता अनुरोध का कार्यान्वयन न होना	हाँ	हाँ
3.7.3.7	प्रतिदाय के भुगतान में देरी पर ब्याज के लिए कार्यात्मकता को प्रणाली में कार्यान्वित नहीं किया गया था	नहीं	-
3.7.3.8	राज्य क्षेत्र प्राधिकारी को अन्य अधिसूचित व्यक्तियों (ओएनपी) के आरएफडी 10 का आवंटन न करना	हाँ	हाँ
3.7.3.9	पूँजीगत माल के आईटीसी की कटौती के लिए ऑटो-एक्सक्लूजन कार्यात्मकता का अभाव	नहीं	-
3.7.3.10	पर्याप्त नियंत्रण/वैधीकरण के अभाव में प्रतिदाय का अतिरिक्त दावा	नहीं	-

पैरा नं.	संक्षेप में मामला	एसआरएस में प्रदान की गई	कार्यान्वयन विफलता
3.7.3.11	अपंजीकृत व्यक्ति/उपभोक्ता के लिए प्रतिदाय के लिए आवेदन करने के लिए कार्यत्मकता लागू नहीं	हाँ	हाँ
3.7.3.12.1	जीएसटी पोर्टल और आईसीईएस के बीच सामंजस्य	हाँ	हाँ
3.7.3.12.2	शुल्क वापसी की उच्च दर वाले शिपिंग बिलों को प्रतिबंधित करने के लिए वैधीकरण का परिनियोजन न करना	नहीं	-
3.7.3.12.3	प्रणाली वैधीकरण के अभाव के कारण आईजीएसटी प्रतिदाय राशि अधिक हो गई	हाँ	हाँ
विवरणी माँड्यूल			
3.8.3.3	जीएसटीआर-2ए के गलत सृजन के कारण आईटीसी की अनियमित उपलब्धता हुई	नहीं	---
3.8.3.4	टर्नओवर पर वैधीकरण के अभाव में, प्रारंभिक सीमा को पार करने के बाद भी जीएसटीआर-4 को दाखिल करने के संबंध में, कंपोजिशन करदाताओं पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं	हाँ	हाँ
3.8.3.5	व्यवस्था में प्रावधान न होने से एनआरटीपी द्वारा आरसीएम आधार पर कर का भुगतान न करना।	नहीं	--
3.8.3.6	एसआरएस को नियम की गलत एसआरएस को नियम से गलत मैपिंग ने प्रासंगिक करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-1 में एचएसएन विवरणों को घोषित करने के मापदंड को कमजोर किया।	नहीं	--

पैरा नं.	संक्षेप में मामला	एसआरएस में प्रदान की गई	कार्यान्वयन विफलता
3.8.3.7	प्रणाली के माध्यम से वास्तविक ब्याज देयता की गणना न करना और उसके भुगतान को लागू न करना	हाँ	हाँ
ई-वे बिल (ईडब्ल्यूबी)			
3.9.5.1	ईडब्ल्यूबी की अस्वीकृति	हाँ	हाँ
3.9.5.2	एसईजेड को या उसके द्वारा आपूर्ति	हाँ	हाँ
3.9.5.3	ईडब्ल्यूबी का विस्तार	हाँ	हाँ
3.9.5.4	पिन कोड के आधार पर दूरी की स्वचालित गणना	नहीं	-
3.9.5.5	परिवहन का मल्टि व्हीकल मोड	हाँ	हाँ
3.9.5.6	रेल द्वारा परिवहन	हाँ	हाँ

**परिशिष्ट-III: जीएसटीएन के आईटी लेखापरीक्षा (फेज-1) की लेखापरीक्षा
अवलोकन पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई की स्थिति
(देखे पैरा 3.6)**

तालिका क (सारांश)

स्थिति	सुधारात्मक कार्रवाई की स्थिति	अभ्युक्तियों की संख्या
एस	सुधारात्मक कार्रवाई का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन।	19
1	जीएसटीएन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई के आश्वासन देने के बावजूद मुद्दे अभी भी लंबित हैं	6
2	जीएसटीएन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है और इसे यथासमय लागू किया जाएगा	12
3	अन्य एजेंसियों की ओर सुधारात्मक कार्रवाई लंबित है	5

तालिका ख (स्थिति के साथ सभी अवलोकन की सूची)

पैरा नं.	अनुशीर्षक	स्थिति
पंजीकरण मॉड्यूल		
2.1 (क)	कंपोजीशन लेवी स्कीम के साथ-साथ सामान्य करदाता के तहत एक ही पैन धारक पाया गया	एस
2.1 (ख)	अपात्र करदाताओं को कंपोजीशन लेवी योजना के तहत पंजीकरण की अनुमति	एस
2.2 (क)	एक ही पैन धारक का अलग-अलग कानूनी नाम	एस
2.2 (ख)	जीएसटीएन में पंजीकृत व्यवसाय के प्रकार के साथ पैन में निर्धारिती के प्रकार का वैधीकरण न करना	एस
2.2 (ग)	अन्य अधिसूचित व्यक्तियों (ओएनपी) के पंजीकरण के लिए पैन वैकल्पिक बनाया गया	एस
2.3	ओएनपी के लिए पंजीकरण - अधिसूचना संख्या को वैध करने या आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने/अपलोड करने के लिए सुविधा की अनुपलब्धता	2
2.5	नॉन रेजिडेंट टैक्सबल पर्सन (एनआरटीपी)/कैजुअल करदाता कर अधिकारी को पंजीकरण न होने की चेतावनी नहीं दिया जाना	एस
2.6	एआरएन, जीएसटीआईएन और यूआईएन जारी करने में देरी	2
2.7	कर कटौतीकर्ता/कर संग्रहणकर्ता पंजीकरण प्रक्रिया में कमियां	एस

पैरा नं.	अनुशीर्षक	स्थिति
2.8	अपर्याप्त वैधीकरण के कारण प्रतिबंधित एचएसएन कोड के तहत जीएसटी पंजीकरण की अनुमति	2
2.9	कंपनियों के सीआईएन का वैधीकरण न करना	1
2.10	टीडीएस/टीसीएस: कानूनी नाम और अनुमोदन प्राधिकरण का रिक्त पाया जाना	एस
2.11 (क)	ऑनलाइन सूचना डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज (ओआईडीएआर) में अभी तक दस्तावेजों को अपलोड करने के महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं किए गए	एस
2.11 (ख)	अनिवार्य फील्ड टिन का सत्यापन न करना	एस
2.11 (ग)	ओआईडीएआर आवेदकों के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र कैप्चर नहीं किए गए।	एस
2.13	वैधीकरण का गलत एसएमएस	एस
2.14	सर्च ने जीएसटी पोर्टल पर मापदंड अवधि से बाहर आउटपुट दिया	1
2.15.1	जीएसटीएन पोर्टल पर विभिन्न भाषाओं के लिए कोई विकल्प नहीं	2
2.15.3	मल्टिपल बिजनेस वर्टिकल के लिए पंजीकरण	2
2.15.5	जीएसटी नियमों का उल्लंघन करते हुए करदाता के पंजीकरण पर पैन, ईमेल और मोबाइल के अनूठे संयोजन की शर्त	एस
2.15.6	जीएसटी पोर्टल पर अधिकारियों के संपर्क या कार्यालय के पते का कोई रिकॉर्ड नहीं	एस
2.15.7 (क)	केंद्र/राज्य जीएसटी क्षेत्राधिकार का चयन करदाता के पास छोड़ दिया जाता है जिन्होंने उनकी प्रविष्टि गलत तरीके से की	2
2.15.7 (ख)	व्यवसाय की जगह का गलत पता	2
2.15.8	परिवाद/शिकायत पोर्टल	एस
भुगतान मॉड्यूल		
3.1	(i) ईसीएल बैंक से पुष्टि के बिना जमा	3
	(ii) ईसीएल को वास्तविक समय पर जमा नहीं किया गया था जहां भुगतान सफल रहा	एस
	(iii) आरबीआई ई-स्कॉल से पेमेंट कन्फर्मेशन मिला लेकिन पीसीसीए द्वारा जीएसटीएन से उसे रिसीव नहीं किया गया।	एस
	(iv) बैंकों और पीसीसीए के साथ प्रेषण में देरी, बैंक रेटिंग और शास्ति दंड तंत्र के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी	3
3.2	चालान की अवधि समाप्त होने के बाद भुगतान विवरण प्राप्त होने पर भुगतान स्वीकार न करना	2

पैरा नं.	अनुशीर्षक	स्थिति
3.3	समाधान फाइलों में अनुपस्थित पाए गए सिस्टम स्तर नियंत्रण	एस
3.4	जीएसटीएन प्रणाली में अनुपलब्ध डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान	3
3.6	संदेशों का प्रदर्शन लेनदेन की वास्तविक स्थिति के साथ सिंक में नहीं हैं	एस
आईजीएसटी सेटलमेंट		
4.1	रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही	2
4.2	आयात डाटा का उपयोग न करना, अपील के आईजीएसटी भाग, प्रतिदाय और अभियोजन डाटा का उपयोग संबंधित रिपोर्टों के सृजन के लिए नहीं किया जा रहा है	2
4.4	ब्याज का निपटारा न करना	2
4.5	डुप्लीकेट रिकॉर्ड	1
4.6	आईजीएसटी निपटान की गलत गणना	2
4.7	एक ही करदाता के लिए एक ही प्रतिदाय की अवधि के लिए द्विभागी क्रॉस उपयोगिता	एस
4.8	निपटान रिपोर्ट एसटीएल 01.02/01.03 में गलत प्रविष्टियां	1
4.9	निपटान रिपोर्ट एसटीएल 01.04 में गलत प्रविष्टियां	3
4.1	निपटान रिपोर्ट एसटीएल 01.05 में गलत प्रविष्टियां	1
4.11	निपटान रिपोर्ट एसटीएल 01.06 में गलत प्रविष्टियां	1
4.13	एसटीएल 01.04 में प्रविष्टियों का बेमेल	एस
4.14	आईजीएसटी के आईटीसी के अवास्तविक दावे	3

तालिका ग (अवलोकनों का विवरण जो अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है)

जीएसटीएन के सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के आश्वासन के बावजूद मुद्दे अभी भी लंबित हैं	जीएसटीएन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है और इसे यथासमय कार्यान्वित किया जाएगा	अन्य एजेंसियों की तरफ से सुधारात्मक कार्रवाई लंबित है
पंजीकरण		
– सर्च ने जीएसटी पोर्टल पर मापदंड अवधि से अधिक आउटपुट दिया – कंपनियों के	– अन्य अधिसूचित व्यक्तियों के लिए पंजीकरण - अधिसूचना संख्या को वैध करने या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त	

जीएसटीएन के सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के आश्वासन के बावजूद मुद्दे अभी भी लंबित हैं	जीएसटीएन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है और इसे यथासमय कार्यान्वित किया जाएगा	अन्य एजेंसियों की तरफ से सुधारात्मक कार्रवाई लंबित है
<p>कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) का वैधीकरण न करना</p>	<p>करने/अपलोड करने के लिए सुविधा की अनुपलब्धता</p> <ul style="list-style-type: none"> - आवेदन संदर्भ संख्या, जीएसटीआईएन और विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने में देरी - अपर्याप्त वैधीकरण के कारण प्रतिबंधित एचएसएन कोड के तहत जीएसटी पंजीकरण की अनुमति - जीएसटीएन पोर्टल पर विभिन्न भाषाओं के लिए कोई विकल्प नहीं - मल्टिपल बिजनेस वर्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन - केंद्र/राज्य जीएसटी क्षेत्राधिकार का चयन करदाता के पास छोड़ दिया गया जिन्होंने उन्हें गलत तरीके से प्रविष्ट किया - व्यवसाय की जगह का गलत पता 	
भुगतान		
	<ul style="list-style-type: none"> - जहां चालान की अवधि समाप्त होने के बाद भुगतान विवरण प्राप्त होता था वहां भुगतान की 	<ul style="list-style-type: none"> - ईसीएल बैंकों से पुष्टि और प्रेषण, बैंक रेंटिंग में देरी के मुद्दों के बिना अद्यतन हो रही है,

<p>जीएसटीएन के सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के आश्वासन के बावजूद मुद्दे अभी भी लंबित हैं</p>	<p>जीएसटीएन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है और इसे यथासमय कार्यान्वित किया जाएगा</p>	<p>अन्य एजेंसियों की तरफ से सुधारात्मक कार्रवाई लंबित है</p>
	<p>स्वीकृति न मिलना।</p>	<ul style="list-style-type: none"> - बैंकों और पीसीसीए के साथ शास्ति तंत्र पर चर्चा की जाएगी - जीएसटी आईटी प्रणाली में उपलब्ध नहीं कराए गए डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान
<p>आईजीएसटी निपटान</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - डुप्लीकेट रिकॉर्ड - निपटान रिपोर्ट (एसटीएल) 01.02, 01.03, 01.05 और 01.06 में गलत प्रविष्टियां। 	<ul style="list-style-type: none"> - रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही - आयात डाटा का उपयोग न करना, अपील के आईजीएसटी भाग, प्रतिदाय और अभियोजन डाटा का उपयोग संबंधित रिपोर्टों के सृजन के लिए नहीं किया जा रहा है - ब्याज का निपटारा न करना - आईजीएसटी निपटान की गलत गणना 	<ul style="list-style-type: none"> - एसटीएल 01.04 में गलत प्रविष्टियां - आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के अवास्तविक दावे

परिशिष्ट-IV: ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा का अवलोकन
(देखें: पैरा 4.6.1)

(₹ लाख में)

डीएपी नं.	शामिल कमिश्नरी के नाम	मामलों की संख्या	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि
पैराग्राफ 4.6.2: पारगमन में इनपुट सेवाओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा					
35	बेलापुर, भिवंडी, मुंबई दक्षिण और पुणे ।	18	3676.52		
पैराग्राफ 4.6.3: क्रेडिट के रूप में पूर्व व्यवस्था के उपकर का अनियमित प्राप्ति					
4	बेंगलुरु पूर्व	1	10.56	10.56	10.56
9	बेंगलुरु पूर्व	2	26.23		
12	चेन्नई आउटर	1	85.63	85.63	
19	दिल्ली दक्षिण	1	17.68	17.68	17.68
21	दिल्ली पूर्व	1	13.97		
22	हैदराबाद (लेखापरीक्षा - 1)	1	13.45	13.45	13.45
23	हैदराबाद (लेखापरीक्षा - 1)	1	38.87	38.87	38.87
37	बेंगलुरु उत्तर	2	77.01	77.01	77.01
42	बेंगलुरु दक्षिण	1	15.83		
63बी	हावड़ा	1	12.31		
83	वडोदरा ।	1	67.75		
84	अहमदाबाद दक्षिण	1	13.60	13.60	13.60
93	विशाखापट्टनम	1	48.62		

डीएपी नं.	शामिल कमिश्नरी के नाम	मामलों की संख्या	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि
4.6.4 अनुमेय अवधि के बाद बही खातों में दर्ज भण्डार पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा					
3	दमन	1	10.25	10.25	10.25
10	चेन्नई उत्तर	1	21.35	21.35	
11	चेन्नई उत्तर	1	336.00	336.00	
16	कोयंबटूर (लेखापरीक्षा)	1	43.92	43.92	29.94
25	हैदराबाद (लेखापरीक्षा - 1)	1	33.09	33.09	
27	विशाखापट्टनम (लेखापरीक्षा - 1)	1	23.97		
46	वडोदरा II	1	21.29	21.29	
63ए	कोलकाता उत्तर	1	43.45		
63सी	बोलपुर	1	24.76		
68	तिरुचिरापल्ली	1	62.26	62.26	
69	तिरुचिरापल्ली	1	21.05	21.05	
87	अहमदाबाद दक्षिण	1	14.02		
88	गांधीनगर	1	11.62	11.62	
पैरा 4.6.5: सेनवैट क्रेडिट का अतिरिक्त अग्रेषण					
6	बेंगलुरु पूर्व	1	41.34		
7	बेंगलुरु पूर्व	1	46.54		
18	कोच्चि	1	74.05	74.05	77.08
20	दिल्ली पूर्व	1	10.95	10.95	

डीएपी नं.	शामिल कमिश्नरी के नाम	मामलों की संख्या	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि
35	पुणे - I	1	34.69		
49	गुवाहाटी	1	14.81	14.81	
56	चेन्नई दक्षिण	1	30.18		
61	कोयम्बटूर	1	17.18	17.18	
64	दीमापुर पूर्व	1	14.68		
81	बेंगलुरु उत्तर	1	35.94	35.94	
82	दिल्ली पश्चिम	1	21.52	21.52	
92	मेडचल	1	45.71	45.71	
101	लुधियाना	1	13.70		
पैराग्राफ 4.6.6: छूट प्राप्त माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ					
1	गांधीनगर	1	26.62	26.62	
13	कोयंबटूर (लेखापरीक्षा)	1	290.83		
59	कोयम्बटूर	1	116.22	116.22	
60	मदुरै	1	124.00		
65	गुंटूर	1	10.57	10.57	5.42
77	मदुरै	1	111.33		
86	अहमदाबाद दक्षिण	1	36.84	36.84	
पैरा 4.6.7: भण्डार में माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा					
35	पुणे - I	5	769.00		

डीएपी नं.	शामिल कमिश्नरी के नाम	मामलों की संख्या	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि
पैराग्राफ 4.6.8: ईआर-1/एसटी-3 विवरणी फाइल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना					
8	बेंगलुरु दक्षिण	1	14.75		
35	पुणे - 1, बेलापुर	2	180.17		
50	चेन्नई आउटर	1	39.02		
पैराग्राफ 4.6.9: ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा जो इनपुट, इनपुट सेवाओं तथा पूंजीगत माल के दायरे में नहीं आता					
17	चेन्नई आउटर	1	29.00	29.00	18.83
52	गुंटूर	1	14.54		
53	मेडचल	1	25.17		
पैराग्राफ 4.6.10: ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित अन्य अनियमितताएं					
2	गांधीनगर	1	20.33	20.33	
5	बेंगलुरु पूर्व	1	481.00		
11	चेन्नई उत्तर	1	24.00	24.00	
14	कोयंबटूर (लेखापरीक्षा)	1	15.89	15.89	16.86
24	हैदराबाद	1	19.76	19.76	19.76
26	हैदराबाद (लेखापरीक्षा-I)	1	36.92	36.92	
29	भुवनेश्वर और राउरकेला	2	79.91	79.91	
35	बेलापुर, भिवंडी, मुंबई दक्षिण और पुणे ।	12	357.27		
40	रांची	1	216.00	216.00	

डीएपी नं.	शामिल कमिश्नरी के नाम	मामलों की संख्या	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि
66	विशाखापट्टनम	1	10.69	10.69	10.69
74	हैदराबाद (लेखापरीक्षा-I)	1	16.72	16.72	
85	अहमदाबाद दक्षिण	1	221.00	221.00	
89	भुवनेश्वर	1	114.00	114.00	
90	कोयंबटूर (लेखापरीक्षा)	1	93.20		
94	गुंटूर	1	13.04		

**परिशिष्ट-V: प्रतिदाय दावों की लेखापरीक्षा का विहंगावलोकन
(देखें: पैरा 4.7)**

(₹ लाख में)

डीएपी संख्या	शामिल कमिश्नरी के नाम	मामलों की संख्या	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि
38	बेंगलुरु वेस्ट	1	13.53	16.06	16.06
41	लुधियाना	1	15.22	16.48	16.48
45	चेन्नई आउटर	1	110.00	110.00	110.00
57	वडोदरा II	1	31.98		
47	मुंबई पूर्व	19	402.00		
67	कोच्चि	1	227.00		

**परिशिष्ट-VI: जीएसटी लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अन्य अनियमितताएं
(देखे: पैरा 4.8)**

(₹ लाख में)

डीएपी संख्या	शामिल कमिश्नरी के नाम	मामलों की संख्या	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि
28	राउरकेला	1	315.00	315.00	1.03
30	वाराणसी	1	9.71	9.71	9.71
33	रांची	1	56.30	56.30	56.30
54	जयपुर	1	126.00		
58	रांची	1	127.00	127.00	225.90
75	जमशेदपुर	1	17.67	17.67	17.67
76	जमशेदपुर	1	25.46	25.46	29.11
32	आगरा	1	उ.न.		

**परिशिष्ट-VII: राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव
(देखें: पैरा 4.9)**

(₹ लाख में)

डीएपी संख्या	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा पैरा नंबर	मामलों की संख्या	लेखा परीक्षा अभियुक्ति की प्रकृति	एसजीएसटी राशि शामिल	एसजीएसटी राशि स्वीकार की गई	वसूल एसजीएसटी राशि
41	पंजाब	4.7	1	अपात्र इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय का अनियमित दावा	8.24	8.24	8.24
57	गुजरात	4.7	1	अतिरिक्त प्रतिदाय को देना	15.99	0.00	0.00
47	महाराष्ट्र	4.7	8	<ul style="list-style-type: none"> ईसीएल में न्यूनतम शेष राशि पर विचार न करने के कारण प्रतिदाय को अधिक देना अधिक दर पर कमी के बावजूद आईजीएसटी के आईटीसी का अनियमित प्रतिदाय पूँजीगत माल से संबंधित आईटीसी पर प्रतिदाय का अनियमित रूप से देना 	136.89	0.00	0.00
67	केरल	4.7	1	अतिरिक्त जीएसटी प्रतिदाय का भुगतान	25.64	0.00	0.00
40	झारखंड	4.6.10(ग)	1	ट्रान-1 में एसजीएसटी के तहत अपात्र आईटीसी	216.00	216.00	0.00
28	उड़ीसा	4.8.1	1	ब्याज का भुगतान न	137.00	0.00	0.00

2021 की प्रतिवेदन संख्या 1 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

डीएपी संख्या	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा पैरा नंबर	मामलों की संख्या	लेखा परीक्षा अभियुक्ति की प्रकृति	एसजीएसटी राशि शामिल	एसजीएसटी राशि स्वीकार की गई	वसूल एसजीएसटी राशि
				करना			
30	उत्तर प्रदेश	4.8	1	जीएसटी का भुगतान न करना	4.85	4.85	4.85
58	झारखंड	4.8.2	1	जीएसटी का भुगतान न करना	2.01	2.01	2.01
76	झारखंड	4.8	1	जीएसटी का भुगतान न करना	8.06	8.06	8.06

परिशिष्ट-VIII: वि.व. 19 और वि.व. 20 में की गई लेखापरीक्षा के आधार पर जारी अभियुक्तियों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	डीएपी संख्या	श्रेणी	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
खंड क: आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा पता नहीं लगाई गयी कमियां						
1	26डी	एसटी	0.11	0.11	0.11	चेन्नई आउटर
2	28डी	एसटी	0.19	0.19		राउरकेला
3	71डी	एसटी	183.37	183.37		भुवनेश्वर
4	75डी	एसटी	0.33			बेंगलुरु पूर्व
5	90डी	एसटी	1.11	1.11		बेंगलुरु वेस्ट
6	27डी	एसटी	0.11	0.11	0.11	राउरकेला
7	59डी	एसटी	0.42	0.42	0.27	बेंगलुरु पूर्व
8	85डी	एसटी	0.39			रायपुर
9	12डी	एसटी	0.18		0.18	पालघर
10	46डी	एसटी	0.32			भोपाल
11	63डी	एसटी	0.16	0.16	0.16	दमन
12	55डी	एसटी	0.34		0.34	बेंगलुरु उत्तर
13	88डी	एसटी	4.22			बेलागावी
14	54डी	एसटी	1.13	1.13		बेंगलुरु पूर्व
15	58डी	एसटी	0.18	0.18	0.18	बेंगलुरु पूर्व
16	76डी	एसटी	0.92			बेंगलुरु उत्तर
17	91डी	एसटी	0.21			अहमदाबाद दक्षिण
18	93डी	एसटी	0.39			औरंगाबाद
19	10डी	सीएक्स	6.06			दमन
20	20डी	सीएक्स	0.13			सूरत
21	4डी	सीएक्स	0.43	0.43	0.43	चेन्नई आउटर
22	23डी	सीएक्स	34.84			बेंगलुरु उत्तर
23	32डी	सीएक्स	0.44	0.44		राउरकेला
24	7डी	सीएक्स	1.02	1.02	1.02	चेन्नई दक्षिण
25	33डी	सीएक्स	9.37			रायपुर
26	18डी	सीएक्स	0.21	0.21	0.06	सूरत
27	11डी	सीएक्स	6.83			दमन
28	13डी	सीएक्स	0.30	0.30		मेडचाल

क्रम संख्या	डीएपी संख्या	श्रेणी	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
29	16डी	सीएक्स	0.92			नागपुर ।
30	31डी	सीएक्स	0.69			राउरकेला
खंड ख: निर्धारितियों द्वारा अनुपालन न करने की अभ्युक्तियों की सूची						
सेवाकर/केन्द्रीय सीमा शुल्क का भुगतान न करना						
31	30डी	एसटी	0.46	0.46		दिल्ली दक्षिण
32	34डी	एसटी	5.7	5.7		दिल्ली दक्षिण
33	43डी	एसटी	2.95	2.95		हैदराबाद
34	21डी	एसटी	0.40	0.40	0.40	हैदराबाद
35	37डी	एसटी	0.27	0.27	0.27	इलाहाबाद
36	48डी	एसटी	0.41		0.03	बेंगलुरु दक्षिण
37	62डी	एसटी	0.70		0.70	चेन्नई आउटर
38	77डी	एसटी	0.44			बेंगलुरु पूर्व
39	81डी	एसटी	0.62		0.13	रांची
40	15डी	एसटी	1.12	1.12	0.78	मेडचाल
41	26ए	एसटी	0.57	0.57		रायपुर
42	11बी	एसटी	0.15	0.15	0.15	चेन्नई आउटर
43	14बी	एसटी	0.29	0.29	0.29	दमन
44	4बी	एसटी	0.54	0.54		ठाणे
45	12बी	एसटी	0.15	0.15	0.15	तिरुअनंतपुरम
46	3ए	एसटी	5.93	5.93		बेंगलुरु उत्तर
47	18बी	एसटी	0.13	0.13	0.13	दिल्ली दक्षिण
48	16बी	एसटी	0.14	0.14		गांधीनगर
49	17बी	एसटी	0.25	0.25		गांधीनगर
50	10ए	एसटी	0.72			बेंगलुरु उत्तर
51	20बी	एसटी	0.14	0.14	0.07	बेंगलुरु उत्तर
52	21बी	एसटी	0.32	0.32	0.08	बेंगलुरु पूर्व
53	23ए	एसटी	1.30	1.3		बेंगलुरु उत्तर
54	26बी	एसटी	0.15	0.15	0.15	बेंगलुरु पूर्व
55	27बी	एसटी	0.12	0.12	0.08	बेलागावी
56	31ए	एसटी	0.18			गुंटूर
57	32ए	एसटी	0.21			मेडचाल
58	10बी	सीएक्स	1.90	1.90		उज्जैन
59	14डी	सीएक्स	6.74	6.74	1.98	इलाहाबाद
सेवा कर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान						
60	44डी	एसटी	0.42	0.42		हैदराबाद

क्रम संख्या	डीएपी संख्या	श्रेणी	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
61	22डी	एसटी	1.93	1.93	1.93	मुंबई दक्षिण
62	50डी	एसटी	0.35		0.35	बेंगलुरु पूर्व
63	19डी	एसटी	0.2	0.2	0.2	हैदराबाद
64	84डी	एसटी	2.89		2.89	बेंगलुरु पूर्व
65	13बी	एसटी	29.60	29.60		मुंबई पूर्व
66	1ए	एसटी	1.69	1.69	0.11	पुणे-॥
67	22बी	एसटी	0.11	0.11	0.03	बेंगलुरु पूर्व
68	22ए	एसटी	2.64	2.64	0.15	बेंगलुरु पूर्व
69	24ए	एसटी	2.53			बेंगलुरु उत्तर
70	25ए	एसटी	0.76	0.76	0.48	बेंगलुरु पूर्व
71	19ए	एसटी	0.21	0.21		गुंटूर
72	30ए	एसटी	1.89			गुंटूर
73	92डी	एसटी	0.28			चंडीगढ़
74	5ए	सीएक्स	0.26	0.26		पुणे-॥
75	8बी	सीएक्स	0.25	0.25		मेडचाल
76	11बी	सीएक्स	0.17	0.17		तिरुपति
77	12बी	सीएक्स	0.75	0.75		मेडचाल
78	8डी	सीएक्स	1.80			रंगा रेड्डी
सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग						
79	47डी	एसटी	1.13		0.06	बेंगलुरु दक्षिण
80	60डी	एसटी	0.27	0.27	0.27	कोच्चि
81	2ए	एसटी	0.33	0.33		जोधपुर
82	15बी	एसटी	3.08	3.08		गोवा
83	7बी	एसटी	0.37	0.37		गोवा
84	21ए	एसटी	0.69			बेंगलुरु पूर्व
85	10ए	सीएक्स	2.70		2.20	बेलागावी
86	34डी	सीएक्स	1.02			रायपुर
87	37डी	सीएक्स	0.83			वडोदरा ॥
88	9बी	सीएक्स	0.32	0.32	0.32	मुंबई पूर्व
89	13बी	सीएक्स	0.20	0.20		जयपुर
90	9ए	सीएक्स	0.33			तिरुपति
91	25डी	सीएक्स	0.22	0.22	0.22	चेन्नई उत्तर

क्रम संख्या	डीएपी संख्या	श्रेणी	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
92	6बी	सीएक्स	0.17	0.17	0.17	चेन्नई आउटर
सेनवैट क्रेडिट की गैर/कम वापसी						
93	32डी	एसटी	0.30	0.30		दिल्ली पश्चिम
94	83डी	एसटी	0.14	0.14		बेंगलुरु दक्षिण
95	19बी	एसटी	0.72	0.72	0.37	बेंगलुरु उत्तर
96	23बी	एसटी	0.21	0.21	0.06	बेंगलुरु पूर्व
97	25बी	एसटी	0.11	0.11	0.03	बेंगलुरु पूर्व
98	27ए	एसटी	4.04	4.04		बेंगलुरु उत्तर
99	28ए	एसटी	1.49	1.49		बेंगलुरु पूर्व
100	39डी	एसटी	14.72	14.72		बेंगलुरु पूर्व
101	8ए	सीएक्स	0.49	0.49		उज्जैन
102	35डी	सीएक्स	0.61			रायपुर
103	41डी	सीएक्स	12.16			बेलागावी
ब्याज का भुगतान न करना						
104	31डी	एसटी	0.54	0.54	0.54	दिल्ली पश्चिम
105	45डी	एसटी	0.38	0.38		गुंटूर
106	41डी	एसटी	0.18	0.18	0.17	इलाहाबाद
107	23डी	एसटी	0.24	0.24	0.24	चंडीगढ़
108	18डी	एसटी	0.17	0.17	0.17	हैदराबाद
109	20डी	एसटी	0.20	0.20	0.20	हैदराबाद
110	24डी	एसटी	0.17	0.17	0.17	तिरुअनंतपुरम
111	35डी	एसटी	0.17	0.17		दिल्ली दक्षिण
112	42डी	एसटी	0.5	0.5	0.1	तिरुअनंतपुरम
113	57डी	एसटी	0.26			बेंगलुरु पूर्व
114	78डी	एसटी	0.14		0.14	बेंगलुरु उत्तर
115	17ए	एसटी	0.13	0.13	0.05	दिल्ली दक्षिण
116	11ए	एसटी	4.82	4.82	4.82	राजौरी गार्डन
117	24बी	एसटी	0.17	0.17	0.17	बेंगलुरु उत्तर
उपकर का भुगतान न करना						
118	30डी	सीएक्स	0.31	0.31		भोपाल
खंड ग: विभागीय कार्यों में चूक का संकेत देने वाली अभ्युक्तियों की सूची						
प्रतिदाय के प्रसंस्करण में अनियमितता						

क्रम संख्या	डीएपी संख्या	श्रेणी	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
119	33डी	एसटी	0.71			दिल्ली दक्षिण
120	15डी	सीएक्स	0.34		0.34	गोवा
121	24डी	सीएक्स	0.39	0.39		रोहतक
एससीएन जारी करने/निगरानी में अनियमितताएं						
122	29डी	एसटी	0.34	0.34		मुंबई केन्द्रीय
123	25डी	एसटी	0.56			मुंबई केन्द्रीय
124	82डी	एसटी	0.29			दिल्ली दक्षिण
125	94डी	एसटी	एनएमवी			ठाणे ग्रामीण
126	26डी	सीएक्स	0.20	0.20		सलेम
127	29डी	सीएक्स	0.29	0.29		नासिक
कॉल बुक मामलों की अप्रभावी निगरानी						
128	12डी	सीएक्स	एनएमवी	एनएमवी		बेंगलुरु पूर्व
129	22डी	सीएक्स	एनएमवी			बेंगलुरु उत्तर
130	27डी	सीएक्स	एनएमवी			पटना-II
131	38डी	सीएक्स	एनएमवी			बेंगलुरु दक्षिण
132	39डी	सीएक्स	एनएमवी			बेलागावी
विलंब शुल्क/शास्ति का उद्ग्रहण न होना						
133	36डी	एसटी	0.24		0.07	गाजियाबाद
134	38डी	एसटी	0.49	0.49	0.07	देहरादून
135	52डी	एसटी	0.19		0.03	बेंगलुरु उत्तर
136	28डी	सीएक्स	0.11	0.11		गाजियाबाद
अपवंचन विरोधी जांच पूरी न होना						
137	61डी	एसटी	57.80			बेलागावी
138	87डी	एसटी	0.20			बेलागावी
कर आधार के विस्तार के बारे में अभ्युक्तियां						
139	72डी	एसटी	0.35	0.35		लखनऊ
140	49डी	एसटी	11.05			बेंगलुरु उत्तर
विभागीय अधिकारी द्वारा समय पर कार्रवाई न करना						
141	40डी	एसटी	0.49			राउरकेला
142	51डी	एसटी	0.56	0.56	0.28	बेंगलुरु पूर्व
143	53डी	एसटी	0.58		0.1	मैसूर
बकाया वसूली में अनियमितताएं						
144	86डी	एसटी	5.04			बेंगलुरु उत्तर

क्रम संख्या	डीएपी संख्या	श्रेणी	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
145	89डी	एसटी	एनएमवी			बेलागावी
146	40डी	सीएक्स	एनएमवी			बेलागावी
	कुल		472.30	295.78	25.75	

परिशिष्ट-IX

वि.व. 19 से पहले की अवधि में किए गए लेखापरीक्षा के आधार पर जारी अभियुक्तियों की सूची।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	डीएपी संख्या	श्रेणी	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
खंड क: जिन मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई लंबित है						
1	2डी	एसटी	1.91			मुंबई पूर्व
2	79डी	एसटी	2.92			कोलकाता उत्तर
3	80डी	एसटी	18.31			लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, जीबी नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, नोएडा और वाराणसी
4	10डी	एसटी	0.54		0.24	बेंगलुरु पश्चिम
5	74डी	एसटी	3.06			बेंगलुरु पश्चिम
6	67डी	एसटी	0.87			सूरत
7	70डी	एसटी	0.67			वाराणसी
8	20ए	एसटी	433			मुंबई पूर्व
9	18ए	एसटी	0.44			बेंगलुरु पश्चिम
10	33ए	एसटी	2.60			बेंगलुरु पूर्व
11	17डी	सीएक्स	1.61			अहमदाबाद उत्तर
12	1ए	सीएक्स	0.65	0.65		अहमदाबाद उत्तर
13	21डी	सीएक्स	1.31			बेंगलुरु उत्तर पश्चिम
14	36डी	सीएक्स	2.51			रायपुर
खंड ख: विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई किये गये मामले						
15	15ए	एसटी	0.26	0.26	0.15	चेन्नई दक्षिण
16	13ए	एसटी	1.70	1.70		बेंगलुरु पूर्व

क्रम संख्या	डीएपी संख्या	श्रेणी	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
17	14ए	एसटी	3.44	3.44		बेंगलुरु उत्तर
18	6ए	एसटी	6.5	6.5		वडोदरा-I
19	5ए	एसटी	1.92	1.92	1.15	बेंगलुरु दक्षिण
20	65डी	एसटी	1.99	1.99		बेंगलुरु पूर्व
21	29ए	एसटी	0.2	0.2		रायपुर
22	73डी	एसटी	10.37	10.37		बेंगलुरु पूर्व
23	16ए	एसटी	0.28	0.28	0.09	सलेम
24	66डी	एसटी	1.87	1.87		दमन
25	12ए	एसटी	0.18	0.18		वडोदरा-II
26	7ए	एसटी	4.07	4.07		पटना-I
27	8ए	एसटी	0.21	0.21		पटना-I
28	8डी	एसटी	1.82	1.82		मंगलूर
29	69डी	एसटी	0.22	0.22	0.1	मेरठ
30	9ए	एसटी	0.3	0.3		पटना-II
31	68डी	एसटी	0.41	0.41	0.41	जमशेदपुर
32	4ए	एसटी	1.43	1.43		हैदराबाद
33	1डी	एसटी	30.67	30.67		मुंबई केन्द्रीय
34	3 डी	एसटी	0.67	0.67	0.67	मुंबई पूर्व
35	1बी	एसटी	0.11	0.11	0.11	लुधियाना
36	14डी	एसटी	1.49	1.49	1.49	मेडचाल
37	13डी	एसटी	1.02	1.02	1.02	हैदराबाद
38	16डी	एसटी	0.29	0.28	0.18	जयपुर
39	10बी	एसटी	0.41	0.41	0.41	जयपुर
40	4डी	एसटी	0.52	0.52		बेंगलुरु उत्तर
41	5डी	एसटी	0.37	0.37	0.37	मंगलूर
42	6डी	एसटी	0.45		0.45	बेंगलुरु उत्तर
43	7डी	एसटी	0.19	0.19	0.19	बेंगलुरु पश्चिम
44	2बी	एसटी	0.18	0.18	0.17	मुंबई केन्द्रीय
45	3बी	एसटी	0.30	0.30	0.30	पालघर
46	17डी	एसटी	0.35			उदयपुर
47	8बी	एसटी	94.71	94.71		जयपुर
48	9डी	एसटी	15.48			बेलागावी
49	11डी	एसटी	0.33			बेलागावी
50	9बी	एसटी	1.16	1.16		मुंबई पूर्व
51	6बी	एसटी	4.19	4.19		मुंबई पश्चिम
52	5बी	एसटी	3.60	3.60		मुंबई पश्चिम
53	1बी	सीएक्स	0.33	0.33	0.33	पुणे-I

क्रम संख्या	डीएपी संख्या	श्रेणी	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
54	1डी	सीएक्स	0.38	0.38		दमन
55	2ए	सीएक्स	0.20	0.20		पालघर
56	2बी	सीएक्स	0.27	0.27	0.14	नागपुर-I
57	2डी	सीएक्स	0.15		0.15	वडोदरा-II
58	3ए	सीएक्स	0.16	0.16		पालघर
59	3बी	सीएक्स	0.16	0.16	0.16	मंगलूर
60	3 डी	सीएक्स	0.15		0.15	बैंगलुरु उत्तर
61	4ए	सीएक्स	0.56			रांची
62	4बी	सीएक्स	0.27	0.27	0.27	पालघर
63	5बी	सीएक्स	0.15	0.15	0.06	नागपुर-I
64	5डी	सीएक्स	0.20	0.20		रांची
65	6डी	सीएक्स	0.36			मेडचाल
66	9डी	सीएक्स	0.31	0.31	0.31	अहमदाबाद उत्तर
		कुल	667.71	180.12	9.07	

शब्दावली

एसी	सहायक आयुक्त
एसीईएस	सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ऑटोमेशन
एसीएम	लेखापरीक्षा समिति की बैठक
एआईएस	आवेदन और बुनियादी ढांचा समर्थन
एआरएन	आवेदन संदर्भ संख्या
बीसीपी	बिजनेस निरंतरता योजना
बीआई	व्यापारिक सूचना
बीएम	सामग्री का बिल
सीएसएस	सामग्री-संबोधित भंडारण
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सीसीआर	सेनवेट क्रेडिट नियमावली
सीई/सीएक्स	केन्द्रीय सीमा शुल्क
सेनवेट	केंद्रीय मूल्य संवर्धित कर
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीईएसटीएएम	केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा सेवाकर लेखापरीक्षा नियमावली
सीईएसटीएटी	केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण
सीजीएसटी	केंद्रीय माल एवं सेवा कर
सीएमपी	परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया प्रोसेस
सीएनजी	संपीड़ित प्राकृतिक गैस
सीआर	परिवर्तन अनुरोध
सीटीएच	चैप्टर टैरिफ शीर्ष

डीएआर	मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट
डीसी	डाटा केंद्र
डीजी	महानिदेशक
डीजीजीएसटीआई	वस्तु एवं सेवा कर इंटेलिजेंस महानिदेशालय
डीजीएस	सिस्टम और डाटा प्रबंधन महानिदेशालय
डीएम	कमी ज्ञापन
डीएमजी	खान और भूविज्ञान विभाग
डिओआर	राजस्व विभाग
डीआर	आपदा वसूली
ईसी	शिक्षा उपकर
ईसीएल	इलेक्ट्रॉनिक नकद/खाता बही
ईआर	उत्पाद शुल्क विवरणी
ईवीपी	कार्यकारी उपाध्यक्ष
ईडब्ल्यूबी	ई-वे बिल
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीओके	कर्नाटक सरकार
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
जीएसटीएन	माल एवं सेवा कर नेटवर्क
जीएसटीआर	माल एवं सेवाकर विवरणी
जीटीए	माल परिवहन एजेंसी
आईसीईजीएटीई	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली
आईडीएस	प्रतिगाती शुल्क संरचना

आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर
आईएमपी	घटना प्रबंधन प्रक्रिया
आईएसडी	इनपुट सेवा वितरक
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीसी	इनपुट कर जमा
केकेसी	कृषि कल्याण उपकर
एलएआर	स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
एलएमपी	लाइसेंस प्रबंधन प्रक्रिया
एलओयू/एलयूटी	वचन पत्र/उद्योषणा पत्र
एमसीए	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
एमएफ	मुख्य प्रवाह
एमपीआर	मासिक प्रदर्शन विवरण
एमएसपी	प्रबंधित सेवा प्रदाता
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआरटीपी	अनिवासी कर योग्य व्यक्ति
एनटी	गैर-टैरिफ
ओईएम	मूल उपकरण विनिर्माता
ओआईओ	मूल आदेश
ओएनपी	अन्य अधिसूचित व्यक्ति
पीडी	प्रधान निदेशक
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएनजी	पाइप प्राकृतिक गैस
क्यूसीएम	त्रैमासिक समन्वय बैठक:

आरसीए	मूल कारण विश्लेषण
आरसीएम	रिवर्स चार्ज मैकेनिस्म
आरपीओ	प्रतिदाय प्रसंस्कारण अधिकारी
आरआर	रेलवे रसीद
एसबीसी	स्वच्छ भारत उपकर
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसजीएसटी	राज्य माल एवं सेवा कर
एसएचईसी	माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उपकर
एसएलए	सेवा स्तर करार
एसओपी	मानक प्रचालन प्रक्रिया
एसक्युए	सॉफ्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन
एसआरए	झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास प्राधिकरण
एसआरएस	प्रणाली आवश्यकताएं विनिर्देश
एसटी	सेवाकर
एसवीएलडीआरएस	सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना
एसवीपी	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
टीएआर	कर बकाया विवरण/वसूली
यूआईएन	विशिष्ट पहचान संख्या
वैट	मूल्य वर्धित कर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in